उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

MSW-114

परिवार कल्याण एवं बाल विकास

खण्ड – एक : महिलाओं की स्थिति एवं विकास

इकाई 1 : भारत में महिलाओं की स्थिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 3–6
इकाई 2 : महिलाओं का विकास एवं सशक्तिकरण 7–11
इकाई 3 : महिला नीति 12–15
इकाई 4 : महिला विकास से संबंधित कार्यक्रम 16–19
इकाई 5 : लैंगिक भेदभाव 20–23

खण्ड – दो : महिलाओं से संबंधित समस्याएँ, महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधान

इकाई 6 : दहेज प्रथा 26–31
इकाई 7 : घरेलू हिंसा 32–39
इकाई 8 : अपहरण और शोषण 40–48
इकाई 9 : महिला श्रमिकों की स्थिति 49–53
इकाई 10 : परिवार परामर्श केन्द्र 54–58
इकाई 11 : दहेज निषेध अधिनियम 59–64
इकाई 12 : अनैतिक व्यापार अधिनियम 65–70
इकाई 13 : सती प्रथा निषेध अधिनियम 71–78
इकाई 14 : घरेलू हिंसा एक अधिनियम 79–85

खण्ड – तीन : बाल विकास एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान

इकाई 15 : बाल विकास की अवधारणा एवं चरण 88–94
इकाई 16 : विशेष बाल विकास – आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ 95–103
इकाई 17 : बाल विकास कार्यक्रम एवं योजनायें 104–116
इकाई 18 : बाल विकास की अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएँ 117–126
इकाई 19 : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 127–136
इकाई 20 : बाल श्रम निषेध अधिनियम 137–145

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 सत्यकाम — **कुलपति**
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

विशेषज्ञ समिति

प्रो0 संतोषा कुमार — **अध्यक्ष**
निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रो0 अनूप भारतीय — **सदस्य**
समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. संदीप गिरी — **सदस्य**
समाज कार्य विभाग, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

डॉ. रोहित मिश्रा — **सदस्य**
समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. रूपेश सिंह — **सदस्य**
डॉ. शकुन्तला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. अल्का वर्मा — **सचिव**
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

परिमापक

प्रो. ए.एन. सिंह — **उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

सम्पादक

प्रो. ए.एन. सिंह — **उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

समन्वयक

डॉ. अल्का वर्मा — **असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग**
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक

डॉ. अल्का वर्मा — **असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग**
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

डॉ. संध्या यादव — **असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग**
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. गीतांजलि श्रीवास्तव — **असिस्टेंट समाज कार्य विभाग**
प्रो. राजेन्द्र सिंह रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाशक

2024 (मुद्रित)

© उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2024

ISBN-978-81-19530-48-9

प्रस्तुत पाठ्य सामग्री में विषय से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं विचार मौलिक रूप से लेखक के द्वारा स्वयं उपलब्ध कराई गई है। विश्वविद्यालय, इस सामग्री के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट–पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशक : कुलसचिव, कर्नल विनय कुमार उ०प्र० राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज–2024.

मुद्रकः– चंद्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 42/7 जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रयागराज।

इकाई–1 भारत में महिलाओं की ऐतिहासिक स्थिति

इकाई की रूपरेखा

1.0 प्रस्तावना
1.1 महिला का परिचय
1.2 महिलाओं का इतिहास
1.3 आदि काल में महिलाओं की स्थिति
1.4 स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति
1.5 स्वपरख प्रश्न

1.0 प्रस्तावना

प्रिय विद्यार्थियों प्रस्तुत इकाई में हम महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। हम जानते है कि महिलाओं का समाज पर विशेष भूमिका होती है। कोई भी व्यक्ति के सफल होने पर महिला का ही सहयोग होता है। महिलाओं द्वारा समाज को विभिन्न माध्यमों से नई दिशा देती रहती है। महिला से ही हम अपने जीवन में परिवर्तन एवं समाज देष में कार्यों को सम्पादित करने में सहयोग लेकर कर पाते है।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः"

नारी की जहाँ पूजा होती है वही पर देवता का निवास होता है। इसी मंत्र के साथ हम अपने समाज में नारी सम्मान, मातृ वन्दन करते है।

भारत में महिला स्थिति इस विषय का प्रथम खण्ड महिला के इतिहास से सम्बन्धित है इस सम्पूर्ण खण्ड को 10 इकाई में विभाजित किया गया है। इसमें सभी इकाईयों में भारत महिला के इतिहास एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से सम्बन्धित है। जिसमें आदि काल से लेकर वर्तमान समय तक के स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। महिला हमारे समाज को मार्ग दिखाने का भी कार्य किया है। किसी भी सभ्य समाज की संकल्पना बिना महिला के सहयोग के सम्भव नही हो सकता है। परिवार को एक सूत्र में बांधकर चलाने का साहस महिला में ही होता है।

1.1 महिला का परिचय

जेम्स मिल का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक है 'असभ्य समाज में स्त्रियों का अपमान होता है। जब कि सभ्य समाज में स्त्रियों का सम्माना' यू एन ओ महिला वर्ष भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकर ण कार्यक्रम मनाया जाना महिलाओं के प्रति सम्मान है। इस प्रकार जैसे जैसे समाज सभ्य बनता गया महिलाओ का सम्मान बढता गया। बदलते हुये समय में महिलाओं के महत्व और प्रत्येक क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुये सकारात्मक सोच के साथ बैसी हो इतिहास लेखन किया जाना चाहिये। जैसे यूरो प में पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन प्रभाव के कारण इतिहास लेखन धर्म दर्शन से अलग होकर मानव तावादी दृष्टिकोण की ओर उन्मुख हुआ। इतिहास का मार्क्सवादी लेखन रानियों, महारानियों, विदुषी महि लाओं के बजाये सामान्य कामकाजी महिलाओं का उल्लेख करता है। उनके कार्यों, उनकी सोच, उनकी भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उनके त्याग और बलिदान को कदाचित भुलाया नही जा सकता है। उनकी सृजनात्मक शक्ति अनमोल है।

20 वीं सदी के उत्तरार्द्ध और अब 21 वीं सदी के प्रारम्भ में बराबरी व्यवहार वाले जोड़े बनने लगे हैं। नौकरों वाली नारी के साथ पुरुष की मानसिकता में बदलाव आया है। वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन तो की जा रहीं हैं ले किन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुँच सकने के कारण सियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। वह सत्य है कि वर्तमान समय में खियों की स्थिति में काफी बद लाव आए हैं, लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरुष प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। इस सन्दर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकानन्द का यह कथन उल्लेखनीय है किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम धर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँ चा देना चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके। हमें नारीशक्ति के उद्धार क नहीं, वरन उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए।

भारतीय नारियाँ संसार की अन्य किन्हीं भीनारि यो की भाँति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ सन्निहित हैं।

वस्तुतः इक्कीसवीं सदी महिला सदी है। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इसमें महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा सम ग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के संबंध में जागरूक बनाने के प्रयास किये गए। महिला सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2001 में प्रथम बार प्रथम बार "राष्ट्रीय महिला उत्थान नीतिष बनाई गई जिससे देश में महिलाओं के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताए निर्धारित किया जाना संभव हो सके।

1.2 महिलाओं का इतिहास

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में तदरूप बदलाव भी होते रहे हैं। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी. प रिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। सम्पत्ति में उनको बराबरी का हक था। मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से यिों की स्थिति में जबर्दस्त गिरावट आयी। अशिक्षा और रूढ़िया जकड़ती गई, पर की चाहरी दीवारी में कैद होती गई और नारी एक अबला, रमणी और भोग्या बनकर रह गई आर्य समाज आदि समाज सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा आदि के लिए प्रयास आरम्भ कियो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक सियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध जाति बन्धन, खो नेतृत्व का अभाव तथा पुरूषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवीं सदी त क आते आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक सा माजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोक सभा अध्यक्ष प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई है। इस शोध पत्र में भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि निर्वाह अर्थव्यवस्था में पशुचारण की प्रधानता नेतृत्मक सामाजिक संरचना के निर्माण में सहायता दी थी शुन शेप एवं दिवालिए जु आरी के दृष्टानों से स्पष्ट हो जाता है कि परिवार में पुरूष मुखिए का पूर्ण नियंत्रण था। महिलाओं को पासा बसुरा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में गिना जाता था। पुत्री का जन्म अशुभ माना जा ता था। पितृसतात्मा के अनुरूप ही समाज की प्रमुख विशेषताएं भी थी महिलाओं को पुरुषों के अधीन प्रदर्शित करना उसके लिए परिवृता त्याग पवित्रता आदि आदशों को बाध्यकारी बनाना है इसके लिए कुछ कुप्रथाओं जैसे पर्दा सती का पालन अनिवार्य बना दिया गया। ऐसा कहा गया कि जिस सी का तीर्थ में स्नान करने की इच्छा हो उसे पति का चरणोदक पीना चाहिए। विभिन्न प ग्रन्थ वेद मनुस्मृति आदि में भी नारी के विभिन्न रूपों का चित्रण निराशापूर्ण किया गया है क्यों कि इनके रचयिता पुरुष ही थे। कार्लमार्क्स ने धर्म को अफीम इसी अर्थ में कहा था। हमारे शास्त्र कारों ने हिन्दुस्तान की आधी आबादी (नारी) को पतिव्रत धर्म का ऐसा अफीम खिलाया कि उसका नशा आज के वैज्ञानिक युग में भी उतरा नहीं है। पर की चहारदीवारी में फेद नारी को भले ही समाज ने उत्कृष्ट स्थान न दिया हो वह निर्विवाद रूप से समाज का अभिन्न अंग है। सृष्टि के वि काम को यह ही बाधा बनती है। हर बच्चे की माँ ही उसकी प्रथम पाठशाला बनती है। परिवार ये दिशा निर्धारण का यह आधार बनती है। इसलिए जब कभी भी `जवतम में तिमम मजमत आदर्श से प्रेरित होकर सिओ की व्याख्या की गयी तो उन्हें समाज में प्रमुख स्थान दिया ग और यही कारण है कि बृहदारण्यक उपनिषद् में पत्नी की आदर्श छवि प्रस्तुत करते हुए उसे कहा गया है। राजसूय यज्ञ के दौरान जिन लगभग एक दर्जन रत्नियों के घर राजा जाता था उनमें से 4 खियां होती थी इसलिए तत्कालीन मात्रकुलीय रिवाजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज में आदर्श नारीत्व के उदाहरण अपाला, घोषा, गार्गी, लोपमुद्रा, मैत्रेयी आ दि के रूपों से प्राप्त होते हैं। याज्ञवल्क्य मार्गी संवाद सियों को अज्ञानता की श्रेणी से अलग करता है। उपनिषदों में मवादिनी महिलाओं के अच्छे उदाहरण मिलते है –

नारी को मातृ देवो भव

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता

म हाशक्ति ज्योति विभूति, यह नारी सदा अजेय

शतपुर समा कन्या

आदि कह कर इतिहास में उसका मान बढ़ाया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि पति पत्नी के का नेव्य एक दूसरे के लिए होते हैं। ब्राह्मण काल में सामाजिक व धार्मिक कल्याण के कार्यों में महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य थी। उत्तर वैदिक युग में शिक्षा का अधिकार छिनने से उनका सम्मान घटता ग था। मौर्यकाल में कुछ स्तर सुधरा और प्रशासनिक सेवायें की। गुम युग में भी सम्मान रहा। वैष्णव धर्म, राजधर्म लक्ष्मी की प्रतिष्ठा से त्रियों का सम्मान बढ़ा। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्को पर राजा के सा थ साथ पत्नी लिच्छवि रानी का चित्र था। आक्रमणकारियों से महिलाओ की स्थिति बिगड़ी क्योंकि वे इन्हें लूट का माल और मनोविनोद का साधन मानते थे। बाल विवाह पर्दा प्रथा, जबरजस्ती सती होने की घटनायें बढी व्यक्ति इनसे जल्दी छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा। सूत्रकाल में महिलाओं के स्तर में काफी पतन हुआ। पुर्नविवाह, अर्तजातीय विवाह, उपनयन संस्कार पर प्रतिबन्ध लगाने के साथ–साथ शिक्षा के अधिकार से भी महिलाओं को वंचित कर दिया गया। रामायण व महाभारत से समय के महाकाव्यकाल में कभी न मिटने वाले नारीत्व के आदर्श प्रस्तुत हुए। सीता की छवि आज भी आदर्श मानी जाती है। राजा दशरथ कहना था. क्या होता है रानी बस कन्या का दिखलाती होगां बाप जिसे दे देते है, उसकी हो वह हो जाती है। इस प्रकार इस युग में पत्नियों पति के लिये समर्पित होने के आदर्श से प्ररित थी। सीता का स्वयंवर इस बात का सूचक था कि महिलाओं को अपना जीवनसाथी चुनने की पर्याप्त स्वतंत्र ता थी। महाभारत में द्रोपदी का प्रकरण बहुपति प्रथा प्रचलित होने का सूचक थी। महाभारत में महिला ओ को सभी गलत कार्यों की जड़े माना गया है। दिल्ली सल्तनत और मुगलकाल में महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में काफी पतनशील हो गयी यद्यपि हिन्दू खियों का परिवार में सम्मान था कि. न्तु उनकी सामाजिक स्थिति निम्न हो गयी थी। शक्तिशाली मुस्लिमों द्वारा हिन्दू बेटियों से विवाह करके जबरजस्ती इस्लाम ग्रहण करवाया जाता था। सुरक्षात्मक कारणों से महिलायें पर्दा प्रथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से जकड़ी हुई थी और कन्या बाल हत्या का प्रचलन तेजी से था सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने खियों की स्थिति अत्यंत दयनीय कर दी थी। वैश्यावृत्ति महिलाओं के उत्पीड़न का चरम बिन्दु थी।

इस प्रकार ऐतिहासिक ग्रन्थों में जिन्हें धर्मग्रन्थ कहा जाता है आदि में जितने भी उपदेश दिये गये है। अधिकाश जिनसे यही स्पष्ट होता है कि पुरुष ने नारी के लिये अमानवीय नियम बनाकर एक चक्रव्यूह में डाल दिया है। खी को चाहिए की वह अपने पति द्वारा ताड़ना दिये जाने पर या पति के क्रोध कर ने पर भी क्रोध न करें। क्या स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं? सब नियम, धर्म और कर्तव्य त्रियों के लिये ही बनाये गये हैं। स्त्रियों द्वारा आंखे मूंदकर पुरूष इन नियमों को स्वीकार कर लेने का परिणाम यह हुआ कि नारी पुरुष निर्मित नियमों धर्मों व कर्तव्यों के चक्रव्यूह में जकड़ती चली गई एवं यदि कभी नारी ने इस चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास किया भी तो पुरुष निर्मित नियमो रूढ़ियों अशिक्षा व अन्धविश्वास उसके मार्ग में रोड़ बनकर आ गये और उसका मार्ग पुन अवरूद्ध हो गया।

1.3 आदि काल में महिलाओं की स्थिति

प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के पुरुष प्रधान भारतीय समाज ने महिलाओं के मानसिक स्तर के इतना प्रभावित किया कि उन्होंने स्वंम ही पुरूषों के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया। परिवार में पुरुष व महिला के कार्यों, कर्तव्यों, अधिकारों आदि का स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया था। महिलाओं को स भी प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक अधिकारों से चित कर दिया गया। उन्हें धैर्य दया त्या समर्पण आदि मूल्यों को अपनाने की जरूरत पर ज्यादा जोर दिया गया था। निम्न वर्ग की महिलाये आर्थिक जरूरतों के कारण अपेक्षाकृ त अधिक स्वतंत्र भी सल्तनत काल की तुलना में मुगलकाल राजनी तिक और सामाजिक दृष्टि से स्थिरता का युग था। मुस्लिम समाज में बाल विवाह प्रथा जैसी घिनौनी प्रथा थी। मध्ययुग में भक्तिकालीन और मुस्लिम सूफी संतो के प्रयासों से दोनों समुदायों की सियों की देश में कुछ सुधार हुआ। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में लीन होकर सुन्दर भजन गाकर अमरत्व को प्राप्त किया। खानकाहो में पर्दे की शर्ते लागू थी। सल्तनत काल में रजिया मुगल मे नूरजहाँ मुमताज, जेबुन्नि शा आदि ने आदर्श सी की भूमिका अभिनीत की। 18 वीं शताब्दी में कन्या शिशु वध की प्रथा ने जोर पकड़ा। स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों से अनजान होने के कारण इस युग की स्त्रियाँ अ धिकांश समय बीमारी से ग्रस्त रहती थी और उत्साह का अभाव रहता था। मुस्लिम महिलाओं के जीव न को सुखमय बनाने का उल्लेख कुरान में मिलता है।

1.4 स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति

19वीं शताब्दी में सती प्रथा बड़े स्तर पर महिलाओं के लिये अभिशाप बनी हुई थी। एक साध्वी श्री हेतु अपने पति की चिता पर सती होने के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। ऐसी बि पत्र परिस्थिति में राजा राम मोहन राय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि उनकी सहायता के लिये आगे आये। प्रसिद्ध समाजसुधारक

विवेकानन्द ने स्त्रियों में निहित अपार संभावनाओं को महसूस किया था इसीलिए उन्होंने कहा था "500 समर्पित व्यक्तियों द्वारा इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे लेकिन 50 समर्पि तनियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ वर्षों में सम्पन्न कर सकता है। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में राष्ट्र के विकास में उनकी जरूरत को महसूस किया जाने लगा था। महात्मा गाँधी ने कहा था "जि सभ्यता में खो जाति का सम्मान नहीं किया जाता उस सभ्यता का नाश निश्चित ही है संसार न के ल अकेले पुरुष से चल सकता है न अकेली सी से इसके लिए तो एक दूसरे का सहयोग ही उपाय है। भारतीय इतिहास में 19वीं सदी पुनर्जागरण का काल भी जिसमें पहले से चली आ रही महिला की कुप्रथाओं के विरुद्ध चेतना जागृत हुई और उनके स्तर में सुधार हेतु सकारात्मक माहोल बना महिलाओं ने जैसे रमाबाई रानाडे ने बाल विवाह विरोध और सी शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कार्य किया।

विधवा पुर्नविवाह अधिनियम, सिविल मैरिज एक्ट, सती प्रथा पर रोक, दास प्रथा शिशु हत्या पर रोक आदि ऐसी अनेक सामाजिक क्रियायें हुई जिन्होंने सियों को समाज में सम्मान जनक स्थान दिलाया। इन सेंसियों के प्रति लोगों के नजरिये में बदलाव आयाा आधुनिक युग में आकर त्रियों ने शिक्षा ज्ञान विज्ञान, खेल जगत, प्रशासनिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित कर ली है। वर्तमान में लियां, पुरुषों की तुलना में अधिक कुशल नजर आ रही हैं और उन्हें समाज में पहले की तरह होन दृष्टि से नहीं देखा जाता है।

1.5 स्वपरख प्रश्न

1. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता : का अर्थ लिखिए।
2. मातृ देवो भव : को परिभाषित कीजिए।
3. आदिकाल में महिला की स्थिति को स्पष्ट कीजिए।
4. स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति को लिखिए।

1.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- द्विजेन्द्र नारायण झा (2004), डॉ. कृष्ण मोहन श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 2004
- नारी का मुक्ति संघर्ष (स्त्री विमर्श) के माधव पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड 2007
- एलपी शर्मा, मध्यकालीन भारत लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा 2006 राजकुमार डॉ. नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005
- हरिशचन्द्र वर्मा मध्यकालीन भारत भाग–2 हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्ववि द्यालय 2005
- डॉ. एल. के. खुराना भारतीय इतिहास में महिलायें, वुमेन इन इण्डिया, प्रकाशन भारत सरकार
- अमृत कौर, चौलेंज टू वुमैना अनिता सिंह चौहान, भारत की गौरवशाली नारियाँ साहित्य संस्थान मोतिया पार्क, भोपाल 20
- सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न कल्याणी शिक्षा परिषद दिल्ली 2008

इकाई–2 महिला सशक्तिकरण एवं विकास

इकाई की रूपरेखा

2.0 प्रस्तावना
2.1 महिला सशक्तिकरण का अर्थ एवं परिभाषा
2.2 महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य
2.3 महिला सशक्तिकरण के विकास के आयाम
2.4 स्वपरख प्रश्न
2.5 संदर्भ सूची

2.0 प्रस्तावना

प्रिय विद्यार्थियो प्रस्तुत इकाई में महिला सशक्तिकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। हम जानते है कि महिला सशक्तिकरण के अर्थ, परिभाषा एवं लक्ष्य, आयामों के जाने बिना हम प्रस्तुत इकाई के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे है। जिससे समाज एवं देश में सामंजस्य की स्थित को मजबूत कर सके। सशक्तिकरण शब्द का विच्छेद है। स–शक्ति–करण। जिसमें स उपसर्ग है शक्ति संज्ञा है। विशेषक तथा करण प्रत्यये से मिलकर बना है। इसका अर्थ है। शक्ति संहिता गत्यात्मकता निस्तर सबल बनाने वाली प्रक्रिया है।

प्रस्तुत इकाई के सशक्तिकरण के समान अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य से परिचय करा पाने में सक्षम होगे।

प्रिय विद्यार्थियों प्रस्तुत इकाई में हम महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देने का प्रयास किया गया है। जिसमें महिला के सशक्तिकरण एक तरफ से न होकर समाज में चारों दिशाओं से सशक्तिकरण करने का प्रयास करते है। जिसमें सशक्तिकरण की परिभाषा, अर्थ एवं आयामों पर विस्तृत चर्चा कर रहे है। जिसमें कि महिला सशक्तिकरण के रूप का अनुभव कर सकेगे और इसे समझाने में आसानी होगी क्योंकि बिना महिला के समाज की व्याख्या किया जाना सम्भव नहीं हो सकता है।

2.1 महिला सशक्तिकरण का अर्थ एवं परिभाषा

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जागरूकता कार्यशीलता बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्माय तेने के लिए समर्न एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखें तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोन है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त सक्रिय भागीदारी में विस्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी है जब महिलाओं को समाज में उनका योचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ–साथ विकास की सहभागी माता जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएँ अपने आर्थिक स्वावलम्बन राजनैतिक भागीदारी सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच व नियंत्रण प्राषा करती है। अपनी शक्तियों सम्भावनाओं क्षमता योग्यता अधिकारी जिम्मेदारियों के प्रति जागरुक होती

भारतीय समाज में प्राबीन काल से ही मारी को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसे अपने जीवन की गरिमा को सुरक्षित रखने और सम्मानित जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। यहीं तक कि शिक्षा और ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में भी नारी को अपनी प्रतिमा दिखाने और मुखरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। महाभारत काल के बाद नारी की इस स्थिति में गिरावट आयी। उससे शिक्षा का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। धीरे–धीरे नारी की स्थिनीय एवं पता होती गयी।संद में देखें तो समय के साथ–साथ महिलाओं की परिस्थितियों में व्यापक बदलाव जा रहा है। समय करवट ले रहा है। एनम दलन और उत्पीडन से मुक्त होकर नारी जागस हो रही है। आज मारी विकास की ओर अग्रसर है। यह हर क्षेत्र में अपनी एक अनोखी पहचान बना रही है। पुरुषों के साथ यधे से कुधा मिलाकर काम कर रही है। यह आधुनिक युग की नारी का स्वरूप है।

अर्थ एवं परिभाषा : अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल महिला सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित करती है जिससे दुर्वल एवं उपेक्षित लोगो के समूह की क्षमता बढ़े। जिससे महिलाएँ अपने आपको निम्न आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूदा शक्ति संबंधी को बदल कर अपने पक्ष में कर सके। नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य नारी का आत्मनिर्भर बनाना है। नारी को समाज में समानता प्रदान करना है।

डॉ दिग्विजय सिंह अनुसार महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है– उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर–तरीको को चुनौती में समान अवसर राजनैतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समाज कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि।

लीना मेंहदेले के अनुसार– "सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है।" इनमें प्रमुख है–

1. निर्भयता, जिसके लिए समाज में कानून और सुरक्षा का होना।
2. रोजाना के नीरस, उबाऊ और कमर तोड़ कामों से मुक्ति।
3. आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं उत्पादन क्षमता।
4. निर्णय का अधिकार।
5. सत्ता एवं सम्पत्ति में पुरुषों के साथ बराबरी का हक।

ऐसी शिक्षा जो महिला को उपरोक्त स्थितियों के लिए तौयार कर सके। सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर मौके मिल जाते हैं। इसका मतलब केवल संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण नहीं है बल्कि इसका आत्मविश्वास में वृद्धि और पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर निर्णय करने की क्षमता से भी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पुरुष समाज स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूक बनें।

2.2 महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य

- स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता और उसके लिए पर्याप्त संसाधनों को पहचानने की क्षमता।
- लोकतांत्रिक तरीकों से दूसरों के विचारों को बलदने की क्षमता।
- परिवर्तन और विकास में भागीदारी की क्षमता।
- सामूहिक निर्णय लेने में महिलाओं को जुटाने की क्षमता।
- उक्त दिशाओं में न केवल सकारात्मक सोच होना है, परन्तु पर्याप्त कौशल भी।

2.3 महिला सशक्तिकरण के विकास के आयाम

किसी भी संतुलित समाजिक व्यवस्था के लिए विकास के क्षेत्र में स्त्री–पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। इस मॉड्यूल में महिला सक्तिकरण के पीछे पुरुष या महिला की श्रेष्ठता साबित करना लक्ष्य नहीं है. अफिश, उन उपायों को सुनिश्चित करने की पहल करना है जिससे विकास मानकों की प्राप्ति में महिलाएँ और पुरुष बराबर योगदान कर सकें। वातावरण लिगभेद से रहित परस्पर पूरकता का हो। इस दृष्टि से महिला सशक्तिकरण के अनेक ऐसे आयान है जिन पर प्रेरित और प्रोलाहित करने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते है। महिला सशक्तिकरण के कुछ आयामों को, उनके महत्व को समझने, स्पष्ट करने का प्रयत्न करते है।

महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए इसके विभिन्न आयामों को समझना आवश्यक है। इस धारणा के मूल में स्त्री–पुरुष को एक दूसरे का पूरक समझते हुए समतामूलक व्यवस्था विकसित करने की भावना निहित है। इस प्रक्रिया के अनेक आयाम हैं, जैसे–

- शैक्षिक

- स्वास्थ्य
- आर्थिक
- राजनीतिक
- आर्थिक
- संवैधानिक
- सामाजिक

शैक्षिक : एक सुशिक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ–साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है। संतान की प्रथम गुरू अर्थात उसकी माता यदि सुशिक्षिता हो तो मादी पीटी के शिक्षित होने की संभावना कई प्रायढ़ जाती है। इसके अतिरिका सामाजिक बिसंगतियों से लड़ने का एक मात्र हथियार भी शिक्षा ही है, इसके सलमान से स्त्रिया परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ–साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकती है। ध्यान याम्य बात यह है कि शिक्षित स्त्री परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी राय देने के साथ–साथ निर्णय प्रक्रिया न मी मागीदारी कर सकती है। आज यह सकारात्मक परिवर्तन प्रायक समाज में देखा जा रहा है। लोग बच्चियों को वात में रूचि लेने लगे है। आवश्यकता यह है कि उनके युवा होने पर भी यह रुचि बनी रहे तथा पढाई समाप्त होन पर ही उनके विवाह की चर्चा हो।

शारीरिक/स्वास्थ्य सम्बन्धी सशक्तिकरण : इसका अर्थ बॉडी विल्डिंग अथवा अखाड़े में उत्तरना नहीं है। इस सशक्तिकरण का अभिप्राय स्त्रियों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। कभी समको खिलाकर सबसे पीछे खाने की परम्परा तो कई बार जीरो फिगर की चाहत के कारण वह उपयुक्त आहार नहीं ले पाती है। जिसके कारण परीर कमजोर तथा रोगी हो जाता है। शरीर से कमजोर महिलाएं प्रायः गर्भवती होने पर अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाती है। कमजोर माँ की संतान भी कमजोर होती है और उसका जीवन रोगों से संघर्ष करने में बीतता है, उसका स्वस्थ विकारा नहीं हो पाता, जिससे उसका पूरा जीवन और एक पूरी पीबी प्रभावित होती है। रोगिणी स्त्री अपना अथवा अपने परिवार का ध्यान रखने में भी असमर्थ होती है। ऐसी स्त्रिया योग्य होने के बाद भी प्रगति नहीं कर पाती है। इसलिए इन्हें अपने खान–पान पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य की प्रति सचेत रहना चाहिये। हम सभी जानते है जान है तो जहान है।

आर्थिक सशक्तिकरण : आज के युग में सभी का स्वावलंबी होना आवश्यक है। महिलाओं को भी अपनी योग्यता के अनुसार अर्थोपार्जन हेतु सामने आना चाहिए। महिलाओं के आर्थिक रूप से सबल होने से परिवार में समृद्धि आती है. रथ ही यह अपनी कई इसओ (पहनने–ओढने खाने पीने, घूमने–फिरने) को अपनी मर्जी से पूरा कर पाती है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला दुरे वक्त में किसी की मोहताज नहीं होती, उसे किसी के सामने अपने तथा अपने बच्चों के पालन–पोषण के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए सरकारी अथवा निजी सस्थानों में नौकरी करने के स्त्रियी स्वयं का व्यवसाय भी कर सकती है। यदि पति अथवा पिता आर्थिक रूप से सम्पन्न हो तो भी अपनी चिके अनुसार कुछ काम अवश्य करना चाहिए ताकि वह स्वयं को योग्यता सिद्ध कर सके तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सके।

सामाजिक : सामाजिक सशक्तिकरण प्रक्रिया की शुरुआत परिवार से होती है क्योंकि विभिन्न परिवारों के योग से ही समुदाय तथा समाज का निर्माण होता है। यदि परिवार में स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार हो तो वे स्वयमेव सामाजिक रूप से भी सशक्त हो जाएंगी। इसके लिए परिवार में पुत्र–पुत्री भेदभाव, घरेलू प्रबंधन में पत्नी को सेविका मानने की बजाय सहयोगिनी मानना, उनके साथ अभद्र व्यवहार अथवा अपशब्दों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ समान व्यबहार करना आदि शामिल है। इस प्रक्रिया में समाज के बड़े–बूढ़ो का सहयोग तथा बाल्यावस्था से ही पुत्रों को अपनी बहन, माता तथा सड़क पर चलने वाली लड़कियों के साथ सम्यक व्यवहार करने की दीक्षा भी शामिल है क्योंकि व्यक्ति बचपन में जो भी अपने परिवार में देखता, सुनता और समझता है, अधिकांशतः उसे ही युवा होने पर दोहराता है। साथ ही ऐसी परंपराएं जिसमें महिलाओं के निम्न अथवा हेय समझा जाता हो उसे बदलने में भी परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उदाहरण के लिए एक बड़े घराने में बिटिया की शादी थी। उस शादी में लड़की की कुछ ही वर्ष पूर्व विधवा हुई बुआ जी भी आई थी परतु अलग थलग बैठी थीं। जैसे ही संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ लड़की के माता–पिता बुआ जी को लेकर आए और कहने लगे–जब तक जसोदा नहीं नाचेगी तब तक संगीत का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। सभी ने बुआ जी की तरफ देखा और अवाक हो गए। रंगीन धोती में बुआ जी को थामे कामता प्रसाद अपनी

पत्नी के साथ खड़े थे। उसके बाद बुआ जी अपनी भतीजी की शादी में ऐसा नाची कि सभी दंग रह गए। बाद में कामता प्रसाद ने अपनी बहन का पुनर्विवाह भी कराया।

इस उदाहरण में हमने देखा कि बदलाव की शुरूआत किसी एक परिवार से भी हो सकती है। धीरे–धीरे ऐसे अनेक परिवार मिलकर ही ऐसे समाज की रचना करेंगे जिसमें विधवा होने का अर्थ जीवन समाप्त होना नहीं माना जाएगा।

सशक्तिकरण के उपर्युक्त प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक समुच्चय के रूप में समाज पर अपना प्रभाव छोडते है। यद्यपि कुछ लोग कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी अथवा आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं भी शोषित होती है इसलिए का निरर्थक है। यहां समझना आवश्यक है कि सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है। इसका प्रारंभ व्यक्ति से होता है तथा विलय समाज की विचारधारा के साथ होता है। वही विचारधारा उसे कालांतर में विकसित तथा पोषित करती है. जिसे हम प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए आज से महज कुछ वर्ष पूर्व पेट्रोल पंप पर स्त्रियों को देखा जाना कौतुक की बात होती थी। आज समाज के लगभग सभी वर्गों में स्त्रियों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने का चलन प्रारंभ हो चुका है। आज पेट्रोल पंप पर वाहन चालिका ही नहीं बल्कि वहां कार्य करने वाली महिलाएं भी दिखती है। इस चलन का प्रारंभ किसी न किसी व्यक्ति द्वारा किया गया होगा, जिसे समाज ने धीरे–धीरे स्वीकारा तथा अब यह चलन के द्वारा पोषित हो रही है तो किसी को ऐतराज भी नहीं है।

संवैधानिक

भारतीय संविधान पुरुष और महिला को बराबरी का दर्जा देता है। संविधान की दृष्टि में दोनों समान हैं। स्वतंत्रता के बाद मारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिये अनेक प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे प्रयास रखे जा सकते हैं जिन्होंने महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने के लिये अनेक विधिक प्रावधान और कानून बनाये हैं। घरेलू हिंसा का कानून ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कानून है। दूसरी श्रेणी मे के प्रयास आते हैं जिनमें नारी क्षमता की संवर्धन के लिए प्रोत्साहन की योजनायें बनाई गई। अपनी उन्नति और विकास के लिए महिला को उन समस्त विधिक आयामों का ज्ञान होना चाहिए जो उसे शोषण से मुक्ति दिलाने और अवसरों का लाभ उठाने के योग्य बनाते है।

राजनीतिक : भारतीय स्वतंत्राता संग्राम में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। देश के राजनैतिक परिदृश्य में महिलाओं की बरावर और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय और राष्ट्रीय निकायों के चुनाव में भी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। इसका परिणाम यह होता है कि आज आत महिलाये राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी योग्यता और परिश्रम से मानक स्थापित कर रही है। मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित है. लेकिन वर्तमान में उससे अधिक संख्या में महिला प्रस्थाशी निर्वाचित होकर राष्ट्र को अपनी सेवाएँ दे रही है। राजनैतिक जागरूकता और अवसर के आधार पर महिलाओं में बढ़ रही जागरूकता के दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम मिलना अवश्यभावी है।

संवेगात्मक : यदि स्त्रिया शिक्षित तथा आर्थिक रूप से मजबूत हो तब भी अतिशय गायुकता के कारण कई बार गलत निर्णय से बैठती है जिससे आगे चलकर उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई बार–बार प्रताडित करे फिर से धोकर माफी मांग ले, भावनात्मक रूप से कमजोर कर अपनी नाजायज मांग पूरी करवा ले। इसे एक कहानी से समझा जा सकता है। सुनीता एक टाइपिस्ट है। यह एक युवक से प्रेम करती है माता पिता को पुत्री ही समझदारी पर कोई नाक नहीं था इसलिए यह भी आड़े नहीं आए। उस युवक में एक गलत आदत थी, वह क्रोधित होने पर सुनीता पर हाथ उठा देता था। पहली बार सुनीता भीचक्की रह गई, उसने सोचा वह यह संबंध तोड देगी परंतु अगले ही दिन यह युवक उसके हाथ पैर जोड़ने लगा। परंतु कुछ ही दिन बाद दुबारा यह घटना हुई, इसके बाद यह सिलसिला चल निकला। हर बार वह युक्क रो धोकर माफी मांग लेता और भावुक सुनीता उसे माफ कर देती। एक दिन उसकी मां ने समझाया कि बिटिया अन्याय सहना और प्रेम करना दो बाते हैं। तुम प्रेम करती हो इसका यह अर्थ कही नहीं है कि यह तुम पर अत्याचार करें। प्रेम करना गुनाह नहीं है फिर क्यों सजा भुगत रही हो। यह बात सुनीता के समझ में आ गई। अगली बार किसी छोटी सी बात पर जैसे ही उसके मंगेतर ने हाथ उठाया सुनीता ने कलाई पकड़ ली और कहा–आगे से हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर जाओ और तसल्ली से सोचो, अगर यह आदत नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकती। वह युवक हैरान था सुनीता की इस हिम्मत पर। चूंकि यह भी सुनीता से प्रेम करता था इसलिए उसने यह गंदी आदत छोड़ दी। सुनीता ने दो साल बाद तसल्ली होने पर उससे शादी कर ली।

2.4 स्वपरख पश्न

1. सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ बताइए।
2. महिला सशक्तिकरण को परिभाषित कीजिए।
3. विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए।
4. महिला विकास के राजनैतिक आयाम को स्पष्ट कीजिए।

2.5 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- द्विजेन्द्र नारायण झा (2004), डॉ. कृष्ण मोहन श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 2004
- नारी का मुक्ति संघर्ष (स्त्री विमर्श) के माधव पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड 2007
- एलपी शर्मा, मध्यकालीन भारत लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा 2006 राजकुमार डॉ. नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005
- हरिशचन्द्र वर्मा मध्यकालीन भारत भाग–2 हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्ववि द्यालय 2005
- डॉ. एल. के. खुराना भारतीय इतिहास में महिलायें, वुमेन इन इण्डिया, प्रकाशन भारत सरकार
- अमृत कौर, चौलेंज टू वुमैना अनिता सिंह चौहान, भारत की गौरवशाली नारियाँ साहित्य संस्थान मोतिया पार्क, भोपाल 20
- सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न कल्याणी शिक्षा परिषद दिल्ली 2008

इकाई–3 महिला नीति

इकाई की रूपरेखा

3.0 प्रस्तावना
3.1 महिला नीति
3.2 महिला नीति के लक्ष्य
3.3 महिला निर्धारण नीति
3.4 आर्थिक सशक्तिकरण
3.5 अर्थव्यवस्था
3.6 भूंडलीकरण
3.7 कृषि क्षेत्र में महिला
3.8 महिला की शिक्षा
3.9 स्वास्थ्य सम्बंधी नीति
3.10 पोषण सम्बंधी नीति
3.11 पेयजल और स्वच्छता सम्बंधी नीति
3.12 आवास संबंधी नीति
3.13 पर्यावरण संबंधी नीति
3.14 विज्ञान संबंधी नीति
3.15 अंतर्राष्ट्रीय अधिकार
3.16 स्वपरख प्रश्न
3.17 संदर्भ सूची

3.0 प्रस्तावना

प्रिय विद्यार्थियों प्रस्तुत इकाई में हम महिलाओं के नीति पर प्रकाश डाला गया है। यह हम समझते है कि समाज में महिला की स्थिति क्या होती है और हमें समाज में महिलाओं के अधिकार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सामाजिक नीति के माध्यम से ही हम समाज में समानता के तरफ ले जा सकते।

इस इकाई में महिला से सम्बन्धित सविधान के विधानों, नीतियों योजनाओं कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित लक्ष्यों का विश्लेषण किया गया और समाज के विकास में महिला की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाय।

भारत में महिलानीति विषय में 1 से 8 के नीति से सम्बन्धित किया गया जो 12 इकाईयों में विभाजित किया गया जो पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक की स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया।

3.1 महिला नीति

जेंडर समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अन्तर्गत हमारे कानूनों, विकास सम्बन्धी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति को उद्देश्य बनाया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

हाल के वर्षों में, महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तीकरण को प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया है। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों (1993) के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और मानवाधिकार लिखती की भी पुष्टि की है। इनमें से एक प्रमुख वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय की पुष्टि है।

3.2 महिला नीति के लक्ष्य

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण करना है। इस नीति का व्यापक प्रसार किया जाएगा ताकि इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित की जा सके। विशेष रूप से, इस नीति के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल है –

1. सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार करने में समर्थ हो सके।
2. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सिविल–सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ साम्यता के आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की विधितः और वस्तुतः प्राप्ति।
3. राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भागीदार करने और निर्णय लेने में महिलाओं की समान पहुंच।
4. स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, बराबर पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कार्यालय आदि में महिलाओं की समान पहुंच।
5. महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के समाप्ति के लिए विधिक प्रणालियों का सुदृढीकरण।
6. सभ्य समाज, विशेष रूप से महिलाओं संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना और उसे सुदृढ़ बनाना।

3.3 महिला निर्धारण नीति

विधिक–न्यायिक प्रणाली को महिलाओं की आवश्यकताओं, विशेष रूप से घरेलू हिंसा और वैयक्तिक हमले के मामलों में अधिक अनुक्रियाशीली तथा जेंडर सुग्राही बनाया जाएगा। त्वरित न्याय और अपराध की गंभीरता के समनुरूप दोषियों को दण्डित करने का सुनिश्च करने के लिए नए कानून अधिनियमित किए जांऐगे और विद्यमान कानूनों की पुनरीक्षा की जाएगी।

सशक्तीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णय लेना सहित, सत्ता की साझेदारी और निर्णय लेने में महिलाओं की बराबर की भागीदारी की जाएगी। विधायी, शासकीय, न्यायिक, कॉपोरेट, संवैधानिक निकायों तथा सलाहकार आयेगों, समितियों, बोर्डों, न्यासों आदि सहित प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण वाले निकायों में महिलाओं की समान पहुंच एवं पूर्ण सहभागिता की गारंटी के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। जहां कही भी आवश्यक होगा, उच्चतर विधायी निकायों में भी आरक्षण/कोटा समेट आरक्षण/कोटा जैसी सकारात्मक कार्यवाही पर समयबद्ध आधार पर विचार किया जाएगा। विकास प्रक्रिया में महिलाओं की महिलाओं की प्रभावी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए महिला अनुकूल वैयक्तिक नीतियां भी बनाई जाएंगी।

3.4 आर्थिक सशक्तीकरण

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वे ज्यादातर परिस्थितियों में अत्यधिक गरीबी में रहती है, अन्तर गृह और सामाजिक कड़वी सच्चाइयों को देखते हुए, समष्टि आर्थिक नीतियां और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ऐसी महिलाओं की आवश्यकताओं और समस्याओं का विशेष रूप से निराकरण करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार होगा जो पहले से ही महिलाओं के लिए विशेष

लक्ष्य के साथ महिला उन्मुख हैं। महिलाओं की सक्षमताओं में वृद्धि के लिए आवश्यक समर्थनकारी उपायों के साथ उन्हें अनेक आर्थिक और सामाजिक विकल्प उपलब्ध कराकर गरीब महिलाओं को एकजुट करने तथा सेवाओं की समभिरूपता के लिए कदम उठाए जाएंगे।

3.5 अर्थव्यवस्था

ऐसी प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाकर वृहद् आर्थिक और सामाजिक नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाएगा। उत्पादकों तथा कामगारों के रूप में सामाजिक–आर्थिक विकास में उनके योगदान को औपचारिक और गैर औपचारिक क्षेत्रों में मान्यता दी जाएगी तथा रोजगार और उनकी कार्यदशाओं से संबंधित समुचित नीतियां बनाई जाएंगी।

3.6 भूमंडलीकरण

भूमंडलीकरण ने महिलाओं की समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं जिसके जेंडर प्रभाव का मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से नही किया गया। तथापि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करवाए गए सूक्ष्म स्तरीय अध्ययनों से स्पष्ट तौर पर पता चला है कि रोजगार तक पहुंच तथा रोजगार की गुणवत्ता के लिए नीतियों को दोबारा बनाने की आवश्यकता है। बढ़ती वैश्विक अर्थव्यस्था के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए है जिससे विशेष रूप से अनौपचारिक आर्थिक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः बिगड़ती जा रही कार्यदशाओं तथा असुरक्षित कार्य परिवेश के कारण व्यापक आर्थिक असमानताओं, महिलाओं में निर्धनता, लैंगिक असमानता में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से निकलने वाले नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए महिलाओं की क्षमता बढ़ाने तथा उन्हें बनाने के लिए कार्यनीतियां बनाई जाएंगी।

3.7 कृषि क्षेत्र में महिला

कृषि और संबद्ध क्षेत्रो में उत्पादक के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, संकेंद्रित प्रयास किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो कि प्रशिक्षण, विस्तार और विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ उनकी संख्या के अनुपात में उन तक पहुंचे। कृषि क्षेत्र के महिला कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी, डेयरी विकास और कृषि से सम्बद्ध अन्य व्यवसायों जैसे कि बागवानी, लघु पशुपालन सहित पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि में महिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा।

3.8 महिला की शिक्षा

महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित किया जाएगा। भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने, निरक्षरता को दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, लड़कियों के नामांकन और अवधारण की दरों में वृद्धि करने तथा महिलाओं द्वारा रोजगार/व्यवसायिक/तकनीक कौशलों के साथ–साथ जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे।

3.9 स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति

महिलाओं के स्वास्थ्य, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों शामिल हैं, के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और जीवन चक्र के सभी स्तरों पर महिलाओं तथा लड़कियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्युदर, जो मानव विकास के संवेदनशील संकेतक हैं, को कम करने को प्राथमिकता दी जाती है। यह नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्दिष्ट बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्युदर के लिए जनसांख्यिकी के राष्ट्रीय उद्देश्यों को दोहराती है।

3.10 पोषण सम्बन्धी नीति

चूंकि महिलाओं को तीनों महत्वपूर्ण चरणों अर्थात् शैशवकाल एवं बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रजनन चरण के दौरान कुपोषण और बीमारी का खतरा अधिक होता है, इसलिए महिलाओं के जीवन चक्र के सभी स्तरों पर पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर संकेंद्रित ध्यान दिया जाएगा। किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य तथा शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध होने के कारण भी यह महत्वपूर्ण है।

3.11 पेयजल और स्वच्छता सम्बन्धी नीति

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मिलन बस्तियों में सुरक्षित पेयजल, सीवेज के निस्तारण, शौचालय की सुविधाओं और परिवारों की आसान पहुंच के अंदर स्वच्छता की सुविधाओं का प्रावधान करने में महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

3.12 आवास सम्बन्धी नीति

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास नीतियों, आवासीय कालोनियों की आयोजना और आश्रय के प्रावधान में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाएगा।

3.13 पर्यावरण सम्बन्धी नीति

पर्यावरण संरक्षण और जीर्णोद्धार से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल किया जाएगा एवं उनके परिप्रेक्ष्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा। उनकी आजीविका पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करने और पर्यावरणीय विकृति का नियंत्रण करने में महिलाओं की भागीदार सुनिश्चित की जाएगी।

3.14 विज्ञान सम्बन्धी नीति

विज्ञान में महिलाओं को और अधिक शामिल करने के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा। इन उपायों में उच्च शिक्षा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को चुनने के लिए लड़कियों को प्रेरित करना तथा यह भी सुनिश्चित शामिल होगा कि वे वैज्ञानिक और तकनीकी निविष्टियों वाली विकासात्मक परियोजनाओं में अधिक बढ़ाया जाएगा।

3.15 अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार

इस नीति का उद्देश्य महिला अधिकारिता के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं/प्रतिबद्धताओं जैसे कि महिलाओं के विरूद्ध सभी रूपों के भेदभाव पर अभिसमय, बाल अधिकारों पर अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन तथा इस तरह के अन्य लिखतों का क्रियान्वयन करना है।

3.16 स्वपरख प्रश्न

1. संविधान संसोधन 73वे व 74वे में किसका प्राविधान है।
2. महिलाओं के लक्ष्य को स्पष्ट करे।
3. महिलाओं की आर्थिक भूमिका क्या है।
4. महिला के विकास से सम्बन्धी नीतियों की व्याख्या कीजिए।

3.17 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- द्विजेन्द्र नारायण झा (2004), डॉ. कृष्ण मोहन श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 2004
- नारी का मुक्ति संघर्ष (स्त्री विमर्श) के माधव पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड 2007
- एलपी शर्मा, मध्यकालीन भारत लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा 2006 राजकुमार डॉ. नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005
- हरिशचन्द्र वर्मा मध्यकालीन भारत भाग–2 हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्ववि द्यालय 2005
- डॉ. एल. के. खुराना भारतीय इतिहास में महिलायें, वुमेन इन इण्डिया, प्रकाशन भारत सरकार
- अमृत कौर, चौलेंज टू वुमैना अनिता सिंह चौहान, भारत की गौरवशाली नारियाँ साहित्य संस्थान मोतिया पार्क, भोपाल 20
- सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न कल्याणी शिक्षा परिषद दिल्ली 2008

इकाई–4 महिला विकास संबंधी योजनाएँ एवं कार्यक्रम

इकाई की रूपरेखा

4.0 प्रस्तावना

4.1 हिलाओं से संबंधित कानून

4.2 राष्ट्रीय महिला नीति

4.3 राजवी गाँधी सबला स्कीम

4.4 मातृत्व सहयोग योजना

4.5 आजीविका कार्यक्रम प्रदर्शनी

4.6 महिला छात्रावास कार्यक्रम

4.7 स्वपरख प्रश्न

4.8 संदर्भ सूची

4.0 प्रस्तावना

प्रिय विद्यार्थियों प्रस्तुत इकाई में महिला विकास सम्बन्धी योजनाएं एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित है। हम यह समझते है कि समग्र विकास की धारा यही से होकर गुजरती है। इसमें महिला के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा प्रोषण, संस्था द्वारा विकास, विद्यार्थी सहायता गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में जानने का प्रयास करते है।

महिलाओं के विकास का महत्व सर्वोपरि है और इसी से समग्र विकास की धारा बहती है। 30 जनवरी, 2006 को महिलाओं और बच्चों के मामलों में शासन की गतिविधियों में कमी को पूरा करने और अंतर मंत्रालयी व अंतर क्षेत्रीय समग्रता को संवर्द्धित करने की दृष्टि से एक पृथक् महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन किया गया ताकि जा सके। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और चिताओं पर काम करना और उनकी उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास और भागीदारी सुनिश्चित करना मंत्रालय के प्राथमिक कर्तव्य हैं। सशक्त महिलाएं जो सम्मान सहित जीएं और हिंसा व भेदभाव से मुक्त वातावरण में प्रगति में बराबर योगदान दें। साथ ही, सुपोषित बालक जिन्हें सुरक्षित और देखभाल भरे माहौल में पनपने और विकसित होने के पूरे अवसर उपलब्ध हों। सुस्पष्ट नीतियों और कार्यक्रम, मुख्यधारा लैगिंक धारणाओं, और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के जरिए महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, उनमें अपने मानवाधिकारों की प्राप्ति और अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होने की सक्षमतापैदा करने हेतु संस्थानिक और विधायी सहयोग उपलब्ध कराना। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से बालकों के विकास, देख–रेख और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा, पोषण, संस्थानिक एवं विधायी सहायता तक पहुंच बनवाना ताकि वै अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो सकें।

महिला विकास सम्बन्धी योजनाएं एवं क्रम विषय में कुल 10 इकाईयों में विभाजित किया गया है। जो सम्पूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों की चर्चा की गयी है।

4.1 महिलाओं से सम्बन्धित कानून

महिला और बाल विकास विभाग पर निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है :–

1. अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम, 1956 (1986 में संशोधित)
2. महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, 1986,
3. दहेज निरोधक कानून, 1961 (1986 में संशोधित),
4. सती प्रथा (निरोधक) अधिनियम, 1987

5. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990

6. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005

मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में मुख्यतः महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनानाय उनसे सम्बंधित विधान करना और उसका कार्यान्वयन, तथा महिला और बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों का मार्गदर्शन और समन्वयन करना शामिल है। मंत्रालय की योजनाएं और कार्यक्रम अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों की सहायक भूमिका निभाते हैं।

4.2 राष्ट्रीय महिला नीति

महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीतिः बरकार द्वारा 20 मार्च, 2001 को लागू की गई महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना है कि वे जीवन के हर क्षेत्र और गतिविधि में खुलकर भागीदारी करें। इस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की गई।

लैंगिक समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। योजना प्रक्रिया एक विशुद्ध कल्याण उपाय से आगे बढ़कर उन्हें विकास योजना के केंद्र में लाने के प्रयास तक आ पहुंची है। महिलाओं का भविष्य एक सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वस्थ वर सुरक्षित माहौल में सांस लेने वाले समाज का। है।

4.3 राजीव गाँधी सबला स्कीम

राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम–सबलाः भारत सरकार ने वर्ष 2010–11 में आईसीडीएस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए 200 जिलों में प्रायोगिक आधार पर यह नई स्कीम लागू की। यह राज्य सरकारोंध्संघ प्रदेशों के माध्यम से चलाई जाने वाली शत–प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित स्कीम है। इसके अंतर्गत पूरक पोषण को छोड़कर अन्य सभी घटकों के लिए केंद्र सरकार वित्त पोषण करेगी और पूरक पोषण की लागत में राज्योंध्संघ प्रदेशों के साथ 50रू 50 के आधार पर भागीदारी करेगी। इसके अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की सभी और 14 से 18 वर्ष की स्कूली लड़कियों को पोषक आहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, बच्चों को देख–रेख और जीवन कौशल के बारे में शिक्षित भी किया जाएगा। इस प्रकार से अधिक स्वस्य, आत्म विश्वासपूर्ण और सही मायनों में सशक्त महिलाएं बन पाएंगी जो अपनी इच्छानुसार निर्णय ले सकेंगी और आने वाली बच्चियों की बेहतर देखभाल कर पाएंगी।

राज्यों/संघ प्रदेशों द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 1 करोड़ किशोरियां सबला स्कीम के लाभ लेने के लिए अर्ह पायी गयी है।

4.4 मातृत्व सहयोग योजना

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनाः प्रसूता एवं दुग्ध–पान कराने वाली माताओं के लिए 2010–11 में प्रायोगिक आधार पर 52 जिलों में यह नई स्कीम शुरू की गई। इसके अंतर्गत 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं को उनके पहले दो जीवित बच्चों के छह माह की आयु तक तीन किश्तों में हैं 4000 की सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान छुट्टी की वजह से होने वाली वेतन हानि की प्रतिपूर्ति करना है ताकि उन्हें आर्थिक कारणों से गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक अथवा उसके तुरंत बाद काम पर न जाना पड़े। साथ ही मां और शिशु के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सकता है। यह स्कीम देश 52 जिलों में चलाई जा रही है।

महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम (स्टेप) वर्ष 1987 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध कराके, महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना है। इसके लिए उन्हें उपयुक्त समूहों में संगठित किया जाता है, विपणन संबंधी संपर्क कायम करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है, सेवाओं में मदद दी जाती है और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में रोजगार के दस परंपरागत क्षेत्र शामिल हैं जो इस प्रकार हैं– कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग, रेशम किट पालन, सामाजिक वानिकी और बंजर भूमि विकास। यह योजना

सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, और ऐसे पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लागू की जा रही है जो कम से कम तीन साल से अस्तित्व में हैं। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत भारत सरकार देती है और 10 प्रतिशत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिया जाता है। इसमें प्रत्येक लाभार्थी पर र 16,000 तक खर्च किए जा सकते हैं, जबकि प्रति परियोजना 200 से 10,000 लाभार्थी शामिल हो सकते हैं। परियोजना की गतिविधियों की अवधि 2 से 5 वर्ष तक ही सकती है।

4.5 आजीविका कार्यक्रम प्रदर्शनी

आजीविका कार्यक्रम प्रदर्शनीरू आईएफएडी की सहायता से यह प्रायोगिक परियोजना उत्तर प्रदेश के चार जिलों—श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली और सुल्तानपुर और बिहार के दो जिलों—मधुबनी और सीतामढ़ी के 13 ब्लाकों में चलाई जा है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से परियोजना क्षेत्र में कमजोर वर्गों की महिलाओं और किशोरियों का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण है। 2016—17 में समाप्त हो रहीं परियोजना अवधि में एक लाख परिवारों को 7200 स्वयं सहायता समूहों में गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। हालाँकि परियोजना आजीविका में सुधार को दृष्टि में रखकर तैयार की गई है, मगर लाभार्थी अंततः अपनी राजनैतिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने में भी सक्षम होंगे।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इसकी अग्रणी कार्यक्रम एजेंसी है। फील्ड स्तरीय सभी काम फील्ड एनजीओ करेंगे, जबकि रिसोर्स एनजीओ इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सलाह और सेवाएं प्रदान करेंगे। पिछले वित वर्ष के दौरान फील्ड स्तर पर इसे शुरू करने की शुरुआती तैयारियां की गई, जैसे ब्लाकों का चयन, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन ढांचे की स्थापना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों का गठन और जिला स्तर पर स्टाफ की तैनाती रिसोर्स एनजीओ और फील्ड एनजीओं के चयन के बाद क्षेत्र में परियोजना की शुरुआत कर दी गई। योजना के उद्देश्य हैं—

1. प्रत्येक ब्लॉक में समुदाय सेवा केंद्र की स्थापना,
2. महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में एकत्र करना
3. प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता निर्माण गतिविधियां
4. स्वयं सहायता समूहों, समुदाय सेवा केंद्रों और फील्ड स्तरीय परियोजना कार्यक्रमों के लिए दौरे आयोजित करना
5. उपक्षेत्र अध्ययन
6. बैंकरों और अन्य हितधारियों को संवेदनशील बनाना।

महिलाओं के लाभ के लिए विभाग ने वर्ष 2001—02 में केंद्रीय क्षेत्र में एक नई योजना स्वाधार शुरू की है। यह योजना निम्नलिखित महिलाओं के लिए हैरू दीन—हीन विधवा जिनके परिवार वालों ने उन्हें वृंदावन, काशी आदि धार्मिक स्थानों पर बेसहारा छोड़ दिया है, जेल से रिहा की गई महिला कैदी, जिसे परिवार का सहारा नहीं है, प्राकृतिक आपदा की शिकार ऐसी महिलाएं जो बेघर हैं और उनके पास कोई सामाजिक और आर्थिक सहारा नहीं है, वैश्यालयों या अन्य स्थानों से भागी या मुक्त कराई गई महिलाएंध्बालिकाएं या यौन शोषण कोशिकार ऐसी महिलाएंध्बालिकाएं, जिनके परिवारवालों ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया है या जो किसी अन्य कारणों से वापस अपने परिवार में नहीं लौटना चाहती हैं, आतंकवाद की शिकार महिलाएं जिन्हें परिवार का सहारा नहीं है, और जिनके पास जीने के लिए आर्थिक जरिया नहीं है, मानसिक रूप से विक्षिप्ति महिलाएं जिन्हें परिवार या रिश्तेदारों से कोई मदद नहीं मिलती, आदि।

इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श व्यवस्था शामिल है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास, जागरूकता पैदा करने, कौशल बढ़ाने और व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण का भी प्रबंध किया जाता है। इन श्रेणियों के तहत् महिलाओं के हेल्पलाइन और अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है।

यह परियोजना समाज कल्याण महित्य एवं बाल विकास विभागी, महिला विकास निगमों, शहरी निकायों के निजी, सार्वजनिक ट्रस्टों या स्वैच्छिक संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उन्हें अलग—अलग परियोजनाओं के आधार पर इस तरह की महिलाओं के पुनर्वास का वांछित अनुभव और कौशल हो।

4.6 महिला छात्रावास कार्यक्रम

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलः कामकाजी महिलाओं सहित बच्चों की देखभाल के लिए हॉस्टल निर्माण या विस्तार के लिए यह योजना वर्ष 1972–78 से चल रही है। इसके अंतर्गत गैर–सरकारी शिक्षा आदि कार्यों में लगी अन्य एजेंसियों, सार्वजनिक उपक्रमों, महिला को कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में कामकाजी महिलाओं (अकेली कामकाजी महिलाओं, ऐसी महिलाएं जिनके पति शहर से बाहर रहते हों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, तलाकशुदा महिलाओं आदि), रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

अब तक 891 छात्रावासों को स्वीकृति दी गई है जिनमें लगभग 66299 महिलाएं रह सकती हैं, और उनसे संबद्ध दिवस देखभाल केंद्रों में लगभग 8532 बच्चों के लिए सुविधा शामिल है। स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार

1. सार्वजनिक भूमि पर छात्रावास निर्माण की लागत का 75 प्रतिशत
2. किराये पर लिए भवन में छात्रावास चलाने के लिए वित्तीय सहायता
3. छात्रावास शुरू करते समय फर्नीचर आदि की खरीद के लिए 75,000 प्रति रहवासी की दर पर एक बार दी जाने वाली सहायता
4. स्कीम के तहत निर्मित छात्रावास भवन के रख–रखाव और मरम्मत के लिए
5. केवल सार्वजनिक भूमि पर भवन निर्माण के लिए कॉरपोरेट घरानों को 50 : 50 अनुदान
6. निर्माण कार्य के दौरान, निर्माण लागत बढ़ जाने के चलते मूल स्वीकृति राशि से अधिक अतिरिक्त अनुदान पर विचार किया जा सकता है।

स्थापित प्रक्रिया के तहतु, स्कीम के निर्देशों को पूरा करने वाले राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव मंत्रालय की परियोजना स्वीकृति समिति के विचारार्थ रखे जा सकते हैं।

4.7 स्वपरख प्रश्न

1. महिला सम्बन्धी कानून के बारे में लिखिए।
2. राष्ट्रीय महिला नीति क्या है।
3. आजीविका कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
4. महिला की शिक्षा के बारे में वर्णन कीजिए।

4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- द्विजेन्द्र नारायण झा (2004), डॉ. कृष्ण मोहन श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 2004
- नारी का मुक्ति संघर्ष (स्त्री विमर्श) के माधव पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड 2007
- एलपी शर्मा, मध्यकालीन भारत लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा 2006 राजकुमार डॉ. नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005
- हरिशचन्द्र वर्मा मध्यकालीन भारत भाग–2 हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्ववि द्यालय 2005
- डॉ. एल. के. खुराना भारतीय इतिहास में महिलायें, वुमेन इन इण्डिया, प्रकाशन भारत सरकार
- अमृत कौर, चौलेंज टू वुमैना अनिता सिंह चौहान, भारत की गौरवशाली नारियाँ साहित्य संस्थान मोतिया पार्क, भोपाल 20
- सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न कल्याणी शिक्षा परिषद दिल्ली 2008

इकाई–5 लैंगिक असमानता

इकाई की रूपरेखा

5.0 प्रस्तावना
5.1 लैंगिक असमानता का परिचय
5.2 लैंगिक असमानता से आशय
5.3 लैंगिक असमानता से आर्थिक प्रभाव
5.4 लैंगिक असमानता के कारक
5.5 लैंगिक असमानता के उपाय
5.6 कानूनी प्रावधान
5.7 स्वपरख प्रश्न
5.8 संदर्भ सूची

5.0 प्रस्तावना

प्रिय विद्यार्थियों प्रस्तुत इकाई में हम लैगिक असमानता पर प्रकाश डाला गया है। हम यह भी समझते की आवश्यक असमानता खत्म नहीं होगी तब तक समाज, देश का विकास सम्भव नही है। प्रस्तुत इकाई में लैगिक असमानता है, इसका परिचय इसके कारण एवं उपाय पर चर्चा करेगे। क्योंकि हम विश्व मंच पर भी हम असमानता बार–बार असहमत करते है। जबकि जीवन में महिला पुरूष एक साइकिल के दो पहिए की तरह चलते है।

महिला विकास सम्बन्धी योजनाएं एवं क्रम विषय में कुल 10 इकाईयों में विभाजित किया गया है। जो सम्पूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों की चर्चा की गयी है।

5.1 लैगिक असमानता का परिचय

जब हम महिलाओं और बालिकाओं में निवेश करते हैं, तो वास्तविकता में हम उन लोगों में निवेश कर रहे होते हैं, जो बाकी सभी क्षेत्रों में निवेश करते हैं। मेलिंडा गेट्स का यह कथन प्रत्येक क्षेत्र में न केवल महिलाओं के महत्त्व को रेखांकित करता है बल्कि उनकी उनकी प्रासंगिकता का भी विनिर्धारण करता है। क्या आपने कभी अपने आस–पास या पड़ोस में बेटी के जन्म पर ढोल नगाड़े या शहनाइयों बजते देखा है? शायद नहीं देखा होगा और देखा भी होगा तो कहीं इक्का–दुक्का। वस्तुतः हम भारत के लोग 21वीं सदी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और अगर बेटी का जन्म हो जाए तो शात हो जाते हैं। वैश्विक महामारी ब्टप्क–19 के बाद महिलाओं की स्थिति में गिरावट की आशका व्यक्त की जा रही है। इसलिये इस समस्या से निपटने में असाधारण सुधारात्मक नीतियों के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

विश्व मंच के द्वारा जारी विराट वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत 91/100 लिंगानुपात के साथ 112वें स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि वार्षिक रूप से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में भारत पिछले दो वर्षों से 108वे स्थान पर बना हुआ था। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार है। समाज में लैंगिक असमानता सोच– समझकर बनाई गई एक खाई है. जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है।

लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और खेल क्षेत्र प्रमुख हैं। लैंगिक असमानता की इस खाई को दूर करने में हमें अभी मीलों चलना होगा। इस आलेख में लैंगिक असमानता के कारणों पर न केवल चर्चा की जाएगी बल्कि इस समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास भी किया जाएगा।

5.2 लैंगिक असमानता से आशय

- लैंगिक असमानता से आशय लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से हैं। परपरागन रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है।
- वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती है। महिलाओ खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है।
- वैश्विक बैंगिक अंतरात रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लगिक भेदभाव की जड़े कितनी मजबूत और गहरी है।
- वैश्विक लैंगिक अंतराम रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत सूची में निम्न स्थान प्राप्त करने वाले पाँच देशों में शामिल है।
- स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के क्षेत्र में भारत य150वाँ स्थानद्ध का प्रदर्शन बहुत बराव रहा है।

5.3 लैगिक असमानता से आर्थिक प्रभाव

- महिलाएँ दुनिया की कुल आबादी का करीब–करीब जाधा हिस्सा हैं और इसी कारण से लैंगिक विभेद के व्यापक और दूरगामी असर होते है जिनका ममाज के हर स्तम पर असर दिखता है।
- इस का आर्थिक मोर्च पर भी बहुत गहरा असर होता है। विश्व बैंक समूह की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों और महिलाओं के वेतन में असमानता की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था को करीब 160 खरब डॉलर की क्षति उठानी पड़ी थी।
- यह एक बड़ी हानि है जिसकी व्यापकता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। खास तौर से लव जब हमें यह पता चलता है कि अगर पुरुष और महिला कामगारों का वेतन एकसमान कर दिया जाए तो इससे विश्व की संपत्ति में हर व्यक्ति की जिंदगी में करीब 23 हजार 620 डॉलर की वृदधि हो जाएगी।

5.4 लैगिक असमानता के कारक

- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसतात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त हैं। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रुढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। सबरीमाला और तीन तलाक जैसे मुददो पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है।
- भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर (वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सापत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार है) पर पारिवारिक सपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है इसलिये उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है।
- राजनीतिक स्तर पर पचायती राज व्यवस्था को छोडकर उच्च वैधानिक सस्थाओं में महिलाओ के लिये किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
- वर्ष 2017–18 के नवीनतम आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति (Labour Force) और कार्य सहभागिता (वता च्तजपबपचंजपवद) दर कम है। ऐसी परिस्थितियों में आधिक मापदंड पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर बनी हुई है।
- महिलाओं के रोजगार की अडर–रिपोर्टिंग की जाती है अर्थात महिलाओं दवारा परिवार के खेतों और उदयमों पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किये गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है।
- शैक्षिक कारक जैसे मानको पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर है। हालांकि लड़कियों के शैक्षिक नामाकन में पिछले दो दशकों में वृदधि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लगिक समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामाकन पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

5.5 लैंगिक असमानता के उपाय

- समाज की मानसिकता में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबधित मुददी पर गभीरता से विमर्श किया जा रहा है। तीन तलाक हाजी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुददों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है।
- राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है इसी के परिणामस्वरुप वैश्विक लैंगिक अतराल सूचकांक 2020 के राजनीतिक सशक्तीकरण और आगीदारी मानक पर अन्य विदुओं की अपेक्षा भारत को 18वाँ स्थान पाप्त हुआ।
- भारत ने मैक्सिको कार्ययोजना (1975), नैरोबी अग्रदशी (च्तवअपकमदज) रणनीतियाँ (1985) और लैंगिक समानता तथा विकास एवं शाति पर सयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र दद्वारा 21वीं शताब्दी के लिये अगीकृत ष्बीजिंग डिक्लरेशन एड प्लेटफार्म फॉर एक्शन को कार्यान्वित करने के लिये और कार्रवाइयाँ एवं पहले जैसी लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों की अभिपुष्टि की है।
- बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओंश, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना और महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरुप लिगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामाकन में प्रगति देखी जा रही है।
- आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएँ चलाई जा रही है।
- लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के वजट में महिला सशक्तीकरण तथा शिशु कल्याण के लिये किये जाने वाले धन आवटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द विगत दो–तीन दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इसके जरिये सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाया जाता है।

5.6 कानूनी प्रावधान

- लैंगिक समानता के लिये कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तीकरण तथा शिशु कल्याण के लिये किये जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है।
- महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये 2005 से भारत ने औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजटिंग को अंगीकार किया था। जीआरबी का उद्देश्य है– राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना।
- लैंगिक समानता के उद्देश्य को हासिल करना जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यालयों में कुछ पोस्टर चिपकाने तक ही सीमित नहीं है। यह मूल रूप से किसी भी समाज के दो सबसे मजबूत संस्थानों परिवार और धर्म की मान्यताओं को बदलने से संबंधित है।
- जैडर बजटिंग के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभार्थी बनाने की बजाय उन्हें विकास यात्रा की एक महत्त्वपूर्ण कडी बनाना होगा। हालांकि, जेंडर बजटिंग लैंगिक असमानता को खत्म करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है लेकिन इसके लिये जीआरबी के माध्यम से नीतियों को और अधिक प्रभावी और व्यापक दृष्टिकोण से युक्त बनाना होगा, उचित और व्यावहारिक आवंटन सुनिश्चित करना होगा। वास्तविक सुधारों के लिये जेंडर बजटिंग को महिनाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा।

5.7 स्वपरख प्रश्न

1. महिला सम्बन्धी कानून के बारे में लिखिए।
2. राष्ट्रीय महिला नीति क्या है।
3. आजीविका कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
4. महिला की शिक्षा के बारे में वर्णन कीजिए।

5.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- द्विजेन्द्र नारायण झा (2004), डॉ. कृष्ण मोहन श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 2004
- नारी का मुक्ति संघर्ष (स्त्री विमर्श) के माधव पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड 2007
- एलपी शर्मा, मध्यकालीन भारत लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा 2006 राजकुमार डॉ. नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005
- हरिशचन्द्र वर्मा मध्यकालीन भारत भाग–2 हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्ववि द्यालय 2005
- डॉ. एल. के. खुराना भारतीय इतिहास में महिलायें, वुमेन इन इण्डिया, प्रकाशन भारत सरकार
- अमृत कौर, चौलेंज टू वुमैना अनिता सिंह चौहान, भारत की गौरवशाली नारियाँ साहित्य संस्थान मोतिया पार्क, भोपाल 20
- सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न कल्याणी शिक्षा परिषद दिल्ली 2008

खण्ड परिचय

महिलाओं से सम्बन्धित समस्यायें तथा सम्बन्धित कानूनी प्रावधान

इस विषय का द्वितीय खण्ड महिलाओं से सम्बन्धित समस्याये तथा उससे सम्बन्धित कानूनी प्रावधान से सम्बन्धित हैं इस सम्पूर्ण खण्ड को नौ इकाईयों में विभाजित किया गया है। छठी इकाई दहेज प्रथा से सम्बन्धित है इसमें दहेज का अर्थ,ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रभाव, सम्भावित कारणों तथा हिंसा और उत्पीडन पर चर्चा की गयी हैं। सातवी इकाई में घरेलू हिंसा के अर्थ, प्रकार, कारण, प्रभाव तथा सुरक्षा उपायों का वर्णन किया गया हैं। आठवीं इकाई अपहरण तथा शोषण से सम्बन्धित है इसमें अपहरण तथा शोषण का अर्थ, प्रकार तथा प्रभावों पर चर्चा की गयी है। नौवी इकाई में महिला कार्यकर्ताओं की स्थिति से सम्बन्धित है, इसमें महिला कार्यकर्ता का अर्थ, सुरक्षात्मक प्रावधान तथा समस्याओं की चर्चा की गयी है। दसवीं इकाई परिवार परामर्श केंद्र से सम्बन्धित है इसमें परिवार का अर्थ, प्रकार तथा कार्यों की चर्चा की गयी है। ग्यारहवीं इकाई में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में चर्चा की गयी है। बारहवीं इकाई में अनैतिक व्यापार अधिनियम से सम्बन्धित प्रावधानों की चर्चा की गयी है। तेरहवीं इकाई में सती प्रतिषेध अधिनियम के अर्थ तथा प्रावधानों पर चर्चा की गयी है। चौदहवीं इकाई में घरेलू हिंसा अधिनियम के अर्थ तथा घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम की चर्चा की गयी हैं।

इकाई–6 दहेज प्रथा

इकाई की रूपरेखा

6.0 प्रस्तावना

6.1 परिचय

6.2 दहेज की परिभाषा और अर्थ

6.3 दहेज प्रथा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

6.4 महिलाओं और परिवारों पर दहेज के प्रभाव

6.5 दहेज के संभावित कारण

6.6 दहेज संबंधित हिंसा और उत्पीड़न

6.7 दहेज प्रथा के लिए कानूनी और विधायिक उपाय

6.8 सारांश

6.9 परिभाषिक शब्दावली

अभ्यास प्रश्न–लघु प्रश्न

6.10 संदर्भ–ग्रंथ सूची

6.0 इकाई का उद्देश्य

दहेज प्रथा के लिए पठन उद्देश्यों की संक्षेप में जानकारी निम्नलिखित है:

- संवेदनशीलता उत्पन्न करना: दहेज प्रथा से संबंधित पाठन सामग्री, प्रयोगी तथ्य और दस्तावेजों को पढ़कर लोगों में संवेदनशीलता उत्पन्न होती है।
- जागरूकता बढ़ाना: दहेज प्रथा के पाठन से लोग इसके खतरों और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक होते हैं।
- समस्याओं की पहचान करना: दहेज प्रथा के पाठन से लोग दहेज की मांग, स्त्री हिंसा, अर्थिक भेदभाव, और समाजिक दुर्घटनाओं की पहचान करते हैं।
- संचार और जागरूकता फैलाना: दहेज प्रथा के पाठन से लोग दहेज के खिलाफ संदेश प्रसारित करते हैं और समाज में जागरूकता फैलाते हैं।
- कानूनी पहलू की समझ: दहेज प्रथा के पाठन से लोग दहेज प्रतिबंध धारा की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं और इसे कानूनी दृष्टिकोण से समझते हैं।

6.1 परिचय

दहेज प्रथा एक सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता है जिसमें विवाह के समय दुल्हन के परिवार द्वारा निकट समय में दुल्हन को उपहार के रूप में धन या सामग्री का प्रदान किया जाता है। इस प्रथा में दहेज मांगा जाता है और इसकी अनुपस्थिति में विवाह की संभावना प्रभावित होती है। दहेज प्रथा समाज में बहुत समस्याएं उत्पन्न करती है, जैसे स्त्री हिंसा, अर्थिक बेहाली, और सामाजिक भेदभाव। यह मान्यता विश्वभर में कई रूपों में प्रचलित है और इसे नष्ट करने के लिए धार्मिक, सामाजिक और कानूनी पहलू उठाए गए हैं। दहेज प्रथा को निष्ठुरता और अन्याय की दृष्टि से देखा जाता है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है।

6.2 दहेज की परिभाषा तथा अर्थ

दहेज का अर्थ है जो सम्पत्ति, विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास है। भारत में इसे दहेज, हुँडा या वर–दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नकद या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। आज के आधुनिक समय में भी दहेज प्रथा नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है। पिछड़े भारतीय समाज में दहेज प्रथा अभी भी विकराल रूप में है।

लड़की के विवाह में दहेज देना एक पुरातन भारतीय परम्परा रही है। सम्भवतः इसका मूल कारण यह रहा होगा कि हिन्दु विधि के अधिनियम होने के पूर्व स्त्री को विरासत में सम्पत्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। तथापि वर्तमान समय में दहेज निवारण सम्बन्धी कानून प्रभावी होने के बावजूद यह कुप्रथा आज भी प्रचलित है तथा दहेज के लोभ के कारण विवाहित स्त्री को पति तथा उसके परिजनों की यातना का शिकार होना पड रहा है। यहाँ तक कि दहेज के कारण प्रताड़ित महिलायें कभी–कभी आत्महत्या करने के लिए भी विवश हो जाती हैं।

दहेज एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए हैं और साथ ही भारतीय वैवाहिक पद्धति प्रदूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। सरकार ने दहेज प्रथा को मिटाने के लिये तथा बालिकाओं की स्थिति के उत्थान के लिये दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बनाया था परन्तु सामाजिक प्रवृत्ति के कारण यह कानून हमारे समाज में वांछित परिणाम देने में विफल रहा है।

परिभाषा : आधुनिक समय में दहेज एक गम्भीर समस्या का रूप धारण किए हुए हैं। इसके कारण माता–पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। साधारणतः दहेज उस धन या सम्पत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है।

फेयरचाइल्ड के अनुसार, "दहेज वह धन या सम्पत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता–पिता या अन्य निकट सम्बन्धियों द्वारा दी जाती है।"

दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 के अनुसार, "दहेज का अर्थ कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान निधि है, जिसे (1) विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अथवा (2) विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष के माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दी हो अथवा देना स्वीकार किया हो।"

दहेज की ये परिभाषा अत्यन्त विस्तृत है जिसमें वर मूल्य एवं कन्या मूल्य दोनों ही सम्पूर्ण रूप में आ जाते हैं। साथ ही इनमें दहेज एवं उपहार में अन्तर किया गया है उपहार कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को स्वेच्छा से दिया जाता है जबकि दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दिया जाता है।

6.3 दहेज प्रथा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय समाज में पुराने समय से बहुत सारी प्रथाएं चली आ रही हैं। ज्यादातर प्रथाएं किसी अच्छे उद्देश्य से बनाई थी। लेकिन समय बदलने के साथ इन प्रथाओं को भी बदल देना चाहिए था। क्योंकि इनमे बदलाव ना करने से ये प्रथाएं पुरानी और सड़ी–गली सोंच की हो गयी है। पारिवारिक और सामाजिक तौर पर भी ये मान्यताएं गलत साबित हो गयी है। और कुछ प्रथाएं तो समय के साथ भयानक रुप ले चुकी है। जैसे दहेज प्रथा एक कुरीति बनकर उभरी है। इससे पढ़े–लिखे और संपन्न परिवार भी नहीं बच पाए है।

दहेज प्रथा के अनुसार लड़की की शादी के समय उसका पिता अपनी इच्छानुसार लड़की को पैसे और उपहार देता है। इस प्रथा की शुरुवात उत्तरवैदिक काल में हुई थी। उस काल में यह प्रथा बुरी नहीं थी। इसकी शुरुवात कैसे हुई थी।

(1) **उत्तर वैदिक काल :** अथर्ववेद के अनुसार, दहेज प्रथा "वहतु" के रूप में उत्तर वैदिक काल में शुरू हुयी थी। उस समय लड़की का पिता उसे ससुराल विदा करते समय कुछ तोहफे देता था, जिसे वहतु कहते थे। यह सिर्फ अपनी खुशी से दिए हुए तोहफे होते थे। इसे दहेज नहीं माना जाता था। इन तोहफों में क्या दिया जायेगा, ये पहले से तय नहीं किया जाता था। इस वहतु पर लड़की के ससुराल या पति का

कोई मालिकाना अधिकार नहीं होता था। अगर कोई पिता अपनी बेटी को वहतु नहीं देता था, तो भी लड़के वाले उसकी मांग नहीं करते थे और ना ही वहतु के लिए लड़की को परेशान करते थे।

(2) **मध्य काल :** उत्तर वैदिक काल के वहतु को, मध्य काल में "स्त्रीधन" का नाम दिया गया था। स्त्रीधन भी वहतु के जैसा ही था। इसमें भी लड़की का पिता अपनी इच्छानुसार पैसे और उपहार अपनी बेटी को देकर ससुराल के लिए विदा करता था। इस स्त्रीधन का उद्देशय था कि यह धन बुरे समय में काम आएगा। स्त्रीधन पर केवल लड़की का ही मालिकाना हक होता था। इस प्रथा को राजस्थान के संपन्न परिवारों के राजपूतों ने ज्यादा बढ़ावा दिया था। इसके पीछे उनका मानना था कि वो जितना ज्यादा पैसा लड़की की विदाई में देंगे उतनी ही उनकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके बाद दहेज प्रथा की शुरूआत हुई। जिसमें स्त्रीधन शब्द गायब हो गया।

(3) **आधुनिक काल :** आज के आधुनिक युग में दहेज प्रथा एक ऐसा रूप ले चुकी है। जिसमे लड़की के माता–पिता और परिवारवालों का सम्मान दहेज में दिए गए धन–दौलत पर ही निर्भर करता है। आजकल लड़के वाले भी एक दम खुलकर शादी के दहेज के रूप में मुहमांगे पैसे और संपत्ति मांगते है। उन्हें इस बात में कोई शर्म नहीं है कि वो अपने बेटे को दहेज के नाम पर दौलत के लिए बेच रहे है।

परंपराओं के नाम पर लड़की वालों को अपमानित किया जाता है, उनपर ज्यादा खर्चा करने के लिए दबाव डाला जाता है, उन्हें मजबूर महसूस कराया जाता है, और लड़के वालों से कम आँका जाता है। इस प्रथा से संपन्न परिवारों को भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह इसे निवेश का जरिया मानते है, जिससे वह 10–15 साल में कमाया जाने वाला ध,न एक बार में ही लड़की वालों से दहेज के नाम पर हड़प लेते है। और दहेज ना मिलने पर लड़की को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है। और कई बार तो उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर देते है।

6.4 महिलाओं और परिवारों पर दहेज के प्रभाव

महिलाओं और परिवारों पर दहेज के प्रभाव पर बात करते हुए, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से महिलाओं और परिवारों को प्रभावित करता है। यहां हम दहेज के प्रभाव के बारे में विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे:

1. **सामाजिक प्रभावः** दहेज प्रथा महिलाओं को समाज में निराधार बनाती है और उन्हें समाजिक मान्यता से वंचित करती है। दहेज के लिए मां–बाप द्वारा भुगतान करने की मांग उन्हें आर्थिक तंगी में डालती है और सामाजिक सम्मान की आशा में परेशानी पैदा करती है। दहेज प्रथा के बादल के रूप में, महिलाओं को परिवारों द्वारा अनुचित रूप से बर्ताव किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है और उनकी आजीविका और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

2. **आर्थिक प्रभावः** दहेज प्रथा आर्थिक बोझ बनाती है और गरीब परिवारों को आर्थिक तंगी में डालती है। दहेज के लिए महंगी शादियां करने की मांग आर्थिक दबाव पैदा करती है और परिवारों को कर्ज में डालना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप, कई गरीब परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाते हैं और अक्सर दहेज लेने वाली पक्ष की मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं।

3. **मानसिक प्रभावः** दहेज प्रथा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। दहेज के लिए प्रतीक्षा में रहना, उन्हें अपमानित करने वाले तत्वों से डरना और उनके साथ न्यायाधीशी कार्रवाई के बादल में रहना महिलाओं के जीवन में मानसिक तनाव को बढ़ाता है। यह उन्हें आत्महत्या, रोग, नपुंसकता और दयनीयता की ओर ले जाता है।

इस प्रकार, दहेज के प्रभाव न केवल महिलाओं को, बल्कि परिवारों को भी स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। इस विपरीत प्रथा को समाज से उखाड़ने और जीवन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कार्रवाई आवश्यक है।

दहेज प्रथा का दुष्प्रभाव

भारत में दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई के रूप में समाज में व्याप्त है जिसके निम्नलिखित दुष्प्रभाव है :–

1. **लैंगिक भेदभाव :** दहेज प्रथा के कारण महिलाओं को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है और उन्हें अक्सर अधीनता हेतु विवश किया जाता है तथा उन्हें शिक्षा या अन्य सुविधाओं के संबंध में दूसरे दर्जे की सुविधाएँ दी जाती हैं

2. **महिलाओं के प्रगति को प्रभावित करना :** दहेज प्रथा के लिये कार्यबल में महिलाओं की खराब उपस्थिति और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्वतंत्रता की कमी आ जाती है। जिससे महिलाओं की प्रगति प्रभावित होती है।

3. **दहेज के लिए महिलाओं का काम पर जाना :** दहेज में मदद के लिये अपनी बेटियों को काम पर भेजते हैं ताकि वे कुछ पैसे कमा सकें।मध्यम और उच्च वर्ग के परिवार अपनी बेटियों को नियमित रूप से विद्यालय तो भेजते हैं लेकिन व्यवसायिक विकल्पों पर जोर नहीं देते है।

4. **महिलाओं का अविवाहित रह जाना :** देश में लड़कियों की एक अधिक संख्या शिक्षित और पेशेवर रूप से सक्षम होने के बावजूद अविवाहित रह जाती है क्योंकि उनके माता–पिता विवाह पूर्व दहेज की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।

5. **महिलाओं का वस्तुकरण होना :** समकालीन दहेज दुल्हन के परिवार द्वारा शक्तिशाली संबंध और पैसा बनाने के अवसरों हेतु एक निवेश की तरह है। जो कि महिलाओं का वस्तुकरण करता है।

6. **महिलाओं के खिलाफ अपराध :** कुछ मामलों में दहेज प्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराध को जन्म देती है, इसमें भावनात्मक शोषण और चोट से लेकर मृत्यु तक शामिल है।

6.5 दहेज के संभावित कारण

1. ***लालच :*** दहेज की मांग अक्सर समाज के सामूहिक लालच का अनुकरणीय है। सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर जबरन वसूली, दूल्हे की शिक्षा की लागत का मुआवजा, उसकी वित्तीय स्थिरता भारतीय विवाहों की एक प्रमुख विशेषता है। मांगों को बेशर्मी से आगे रखा जाता है और उम्मीद की जाती है कि वे चुप्पी से पूरी होंगी। प्रस्ताव को वापस लेने की धमकी दुल्हन के परिवार के सिर पर मंडराती है, जिससे समुदाय में अपना चेहरा खराब हो जाता है, और वास्तविक समारोह से पहले सहमत राशि के हिस्से की अक्सर मांग की जाती है।

2. ***समाज संरचना:*** दहेज प्रथा काफी हद तक भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति की अभिव्यक्ति है। जहाँ पुरुषों को शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के मामले में महिलाओं से श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी सामाजिक संरचना की पृष्ठभूमि के साथ, महिलाओं को अक्सर दूसरे दर्जे की नागरिक माना जाता है, जो केवल घरेलू भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त होती है। इस तरह की धारणाएं अक्सर उनके साथ आर्थिक दृष्टि से पहले पिता और फिर पति द्वारा एक बोझ के रूप में व्यवहार करने से जुड़ी होती हैं। दहेज प्रथा ने इस भावना को और बढ़ा दिया है जो इस विश्वास को बढ़ावा देती है कि बालिकाएं परिवार के वित्त की निकासी का एक संभावित कारण हैं।

3. ***धार्मिक आदेश :*** विवाह के रीति–रिवाजों पर समाज द्वारा लगाए गए धार्मिक प्रतिबंध, मुख्य रूप से दूल्हे की उपयुक्तता का दहेज समस्या के लिए एक योगदान कारक है। ये बाधाएं अंतर–धार्मिक विवाह या यहां तक कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच की अनुमति नहीं देती हैं और एक ही धार्मिक पृष्ठभूमि से एक उपयुक्त दूल्हे को ढूंढना पड़ता है। ये प्रतिबंध उपयुक्त जोडों की संख्या को सीमित करते हैं। वांछनीय योग्यता वाले विवाह योग्य आयु के लड़के पुरस्कार बन जाते हैं और यह बदले में उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा पकड़ने की प्रथा को प्रोत्साहित करता है।

4. ***सामाजिक बाधाएँ :*** समान धार्मिक पृष्ठभूमि के अलावा, जाति व्यवस्था और सामाजिक स्थिति के आधार पर और प्रतिबंध लगाए जाते हैं। एक जोडें की व्यवस्था करते समय जाति अंतर्विवाह और कबीले बहिर्विवाह जैसी प्रथाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पसंदीदा जोडों को एक ही जाति, अलग–अलग कबीले और समान या उच्च सामाजिक स्थिति से संबंधित होना चाहिए। इन सीमाओं ने फिर से विवाह योग्य पुरुषों के पूल को गंभीर रूप से समाप्त कर दिया जिससे दहेज की मांग के समान परिणाम सामने आए।

5. ***महिलाओं की सामाजिक स्थिति :*** भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति राष्ट्र के मानस में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि उनके साथ यह व्यवहार केवल एक वस्तु के रूप में, न केवल परिवार द्वारा बल्कि महिलाओं द्वारा भी बिना किसी प्रश्न के स्वीकार किया जाता है। खुद। जब विवाह को महिलाओं की अंतिम उपलब्धि के रूप में देखा जाता है, तो दहेज जैसी कुरीतियां समाज में अपनी जड़ें गहरी कर लेती हैं।

6. ***निरक्षरता :*** औपचारिक शिक्षा की कमी दहेज प्रथा के प्रचलन का एक अन्य कारण है। बड़ी संख्या में महिलाओं को जानबूझकर स्कूलों से या तो कुछ अंधविश्वासों के कारण या इस विश्वास से रखा जाता है कि लड़कियों को शिक्षित करने से अच्छी पत्नियों के रूप में उनकी योग्यता समाप्त हो जाएगी।

7. ***सीमा शुल्क का पालन :*** इसका करने के लिए प्रणोदन भारतीय परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं और वे रीति– रिवाजों पर सवाल नहीं उठाते हैं। वे परंपराओं का आंख मूंदकर पालन करते हैं और दहेज प्रदान करते हैं। क्योंकि यह पीढ़ियों से दिया जाने वाला आदर्श है।

8. ***दिखावा करने का आग्रह :*** दहेज अक्सर हमारे देश में सामाजिक कद दिखाने का एक साधन है। समाज में किसी की कीमत अक्सर इस बात से मापी जाती है कि कोई बेटी की शादी में कितना खर्च करता है या कितना सोना देता है। यह दृष्टिकोण दहेज की माँगों की प्रथा को काफी हद तक सही ठहराता है। लड़के के परिवार को उनकी नई दुल्हन द्वारा लाए गए दहेज की मात्रा के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयां मिलती हैं, जो इस बात का सूचक है कि उनका लड़का शादी के बाजार में कितना वांछनीय था।

6.6 दहेज संबंधित हिंसा और उत्पीड़न

दहेज संबंधित हिंसा और शोषण एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है जिसमें महिलाओं को उनके दहेज के लिए प्रताड़ित, शोषित और निर्मम रूप से हमला किया जाता है। यह एक अन्यायपूर्ण और अनैतिक प्रथा है जो समाज में महिलाओं की समानता और मान्यता को हानि पहुंचाती है। नीचे दिए गए बिंदुओं में दहेज संबंधित हिंसा और शोषण के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की जाएगी:–

1. **दहेज प्रताड़ना:** दहेज संबंधित हिंसा का प्रमुख कारक दहेज की मांग और प्रताड़ना होती है। परिवार द्वारा दहेज के तौर पर मांग की जाती है और यदि इसकी मांग पूरी नहीं की जाती है, तो महिलाओं पर दबाव डाला जाता है। इससे महिलाओं को अपमानित, दुखी और असुरक्षित महसूस होता है। यह उन्हें आत्महत्या, दबाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और असामान्य हालतों में धकेल सकता है।

2. **शारीरिक हिंसा:** दहेज संबंधित हिंसा में महिलाओं पर शारीरिक अत्याचार किया जाता है। इसमें महिलाओं के साथ चीजों का उपयोग करके, पिटाई करके, घात करके और उन्हें जख्मी करके उन्हें चोट पहुंचाई जाती है। यह शारीरिक दर्द, गंभीर चोटें, जीवनाशा का खतरा और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

3. **मानसिक और आत्मिक दुख:** दहेज संबंधित हिंसा महिलाओं के मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह महिलाओं को मानसिक तनाव, अवसाद, आत्महत्या भावना और स्वार्थी दबाव का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उन्हें अपने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सकारात्मकता की कमी महसूस होती है।

4. **आर्थिक शोषण:** दहेज संबंधित हिंसा में महिलाओं पर आर्थिक शोषण भी किया जाता है। परिवार द्वारा महिलाओं से दहेज के तौर पर मांग की जाती है और यदि यह मांग पूरी नहीं की जाती है तो वे उन्हें धमकी देते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं को आर्थिक रूप से परेशानी, निराशा और आत्महत्या की भावना होती है।

दहेज संबंधित हिंसा और शोषण महिलाओं पर अत्याचार का सबसे घातक रूप है। यह समाज के लिए गंभीर समस्या है जो महिलाओं को नकारात्मकता, दुख, असुरक्षा और न्याय से वंचित करती है। इस समस्या को समाधान करने के लिए समाज को दहेज संबंधित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ानी चाहिए, कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, संबंधित संस्थाओं को सशक्त करना चाहिए और महिलाओं को सामरिक, मानसिक और आर्थिक समर्थन प्रदान करना चाहिए।

6.7 दहेज प्रथा के लिए कानूनी और विधायिक उपाय

1961 में, भारत में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को लागू करके दहेज प्रथा को रोकने की सबसे पहली कोशिश हुई थी।

(1) आईपीसी के धारा 498–ए के तहत, अगर पति या ससुराल वाले दहेज की मांग करते है, तो 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है।

(2) धारा 406 के तहत अगर लड़की का पति या ससुराल वाले उसका स्त्रीधन उसे देने से मना करते है, तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है।

(3) इस अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही गैरकानूनी है। अगर कोई दहेज का लेन–देन करता है या इसमें सहयोग करता है, तो 5 साल की जेल और 15,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है।

(4) अगर किसी लड़की की शादी होने के सात साल के अंदर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाये और जांच में साबित हो जाये कि मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए परेशान किया गया है। तो आईपीसी के धारा 304–बी के तहत, लड़की के पति और ससुराल वालों को सात साल से लेकर जिंदगी भर की जेल हो सकती है।

6.8 सारांश

दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है जो महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करती है और उन्हें अत्याचार और शोषण का शिकार बनाती है। यह प्रथा महिलाओं के आत्ममर्यादा और सम्मान को धूल चटाने वाली है और परिवारों को आर्थिक और सामाजिक तनाव में डालती है। इसके कारण दहेज संबंधित हिंसा और शोषण की संख्या बढ़ रही है। दहेज प्रतिबंध धारा जैसे कानूनी और विधायिक उपाय अभी भी लागू हो रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। महिलाओं को सशक्त करने और जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, संगठनात्मक कार्यक्रम और समुदायों में संपर्क को बढ़ाव देना

6.9 पारिभाषिक शब्दवाली

दहेज– दहेज का अर्थ है जो सम्पति वियाह के समय वधू के परिवार की ओर से वर पक्ष को दी जाती है।

अभ्यास प्रश्न – लघु, विस्तृत

लघु उत्तरीय प्रश्न

- दहेज प्रथा क्या है?
- दहेज प्रथा किसे प्रभावित करती है?
- दहेज प्रथा के कारण क्या हैं?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

- दहेज प्रथा के कारणों को समझाएं और इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
- दहेज प्रथा के खिलाफ कानूनी और सामाजिक उपायों का विश्लेषण करें और इसे रोकने के लिए सुझाव दें।

6.10 संदर्भ– ग्रंथ सूची

- "दहेज की समस्या एवं समाधान" लेखक डॉ. वंदना शर्मा
- "दहेज पर विचारों की व्याख्या" लेखक डॉ. अनु प्रिया
- "अपराधशास्त्र, दंण्डशास्त्र एवं पीड़ितशास्त्र" लेखक एम के तिवारी, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी
- "महिला एवं अपराधिक विधि" लेखक गोपाल उपाध्याय, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन
- "अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" लेखक डॉ ना वि परांजपे सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन

इकाई–7 घरेलू हिंसा

इकाई की रूपरेखा

7.0 प्रस्तावना
7.1 परिचय
7.2 घरेलू हिंसा का अर्थ और परिभाषा
7.3 घरेलू हिंसा के प्रकार
7.4 घरेलू हिंसा का कारण
7.5 घरेलू हिंसा के प्रभाव
7.6 घरेलू हिंसा के कानूनी सुरक्षा उपाय, परामर्श सेवाएं
7.7 सारांश
7.8 परिभाषिक शब्दावली
अभ्यास प्रश्न–लघु प्रश्न
7.9 संदर्भ–ग्रंथ सूची

7.0 इकाई का उद्देश्य

घरेलू हिंसा के निर्माण के पीछे कई उद्देश्य होते हैं जो इस समस्या को समाधान करने की दिशा में काम करते हैं। कुछ मुख्य उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

- ***महिलाओं की सुरक्षा:*** घरेलू हिंसा निवारण के उद्देश्य में सबसे प्रमुख है महिलाओं की सुरक्षा का सुनिश्चित करना। इसमें महिलाओं को सुरक्षित रखने, हिंसा के प्रति उनकी रक्षा करने और उन्हें हिंसा से मुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य होता है।
- ***संचार और जागरूकता:*** घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसके बारे में संचार करने का उद्देश्य होता है। इससे लोगों को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा मिलती है और समाज में इस समस्या को समझने और उसके खिलाफ सामरिक करवाई करने का ज्ञान मिलता है।
- ***संज्ञान और विश्लेषण:*** एक महत्वपूर्ण उद्देश्य घरेलू हिंसा के संदर्भ में जानकारी, अद्यतन और विश्लेषण प्रदान करना है। इससे संघर्षों, प्रगति की सुचना, नीतियों के परिवर्तन और सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्ययोजना बनाने में मदद मिलती है।

7.1 परिचय

घरेलू हिंसा एक सामाजिक मानसिक समस्या है जो महिलाओं को प्रभावित करती है और उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से किसी महिला को उत्पीड़ित करने का प्रयास होता है। घरेलू हिंसा के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे सामाजिक दबाव, आर्थिक असहायता, संबंधों में संकट आदि। घरेलू हिंसा कई रूपों में हो सकती है जैसे शारीरिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक तंत्र, आर्थिक अत्याचार आदि। भारतीय कानून में घरेलू हिंसा को दंडनीय अपराध माना जाता है और घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम इसकी संरक्षा और न्याय की प्राधान्यता करता है।

7.2 घरेलू हिंसा का अर्थ और परिभाषा

घरेलू हिंसा का अभिप्राय यह है कि जो व्यवहार परिवार के एक सदस्य के द्वारा दूसरे सदस्य को शारीरिक या मानसिक रूप प्रताड़ित करे वहीं घरेलू हिंसा का रूप ले लेता है। ज्यादातर यह देखा गया है कि

घरेलू हिंसा प्रायः परिवाद के प्रभुता सम्पन्न पुरुष या स्त्री के द्वारा दी जाती है और इस हिंसा के विरुद्ध या तो घर की बहुएँ होती हैं या लड़कियाँ अर्थात् हम कह सकते हैं कि जो हिंसा महिलाओं के विरुद्ध की जाती हैं वही घरेलू हिंसा है।

घरेलू हिंसा की अवधारणा को प्रमुखतः दो रूपों में स्पष्ट किया गया है सामान्य अर्थ में, हिंसा का अभिप्राय किसी व्यक्ति को आघात करना या उसे परेशान करना है।

स्ट्रॉस के शब्दों में, "किसी को नुकसान या चोट पहुँचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझकर किया गया आघात हिंसा है, चाहे वास्तव में चोट न पहुँचायी गयी हो।"

विशिष्ट अर्थों में, "हिंसा कोई भी वह व्यवहार है जिसकी औपचारिक रूप से सामाजिक निन्दा की जाती है।"

राम आहूजा के शब्दों में, "हिंसा कोई भी वह व्यवहार है जिसकी औपचारिक रूप से सामाजिक निन्दा की जाती हो या जो नियमाचारी समूहों के व्यवहार सम्बन्धी मानदण्डों से विचलन हो।

इस विषय में घरेलू हिंसा के मानकों का क्षेत्र काफी विस्तृत हो जाता है।

मागार्गी ने हिंसा के बारे में कहा है कि, "ऐसा कार्य जो जानबूझकर, धमकाकर या बलपूर्वक किया गया हो जिसके परिणामस्व व्यक्ति को आघात पहुँचा हो व उसका विनाश हुआ हो या उसके सम्मान को ठेस लगी हो।" इस तरह से घरेलू हिंसा को एक मानव घटना के रूप में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अधिकतर वे कार्य सम्मिलित होते हैं जो कि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा मूलतः महिलाओं के विरुद्ध होती है। इस प्रकार किसी महिला से प्रत्यक्ष या परोक्ष बल प्रयोग करके कुछ लेना जो कि वह स्वेच्छा से देना नहीं चाहती तथा जिससे उस महिला को शारीरिक आघात या मानसिक आघात या दोनों ही रूप में आघात हो वह घरेलू हिंसा कहलाती है। जैसे–पत्नी को पीटना यौनाचार ,विधवा या बड़ी उम्र की महिला के साथ किया गया दुर्व्यवहार आदि उल्लेखनीय हैं।

किसी पुरुष या उस के रिश्तेदार द्वारा महिला, जो कि उसके रिश्ते में थी या है, को शारीरिक, मानसिक, यौनिक, भावनात्मक या आर्थिक नुकसान या चोट पहुंचाना या पहुंचाने की चेष्टा करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंर्तगत महिला को दहेज या अन्य संपत्ति की मांग करना या इसके लिए महिला से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति या रिश्तेदार को परेशान या प्रताड़ित किया जाना भी आता है।

स्पष्टीकरण

शारीरिक क्षति से अभिप्राय –

- महिला को किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा पहुंचाना।
- ऐसा कोई भी कार्य करना जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता हो या ऐसी आशंका पैदा करता हो।
- ऐसा कोई व्यवहार जो महिला के स्वास्थ्य या विकास को रोकता हो।
- इसके अंतर्गत हमला या शारीरिक बल का आपराधिक इस्तेमाल शामिल है।

लैंगिक क्षति/यौनिक शोषण –

- ऐसा कोई भी यौनिक आचरण/व्यवहार जो महिला की गरिमा को खत्म करता हो।
- महिला का अपमान या तिरस्कार करता हो।
- महिला के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाना भी घरेलू हिंसा में शामिल है।

मौखिक और भावनात्मक रूप से शोषण –

- अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से बच्चे/संतान या पुत्र के न होने के संबंध में अपमान/ताने या उपहास।

- किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाने की लगातार धमकियां देना जिससे कि महिला का जुड़ाव/संबंध हो, या लगाव हो।

आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाना –

1. ऐसे सभी आर्थिक, वित्तीय संसाधनों जिसके लिए महिला किसी विधि/कानून या परम्परा/रूढ़ि के अनुसार हकदार है, उसका प्रयोग न करने देना
   - महिला व उसके बच्चों की घरेलू आवश्यकताओं का पूरा न करना।
   - स्त्रीधन, महिला द्वारा संयुक्त रूप से या अलग से स्वामित्व वाली संपत्ति, साझी गृहस्थी के प्रयोग से उसे रोकना और उसके रख–रखाव से संबंधितकिराया और खर्च उसे देने से रोकना/वंचित करना।
2. घरेलू सामान को बेचना
   - संपत्ति, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और इनके बराबर अन्य सम्पत्तियों पर –जिन पर महिला का पूर्ण या आंशिक अधिकार हो याफिर जिन से महिला का हित सुरक्षित रहता हो– को महिला की गैरमौजूदगीऔर बिना सहमति के बेचना।
   - संपत्ति किसी और को देना या कब्जा करना या किसी भी तरीके से महिलाको उसके इस्तेमाल से वंचित करना।

7.3 घरेलू हिंसा के प्रकार

घरेलू हिंसा का रूप प्रच्छन्न होने के कारण इसके सभी प्रकारों की सही जानकारी मिल पाना बहुत कठिन होता है। इसके पश्चात् भी उत्पीड़ित औरतों से सम्बन्धित किए गये कई अध्ययनों में घरेलू हिंसा के जो विभिन्न रूप सामने आए हैं, उनमें दहेज यातनाएँ, शारीरिक प्रताड़ना, भावात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार, भ्रूण हत्या एवं नारी हत्या, वैवाहिक शोषण, आर्थिक शोषण तथा विधवाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा आदि प्रमुख हैं। अर्थात् इनकी प्रकृति को हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं।

(1) **दहेज सम्बन्धी यातनाएँ व हत्याएँ** : भारतवर्ष में घरेलू हिंसा का सबसे घृणित रूप दहेज से सम्बन्धित यानताएँ व हत्याएँ हैं। यद्यपि हमारे भारत देश में दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 से दहेज पर रोक लगा दी गई है, परन्तु वास्तविकता यही है कि आज भी वर पक्ष–वधू पक्ष से दहेज लेता है। दहेज के सिलसिले में ही जब एक विवाहिता को अपने पिता व ससुरालजनों से ताने सुनने पड़ते हैं, अपमानित होना पड़ता है, मार–पीट व हत्या तक की जाती है। भारत सरकार की रिपोर्ट अनुसार हमारे भारत में वर्तमान में एक दिन में 14 व एक वर्ष में लगभग 5000 दहेज से सम्बन्धित हत्याएँ होती हैं। जो कि एक बहुत अपमानजनक बात है।

(2) **यौन दुर्व्यवहार** : घरेलू हिंसा का एक और घिनौना यौनात्मक दुर्व्यवहार है। यौन दुर्व्यवहार का अर्थ प्यार के अभाव में यौन सम्बन्ध स्थापित करना है। इसके अन्तर्गत पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उससे यौन रूप सम्बन्ध जबरन स्थापित करना, अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध के लिए मजबूर करना व नशीले पदार्थ खिलाकर यौन सम्बन्ध बनाना आदि आते हैं। ऐसा दुर्व्यवहार महिला जीवन को इतना लज्जित, अपमानित व विषाक्त बना देता है कि महिलाएँ विक्षिप्त हो जाती हैं और साथ ही साथ यौन कृत्य इतना वैयक्तिक होता है कि पति–पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के सामने भी नहीं रखा जा सकता है।

(3) **नारी हत्या और भ्रूण हत्या** : नारी हत्या और भ्रूण हत्या भी घरेलू हिंसा का ही एक रूप है। भारत में पहले जन्म के साथ ही लड़की को मार दिया जाता था इसका प्रमुख कारण लड़की के जन्म को अभिशाप मानना था। सामाजिक और आर्थिक बोझ से बचने के लिए भी ये हत्या की जाती थी जबसे विज्ञान ने माँ के गर्भ में शिशु लिंग को ज्ञात करना आरम्भ किया तभी से गर्भ में कन्या भ्रूण हत्या भी प्रारम्भ हो गयी। परिणाम स्वरूप आज हमें देखने के मिलता है कि स्त्री का अनुपात पुरुषों से कम है।

(4) **भावनात्मक दुर्व्यवहार** : पति व पत्नी का वैवाहिक जीवन भावनात्मक व्यवहार पर टिका होता है यह भावना प्रेम, विश्वास, रोमांच व त्याग पर आधारित होती है। इसका मतलब उस व्यवहार से है जो पत्नी के मन को व आत्मा को ठेस पहुँचाये तथा इसके साथ ही उसका ऐसे कार्यों के लिए बाध्य करना जो वह नहीं करना चाहती है। अन्य लोगों के सामने उसे दुत्कारना, अपमानित करना, बात–बात पर ताने

मारना व उससे गाली–गलौज करना आदि सब दुर्व्यवहार है यह एक तरीके से मानसिक शोषण करना है जो शारीरिक यातना से भी ज्यादा कष्टदायी होता है।

(5) **पत्नी को पीटना** : पत्नी को पीटना भी घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आता है। पति दायित्व होता है कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करे उसे सुरक्षा प्रदान करे लेकिन उसके स्थान पर पत्नी पति के द्वारा पीटी जाती है। पति के इस कार्य में परिवार के अन्य सदस्य भी उसके सहयोगी बनते हैं। इस हिंसा का रूप चाँटे मारना, लात मारना, हड्डी तोड़ना, यातना देना व हत्या तक भी होता है। भारतीय समाज में इस घटना को लेकर विरले ही कोई महिला अर्थात् पत्नी पुलिस में शिकायत कर सकती है। पत्नियाँ मौन रूप में अपमान व मार–पीट सहती है तथा उसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार करती हैं जोकि गलत है।

(6) **विधवाओं के विरुद्ध हिंसा** : विधवाओं के विरुद्ध हिंसा भी घरेलू हिंसा का ही एक रूप है। विधवाओं के विरुद्ध हिंसा में पीटना, भावनात्मक उपेक्षा, यातना, गाली देना, यौन दुर्व्यवहार, सम्पत्ति वैध हिस्से से वंचन और उनके बच्चों के साथ दुव्यवहार सम्मिलित है। विधवाएँ न तो रंगीन कपड़े पहन सकती है और ना ही किसी शुभ कार्य आदि में भाग ले सकती है। कानूनी रूप से विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार है, लेकिन व्यवहार में नहीं के समान है। विधवाओं के विरुद्ध हिंसा की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं–

(i) तुलनात्मक रूप में युवा विधवाओं का शोषण व उत्पीड़न अधिक होता है।

(ii) विधवाओं को इनके पति द्वारा मिली सम्पत्ति को दूसरे कई लोग हड़पना चाहते हैं।

(iii) हिंसा के अपराधी अधिकांशतः पति के परिवार वाले होते हैं।

(iv) उत्पीड़न के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य शक्ति, संपत्ति व कामवासना–होते है।

(v) हिंसा का महत्वपूर्ण कारक विधवा की कायरता होती है।

(vii) आयु, शिक्षा और वर्ग का विधवाओं की हिंसा से पारस्परिक सम्बन्ध है।

इस प्रकार भारत में घरेलू हिंसा विभिन्न रूपों में विद्यमान है। अगर सोचा जाए तो ये बड़ी विडम्बना की बात होगी कि जिस परिवार की रचना में महिलाओं की भूमिका अद्वितीय होती है, उस परिवार में ही अधिकतर महिलाओं के प्रति हिंसा देखी जाती है। जब एक महिला अपने परिवार में सुरक्षित नहीं है तो वह अन्य जगह सुरक्षित रहने की कल्पना कैसे कर सकती है।

7.4 घरेलू हिंसा का कारण

- दहेज की मांग करना।
- स्त्री को आत्मनिर्भर बनने से रोकना।
- पुरुषवादी मानसिकता जो जिसे महिलाएं हीन समझती हैं।
- हिंसा को विवादों को निपटाने के तरीके के रूप में देखना।
- महिलाओं की निरक्षरता, जिसके कारण उन्हें कानून की जानकारी नहीं है।
- हिंसा के खिलाफ प्रतिक्रिया की निष्क्रियता भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है।
- गरीबी के कारण आवश्यकता पूरी न होने पर परिवार में झगड़े होने लगते हैं।
- महिला उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता है।
- निम्न सामाजिक स्थिति के कारण महिलाओं को भी घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है।
- गलत लत जैसे– शराब पीने, नशा करने के कारण लोग घर में बेवजह मारपीट भी करते हैं।

7.5 घरेलू हिंसा के प्रभाव

व्यक्तिगत प्रभाव

शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत प्रभाव।

पारिवारिक प्रभाव

इस हिंसा का सीधा असर महिला के काम, निर्णय लेने के अधिकार, परिवार और बच्चों में आपसी संबंधों पर भी देखा जा सकता है।

संस्थागत–प्रतिमानात्मक प्रभाव

इसके कारण दहेज हत्या, हत्या, आत्महत्या में वृद्धि हुई है। कभी–कभी वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति भी इसी वजह से देखी गई है।

अप्रत्यक्ष प्रभाव

घरेलू हिंसा महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी में बाधा डालती है। इससे महिलाओं की कार्यक्षमता कम होती है। वह डरी हुई हैं। मानसिक रोगी बन जाता है, जो कभी–कभी पागलपन तक पहुँच जाता है।

घरेलू हिंसा का बच्चों पर प्रभाव

घरेलू हिंसा बच्चों पर आक्रामक प्रभाव डालती है और उनकी संपूर्ण विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यहां कुछ प्रमुख बच्चों पर घरेलू हिंसा के प्रभाव हैं:–

- *मानसिक और भावनात्मक प्रभाव:* घरेलू हिंसा के कारण बच्चे मानसिक और भावनात्मक तौर पर पीड़ित होते हैं। वे डरपोक, निराश और आत्महत्या के विचारों में रहते हैं। यह उनके आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सामरिकता को प्रभावित करता है।
- *शिक्षा और कौशल में कमी:* घरेलू हिंसा के कारण बच्चों का शिक्षा और कौशल विकास प्रभावित होता है। उन्हें आराम से पढ़ाई नहीं करने दिया जाता, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता या उन्हें विद्यालयी संगठनों से निष्कासित किया जाता है।
- *शारीरिक प्रभाव:* घरेलू हिंसा के बाद बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। वे चोटें, जख्म, दर्द और अन्य शारीरिक संकटों का सामना करते हैं।

7.6 घरेलू हिंसा के कानूनी सुरक्षा उपाय, परामर्श सेवाएं

सेवा प्रदाता उस संस्था को नियुक्त किया जायेगा जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, या कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो।

सेवा प्रदाता का उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन के द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता व अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है। वे इस कानून /अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को राज्य सरकार के पास सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं।

सेवा प्रदाता के कर्त्तव्य

- पीड़ित महिला के अधिकारों के विषय में अवगत करना, मुफ्त कानूनी सुविधा दिलाना।
- यदि पीड़ित महिला सुरक्षित आश्रयगृह चाहती है तो उसे उपलब्ध कराना और रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस अधिकारी को देना।
- पीड़ित महिला को अगर शारीरिक चोट घरेलू हिंसा से पहुंची हो तो, उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना, व उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी को देना।

अधिनियम/कानून के अंतर्गत महिला प्राप्त होने वाली सुविधा/आदेश/राहत

1. **धारा–14 परामर्शदाता से परामर्श लेने को निर्देश :** मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अंतर्गत अगर महिला चाहे तो, प्रत्यर्थी या पीड़ित महिला को अकेले या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से जो परामर्श में योग्यता और अनुभव रखता है, परामर्श लेने को निर्देश दे सकता है।

2. **धारा–16 कार्यवाही को बंद कमरे में किया जाना :** यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण और यदिमहिला चाहे तो वह इस कानून के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही बंद कमरे मेंकरने की मांग करती है तो मजिस्ट्रेट विशेष परिस्थितियों मे कार्यवाही बंद कमरे मेंसंचालित कर सकता है।

3. **धारा–17 साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार :** घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी/साझे घर में निवास करने काअधिकार होगा चाहे वह उसमें कोई हक, पफायदा, हित रखती हो या नहीं। उसेप्रत्यर्थी को महिला को साझी गृहस्थी से निकाल नहीं सकता है।

4. **धारा–18 संरक्षण का अधिकार :** मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़ित महिला और प्रत्यर्थी को एक बार सुनने के पश्चात, यायह संभावना होते हुए कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है महिला के पक्ष मेंसंरक्षण का आदेश पारित कर सकता है।

   - घरेलू हिंसा के किसी कार्य या आचरण/व्यवहार को करने पर रोक।
   - घरेलू हिंसा के कार्यों के करने में सहायता या दुष्प्रेरित करने पर रोक।
   - पीड़ित महिला के काम करने के स्थान पर, उसके बच्चे के विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहां महिला का बार–बार आना–जाना है उस पर प्रत्यर्थी के आने में रोक।
   - पीड़ित महिला से प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के सम्पर्क पर रोक/ इसके अंतर्गत मौखिक, लिखित, दूरभाषीय/पफोन पर बातचीत या इलैक्ट्रोनिक ई–मेल सम्पर्क भी सम्मिलित है।
   - सम्पत्ति का हस्तांतरण करने, बैंक लाकरों या बैंक खातों का प्रचालन उपयोग करने जिसमें दोनों पक्षों द्वारा प्रयोग, उपयोग करने ;जो दोनों पक्षों नाम पर था पर रोक।
   - पीड़ित महिला की सुरक्षा की दृष्टि से किसी अन्य प्रकार का संरक्षण का अधिकार भी दिया जा सकता है।

5. **धारा–19 निवास का आदेश**
   - मामले का समाधान करते समय, जब मजिस्ट्रेट को विश्वास हो जाये कि घरेलू हिंसा हुई है, मजिस्ट्रेट महिला को उसी घर में या प्रत्यर्थी के खर्चे पर कहीं और निवास का आदेश दे सकता है। निवास आदेश मे निम्न प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं–
   - साझी गृहस्थी से महिला को न निकालने का आदेश।
   - प्रत्यथी को उस साझी गृहस्थी से स्वयं हटने का आदेश।
   - पीड़ित महिला की साझी गृहस्थी/घर के उस हिस्से में जिसमें वह रह रही है, उसमें प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदार के प्रवेश पर रोक।
   - पीड़ित महिला को प्रत्यर्थी के स्तर के आनुकल्पिक वास; किराये के घरद्ध की सुविधा दिलाना जैसी कि वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी।
   - महिला को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को जिसकी वह हकदार है, कब्जा लौटाने के आदेश देना।

6. **धारा–20 आर्थिक सहायता/वित्तीय राहत**

   पीड़ित महिला व उसके बच्चों को उसकी जरूरत के अनुसार व्यय और नुकसान की पूर्ति के लिये आर्थिक सहायता/वित्तीय राहत देने का आदेश भी मजिस्ट्रेट दे सकता।

   - कमाई की हुई हानि की पूर्ति।
   - चिकित्सीय खर्च की पूर्ति।
   - पीड़ित महिला के नियंत्राण में से किसी सम्पत्ति के नुकसान, हटाये जाने के कारण हुई हानि की पूर्ति का आदेश।

7. **धारा–21 अभिरक्षा का आदेश**

- पीड़ित महिला या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को बच्चों की अभिरक्षा का आदेश भी मिल सकता है।
- यदि मजिस्ट्रेट को यह लगे कि प्रत्यर्थी की किसी प्रकार की मुलाकात बच्चों/ संतान के हित में नहीं है या हानिकारक है तो वह प्रत्यर्थी के बच्चों से मिलने पर भी रोक लगा सकता है।

8. **धारा–22 हर्जाना/मुआवजे का आदेश**

इस कानून के अंतर्गत मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला के साथ प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा ;मानसिक यातना, भावनात्मक चोट भी सम्मिलित हैद्ध के एवज में प्रतिकर और क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला को मुआवजा/हर्जाना देने के आदेश भी दे सकेगा।

9. **धारा–23 (एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति) :**

यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा कर रहा है या की है अथवा करने की आशंका है तो वह शपथपत्रा को संज्ञान में रखते हुए धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के तहत एकपक्षीय आदेश दे सकता है।

10. **धारा–24**

पीड़ित महिला को आदेश की प्रति निःशुल्क मिलनी चाहिए।

11. **धारा–29 अपील**

पीड़ित महिला अथवा प्रत्यर्थी को जारी मजिस्ट्रेट के आदेश के 30 दिन के भीतर सत्रा न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

12. **धारा–31 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर दंड**

अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग होना, इस कानून के अन्दर अपराध होगा। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को एक साल की सजा या बीस हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

7.7 सारांश

घरेलू हिंसा एक समस्या है जो समाज के स्तर पर गंभीर प्रभाव डालती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा कई रूपों में प्रकट हो सकती है और पीड़ित व्यक्तियों और बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। कारण और जोखिम कारक अवस्थाओं को समझने के लिए जागरूकता और शिक्षा महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही, कानूनी सुरक्षा उपायों और परामर्श सेवाओं के माध्यम से घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत होती है और पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

7.8 पारिभाषिक शब्दवाली

घरेलू हिंसा– वह व्यवहार जो घर के किसी सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करें, वहीं घरेलू हिंसा कहलाता है।

अभ्यास प्रश्न – लघु, विस्तृत

लघु उत्तरीय प्रश्न

- घरेलू हिंसा क्या है?
- घरेलू हिंसा किस प्रकार कार्यरत है?
- घरेलू हिंसा के पीड़ित व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

- घरेलू हिंसा के मुख्य कारण और जोखिम कारक क्या हैं? इसे कैसे समझा जा सकता है?

- घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय और परामर्श सेवाएं कैसे मददगार साबित हो सकती हैं? पीड़ित व्यक्तियों को इनका लाभ कैसे मिल सकता है?

7.9 संदर्भ– ग्रंथ सूची

- "घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकार" लेखकः नीता गुप्ता
- "घरेलू हिंसाः समस्या और समाधान" लेखकः राधिका मिश्रा
- "घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाईः संघर्ष और सुरक्षा" लेखकः प्रीति शर्मा
- "अपराधशास्त्र एवं दण्ड शास्त्र" लेखक डॉ बसन्तीलाल बाबेल इस्टर्न बुक कम्पनी

इकाई–8 अपहरण और शोषण

इकाई की रूपरेखा

8.0 इकाई का उद्देश्य
8.1 परिचय
8.2 अपहरण का अर्थ
8.3 अपहरण के प्रकार
8.4 अपहरण के प्रभाव
8.5 अपहरण के रोकथाम और सुरक्षा उपाय
8.6 शोषण का अर्थ
8.7 शोषण के प्रकार
8.8 शोषण के प्रभाव
8.9 कानूनी और सहायता प्रणाली
8.10 सारांश
8.11 पारिभाषिक शब्दावली
अभ्यास प्रश्न–लघु विस्तृत
8.12 संदर्भ–ग्रंथ सूची

8.0 इकाई का उद्देश्य

"अपहरण और शोषण" का पाठन उद्देश्य है अपहरण और शोषण के विषय में जागरूकता प्रदान करना और जनता को इस मुद्दे के गंभीरता को समझने के लिए प्रेरित करना। इसके अलावा, इस पाठन का उद्देश्य है:

- अपहरण और शोषण की परिभाषा, अर्थ और अवधारणाओं को स्पष्ट करना।
- अपहरण और शोषण के कारण, प्रभाव, और पीड़ितों, परिवारों, और समाज पर उनके प्रभाव को समझना।
- इन मुद्दों के पीछे स्थित भूमिकाओं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक कारकों की समीक्षा करना।
- अपहरण और शोषण के रोकथामी के लिए कानूनी और सामाजिक उपायों की जागरूकता प्रदान करना।
- संबंधित संगठनों, सरकारी नीतियों, और सार्वजनिक समुदायों की भूमिका को समझना और उनके सहयोग और संयोजन की आवश्यकता को प्रकट करना।

यह पाठन पाठकों को इन मुद्दों की गहराई को समझने, उनके प्रभाव को समझने, और समाज में इन मुद्दों के खिलाफ चर्चा और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है।

8.1 परिचय

अपहरण और शोषण गंभीर मुद्दे हैं जो व्यक्तियों और समाजों को महत्वपूर्ण खतरों का सामना कराते हैं। अपहरण उस अवैध कार्रवाई का अर्थ है जिसमें किसी को अपनी इच्छा के विपरीत जबरन ले जाया जाता है, ज्यादातर मांग नकदी करने या अन्य अवैध गतिविधियों में संलग्न होने की इच्छा के साथ। दूसरी ओर, शोषण अन्यायपूर्ण या नैतिक रूप से व्यक्तियों का अनुचित या अनैतिक उपयोग है, जो आमतौर पर शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक शोषण के साथ संबंधित होता है। इन कार्रवाइयों का पीड़ितों, उनके परिवारों और समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपहरण और शोषण से बच्चों और वयस्कों को गंभीर शारीरिक और

मानसिक चोट भी हो सकती है, स्वतंत्रता की हानि का कारण बनती है और पीड़ितों के जीवन और जीने की गुणवत्ता पर दीर्घकालिक प्रभाव डालती है।

अपहरण और शोषण के होने में विभिन्न कारकों का योगदान होता है, जैसे आर्थिक–सामाजिक असमानता, संगठित अपराध, राजनीतिक अस्थिरता और अपर्याप्त कानूनी कार्रवाई। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी के उन्नतियों ने नई शोषण रूपों, जैसे ऑनलाइन व्यापार और साइबर अपराध, को जन्म दिया है। अपहरण और शोषण के विरुद्ध की लड़ाई में कठोर कानून और नियमों के प्रयास, विशेष शासनाधिकारी इकाइयों की स्थापना और सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। इन मुद्दों की घटना नवीनतम विकासों की मदद से बड़ी संख्या में देशों की सीमाओं को पार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

8.2 अपहरण का अर्थ

अपहरण, जिसे एक अपराध के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को गैरकानूनी रूप से वंचित किया जाता है। आमतौर पर फिरौती या अनुपालन प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है। अपहरण करने वाले लोगों को अपहरणकर्ता के रूप में जाना जाता है।

किसी व्यक्ति, संपत्ति, या स्थान को जबरन लेना या हथियाना। यह एक अपराधिक कार्रवाई है जो भारतीय संविधान में भी उल्लेखित है। अपहरण का उल्लेख धारा 359 (क) में किया गया है, जो अपराधों के विरुद्ध न्याय के अधिकार को सम्पन्न करता है। यहां अपहरण एक व्यक्ति की आजादी को जबरन छीनने या हथियाने के क्रियाओं को सम्मिलित करता है और उसे विधिवत तंत्र से उनकी आजादी का उल्लंघन माना जाता है। भारतीय संविधान के माध्यम से, अपहरण एक गंभीर अपराध माना जाता है और उसका संज्ञान किया जाना चाहिए और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

8.3 अपहरण के प्रकार

1. **नागरिक अपहरण :** नागरिक अपहरण एक अपराधिक कार्य है जहां एक व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता और न्यायाधीशी की निर्णय की अवहेलना के तहत बाधित किया जाता है। इसमें आमतौर पर आरक्षित अधिकारों, स्वतंत्रता, विचारधारा या अन्य व्यक्तिगत मुक्तियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। यह अपहरण व्यक्ति के आंतरिक या बाह्य आराम और मुक्ति को सीमित कर सकता है और उसे अपने स्वतंत्रता की आवश्यकताओं से वंचित कर सकता है।

नागरिक अपहरण एक गंभीर अपराध होता है और समाज में उच्च स्तर के न्यायाधीशी और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध कार्रवाई का कारण बन सकता है। यह संविधान द्वारा निर्धारित मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ करता है और व्यक्ति की व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर असर डाल सकता है।

नागरिक अपहरण के द्वारा, व्यक्ति को उसके अधिकारों और मुक्तियों से वंचित किया जाता है और वह समाज के न्यायाधीशी और संविधानिक संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य नागरिकों को इस अपराधिक प्रथा के विरुद्ध जागरूक करना है और समाज में इसके रोकथाम और न्यायिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।

2. **आतंकवादी अपहरण :** आतंकवादी अपहरण एक घोर अपराध है जिसमें आतंकी संगठन अपनी राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक मांगों की प्राप्ति के लिए विभिन्न तरीकों से लोगों को अपहरित करता है। यह अपहरण आमतौर पर आतंकी संगठन के विचारधारा, राजनीतिक अभियांत्रिकी और नफरत के प्रभाव से प्रेरित होता है। आतंकवादी अपहरण का उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक समूहों को भय में रखना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंक का दबाव बढ़ाना और सरकार को राजनीतिक या आर्थिक दबाव देना होता है।

आतंकवादी अपहरण के प्रकारों में शामिल हो सकते हैं व्यक्तिगत अपहरण, सार्वजनिक अपहरण और प्रशासनिक अपहरण। व्यक्तिगत अपहरण में आतंकवादी संगठन व्यक्ति को लक्ष्य बनाता है और उसे आपातकालीन नकदी या दूसरे स्वरूपों में रंगी धनराशि के बदले में छोड़ देता है। सार्वजनिक अपहरण में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर अपहरित किया जाता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, मंदिर, स्कूल आदि। प्रशासनिक अपहरण में सरकारी कर्मचारियों को अपहरित किया जाता है ताकि आतंकवादी संगठन अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से जबरदस्ती कर सकें।

3. **शिशु अपहरण :** शिशु अपहरण एक गंभीर अपराध है जिसमें नवजात या छोटे बच्चे को अपहरित किया जाता है। यह अपराध आमतौर पर वंशवाद, आय, धर्म, या अन्य सामाजिक मांगों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शिशु अपहरण का उद्देश्य धन, बदले, गोद लेने, धर्म या वंशवाद के प्रभाव में बदलाव लाना आदि हो सकता है।

शिशु अपहरण को अलग–अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये प्रकार निम्नलिखित हो सकते हैं:

- परिवारीय शिशु अपहरण: इसमें अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा शिशु को अपहरित किया जाता है। यह अपहरण सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक मांगों के कारण हो सकता है।
- व्यापारिक शिशु अपहरण: इसमें शिशु को अपहरित करके उसका व्यापार या विक्रय किया जाता है। इसमें बच्चे को नवजात को बेचने की प्रवृत्ति होती है।
- संगठनात्मक शिशु अपहरण: इसमें शिशु को गुटों, धर्मी संगठनों या अपराधिक संगठनों के लिए अपहरित किया जाता है। यह अपहरण बच्चे को उनके प्रयोजनों और आगे के उपयोग के लिए इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति होती है।
- यह तरंग कार्य न्यूनतम दांव प्राथमिकता के बजाय बच्चों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सामाजिक संकट है और सभी सामाजिक अवस्थाओं और व्यवस्थाओं के सहयोग से इसका निवारण करना महत्वपूर्ण है।

4. **साइबर अपहरण :** साइबर अपहरण एक अपराधिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति के शौकिया डेटा, व्यक्तिगत जानकारी, आर्थिक या वित्तीय जानकारी, सामाजिक मीडिया खातों का अनुचित उपयोग करके अपहरित किया जाता है। यह अपराध इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किया जाता है। साइबर अपहरण के माध्यम से अपराधी व्यक्ति विकलांगता, आतंक या आर्थिक नुकसान के लिए मानहानि कर सकता है।

साइबर अपहरण एक गंभीर और आधुनिक अपराध है जिसमें तकनीकी कौशल, आईटी का दुरुपयोग और इंटरनेट का दुरुपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से अपराधी व्यक्ति संकट के दौरान निजी और सार्वजनिक जानकारी का उपयोग करता है और पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ ब्लैकमेल, शोषण, आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित कर सकता है।

साइबर अपहरण के माध्यम से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और व्यक्तिगत संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह अपराध तेजी से बढ़ रहा है और उच्च स्तरीय तकनीकी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है इसे रोकने के लिए।

5. **व्यापारिक अपहरण :** व्यापारिक अपहरण एक अपराधिक प्रक्रिया है जिसमें व्यापारिक सम्पत्ति, धन, वस्तुएं या व्यापारिक जानकारी को अवैध रूप से हथियाया जाता है। इसमें अपराधी व्यक्ति दूसरे व्यापारिक संगठन के साथ अन्यायपूर्ण या अवैध कारोबारी गतिविधियों का सामर्थ्य प्राप्त करता है। इसमें जालसाजी, विशेषज्ञता या अन्य तकनीकी उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि अपराधी व्यक्ति अपराधित व्यापारिक संपत्ति को अवैध रूप से हथिया सके।

व्यापारिक अपहरण के माध्यम से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को आर्थिक नुकसान, उद्योगिक नुकसान और व्यापारिक प्रतिष्ठा का सामना करना पड़ सकता है। इसके फलस्वरूप, उद्योग और व्यापार संघों ने व्यापारिक सुरक्षा के लिए विशेष नीतियाँ और सुरक्षा प्रणालियाँ बनाई हैं ताकि व्यापारिक अपहरण की रोकथाम की जा सके।

8.4 अपहरण के प्रभाव

1. अपहरण का मानसिक प्रभाव

अपहरण का मानसिक प्रभाव व्यक्ति पर गंभीर रूप से पड़ता है। यहां कुछ मानसिक प्रभाव की उदाहरण दिए जा रहे हैं:

- ***भय और चिंता:*** अपहरण के पीड़ित व्यक्ति में भय और चिंता की भावना उत्पन्न होती है। वे अपनी सुरक्षा के बारे में परेशान रहते हैं और निरंतर डर की स्थिति में रहते हैं।

- ***मानसिक तनाव:*** अपहरण के पश्चात पीड़ित व्यक्ति में मानसिक तनाव की स्थिति होती है। वे चिंतित और उदास रहते हैं और अपने रोजगार, परिवार, और अन्य संबंधों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में कमी महसूस करते हैं।

- ***आत्मविश्वास की कमी:*** अपहरण के दौरान और उसके बाद व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है। वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं और स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं।

- ***निराशा:*** अपहरण के बाद पीड़ित व्यक्ति में निराशा की भावना प्रबल होती है। वे आशा की कमी महसूस करते हैं और अपने भविष्य के प्रति निराश हो जाते हैं।

इन सभी मानसिक प्रभावों के कारण पीड़ित व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और वह सामरिक और आधारभूत गतिविधियों में समर्थ नहीं रहता।

2. अपहरण का सामाजिक प्रभाव

अपहरण का सामाजिक प्रभाव व्यापक होता है और समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालता है। यहां कुछ सामाजिक प्रभाव की उदाहरण दिए जा रहे हैं:–

- ***सामाजिक असुरक्षा:*** अपहरण की घटना सामाजिक असुरक्षा के माध्यम से महसूस कराती है कि यह लोगों में डर और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है, जिससे समाज में आपसी विश्वास और साथ मिलजुलकर रहने की क्षमता में कमी आती है।

- ***भारतीय समाज में बदलाव:*** अपहरण की घटना समाज में बदलाव प्रेरित कर सकती है। यह लोगों को व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सकती है और समाज में न्याय, समानता, और सामरिकता की भावना को सुदृढ़ कर सकती है।

- ***परिवार और संबंधों पर प्रभाव:*** अपहरण की घटना परिवार और संबंधों पर भारी प्रभाव डालती है। पीड़ित व्यक्ति के परिवार में चिंता, दुख, और तनाव का एहसास होता है। संबंधों में दूरी और विश्वासघात भी दिखाई देता है।

- ***सामाजिक जागरुकता:*** अपहरण के प्रमुख प्रभाव में से एक सामाजिक जागरुकता है। इसके पश्चात लोग सुरक्षित रहने के लिए सामाजिक संगठनों और अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत को समझते हैं। यह समाज को अपहरण के खिलाफ लड़ाई में सशक्त बनाता है।

ये सामाजिक प्रभाव अपहरण के माध्यम से निकलने वाले हैं और सामाजिक संगठनों, सरकारी नीतियों, और सभी समाज के सदस्यों के सहयोग द्वारा कम किए जा सकते हैं।

3. अपहरण का आर्थिक प्रभाव

अपहरण का आर्थिक प्रभाव व्यापक होता है और इसके कई पहलुओं पर असर पड़ता है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है:

- ***आर्थिक हानि:*** अपहरण करने वाले अपराधियों द्वारा पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। अपहृत व्यक्ति की संपत्ति, व्यवसाय, या कारोबार को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।

- ***व्यापारिक नुकसान:*** अपहरण की घटना व्यापार और वित्तीय संचालन पर असर डालती है। अपहृत व्यक्ति का व्यवसाय या कारोबार अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से अवरुद्ध हो सकता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है और उनकी आर्थिक विकास में रुकावट आ सकती है।

- ***आर्थिक उत्पीड़न:*** अपहृत व्यक्ति पर आर्थिक उत्पीड़न भी हो सकता है, जैसे कि उच्च रकम की फिरौती के लिए उचितता की मांग, छिपाने या लूटने की आर्थिक दबाव, या व्यापारिक अनुचित प्रयासों के माध्यम से। इसके परिणामस्वरूप, अपहृत व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है और वह आर्थिक रूप से अनियंत्रित हो सकता है।

इन प्रभावों के कारण, अपहरण एक आर्थिक मानसिक प्रभाव पैदा करता है जो पीड़ित व्यक्ति और समाज को अस्थिरता और अनिश्चितता की अनुभूति कराता है।

8.5 अपहरण के रोकथाम और सुरक्षा उपाय

अपहरण के रोकथाम और सुरक्षा के लिए कई उपाय अपनाए जाते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं:–

- ***कठोर कानूनों का प्रचार–प्रसार:*** सरकारों को कठोर और सशक्त कानून निर्माण और प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है। अपहरण के खिलाफ कठोर सजाएं और सशक्त दंड प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि अपराधियों को डर और अंदेशा महसूस हो।
- ***पुलिस और सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाना:*** पुलिस और सुरक्षा बलों को अपहरण के खिलाफ सुरक्षा कार्यों में ताकतवर और सक्रिय बनाना चाहिए। उन्हें उच्च स्तर का प्रशिक्षण, तकनीकी साधनों की व्यवस्था और समर्पितता की आवश्यकता होती है।
- ***सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा:*** सामाजिक संगठन, सरकारी अभियांत्रिकी, मीडिया और शिक्षा संस्थानों के माध्यम से जनता को अपहरण के बारे में जागरूक करना चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता के जरिए लोगों को उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूक और सक्रिय बनाया जा सकता है।
- ***तकनीकी उन्नति:*** तकनीकी उन्नति के माध्यम से अपहरण की रोकथाम में सुधार किया जा सकता है। जीपीएस ट्रैकिंग, सुरक्षा कैमरा, एलर्ट सिस्टम जैसी तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षा को मजबूती दी जा सकती है।
- ***संज्ञानात्मक विश्वास:*** अपहरण के खिलाफ लोगों में संज्ञानात्मक विश्वास बढ़ाना चाहिए। लोगों को चेतावनी देनी चाहिए कि संदिग्ध हालात में सतर्क रहें और आवाज उठाएं।

ये उपाय अपहरण की रोकथाम और सुरक्षा को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकारों, संगठनों और सामाजिक समुदायों के संयोजन और सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि अपहरण के खिलाफ संगठित रूप से लड़ाई लड़ी जा सके।

8.6 शोषण का अर्थ

शोषण का अर्थ हिंदी में है– किसी व्यक्ति या समुदाय के ऊपर अत्याचार, निर्ममता, या उत्पीड़न करना। यह एक अपराधिक कार्रवाई है जो भारतीय संविधान में भी उल्लेखित है। शोषण का उल्लेख धारा 14 और 21 में किया गया है, जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मानदंड हैं। इन धाराओं के माध्यम से, शोषण को एक उल्लंघन और अपराध माना जाता है और यहां व्यक्ति और समाज के सभी अधिकारों के साथ उनकी मानवीय गरिमा को भी बचाने का प्रयास किया जाता है। शोषण संविधान में प्रतिबंधित होता है और उसका संज्ञान किया जाना चाहिए, और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यह उन्नति, समानता, और न्याय के मूल सिद्धांतों के साथ मेल खाता है और समाज के सभी सदस्यों को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराने का प्रयास करता है।

8.7 शोषण के प्रकार

1. शारीरिक शोषण:

शारीरिक शोषण एक प्रकार का शोषण है जिसमें व्यक्ति या समुदाय के शारीरिक स्वास्थ्य और अधिकारों का उत्पीड़न या अत्याचार किया जाता है। यह विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे कि:–

- ***शारीरिक हमला:*** इसमें व्यक्ति के शरीर के खिलाफ विभिन्न प्रकार के हमले और उत्पीड़न शामिल होते हैं, जैसे मारपीट, हानि पहुँचाना आदि।
- ***शारीरिक अत्याचार:*** इसमें व्यक्ति के शरीर के अंगों और शारीरिक परिधियों के साथ छेड़खानी, चोट या उत्पीड़न शामिल होता है। यह शारीरिक अहंकार और उत्पीड़न का रूप ले सकता है।
- ***शारीरिक दंड:*** इसमें व्यक्ति को शारीरिक दंड देना शामिल होता है, जैसे कि दारू नशे में धकेलना, अग्निसंयम करना, शारीरिक चोट, दंड करना आदि।
- ***हानि पहुँचाना:*** इसमें व्यक्ति के शरीर के साथ मौखिक शोषण, यानी छाती पर जुबान रखना, शर्त रखना, निन्दा करना, या अपमानित करना शामिल होता है।

शारीरिक शोषण व्यक्ति या समुदाय के शारीरिक सुरक्षा, आत्मसम्मान, और अधिकारों को प्रभावित करता है। यह उत्पीड़न का रूप ले सकता है और उसके परिणामस्वरूप सामाजिक, मानसिक, और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकता है।

2. **मानसिक शोषण :** मानसिक शोषण एक प्रकार का शोषण है जहां व्यक्ति या समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य पर अनुचित प्रभाव डाले जाते हैं। यह शोषण मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता, भय और अन्य मानसिक समस्याओं के रूप में दिख सकता है। इसमें निम्नलिखित प्रकार का शोषण शामिल हो सकता है:

   - ***मानसिक अत्याचार*** इसमें व्यक्ति या समुदाय को मानसिक रूप से अपमानित किया जाता है। इसमें निर्माणशील टिप्पणियों, घृणा या जबरदस्ती के माध्यम से मानसिक अस्वस्थता को प्रभावित किया जाता है। निराशाः इसमें व्यक्ति या समुदाय को निराशा का अनुभव कराया जाता है। यह उन्हें उनके कार्यों या प्रयासों की महत्वता को नकारने और निराशा में डालने की कोशिश करता है।
   - ***भय और दबाव:*** इसमें व्यक्ति या समुदाय को भय और दबाव का अनुभव कराया जाता है। यह उन्हें उनके अधिकारों या स्वतंत्रता को चुनौती देकर उनकी मानसिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।

मानसिक शोषण का प्रभाव व्यक्ति या समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है और उन्हें उनकी सकारात्मकता, आत्मविश्वास और स्वाभाविक विकास से वंचित कर सकता है।

3. **सामाजिक शोषण :** सामाजिक शोषण एक प्रकार का शोषण है जहां व्यक्ति या समुदाय को सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताओं, नियमों और आचारों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। इसमें व्यक्ति या समुदाय को उनकी आजीविका, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सम्मान से वंचित किया जाता है। यह शोषण सामाजिक अंतरालों, जातिवाद, अशिक्षा, गरीबी, असामानता और अन्य सामाजिक दुर्गतियों के कारण हो सकता है।

सामाजिक शोषण के कुछ मुख्य प्रकार हैं:–

   - ***जातिवादी शोषण:*** जहां व्यक्ति या समुदाय को उनकी जाति, जातीय मान्यताओं और सामाजिक अंतरालों के आधार पर शोषित किया जाता है। यह शोषण जातिवाद की समस्याओं, जैसे जाति अस्मिता, जाति अनुपात और जाति के आधार पर असंतुलन को प्रभावित करता है।
   - ***अशिक्षाजनित शोषण:*** जहां व्यक्ति या समुदाय को उनकी अशिक्षा, शिक्षा के अभाव या प्रभावहीनता के कारण शोषित किया जाता है। यह शोषण शिक्षातंत्र में कमी, जिसके कारण लोगों को विकास, रोजगार और स्वतंत्रता की अवसरों से वंचित किया जाता है।
   - ***आर्थिक शोषण:*** जहां व्यक्ति या समुदाय को उनकी आर्थिक स्थिति, गरीबी, मजदूरी अधिकार और संपत्ति के अभाव के कारण शोषित किया जाता है। यह शोषण आर्थिक विकास और आर्थिक समानता को प्रभावित करता है।

4. **आर्थिक शोषण:** आर्थिक शोषण एक प्रकार का शोषण है जहां व्यक्ति या समुदाय को उनकी आर्थिक स्थिति, आय, संपत्ति और आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण शोषित किया जाता है। इसमें व्यक्ति या समुदाय को सक्षमता से वंचित किया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती, स्वावलंबन और विकास की अवसरों से वंचित किया जाता है। आर्थिक शोषण के कारण गरीबी, उच्च आर्थिक असामानता, व्यापारिक शोषण, कर्ज, अनुचित अधिग्रहण और अनुचित व्यापारिक आचरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

आर्थिक शोषण के प्रमुख कारकों में श्रमिकों के अधिकारों की अवहेलना, कार्य स्थानों में अनुचित वेतन और श्रम संबंधी अत्याचार, संगठन और अधिकृतों की भ्रष्टाचार, अधिकारिक प्रवर्तन और न्यायिक केसों की देरी, बच्चों और महिलाओं के श्रमिकों के उपयोग में शोषण, और आर्थिक संपत्ति और संपत्ति का न्यायसंगत वितरण की कमी शामिल होती है। यह शोषण समाज में आर्थिक असमानता और उच्च आर्थिक असामानता को बढ़ावा देता है और गरीबी को बढ़ाता है।

आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ाई में आर्थिक समानता, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, संगठन करने का अधिकार, न्यायसंगत नियमों और कानूनों की पालना, और उच्च आर्थिक असामानता की कमी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5. **राजनीतिक शोषण** : राजनीतिक शोषण एक प्रकार का शोषण है जिसमें शक्तियों और अधिकारों का दुरुपयोग करके व्यक्ति या समुदाय को शासनिक या राजनीतिक तत्वों द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है। यह तत्वों के द्वारा विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे कि:–

- ***निर्वासित करना:*** राजनीतिक शोषण का एक प्रकार है जहां व्यक्ति या समुदाय को उनके स्थान से बाहर निकाल दिया जाता है। इसका उदाहरण निर्वासित करने के लिए जोरदारी, अनुचित कानूनी कार्रवाई या परेशानी या भय के कारण किया जा सकता है।
- ***दबाव डालना:*** इसमें व्यक्ति या समुदाय पर राजनीतिक दबाव डाला जाता है, जहां उन्हें अनुचित फायदे के लिए मजबूर किया जाता है या उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है।
- ***वोट बंदोबस्त:*** राजनीतिक शोषण का एक और रूप है जब व्यक्ति या समुदाय के वोट को अनुचित तरीके से नियंत्रित किया जाता है। इसके माध्यम से उन्हें राजनीतिक फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है।

राजनीतिक शोषण के द्वारा व्यक्ति या समुदाय के अधिकारों, स्वतंत्रता और स्वाभिमान को प्रभावित किया जाता है, और इससे उन्हें विकास और सकारात्मकता की राह आगे बढ़ने में बाधा होती है।

8.8 शोषण के प्रभाव

1. शोषण का सामाजिक प्रभाव

शोषण का प्रभाव सामाजिक स्तर पर व्यापक होता है और इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन निम्नलिखित है:–

- ***सामाजिक असमानता:*** शोषण व्यक्ति या समुदाय के साथ असामानता को बढ़ाता है। यह व्यक्तियों और समुदायों के बीच सामाजिक विभेद को मजबूत करता है और समाज में तनाव और संघर्ष का कारण बनता है।
- ***सामाजिक अपनत्व की अभाव:*** शोषण के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति या समुदाय के साथी, परिवार, और समाज के सहयोग की आवश्यकता अपने विपरीत हो जाती है। इससे उनका संघर्ष बढ़ जाता है और सामाजिक समरसता और एकता के प्रति क्षय होता है।
- ***मानसिक संतुलन की कमी:*** शोषण व्यक्ति के मानसिक स्तर पर गंभीर प्रभाव डालता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास, स्वाभिमान, और सम्मान की कमी होती है और वह चिंता, डर, तनाव और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करता है।
- ***सामाजिक और आर्थिक प्रगति में रुकावट:*** शोषण व्यक्ति या समुदाय के संसाधनों को छीन लेता है और उन्हें समाजिक और आर्थिक विकास से वंचित करता है। यह समाज के प्रगति में रुकावट पैदा करता है और उच्चतर स्तर पर विकास और समृद्धि को हानि पहुँचाता है।

इन सामाजिक प्रभावों के कारण, शोषण को समाज की सभ्यता, न्याय, और मानवीयता के खिलाफ मान्यता दी जाती है। सामाजिक विकास और समृद्धि के लिए शोषण के खिलाफ लड़ाई और उचित उपायों की अपनाना आवश्यक होता है।

2. शोषण का मानसिक प्रभाव

शोषण का मानसिक प्रभाव व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्तर पर गहरा होता है। शोषण के पीड़ित व्यक्ति पर निम्नलिखित मानसिक प्रभाव हो सकते हैं:–

- ***आत्मविश्वास की कमी:*** शोषित व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। उन्हें अपनी क्षमताओं और मूल्यों पर विश्वास नहीं होता है और वे अपने आप को कमजोर और असमर्थ महसूस करते हैं।
- ***मानसिक तनाव:*** शोषण के परिणामस्वरूप व्यक्ति में मानसिक तनाव बढ़ जाता है। उन्हें निरंतर चिंता, तनाव, और चिंताजनक विचारों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

- ***निराशा और अवसाद:*** शोषित व्यक्ति में निराशा और अवसाद की स्थिति हो सकती है। वे अपने जीवन के प्रति उत्साह और रुचि खो सकते हैं और उन्हें अपने भविष्य के संबंध में आशावादी भावनाएं नहीं आती हैं।
- ***स्वाभिमान की कमी:*** शोषण से पीड़ित व्यक्ति का स्वाभिमान कम हो जाता है। वे अपने आप में सम्मान और महत्व की कमी महसूस करते हैं और उन्हें अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का भरोसा नहीं होता है।
- ***सामाजिक और संबंधित प्रभाव:*** शोषित व्यक्ति का सामाजिक और संबंधित मानसिक प्रभाव भी होता है। वे संबंधों में आपातकालीनता, विश्वासहीनता, और संदेह का अनुभव कर सकते हैं, जिससे उनके साथी, परिवार और समाज के संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

शोषण का मानसिक प्रभाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास, तनाव, और सामाजिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डालता है। शोषण के प्रति जागरूकता और उचित संवेदनशीलता, इस मानसिक प्रभाव को कम करने और पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

3. शोषण का आर्थिक प्रभाव

शोषण का आर्थिक प्रभाव व्यक्ति और समाज के आर्थिक पक्षों पर प्रभाव डालता है। निम्नलिखित आर्थिक प्रभाव शोषण के उदाहरण हैं:

- ***आर्थिक हानि:*** शोषित व्यक्ति को अपने आर्थिक संसाधनों और योग्यताओं से वंचित कर दिया जाता है। उनके संपत्ति, आय, और रोजगार को प्रभावित किया जाता है, जिससे उनका आर्थिक स्थिति कमजोर होती है।
- ***व्यापार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:*** शोषण के कारण व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शोषण से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिससे न्यायाधीशों और न्यायिक प्रक्रियाओं का आदान–प्रदान प्रभावित होता है। इससे आर्थिक संरचना और व्यापारिक माहौल पर असर पड़ता है।
- ***सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव:*** शोषण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को भी प्रभावित करता है। शोषण के कारण समाज में न्याय की कमी होती है और व्यक्ति की समाज में स्थिति और महत्ता पर असर पड़ता है। शोषित व्यक्ति का समाज में आर्थिक और सामाजिक उच्चता से वंचित होने का कारण बनता है।

शोषण का आर्थिक प्रभाव समाज के विभिन्न पहलुओं पर होता है और उसे कम करने के लिए न्यायिक, सामाजिक, और आर्थिक उपायों की आवश्यकता होती है।

8.9 कानूनी और सहायता प्रणाली

अपहरण और शोषण दोनों गंभीर अपराध हैं और उन्हें कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित कानूनी प्रदान हैं जो अपहरण और शोषण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनाए जाते हैं:

- *भारतीय दण्ड संहिता, 1860 :* भारतीय दण्ड संहिता अपहरण और शोषण जैसे अपराधों के लिए सजा प्रदान करती है। इसमें अपहरण (संग्रहण) के अन्तर्गत अनेक अधिनियम शामिल हैं, जैसे आईपीसी धारा 359 से 369। यहां शोषण (त्रासदी) के लिए भी अधिनियम शामिल हैं, जैसे आईपीसी धारा 370 से 372।
- *नारी तथा बाल विकास एवं संरक्षण अधिनियम, 2000 :* इस अधिनियम के तहत, बाल अपहरण और शोषण के खिलाफ कार्यवाई की जाती है। यह अधिनियम बाल सुरक्षा और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
- *विश्वासघात और स्त्री अत्याचार (प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा किए गए अपराध) अधिनियम, 2013 :* इस अधिनियम के तहत, विश्वासघात और स्त्री अत्याचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। यह अधिनियम संगठनों और संस्थाओं को अपहरण और शोषण के खिलाफ संगठित रूप से लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इन कानूनी प्रदानों का उपयोग करके समाज सुरक्षित रह सकता है और अपहरण और शोषण के खिलाफ न्यायाधीनता सुनिश्चित की जा सकती है।

8.10 सारांश

"अपहरण और शोषण" के बारे में पाठन करने के बाद, हमारा निष्कर्ष यह है कि यह गंभीर सामाजिक समस्या है जिसका मानवीय, सामाजिक और मानसिक प्रभाव बहुत अधिक होता है। किडनैपिंग और शोषण की परिभाषा, अर्थ और अवधारणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हमें अपहरण और शोषण के कारण, प्रभाव और पीड़ितों पर इसका असर समझने में मदद मिलती है। इसके साथ ही हमें भूमिकाओं की जांच करने का अवसर मिलता है जो अपहरण और शोषण के पीछे स्थित होती हैं। इसके लिए कानूनी और सामाजिक उपायों की जरूरत होती है जो इस मामले में रोकथाम और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। संबंधित संगठनों, सरकारी नीतियों और सार्वजनिक समुदायों की सहयोग और संयोजन भी आवश्यक हैं ताकि अपहरण और शोषण के खिलाफ लड़ाई में सफलता मिल सके।

8.11 पारिभाषिक शब्दवाली

अपहरण– किसी व्यक्ति,सम्पति या स्थान को जबरन लेना या हथियाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

शोषण– किसी व्यक्ति या समुदाय के ऊपर अत्याचार, निर्ममता या उत्पीड़न करना शोषण कहलाता है।

अभ्यास प्रश्न – लघु, विस्तृत

लघु उत्तरीय प्रश्नः

- अपहरण और शोषण क्या है?
- अपहरण और शोषण किसे कहते हैं?
- अपहरण और शोषण के कारण क्या हो सकते हैं?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्नः

- अपहरण और शोषण किस तरह महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करते हैं? इसके प्रमुख आयाम क्या हैं?
- अपहरण और शोषण को रोकने के लिए क्या कानूनी और सामाजिक उपाय हैं? इन उपायों का प्रभावकारी होने के लिए क्या सुनिश्चित किया जा सकता है?

8.12 संदर्भ– ग्रंथ सूची

- "अपहरण और शोषणः भारतीय समाज में एक खतरनाक समस्या" लेखक रवींद्र कुमार
- "अपहरण और शोषणः भारतीय मानसिकता का अंधकार" लेखक निधि सिंह
- "अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" लेखक डॉ ना वि परांजपे सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन
- "अपराधशास्त्र, दंण्डशास्त्र एवं पीड़ितशास्त्र" लेखक एम के तिवारी, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी

इकाई–9 महिला श्रमिकों की स्थिति

इकाई की रूपरेखा

9.0 इकाई का उद्देश्य
9.1 परिचय
9.2 महिला कार्यकर्ताओं का अर्थ
9.3 सुरक्षात्मक प्रावधान
9.4 महिला कार्यकर्ताओं की समस्याएं
9.5 सारांश
9.6 पारिभाषिक शब्दावली
अभ्यास प्रश्न–लघु विस्तृत
9.7 संदर्भ–ग्रंथ सूची

9.0 इकाई का उद्देश्य

महिला कार्मिकों की स्थिति के बारे में अध्ययन के उद्देश्य

- महिला कार्मिकों की स्थिति के बारे में अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है महिलाओं के कार्यस्थल पर उनकी स्थिति, समस्याएं, चुनौतियाँ, और उनके सामरिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की जांच करना।
- यह अध्ययन महिला कार्मिकों के लिए न्यायपूर्ण श्रमिक शर्तें, समान वेतन, विकास और प्रोत्साहन की व्यापक जागरूकता करने का उद्देश्य रखती है।
- महिला कार्मिकों की स्थिति के बारे में अध्ययन का उद्देश्य उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुरक्षा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, करियर विकास, और महिलाओं के परिवारों की प्रगति की सुनिश्चितता करना होता है।
- इस पढ़ाई के माध्यम से महिला कार्मिकों के साथ व्यापारी, नियोजक, अधिकारियों और सामाजिक संगठनों को जागरूक करने का उद्देश्य होता है ताकि उन्हें बेहतरीन कार्यस्थल और न्यायपूर्ण अवसर मिल सकें।
- इस पढ़ाई के माध्यम से हमें महिला कार्मिकों की स्थिति में सुधार के लिए नई नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों की आवश्यकता की पहचान होती है। इससे महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानित और समान अवसरों की प्राप्ति के लिए सामरिक संघर्ष करने की आवश्यकता और महत्व स्पष्ट होता है।

9.1 परिचय

महिला कार्मिकों की स्थिति एक महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय है जिसके माध्यम से हम महिलाओं के कार्यस्थल पर अनुभव कर रहे समस्याओं, चुनौतियों और मुद्दों को समझ सकते हैं। इस विषय के अध्ययन से हम महिलाओं के शोषण, वेतनतंत्र, समानता, अवसरों की संग्रहीता और कार्य–परिवार संतुलन जैसे मुद्दों को उजागर कर सकते हैं।

यह विषय महिला कार्मिकों की उन्नति, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, करियर विकास, समान वेतन, महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भागीदारी, जेंडर संबंधित आदान–प्रदान और महिला शक्तिकरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अलावा, यह विषय भी हमें महिला कार्मिकों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में संशोधन और सुधार की आवश्यकता को समझने में मदद करता है।

इस अध्ययन के माध्यम से हम समाज को जागरूक कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं और न्याय के लिए आवाज उठा सकते हैं ताकि महिला कार्मिकों को समानता, सम्मान और न्यायपूर्ण आवस्था प्राप्त हो सके। इस अध्ययन के माध्यम से हमें समाज की दृष्टि में महिला कार्मिकों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दिला सकते हैं और महिलाओं की समर्पण और सामरिक रूप से उनकी प्रगति को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

9.2 महिला कार्यकर्ताओं का अर्थ

महिला कर्मिकों का अर्थ है वे महिलाएं जो समाज में रोजगारी के रूप में काम करती हैं। यह महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और स्वावलंबन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। महिला कर्मिकों की संख्या में वृद्धि का अर्थ समाज में सामान्य बदलाव की प्रक्रिया के रूप में होता है।

महिला कर्मिकों का योगदान सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्तर पर महत्वपूर्ण है। वे अपनी समर्पण, सामरिकता, नौकरी में समय–सामयिकता, उद्यमीता और कुशलता के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा सकती हैं। महिला कर्मिकों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार उन्हें स्वावलंबी बनाकर उनकी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है।

महिला कर्मिकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका उनके परिवार में भी होती है। वे आर्थिक आधार प्रदान करके अपने परिवारों का सहारा बनती हैं। महिलाएं अक्सर शिक्षा और आवास के लिए बचत करती हैं, जो परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा और स्वावलंबन की संकेतिका होती है।

समाज में महिला कर्मिकों के अवसरों की विस्तारपूर्वक उपलब्धता, न्यायपूर्ण वेतन और उचित श्रमिक सुरक्षा का सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। महिलाओं को समान वेतन, कार्य संबंधित सुविधाएं, सुरक्षा और अवसरों का समान अधिकार होना चाहिए। इसके लिए सामाजिक संरचना, कानूनी और नीतिगत प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है जो महिला कर्मिकों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन करती है।

महिला श्रम के बारे में

महिलाएं भारतीय कार्यबल का एक अभिन्न अंग हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 2001 में 25.63 प्रतिशत थी। यह 1991 में 22.27 प्रतिशत और 1981 में 19.67 प्रतिशत की तुलना में वृद्धि है। जहां महिला श्रम भागीदारी दर में वृद्धि रही है, वहीं यह पुरुष श्रम भागीदारी दर की तुलना में लगातार उल्लेखनीय रूप से कम होती जा रही है। 2001 में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम भागीदारी दर 30.79 प्रतिशत थी वहीं शहरी क्षेत्रों में 11.88 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाएं मुख्य रूप से कृषि कार्यों में शामिल होती हैं। शहरी क्षेत्रों में, लगभग 80 प्रतिशत महिला श्रमिक संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं जैसे घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार और सेवाएं, तथा भवन निर्माण। 2004–05 के दौरान देश में कुल श्रम–शक्ति का अनुमान 455.7 मिलियन लगाया गया है जो विभिन्न राज्यों के लिए एम्प्लॉमेंट एवंम् अनएम्प्लायमेंट और जनसंख्या विस्तार पर एनएसएस 61वां राउंड सर्वे पर आधारित है। महिला श्रमिकों की संख्या 146.89 मिलियन थी या कुल श्रमिकों का केवल 32.2 प्रतिशत थी। इन महिला श्रमिकों में लगभग 106.89 मिलियन या 72.8 प्रतिशत कृषि कार्य करती थी यहां तक कि पुरुष श्रमिकों में उद्योग की भागीदारी केवल 48.8 प्रतिशत था। ग्रामीण श्रम–शक्ति में उद्योग की कुल भागीदारी लगभग 56.6 प्रतिशत थी।

9.3 महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान

महिला श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक प्रावधान हैं:

सुरक्षा स्वास्थ्य उपाय

- फैक्ट्री ऐक्ट (कारखाना अधिनियम), 1948 का सेक्शन (खंड) 22(2) के अनुसार किसी भी महिला को प्राइम मूवर (मूल गति उत्पादक) या किसी भी ट्रांसमिशन मशीनरी के किसी भी भाग की सफाई, ल्युब्रिकेट या समायोजित करने की अनुमति नहीं होगी जब प्राइम मूवर ट्रांसमिशन मशीनरी गति में होता है, अथवा मशीन के किसी भी भाग की सफाई, ल्युब्रिकेट या समायोजित करने की अनुमति नहीं होगी यदि सफाई, ल्युब्रिकेशन अथवा समायोजन के कारण महिला को उस मशीन से अथवा आसपास के मशीन से घायल होने का खतरा हो।
- फैक्ट्री ऐक्ट (कारखाना अधिनियम) 1984, सेक्शन 27, द्वारा कॉटन प्रेसिंग के लिए जिसमें कॉटन ओपनर काम कर रहा होता है, कारखाने के किसी भी भाग में महिला श्रम को प्रतिबन्धित किया गया है।

रात्रि में कार्य निषेध

- फैक्ट्री ऐक्ट (कारखाना अधिनियम) 1948, सेक्शन (खंड) 66(1)(बी), के अनुसार किसी भी महिला को किसी भी कारखाने में 6 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे के बीच के समय के अलावा काम करने की अनुमति नहीं है।
- बीड़ी और सिगार वर्कर (रोजगार की शर्तें) ऐक्ट 1966, सेक्शन (धारा) 25 के अनुसार किसी भी महिला को 6 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे के बीच के समय के अलावा औद्योगिक परिसर में काम करने की अनुमति नहीं है।
- माइंस ऐक्ट (खान अधिनियम) 1952, सेक्शन 46(1)(बी) महिलाओं को किसी भी जमीन के ऊपरी खदान में 6 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे के बीच के समय के अलावा काम करने की अनुमति नहीं है।

भूमिगत कार्य का निषेध

- माइंस ऐक्ट (खान अधिनियम) 1952, सेक्शन 46(1)(बी) जमीन के नीचे के खान के किसी भी भाग में महिला श्रम को प्रतिबन्धित करता है।

मेटर्निटी बेनिफिट (प्रसूति – लाभ)

- मेटर्निटी बेनिफिट ऐक्ट 1961, बच्चे के जन्म से पहले और बाद में निश्चित प्रतिष्ठानों में निश्चित अवधि के लिए महिला श्रम को नियंत्रित करता है और मातृत्व लाभ प्रदान करता है। भवन एवं अन्य कंस्ट्रक्शन (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 महिला लाभार्थी को मातृत्व लाभ के लिए वेलफेयर फंड (कल्याण निधि) प्रदान करता है।

महिला श्रमिकों के लिए अलग शौचालय और पेशाबघर का प्रावधान

महिला श्रमिकों के लिए अलग शौचालय और पेशाबघर का प्रावधान जो निम्नलिखित के अंतर्गत आता है:

- कॉन्ट्रेक्ट लेबर (विनियमन एवं उन्मूलन) ऐक्ट, 1970 का नियम 5
- फैक्ट्री ऐक्ट (कारखाना अधिनियम), 1948 की धारा 19।
- इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन (इंटर स्टेट प्रवासी कर्मकार) (आरईसीएस) सेंट्रल रूल्स (केन्द्रीय नियम), 1980 का नियम 42।

अलग धोने की (वॉशिंग) सुविधा का प्रावधान

महिला श्रमिकों के लिए अलग धोने की (वॉशिंग) सुविधा का प्रावधान जो निम्नलिखित के अंतर्गत आता है:

- कॉन्ट्रेक्ट लेबर (विनियमन एवं उन्मूलन) ऐक्ट, 1970 का सेक्शन (धारा) 57।
- फैक्ट्री ऐक्ट, 1948 का सेक्शन (धारा) 42।
- इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन (इंटर स्टेट प्रवासी कर्मकार) (आरईसीएस) ऐक्ट, 1979 का सेक्शन(धारा) 43।

क्रेच का प्रावधान

क्रेच का प्रावधान जो निम्नलिखित के अंतर्गत आता है:–

- माइंस ऐक्ट (खान अधिनियम) 1952 का सेक्शन (धारा) 20।
- फैक्ट्री ऐक्ट (कारखाना अधिनियम), 1948 का सेक्शन (धारा) 48।
- इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन (आरईसीएस) अधिनियम, 1979 का सेक्शन (धारा) 44।
- प्लांटटेशन लेबर एक्ट (बागान श्रम अधिनियम), 1951 का सेक्शन (धारा) 9।
- बीड़ी और सिगरेट वर्कर (रोजगार की शर्तें) अधिनियम 1966, का सेक्शन (धारा) 25।

- बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन (भवन एवं अन्य कंस्ट्रक्शन) (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 का सेक्शन 35।

9.4 महिला कार्यकर्ताओं की समस्याएं

1) **शैक्षणिक समस्यायें :** भारत में नगरों की तुलना में गाँवों में स्त्री साक्षरता बहुत कम है। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत एवं अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या तो और भी कम है। स्त्रियों को शिक्षा न दिलाने का कारण पर्दाप्रथा और स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता एवं उनका कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित होना है।

(2) **सामाजिक समस्या :** परिवार एवं विवाह से सम्बन्धित समस्या परम्परावादी भारतीय समाज महिलाओं के साथ परिवार में दोयम दर्जे के नागरिक की भाँति व्यवहार का पक्षधर है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा होती है। वे दासी की तरह जीवन व्यतीत करती हैं। उसे सास, ननद के उलाहने, गालियों एवं प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। परिवार की भाँति ही भारतीय स्त्रियों की वैवाहिक समस्यायें भी गम्भीर है। विवाह से सम्बन्धित उनकी प्रमुख समस्यायें निम्नलिखित हैं

- बाल–विवाह–प्राचीन समय से भारत में बाल–विवाह का प्रचलन रहा है। कम आयु में ही लड़की का विवाह कर देना माता–पिता का धार्मिक कर्तव्य माना गया है। आज भी ग्रामों में ऐसे विवाह बहुत सम्पन्न होते हैं। बाल विवाह के दुष्परिणाम बुरे स्वास्थ्य, अकाल मृत्यु, वैधव्य के रूप में महिलाओं को ही भुगतने पड़ते हैं।
- विधवा–पुनर्विवाह का अभाव–हिन्दुओं में पत्नी की मृत्यु के बाद पति को तो दूसरा विवाह करने की छूट दी गई है किन्तु स्त्रियों को पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने की मनाही है। विधवा स्त्री अच्छा भोजन नहीं कर सकती। उसके भोजन में मीठे, चटपटे, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक तत्वों के स्थान पर सादी वस्तुएँ मात्र होनी चाहिए। शुभ कार्यों में विधवाओं की उपस्थिति अशुभ मानी जाती है। विधवा महिला को शारीरिक, मानसिक यातनायें, कठोर जीवन, समाज की उपेक्षा, कटुवचन भी सहने पड़ते हैं।
- दहेज–वर्तमान में दहेज एक गम्भीर समस्या बनी हुई है दहेज की समस्या के कारण ही अनेक क्षेत्रों में बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। जलाने, मार डालने की घटनायें होती हैं दहेज के कारण लड़कों के मोल भाव होते हैं और जो ऊँची बोली लगाता है उसे ही अच्छा वर मिल जाता है। दहेज ने ही बालिका वध, पारिवारिक विघटन, ऋणग्रस्तता, निम्न जीवन स्तर, बहुपत्नी प्रथा, बेमेल विवाह, अपराध, अनैतिकता, भ्रष्टाचार एवं अनेक मानसिक बीमारियों को जन्म दिया है।
- तलाक की समस्या परम्परागत हिन्दू समाज में जन्म–जन्मांतर के वैवाहिक बंधन में विश्वास के कारण महिलाओं को पुरुष द्वारा अन्याय और अत्याचार सहन करने के बाद भी तलाक न लेने की नसीहत दी जाती है। तलाक किन्हीं भी कारणों से हो तलाकशुदा स्त्री को तलाक के बाद उपेक्षा की नजर से देखा जाता है। तलाक के बाद उससे आसानी से कोई विवाह भी नहीं करता। वह अकेलेपन का जीवन जीने, समाज में कुदृष्टि से देखे जाने तथा अनावश्यक छींटाकशी का शिकार होती है।
- वेश्यावृत्ति–गरीबी, धन की लालसा, दहेज, बाल–विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर मनाही इत्यादि कारणों से भारत में वेश्यावृत्ति की समस्या महिलाओं के लिए बंद समाज की मानसिकता के कारण गम्भीर होती जा रही है।
- पर्दा प्रथा–भारतीय स्त्रियों की एक बड़ी समस्या पर्दा प्रथा भी है। स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घूघट निकाले और अन्य पुरुषों से दूरी बरते। उनके सामने खुले मुंह बात न करें। पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, वे शिक्षा ग्रहण करने एवं अर्जन करने से वंचित रह जाती हैं तथा स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

(3) **समानता और सामंजस्य की समस्या :** भारतीय समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण महिलाओं को अनेक वैधानिक प्रयत्नों के बावजूद समानता का दर्जा नहीं मिल पाया। घर–परिवार, कार्य की दशाओं, दैनिक मजदूरी इत्यादि के अनेक क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता । शिक्षित स्त्रियों में घर एवं बाहर के कार्यों में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। वह भूमिका द्वन्द्व में फँसी हुई है। घर की परम्परागत भूमिका तथा कार्यालय की समय की पाबंदी और कार्यालयीन कार्य की भूमिका से सामंजस्य नहीं बैठा पाती।

(4) **स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या :** भारत में यद्यपि स्त्री एवं पुरुष दोनों की औसत आयु में वृद्धि हुई है फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जीवन अवधि सदैव ही कम रही है। असमान लिंगानुपात, स्त्रियों की औसत आयु में कमी एवं मृत्यु–दर की अधिकता के लिए बाल विवाह, प्रसवकाल में स्त्रियों की मृत्यु, स्त्रियों की आर्थिक परनिर्भरता, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देना, कुपोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आदि उत्तरदायी है।

(5) **आर्थिक समस्यायें :** भारतीय नारियों की समस्यायें उनकी गरीबी, आर्थिक पराश्रितता एवं शोषण से जुड़ी हुई हैं। अधिकांशतः महिलायें कृषि कार्य से ही सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त वे खनन, पशुपालन एवं श्रमिक कार्य में लगी हुई हैं। उच्च पदों पर आसीन स्त्रियाँ तो गिनती की हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, पुरुषों पर निर्भरता, अज्ञानता, पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता आदि कारणों से स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर तक ही सीमित है और वे अक्सर कमाने के लिये बाहर नहीं जाती । फलस्वरूप उन्हें अपने भरण–पोषण तक के लिये पुरुष की ओर देखना होता है। वह स्वावलम्बी नहीं हो पाती है।

9.5 सारांश

महिला कर्मचारियों की स्थिति पर अध्ययन करके पायी गई जानकारी के आधार पर यहां निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा रहा है:

महिला कर्मचारियों की स्थिति आजकल के समय में अब तक बड़े संशोधन और सुधार की आवश्यकता है। उच्च स्तर पर शिक्षा, व्यावसायिक तकनीक, और समर्पितता की आवश्यकता है ताकि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सकें। सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों को महिलाओं के समर्पित कामगारों के हकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए निरंतर कदम उठाने चाहिए। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, कानूनी सुरक्षा, और समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वे स्वतंत्रता, सम्मान, और उन्नति के साथ अपने पेशेवर जीवन को आगे बढ़ा सकें। महिला कर्मचारियों की स्थिति में सुधार सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की एक मानवीय आवश्यकता है और समाज के सभी वर्गों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है।

9.6 पारिभाषिक शब्दवाली

महिला कार्यकर्ता– वे महिलाएं जो समाज में रोजगारपरक के रूप में कार्य करती है। यह सशक्तिकरण तथा स्वालंबन का सूचक माना जाता है।

अभ्यास प्रश्न – लघु, विस्तृत

लघु उत्तरीय प्रश्न

- महिला कर्मचारियों की स्थिति क्या है?
- महिला कर्मचारियों की स्थिति में सुधार के लिए कौन–कौन से कदम उठाए जाने चाहिए?
- कौन सी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों की स्थिति खास तौर पर पीड़ित होती है?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

- महिला कर्मचारियों की स्थिति के कारणों पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
- महिला कर्मचारियों की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी और गैर–सरकारी उपायों को विश्लेषण कीजिए।

9.7 संदर्भ– ग्रंथ सूची

- "महिला कामगारों की समस्याएं और समाधान" लेखक रचना गुप्ता
- "महिला श्रमिकों की समस्याएं और संघर्ष" लेखक जया सिंह
- "महिला कर्मियों के अधिकार और सुरक्षा" लेखक रिता शर्मा
- "महिला श्रमिकों की स्थिति और उनकी समस्याएं" लेखक सुषमा मिश्रा

इकाई–10 परिवार परामर्श केन्द्र

इकाई की रूपरेखा

10.0 इकाई का उद्देश्य
10.1 परिचय
10.2 परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएं
10.3 परिवार परामर्श केन्द्र के कार्य
10.4 परिवार परामर्श के केन्द्र के प्रकार
10.5 परिवार परामर्शदाता के कौशल
10.6 सारांश
10.7 पारिभाषिक शब्दावली
अभ्यास प्रश्न–लघु विस्तृत
10.8 संदर्भ–ग्रंथ सूची

10.0 इकाई का उद्देश्य

परिवार परामर्श केंद्र के अध्ययन के उद्देश्य हैं:

- परिवारों को सही और सकारात्मक संबंधों की संचालन और बनाए रखने में सहायता करना।
- परिवारों के सदस्यों को सही ज्ञान और संचार कौशल प्रदान करके संबंधों को मजबूत और सुखद बनाना।
- पारिवारिक समस्याओं को पहचानना, उनके कारणों को समझना और उनके समाधान के लिए समर्थन प्रदान करना।
- संबंधों में विश्वास और समझौता बढ़ाने के लिए पारिवारिक परामर्श करना।
- पारिवारिक संकट स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक परिवार को आराम और सहायता प्रदान करना।
- पारिवारिक संघर्षों, संबंधों में तनाव, विवाह संबंधी मुद्दों और बच्चों के पालन–पोषण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।
- संबंधों में संतुलन और स्वस्थ परिवारिक जीवन को प्रोत्साहित करना।
- पारिवारिक संघर्षों के संबंध में जनचेतना बढ़ाना और परिवार को स्वतंत्र और समृद्ध निर्णय लेने में सहायता करना।

10.1 परिचय

परिवार परामर्श केंद्र, जिसे अंग्रेजी में Family Counselling Centre कहा जाता है, एक संस्था है जो पारिवारिक मुद्दों, संबंधों और समस्याओं को समाधान करने के लिए सामाजिक सेवा प्रदान करती है। यह केंद्र पारिवारिक उत्थान, सुख, और सुखी सम्बन्धों को संरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य रखता है। पारिवारिक परामर्श केंद्र विभिन्न परिवारों के सदस्यों को संबंधों के बारे में सही ज्ञान, संचार कौशल, समस्या समाधान के तरीकों और एक संतुलित जीवन शैली के लिए सलाह प्रदान करता है। इसके माध्यम से, परिवारों को अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होता है। इससे परिवार में सदभाव, संबंध और एकता बढ़ती है और लोगों को स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने का और परिवारी मामलों को समाधान करने का सामर्थ्य मिलता है।

10.2 परिवार का अर्थ एवंम् परिभाषाएं

आज अलग अलग समाजों में परिवार की उत्पत्ति, रचना व अधिकारों को लेकर विविधता के कारण इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है।

परिवार माता पिता व उनकी सन्तान का सामाजिक समूह है, जो सन्तान पैदा करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है।

परिवार एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक सामाजिक संस्था है तथा समाज की वह आधारभूत इकाई है जिसका निर्माण सामान्यत एक स्त्री व एक पुरुष के वैवाहिक एवं यौन सम्बन्धों से होता हैं. तथा एक ऐसी प्राथमिक संस्था है जो बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को वैध बनाता हैं. परिवार समाज का केंद्र हैं. सामान्यतः परिवार पति पत्नी व बच्चों का समूह है परन्तु संसार में अधिकांश स्थानों पर सम्मिलित वास करने वाले रक्त सम्बन्धियों का समूह हैं. जिसमें विवाह एवं दत्तक प्रथा द्वारा स्वीकृत व्यक्ति भी शामिल हैं.

परिवार ही बालक में सामाजिकता विकसित करने वाली प्रथम संस्था हैं. मैकाईवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक Society में कहा था कि परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन सम्बन्धों पर आधारित है व इतना छोटा है कि संतान जन्म व पालन पोषण की व्यवस्था रखता हैं.

परिवार का अर्थ व परिभाषाएं (Family Meaning and Definitions In Hindi)

- **बर्गेस एवं लॉक** के अनुसार–परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, जो विवाह, रक्त या दत्तक बन्धनों में संगठित है. जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति–पत्नी, माता–पिता, पुत्र–पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए साधारण गृहस्थी की रचना करते है।
- **मैकाईवर** के अनुसार–परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं लालन पोषण की व्यवस्था करते हुए, पर्याप्त रूप से निश्चित व स्थाई यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है।
- **लूसी मेयर** के अनुसार–परिवार एक गृहस्थ समूह है, जिसमें माता–पिता और सन्तान साथ साथ रहते है. इसके मूल रूप में दम्पति और उनकी सन्तान रहती है।
- **जोर्ज पीटर मुरडोक** के अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है, जिसकी विशेषता सामूहिक निवास, आर्थिक सहयोग एवं प्रजनन है. इनमें व्यस्क पुरुष और स्त्री, जिनमें कम से कम दो के मध्य समाज द्वारा वैध यौन संबंध होते है।
- **क्लेयर** के अनुसार परिवार से हम सम्बन्धों की वह व्यवस्था है, जो माता–पिता व उनकी संतानों के मध्य पायी जाती है।
- **मजूमदार** के अनुसार परिवार उन व्यक्तियों का समूह है, जो एक छत के नीचे रहते है. जो रक्त सम्बन्धी सूत्रों से सम्बन्ध रहते है तथा स्थान, हित व पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते है।

10.3 परिवार परामर्श केंद्र के कार्य

परिवार परामर्श केंद्र (Family Counselling Centre) का कार्य निम्नलिखित होता है:

- परामर्श सेवाएं: परिवार परामर्श केंद्र में परामर्शकार उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और पारिवारिक मुद्दों, समस्याओं और विवादों के समाधान के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। यह सेवाएं संघटित और व्यक्तिगत स्तर पर परिवारों को सहायता प्रदान करती हैं।
- परामर्श और शिक्षण: परिवार परामर्श केंद्र में समाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक परामर्शकों द्वारा परामर्श और शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम पारिवारिक मुद्दों, संघर्षों, संबंधों के मामलों, बाल संरक्षण, विवाह संबंधों, और पारिवारिक स्वास्थ्य आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं।
- संगठनात्मक कार्य: परिवार परामर्श केंद्र संगठनात्मक कार्यों को भी संचालित करता है जैसे कि पारिवारिक संगठनों की गठन, परिवार संघों का समर्थन और सहयोग, और परामर्श सेवाओं की विस्तार करने के लिए योजनाएं बनाना।

- संचार और जागरूकताः परिवार परामर्श केंद्र विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग करके सार्वजनिकता को जागरूक करने के लिए कार्य करता है। यह जनता को परामर्श सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूक करता है और परामर्शकारों की सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जनता के साथ संचार स्थापित करता है।

परिवार परामर्श केंद्रों का उद्देश्य परिवारों की सहायता करना, समस्याओं का समाधान प्रदान करना, और परिवारों को सुख, संतुष्टि और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाना होता है। इन केंद्रों का महत्वपूर्ण योगदान पारिवारिक समृद्धि और समाज के स्थायी विकास में होता है।

10.4 परिवार परामर्श के प्रकार

परिवार परामर्श केंद्रों के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। जिसमे से कुछ प्रमुख हैः–

सरकारी परिवार परामर्श केंद्र

सरकारी परिवार परामर्श केंद्र एक ऐसा प्रणाली है जो सरकार द्वारा स्थापित की जाती है और परिवारों को संघर्षों और समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान करती है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य परिवारिक मामलों, संघर्षों और विवादों के समाधान में मदद करना होता है। ये केंद्र पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन, सलाह, परामर्श और सहायता प्रदान करते हैं।

सरकारी पारिवारिक परामर्श केंद्रों में विभिन्न पेशेवर सलाहकार, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और वकीलों की टीम काम करती है। ये टीम संघर्षों को समझने, उनकी पहचान करने और उचित समाधान तक पहुंचने में मदद करती है। सरकारी पारिवारिक परामर्श केंद्रों में विशेषज्ञों की टीम भी मौजूद होती है जो परिवारिक मामलों, न्यायिक मामलों और कानूनी मुद्दों के समाधान में सहायता प्रदान करती है।

सरकारी परिवार परामर्श केंद्रों का मुख्य लक्ष्य परिवारों के बीच विश्वास, समझौता और सामंजस्य स्थापित करना है। ये केंद्र परिवारों को विभिन्न मुद्दों और संघर्षों के बारे में जागरूक करते हैं और सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे परिवारों को संघर्षों के समाधान के लिए सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं और उन्हें न्यायाधीशों, अदालतों और अन्य संघर्ष समाधान प्रणालियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सरकारी परिवार परामर्श केंद्र अपराधियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही का समर्थन भी करते हैं और परिवारों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं।

गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संचालित परिवार परामर्श केंद्रः

गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संचालित परिवार परामर्श केंद्र एक स्वतंत्र, अखंड और गैर–लाभकारी संगठन होता है जो परिवारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करता है। ये केंद्र विभिन्न सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए परिवारों को नेतृत्व, सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन संगठनों में अनुभवी परामर्शदाता, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य पेशेवरों की टीम काम करती है।

गैर–सरकारी परिवार परामर्श केंद्र विभिन्न परिवारिक मामलों के समाधान में मदद करते हैं, जैसे संघर्षों का समाधान, विवाह, तलाक, संबंध बनाए रखने की सलाह, बच्चों के अधिकार, बालिका शिक्षा, आर्थिक सहायता, न्यायिक मामले, नागरिकता मुद्दे, धार्मिक विवाद, आदि। इन केंद्रों में विशेषज्ञों की टीम भी होती है जो विभिन्न क्षेत्रों में संघर्षों के समाधान के लिए सहायता प्रदान करती है। इन केंद्रों का उद्देश्य परिवारों को स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने में सहायता करना होता है। इन केंद्रों की मुख्य उपलब्धियों में परिवारों के बीच संघर्षों को कम करना, संगठित और स्वस्थ परिवार रचना, सामाजिक संगठन में जागरूकता बढ़ाना, स्थानीय समुदाय के विकास को संघर्ष से मुक्त करना आदि शामिल होती है।

निजी परिवार परामर्श केंद्रः

निजी परिवार परामर्श केंद्र एक निजी संगठन होता है जो परिवारों को मानसिक, भावनात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दों के मामलों में सहायता प्रदान करता है। ये केंद्र परिवारों की स्थिति को निजी रूप से समझता है और विशेषज्ञ सलाहकारों के माध्यम से समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान करता है। इन केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, परिवार थेरेपिस्ट, निजी सलाहकार और अन्य पेशेवरों की टीम काम करती है।

निजी परिवार परामर्श केंद्र परिवारों को संघर्षों का समाधान प्रदान करता है, जैसे संघर्षों के मध्य बच्चों की परवरिश, पति–पत्नी के रिश्ते, संबंधों में समस्याएं, माता–पिता के बीच संघर्ष, वृद्धावस्था के सम्बंध में मुद्दे,

पारिवारिक संघर्ष और विवाह या तलाक के मामले। इन केंद्रों में विशेषज्ञ सलाहकारों की टीम भी होती है जो संघर्षों के समाधान के लिए परिवारों को सहायता प्रदान करती है। इन केंद्रों का उद्देश्य परिवारों को संघर्षों से मुक्त करना है और उन्हें स्वस्थ, समृद्ध और संतुलित जीवन जीने में सहायता प्रदान करना है।

विशेषज्ञ परामर्श केंद्रः

विशेषज्ञ परिवार परामर्श केंद्र एक संगठन होता है जो परिवारों को विभिन्न मानसिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों के मामले में विशेषज्ञ सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इन केंद्रों में अनुभवी पारिवारिक सलाहकार, परिवार थेरेपिस्ट, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और अन्य पेशेवरों की टीम काम करती है।

विशेषज्ञ परिवार परामर्श केंद्रों का उद्देश्य परिवारों को संघर्षों के समाधान, रिश्तों की मजबूती, संघर्ष मुक्त संबंधों की स्थापना, पारिवारिक समृद्धि और संतुलन की सहायता प्रदान करना है। ये केंद्र परिवारों को संघर्षों, संकटों, विवादों और मानसिक तनाव से निपटने के लिए उपयुक्त उपायों की सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विशेषज्ञ सलाहकारों की टीम अपने विशेषज्ञता, अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर परिवारों को संघर्षों के समाधान के लिए आपातकालीन और द्विरुक्तियों के साथ सहायता प्रदान करती है।

विशेषज्ञ परिवार परामर्श केंद्रों के माध्यम से परिवारों को संघर्षों, संकटों और मानसिक समस्याओं को समझने, समाधान करने और संघर्ष मुक्त जीवन की प्राप्ति के लिए संकल्पित किया जाता है। ये केंद्र पारिवारिक मामलों के लिए एक सुरक्षित, गोपनीय और विश्वसनीय स्थान प्रदान करते हैं जहां परिवारों को आत्मविश्वास, सहानुभूति और समर्थन मिलता है।

आधारित परामर्श केंद्रः

आधारित परिवार परामर्श केंद्र वे संगठन होते हैं जो परिवारों को आधार कार्यकर्ताओं और पारिवारिक सलाहकारों के माध्यम से मानसिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इन केंद्रों में प्रशिक्षित आधार कार्यकर्ता परिवारों के साथ संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उन्हें उचित सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

आधारित परिवार परामर्श केंद्रों का मुख्य उद्देश्य परिवारों को संघर्षों और चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक आधार प्रदान करना है। ये केंद्र परिवारों के बीच सुख–दुःख के समय में सहायता और समर्थन प्रदान करके परिवारों को स्थायी समाधानों तक पहुंचने में मदद करते हैं। इन केंद्रों में विभिन्न सेवाएं जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य सलाह, विवाह समस्याओं का समाधान, बच्चों के पालन–पोषण, अभिभावक–बच्चे के संबंध, वृद्धावस्था आदि प्रदान की जाती है। ये केंद्र परिवारों को संघर्षों और संकटों के समय एक आधार देते हैं जिससे परिवारों को आत्मविश्वास, संघर्ष सामर्थ्य और पुनर्मिलन की ऊर्जा प्राप्त होती है।

10.5 परिवार परामर्श दाता के कौशल

परिवार परामर्श केंद्रों के कुशलताएं कई होती हैं जो परिवारों की सहायता करने में मदद करती हैं। यहां कुछ प्रमुख कौशल हैं जो पारिवारिक परामर्श केंद्रों की महत्वपूर्ण क्षमताओं में शामिल होते हैंः

- ***समझदारीः*** परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों को परिवारों की समस्याओं को समझने और उन्हें संबोधित करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें परिवारों की आवाज को सुनने और समझने की क्षमता होनी चाहिए।
- ***संवेदनशीलताः*** परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों को उन्हें संभालने, आत्मविश्वास देने और संघर्षों के साथ मानसिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें संभावित संघर्षों, दुखभरी स्थितियों और भावनात्मक जटिलताओं के साथ अपने पक्षकार का सामर्थ्य संभालने की क्षमता होनी चाहिए।
- ***संवाद कौशलः*** परिवार परामर्श केंद्रों के सदस्यों को अच्छे संवाद कौशल होनी चाहिए। उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ उच्च स्तर का संवाद स्थापित करने, संदेशों को स्पष्ट और सुन्दर ढंग से साझा करने, अनुभवों को साझा करने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी आधार बनाने की क्षमता होनी चाहिए।
- ***संगठनात्मक कौशलः*** परिवार परामर्श केंद्रों के सदस्यों को संगठनात्मक कौशल होनी चाहिए। वे परामर्श सत्रों को आयोजित करने, डेटा और रिकॉर्ड्स को संगठित रखने, नियमित रिपोर्टिंग और निगरानी करने, और परिवारों की प्रगति का पता लगाने के लिए संगठनात्मक कौशल होना चाहिए।

- ***समाधानात्मक सोच:*** परिवार परामर्श केंद्रों के सदस्यों की समस्याओं को निर्मूलन के लिए समाधानात्मक सोच की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें परिवारों के साथ काम करके सही समय पर समाधानों की प्रगति को मापने और मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए।

यहां उपरोक्त कौशलों को ध्यान में रखते हुए परिवार परामर्श केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभाव को सुनिश्चित किया जाता है। इन कौशलों का उपयोग करके परिवारों को आवश्यक समर्थन, संघर्षों का समाधान, मार्गदर्शन और संप्रेषण प्रदान किया जाता है जो परिवारों की स्थिति में सुधार करने में मदद करता है।

10.6 सारांश

समाज में परिवारों को सही समय पर सही मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता होती है। परिवार परामर्श केंद्र एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो परिवारों को संघर्षों, समस्याओं और तनाव के सामने अपनी जरूरतों के आधार पर मार्गदर्शन करता है। यह केंद्र परिवारों के बीच संवाद स्थापित करने, समस्याओं का समाधान करने और संप्रेषण प्रदान करके सदस्यों की अच्छी मानसिक स्थिति और पारिवारिक समृद्धि में मदद करता है। इसके माध्यम से परिवारों को नई दिशाएं, संघर्षों का समाधान और सुख–शांति की योजना बनाने में मदद मिलती है। परिवार परामर्श केंद्र एक मानवीय संगठन है जो परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है और समाज को समृद्ध, सुखी और सामरिक परिवारों की रचना करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

10.7 पारिभाषिक शब्दवाली

परिवार– यह एक ग्रहस्थ समूह हैं जिसमें माता पिता और संतान एक साथ रहते है। इनके मूलरूप मे दम्पति और उनकी संतान रहती है।

परामर्श केंद्र– यह पारिवारिक मुद्दों, समस्याओं और विवादों के समाधान के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करते है।

अभ्यास प्रश्न – लघु, विस्तृत

लघु उत्तरीय प्रश्न

- सरकारी परिवार परामर्श केंद्र क्या है?
- निजी परिवारपरामर्श केंद्रों का क्या महत्व है?
- विशेषज्ञ परिवार परामर्श केंद्र किस प्रकार सहायता प्रदान करता है?

विस्तृत उत्तरी प्रश्न

- परिवार परामर्श केंद्रों का परिवारों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? इसके उदाहरण देकर समझाएं।
- कैसे गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संचालित परिवार परामर्श केंद्रों का योगदान परिवारों के विकास में होता है? विस्तार से व्याख्या करें।

10.8 संदर्भ– ग्रंथ सूची

- पारिवारिक समाधान: परिवार के लिए समस्याओं का समाधान लेखक डॉ. मनीषा शर्मा
- कुटुम्ब परामर्श और मार्गदर्शिका: समस्याओं का निराकरण और समाधान लेखक श्रीमती नीरजा जैन
- परिवार में संघर्षों का परिचालन: पारिवारिक समस्याओं के लिए एक प्राथमिकता लेखक: डॉ. अनिता शर्मा
- "अपराधशास्त्र एवं दण्ड शास्त्र" लेखक डॉ बसन्तीलाल बाबेल इस्टर्न बुक कम्पनी

इकाई–11 दहेज निषेध अधिनियम

इकाई की रूपरेखा

11.0 इकाई का उद्देश्य
11.1 परिचय
11.2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
11.3 सारांश
11.4 पारिभाषिक शब्दावली
अभ्यास प्रश्न–लघु विस्तृत
10.5 संदर्भ–ग्रंथ सूची

11.0 इकाई का उद्देश्य

इस विधेयक का उद्देश्य दहेज देने और लेने की बुरी प्रथा का प्रतिषेध करना है। यह प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है और पद्धतियों में से एक जिसके द्वारा इस समस्या का, जो आवश्यक रूप से सामाजिक है समाधान हेतु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा दिए गए स्त्रियों के संबंधित संपत्ति के अधिकारों को प्रवृत्त करके किया जाना था। तथापि, यह महसूस किया गया था कि वह विधि जो प्रथा को दंडनीय बनाती है और उसी समय यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई दहेज दिया जाता है तो पत्नी के फायदे के लिए प्रवृत्त है तो इससे लोकमत को शिक्षित करने और इस बुराई के उन्मूलन में लम्बा समय लगेगा। संसद् के अन्दर और बाहर दोनों जगह ऐसी विधि के लिए लगातार मांग की जाती रही है। इसलिए यह वर्तमान विधेयक लाया गया है।

11.1 परिचय

दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारतीय समाज में दहेज प्रथा के विरूद्ध एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम महिलाओं को दहेज के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है और समाज में दहेज के तत्वों के विरूद्ध मुकाबला करने का प्रयास करता है। यह अधिनियम दहेज और दहेज से जुड़ी अनुचित प्रथाओं को प्रतिषेधित करता है और दहेज से जुड़ी अपराधों के लिए कठोरतम सजा का प्रावधान करता है।

इस पठन सामग्री में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, उसके इतिहास, महत्वपूर्ण धाराएं और अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या की गई है। यह पठन सामग्री दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने और एक समझौते पर जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य रखती है।

11.2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –**
   - इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 है।
   - इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत पर है।
   - यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
2. **"दहेज" की परिभाषा** – इस अधिनियम में, "दहेज" से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाहके समय या उसके पूर्व या पश्चात् किसी समय,
   - विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या
   - विवाह के किसी भी पक्षकार के माता–पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में, या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किन्तु उनव्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है।

स्पष्टीकरण 2 — " मूल्यवान प्रतिभूति" पद का वहीं अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 30 में है

3. दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति—(1), यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से, जो पन्द्रह हजार रुपए से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दण्डनीय होगाः—

परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, पांच वर्ष, से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

उपधारा (1) की कोई बात —

- ऐसी भेंटों को, जो वधू को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होगी।

  परन्तु यह तब तक कि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है।

- ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती है या उनके संबंध मेंलागू नहीं होगी :

  परन्तु यह तब जब कि ऐसी भेंटें, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं:

  परन्तु यह और जहां ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती हैं वहां ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य, ऐसे व्यक्ति की वित्तीय प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा या जिस ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं हैं।,

4. **दहेज मांगने के लिए शास्ति**— यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, वधू या वर के माता—पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, छह मास से कम की किसी अवधिके कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा। ,

विज्ञापन पर पाबंदी — यदि कोई व्यक्ति—

- अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफलस्वरूप किसी समाचारपत्र, नियतकालिक पत्रिका, जरनल या किसी अन्य माध्यम से, अपनी सम्पत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना करेगा

- खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा,तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पन्द्रह हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, छह मास से कम की किसी अवधि केकारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा।,

- दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना—दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा।

- दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना — (1) जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वह व्यक्ति, उस दहेज को, —

- ➢ यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात् तीन मास, के भीतर या
- ➢ यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया था, तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात् 4 तीन मास, के भीतर
- ➢ यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो उसके अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् 'तीन मास, के भीतर,स्त्री को अन्तरित कर देगा और ऐसे अन्तरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा।

- ➢ यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किसी सम्पत्ति का, उसके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर याउपधारा (3) द्वारा अपेक्षित, अन्तरण करने में असमर्थ रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।,
- ➢ जहां उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वह स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे:

परन्तु जहां ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है वहां ऐसी संपत्ति, –

- ➢ यदि कोई संतान नहीं है तो उसके माता–पिता को अंतरित की जाएगी, या
- ➢ यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अन्तरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी।,

- ➢ जहां उपधारा (1)या उपधारा (3), द्वारा अपेक्षित सम्पत्ति का अन्तरण करने में असफल रहने के लिए, उपधारा (2) के अधीन सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने, उस उपधारा के अधीन उसके सिद्धदोष ठहराए जाने के पूर्व, ऐसी सम्पत्ति का, उसके लिए हकदार स्त्री को या, यथास्थिति, उसके वारिसों, माता–पिता या संतान, को अन्तरण नहीं किया है वहां न्यायालय, उस उपधारा के अधीन दण्ड अधिनिर्णीत करने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी संपत्ति का, यथास्थिति, ऐसी स्त्री या उसके वारिसों, माता–पिता या संतान, को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अन्तरण करे और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश का इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो और उसका, यथास्थिति, उस स्त्री या उसके वारिसों, माता–पिता या संतान, को संदाय किया जा सकेगा।
- ➢ इस धारा की कोई बात धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

7. **अपराधों का संज्ञान**– (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,–

- ➢ महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा
- ➢ कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, –
  - ➢ अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर, या
  - ➢ अपराध से व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता–पिता या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर,ही करेगा, अन्यथा नहींय
- ➢ महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश पारित करे।

स्पष्टीकरण

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन" से कोई ऐसी समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जिसे इस निमित्त केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई है।

- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसीअपराध को लागू नहीं होगी।
- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसेव्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा।,

8. अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय और अशमनीय होना–

- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होगी मानो वे –
- ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिएय और

निम्नलिखित से भिन्न विषयों के प्रयोजनों के लिए–

- उस संहिता की धारा 42 में विनिर्दिष्ट विषयय और
- किसी व्यक्ति को वारण्ट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी, संज्ञेय अपराध हों।

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध ख्अजमानतीय, और अशमनीय होगा।

कुछ मामलों में सबूत का भार

जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है।

दहेज प्रतिषेध अधिकारी

- राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीकसमझे और वे क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनकी बाबत वे अपनी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के अधीनकरेंगे।
- प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–
  - यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है
  - दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना
  - इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो और
  - ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।
  - राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
  - राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह देने और सहायता करने के प्रयोजन के लिए, एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकेगी जिसमें उस क्षेत्र से, जिसकी बाबत ऐसा दहेज प्रतिषेध अधिकारी उपधारा (1) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है, पांच से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे (जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होंगी) ।,

9. नियम बनाने की शक्ति–

- केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकती है।

- विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–
  - वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे और ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भेंटों की कोई सूची रखी जाएगी और उनसे संबंधित सभी अन्य विषय, और
  - इस अधिनियम के प्रशासन की बाबत नीति और कार्रवाई का बेहतर समन्वय । ,
- इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व., दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।
- विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–
- दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा धारा 8ख की उपधारा (2) के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्यय (ख) वे परिसीमाएं और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिषेध अधिकारी धारा 8ख की उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

11.3 सारांश

दहेज प्रतिषेध अधिनियम का निष्कर्ष निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है:

दहेज प्रतिषेध अधिनियम ने समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ाने का माध्यम बना है। इसके माध्यम से, दहेज की माँग और दहेज संबंधित दबावों को रोकने की कोशिश की जा रही है। अधिनियम ने दहेज संबंधित अपराधों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को प्रोत्साहित किया है और अपराधियों को सजा दिलाने का माध्यम प्रदान किया है। इसके बावजूद, हमें अभी भी समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए कठिनाइयां निभानी होंगी।

11.4 पारिभाषिक शब्दवाली

दहेज– वह सम्पति जो विवाह के समय वधु के परिवार की तरह से वर को दी जाती है दहेज कहलाती है।

अधिनियम– अधिनियम केंद्र में संसद या राज्य में विधानसभा द्वारा पारित किसी विधान को कहतें है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम– इसके अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन मे सहयोग करने पर सजा और जुर्मानें का प्रावधान है।

अभ्यास प्रश्न – लघु, विस्तृत

लघु उत्तरीय प्रश्न

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ था?
- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से अपराध शामिल हैं?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम का इतिहास और इसके पास कौन–कौन से उपयोगी विशेषताएं हैं?
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और कानूनी तत्वों का वर्णन करें और यह कैसे महिलाओं की सुरक्षा में मदद करता है?

11.5 संदर्भ– ग्रंथ सूची

- "महिला एवं बाल कानून" लेखक ओ पी मिश्रा, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी
- "अपराधशास्त्र, दंण्डशास्त्र एवं पीड़ितशास्त्र" लेखक एम के तिवारी, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी,
- "महिला एवं अपराधिक विधि" लेखक गोपाल उपाध्याय, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन
- "अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" लेखक डॉ ना वि परांजपे सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन

इकाई–12 अनैतिक व्यापार अधिनियम

इकाई की रूपरेखा

12.0 इकाई का उद्देश्य

12.1 परिचय

12.2 अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956

12.3 अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के मुख्य बिंदु

12.4 अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के प्रमुख प्रावधान

12.5 सारांश

12.6 पारिभाषिक शब्दवाली

अभ्यास प्रश्न – लघु, विस्तृत

12.7 संदर्भ– ग्रंथ सूची

12.2 इकाई का उद्देश्य

अनैतिक व्यापार अधिनियम पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल हैं:

- यौन अश्लीलता और अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए कठोर कानूनी प्रावधानों का स्थापना करना।
- यौन अत्याचार, दासता, विकृत यौनता और अन्य अनैतिक कार्यों के प्रभावित व्यक्तियों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करना।
- यौन शोषण, विपत्ति और बाल व्यापार के खिलाफ सार्वजनिक चेतना बढ़ाना।
- विकलांग व्यक्तियों, नाबालिगों और समाज की सबसे कमजोर वर्गों की संरक्षा और सहायता सुनिश्चित करना।
- समाज में यौन अश्लीलता और अनैतिक व्यापार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे सामाजिक निन्दा का विषय बनाना।
- यह अधिनियम समाज में न्याय, सुरक्षा, और न्यूनतम मानकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनैतिक व्यापार और यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

12.1 परिचय

नैतिक व्यापार अधिनियम, भारत में यौन अश्लीलता और अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए बनाए गए कठोर कानूनों में से एक है। यह अधिनियम मनुष्य विकास और महिला अधिकारों के संरक्षण के माध्यम से महिलाओं और युवाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इस अधिनियम के तहत, यौन अश्लीलता, गुलामी, बाल व्यापार और अन्य अनैतिक कार्यों को अपराध माना जाता है और उनसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सहायता और सुरक्षा के लिए सख्त कार्यवाई की जाती है।

12.3 अनैतिक व्यापार अधिनियम

स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक व्यापार सदैव ही समाज के लिए अभिशाप तथा आपराधिक न्याय–प्रशासकों के लिए एक चुनौती बना रहा है। यह एक विश्व व्यापी समस्या होने के कारण इसके निवारण हेतु 9 मई 1950 को न्यूयार्क में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें भारत भी शामिल हुआ तथा उसने इस सम्मेलन द्वारा पारित अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन पर हस्ताक्षर किये। इसी के परिणामस्वरूप 1956 में उपर्युक्त अधिनियम पारित हुआ था।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1958 की धारा 2 (f) के अनुसार 'वेश्या'को परिभाषित किया गया है। 'वेश्या'से अभिप्राय एक ऐसी नारी से है जो धन अथवा व्यापार के रूप में भाड़े पर लैंगिक सम्भोग या मैथुन के लिए अपने शरीर को प्रस्तुत करती है। जो स्त्री इस प्रकार का कार्य करती है, वह वेश्यावृत्ति करती है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो वेश्यालय चलाते हैं उन्हें प्रथम बार यह अपराध करने पर तीन वर्ष तक के कठोर कारावास का दण्ड दिया जा सकता है और दुबारा इसी अपराध को करने पर पाँच वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त दो हजार रुपये का अर्थदण्ड भी दिया जा सकता है। वेश्यावृत्ति में लिप्त पुरुष को भी दण्ड विधि के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान होना चाहिये । यदि इसमें पुरुष भागीदार को अधिक कठोर दण्ड दिया जाए तो सम्भवतः वेश्यावृत्ति को रोकने में सहायता मिल सकती है। इस अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वेश्यावृत्ति के अपराध के विचारण में सिद्धि का भार (Burden of Proof) अभियुक्त पर रखा जाना उचित होगा।

उक्त अधिनियम की धारा 4 में यह व्यवस्था है कि कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, जो जानबूझकर किसी महिला या लड़की की वेश्यावृत्ति की आमदनी से अपना जीवन–निर्वाह करता है, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास का दण्ड या एक हजार रुपये तक का अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है । परन्तु निवेदित है कि अभियुक्त के विरुद्ध यह अपराध वांछित साक्ष्य के अभाव में कदाचित् ही सिद्ध हो पाता है।

इस अधिनियम की धारा 5 में महिलाओं या लड़कियों को वेश्यावृत्ति करने के लिए उत्प्रेरित करने वालों के लिए दण्ड के प्रावधान हैं। इसी प्रकार धारा 8 में वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को लालायित करने या छेड़छाड़ करने के अपराध के लिए छः माह तक का कारावास या 500 रुपये तक अर्थदण्ड या दोनों का प्रावधान है।

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार अनैतिक देह व्यापार सम्बन्धी अपराधों का अन्वेषण करने हेतु विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाना आवश्यक है। इसी प्रकार तलाशी के समय कम से कम दो महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक होती है।

लगभग बीस वर्षों तक प्रभावी रहने पर भी यह अधिनियम अनैतिक देह व्यापार के अपराधों पर नियन्त्रण रखने में असफल रहा इसलिए इसमें सन् 1978 में संशोधन किये गये। संशोधित अधिनियम के अनुसार पथभ्रष्ट स्त्रियों और लड़कियों के प्रति परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान लागू किये गये और साथ ही अनैतिक देह व्यापार के अपराध के लिए दण्ड के उपबन्धों को अधिक कठोर बनाया गया। परन्तु सन् 1986 के पुनः संशोधन के पश्चात् पथभ्रष्ट स्त्रियों और लड़कियों के प्रति परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान लागू किये जाने सम्बंधी उपबन्धों को निरसित (Repeal) कर दिया गया क्योंकि इससे स्थिति में विशेष सुधार परिलक्षित नहीं हुआ था। सन् 1986 के संशोधन की एक विशेषता यह थी कि इसके अन्तर्गत पुरुष वेश्यावृत्ति को भी इस अधिनियम के अधीन लाया गया जिसके विषय में अब तक कोई कानूनी प्रावधान नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम में जहाँ भी शब्द 'स्त्री और लड़कियाँ' प्रयुक्त किये थे वहाँ शब्द 'व्यक्ति' प्रतिस्थापित कर दिया गया ताकि वह स्त्री और पुरुष, दोनों के प्रति समान रूप से लागू किया जा सके। इस प्रकार अब 'वेश्यावृत्ति' की परिभाषा में स्त्री एवं पुरुष दोनों का समावेश है।,

इस अधिनियम के अन्तर्गत कारित अधिकांश अपराधों के लिए न्यूनतम सात वर्ष के कारावास का प्रावधान है जो अधिकतम 10 वर्ष या आजन्म कारावास तक का हो सकेगा।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 23–क केन्द्र एवं राज्य शासन को अधिकृत करती है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालयों (Special Courts) का गठन करें। कतिपय अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया द्वारा निपटाये जा सकते हैं लेकिन उस दशा में दण्ड एक वर्ष से अधिक का नहीं हो सकेगा।

इस अधिनियम का एक मात्र उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक स्थलों पर वेश्यावृत्ति को रोका जाए। अधिनियम की धारा 21 यह उपबन्धित करती है कि कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी बिना लायसेंस के पथभ्रष्ट स्त्रियों या लड़कियों के लिए संरक्षी–गृह (Protective Home) स्थापित नहीं कर सकता है और न ही ऐसे संरक्षी गृह का संचालन कर सकता है। लाइसेंस प्राप्त संरक्षी गृहों के देखरेख की जिम्मेदारी केवल किसी महिला को ही सौंपी जा सकती है। आशय यह है कि इन संरक्षी गृहों का दुरुपयोग वेश्यागृहों के रूप में न किया जा सके।

12.3 अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956 के मुख्य बिंदु

अनैतिक व्यापार से तात्पर्य यहाँ मुख्य रूप से वेश्यावृत्ति से है। वेश्यावृति आज की बहुत बड़ी एवं गम्भीर समस्या बन गयी है। दुनियां के अधिकांश देशो में इसका प्रचलन है। यह बात अलग है कि कहीं यह वैधानिक है कहीं यह अवैधानिक है। भारत में वेश्यावृत्ति को न केवल विधिक दृष्टि से अपितु नैतिक दृष्टि से भी एक घृणित कार्य माना गया है। इसका स्वरूप वैसा है जैसा व्यभिचार का है। वेश्यावृत्ति के अनेक कारण मिलते हैं आश्चर्य तो इस बात का है कि यह दुष्प्रवृत्ति केवल साधारण परिवारों में ही व्याप्त नहीं होकर सम्पन्न परिवारों में भी इसका पूरा जोर है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में इसे एक गम्भीर पाप माना गया है। हांलाकि यह सही है कि हमारे यहाँ देवदासी जैसी प्रथायें रही हैं लेकिन कालान्तर में वे भी मृत प्राय सी हो गयी हैं।

जब से देश में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है तब से न केवल महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुई है अपितु उनके अनैतिक व्यापार को प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला है। आज वेश्यावृत्ति चरम सीमा पर है। सम्पन्न वर्ग इसे विलासिता का साधन मानता है तो निर्धन वर्ग इसे अपनी विवशता बताता है। होटलों में, कोठो में और सड़कों के निकटवर्ती क्षेत्रों में यह धन्धा आज जोरों से चल रहा है। आश्चर्य तो यह है कि शिक्षित एवं सम्पन्न व्यक्ति वेश्यावृत्ति को व्यवसाय मानकर इसे चला रहे हैं। इसी पर नियन्त्रण पाने के लिए संसद द्वारा सन् 1956 में "स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम" पारित किया गया। कालान्तर में सन् 1986 में इस अधिनियम का शीर्षक "अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956"कर दिया गया।

संक्षिप्त नाम–यह अधिनियम अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 कहा जा सकेगा।

विस्तार क्षेत्र– इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

प्रारम्भ– यह धारा तुरन्त प्रवृत्त हो जायेगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषायें– इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "वेश्यागृह" के अन्तर्गत कोई घर, कमरा, सवारी या स्थान अथवा किसी घर, कमरे, सवारी या स्थान का कोई प्रभाग अभिप्रेत है; जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के अभिलाभ के लिए लैंगिक शोषण या दुरूपयोग के प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(कक) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है,

(ख) "सुधार संस्था" से किसी भी नाम से ज्ञात कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है (जो धारा 21 के अधीन उस संस्था के रूप में स्थापित या अनुज्ञप्त है) जिसमें ऐसे व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखा जा सकेगा जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, और इसके अन्तर्गत वह आश्रय स्थल भी है जहाँ विचारणीय व्यक्तियों को, इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखा जा सकेगा जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, और इसके अन्तर्गत वह आश्रय स्थल भी है जहाँ विचारणीय व्यक्तियों को अधिनियम के अनुसरण में रखा जायें,

(ग) "मजिस्ट्रेट " से ऐसा कोई मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है जो उस धारा द्वारा, जिसमें यह पद आता है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुसूची के द्वितीय स्तम्भमें अक्षम विनिर्दिष्ट किया गया है और जो अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट हैं,

(गक) "वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(गख) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी करली हो किन्तु अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है:

(च) "वेश्यावृत्ति" से व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण यादुरूपयोग अभिप्रेत है, और "वेश्या" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

महिलाएँ एवं आपराधिक विधि

(छ) "संरक्षागृह" से किसी नाम से ज्ञात कोई ऐसी संस्था अभिप्राय है (जो धारा 21 के अधीन स्थापित या अनुज्ञात संस्था है) जिसमें ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी देख–रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, इस

अधिनियम के अधीन रखा जाये और जहाँ समुचित तकनीकि रूप से अर्हित व्यक्तियों, उपस्कर और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है–

(i) कोई आश्रय जहाँ विचारणाधीन को इस अधिनियम के अनुसरण में रखा जायें, या

(ii) "कोई सुधार संस्था",

(ज) "सार्वजनिक स्थान"से तात्पर्य ऐसा कोई स्थान है जो जनता के प्रयोग के लिए आशयित हो या जिस तक जनता की पहुँच हो तथा इसके अन्तर्गत कोई लोक प्रवहन भी है,

(झ) "विशेष पुलिस अधिकारी" से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्दर पुलिस कार्यों का भारसाधक होने के लिए राज्य सरकारद्वारा या उसकी ओर से नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) "दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1958 के प्रमुख प्रावधान

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 का प्रमुख प्रावधान इस प्रकार किया गया है । इस अधिनियम के धारा 2–क में यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को लागू न होने वाली अधिनियमितियों की बाबत अर्थान्वयन का नियम–इस अधिनियम में किसी विधि के, जो जम्मू–कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं, प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जायेगा कि यदि उस राज्य में कोई तत्स्थानी विधि प्रवृत्त है तो वह निर्देश उस तत्स्थानी विधि के प्रति है।

वेश्यागृह चलाने या परिसरों को वेश्यागृह के रूप में प्रस्तुत करने देने के लिए दण्ड–धारा 3 (1)–कोई व्यक्ति जो कोई वेश्यागृह चलाता है या उसका प्रबंध करता है अथवा उसको चलाने या उसके प्रबंध में काम करता है या सहायता करता है वह प्रथम दोष– सिद्धि पर एक वर्ष से अन्यून और तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माने से भी जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में दो वर्ष से अन्यून और पाँच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 3 (2) कोई व्यक्ति जो–

(क) किसी परिवार का किरायेदार, पट्टेदार अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति होते हुये ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को प्रयुक्त करने देगा, अथवा

(ख) किसी परिसर का स्वामी, पट्टाकर्ता या भू–स्वामी अथवा ऐसे स्वामी, पट्टाकर्ता या भू–स्वामी का अभिकर्ता होते हुये उसके या उसके किसी भाग को यह जानते हुये पट्टे पर देता है कि उसका या उसके किसी भाग का वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किया जाना आशायित है अथवा ऐसे परिसर या उसके किसी भाग केवेश्यागृह के रूप में प्रयोग का जानबूझकर पक्षकार होगा–

प्रथम दोष सिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

धारा 3 (2–क) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि उस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, यथास्थिति परिसर या उसके किसी भाग को वैश्यागृह के रूप में उपयोग किये जाने के लिए जानबूझकर अनुज्ञात कर रहा है, यह उसे यह जानकारी है कि परिसर याउसके किसी भाग का वेश्यागृह के रूप में उपयोग किया जा रहा है, यदि–

(क) किसी ऐसे समाचार पत्र में, जिसका उस क्षेत्र में परिचालन है जिसमें ऐसा व्यक्ति निवास करता है, इस आशय की रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन की गयीतलाशी के परिणामस्वरूप यह पाया गया है कि परिसर या उसके किसी भाग का वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है अथवा

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट तलाशी के दौरान पायी गयी सभी वस्तुओं की सूची की एक प्रति ऐसे किसी व्यक्ति को दे दी जाती है।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के किसी परिसर या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में उस उपधारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष होने पर, कोई ऐसा पट्टा या करार जिसके अधीन ऐसा परिसर पट्टे पर दिया गया हो या उस अपराध के लिए किये जाने के समय धारित है या अधिभोगाधीन है उक्त दोष सिद्धि को तारीख से शून्य और अप्रवर्तनशील हो जायेगा।

वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दण्ड– धारा 4 की उपधारा (1) अठारह वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर पूर्णतः या भागतः जीवन निर्वाह करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा और जहाँ ऐसे उपार्जन किसी बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से सम्बन्धित है, वहाँ वह सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा।

(2) जहाँ अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति की बाबत यह साबित हो जाता है कि वह–

(क) किसी वेश्या के साथ निवास करता है या अभ्यासतः उसके संग रहता है; या

(ख) किसी वेश्या को गतिविधियों का ऐसी रीति से नियन्त्रण या निर्देशन करता है, या उन पर असर डालता है।जिससे यह दर्शित होता है कि ऐसा व्यक्ति उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए सहायता दे रहा है या दुष्प्रेरित या विवश कर रहा है:

(ग) किसी वेश्या के निमित्त दलाल या कुटना के रूप में कार्य कर रहा है; तो, जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अर्थ में अन्य व्यक्ति के वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जानबूझकर जीवन निर्वाह कर रहा है।

किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करना, या ले जाना–धारा 5 की उपधारा (1) –(क)

(क) यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके सम्मति के बिना वेश्या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा;

(ख) किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए इस आशय से उत्प्रेरित करेगाा कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी वेश्यागृह का अन्तः वासी हो जाये या उसमे प्रायः जाता रहे या

(ग) किसी व्यक्ति को इस दृष्टि से कि वह वेश्यावृत्ति करे या वेश्यावृत्ति करने के लिए उसका पालन–पोषण किया जाये, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जायेगा या ले जाने का प्रयत्न करेगा या करायेगा; या

(घ) किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति करायेगा या कराने के लिए उत्प्रेरित करेगा,

उपरोक्त अपराध की दोष सिद्धि पर अपराधी व्यक्ति को तीन वर्ष से कम एवं सात वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से और जुर्माने से भी जिसकी राशि दो हजार रूपये तक का हो सकेगी, दण्डनीय होगा, और यदि इस उपधारा के अधीन अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध किया जाता है तो सात वर्ष की अवधि के लिए कारावास का दण्ड चौदह वर्ष की अवधि के लिए कारावास तक का होगा;

परन्तु वह व्यक्ति जिसकी बाबत इस उपधारा के अधीन अपराध किया गया है–

1. बालक है तो इस उपधारा में उपबन्धित दण्ड सात वर्ष से अन्यून की अवधि के कठोर कारावास तक का होगा किन्तु जो आजीवन का हो सकेगा, और
2. अवयस्क है तो इस उपधारा में उपबन्धित दण्ड सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए और चौदह वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास तक का होगा,

धारा 5 की उपधारा (3) – इस धारा के अधीन अपराध–

(क) उस स्थान पर विचारणीय होगा जहाँ से व्यक्ति को उपाप्त किया जाता है, जाने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, ले जाया जाता है या लिवा लाया जाता है अथवा जहाँ से ऐसे व्यक्ति को उपाप्त करने या ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, या

(ख) उस स्थान पर विचारणीय होगा जहाँ वह उसे उत्प्रेरणा के फलस्वरूप लाया गया हो या जहाँ वह ले जाया गया हो।

इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 6 में किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरूद्ध करना जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है के बारे में प्रावधान है। धारा 7 में सार्वजनिक स्थान में या उनके समीप वेश्यावृत्ति के बारे में प्रावधान है। धारा 8 में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य के लिए विलुब्ध करना या याचना करने के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 9 में अभिरक्षा में के व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए विलुब्ध करना, धारा –18 में वेश्यागृह को बन्द करना और परिसरों से अपराधियों की बेदखली के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 20 में वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना तथा धारा 21 में संरक्षा गृह व धारा 23 में नियम बनाने की शक्ति के बारे में उपबंध किया गया है।

12.5 सारांश

अनैतिक व्यापार अधिनियम का संक्षेप में निष्कर्ष यह है कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो मानवता के खिलाफ अनैतिक व्यापार और अवैध व्यापार को रोकने और दंडित करने के लिए अपनाया गया है। यह अधिनियम अवैध जनसंख्या विक्रय, वेश्यावृत्ति, बाल विक्रय और अन्य अश्लील व्यापारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है। इससे मानवीय अधिकारों की संरक्षा होती है और सामाजिक न्याय के माध्यम से दंडित किया जाता है। इसके माध्यम से नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराया जाता है और सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं।

12.6 पारिभाषिक शब्दवाली

अनैतिकता– अनैतिक स्थिति में व्यक्ति उचित आचरण या समाज के स्वीकृत व्यवहार पद्धति का पालन करने से इनकार कर देते है। अनैतिक आचरण समाज को अराजक स्थितियों की ओर ले जाता है।

वैश्यावृत्ति– ऐसी नारी जो धन अथवा व्यापार के रूप में किराये पर लैंगिक रूप से अपने शरीर को प्रस्तुत करती है तो इस कार्य को वैश्यावृत्ति कहतें है।

अभ्यास प्रश्न – लघु, विस्तृत

लघु उत्तरीय प्रश्न

- अनैतिक व्यापार अधिनियम क्या है?
- इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
- अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत किस प्रकार के अपराध शामिल होते हैं?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

- अनैतिक व्यापार अधिनियम क्या है और इसका महत्व क्या है? इसके तहत कौन–कौन से अपराध शामिल होते हैं और इन पर क्या सजा होती है?
- अनैतिक व्यापार अधिनियम के द्वारा कौन–कौन से समाजी वर्गों की सुरक्षा और सहायता की जाती है? इस अधिनियम के तहत इन वर्गों के लिए क्या प्रावधान हैं?

12.8 संदर्भ– ग्रंथ सूची

- "अपराधशास्त्र, दंण्डशास्त्र एवं पीड़ितशास्त्र" लेखक एम के तिवारी, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी,
- "महिला एवं अपराधिक विधि" लेखक गोपाल उपाध्याय, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन
- "अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" लेखक डॉ ना वि परांजपे सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन
- "अपराधशास्त्र एवं दण्ड शास्त्र" लेखक डॉ बसन्तीलाल बाबेल इस्टर्न बुक कम्पनी"महिला एवं बाल कानून" लेखक ओ पी मिश्रा, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी

इकाई–13 सती प्रथा निषेध अधिनियम

इकाई की रूपरेखा

13.0 इकाई का उद्देश्य

13.1 परिचय

13.2 सती से अभिप्राय

13.3 सती प्रतिषेध अधिनियम

13.4 सारांश

13.5 पारिभाषिक शब्दवाली

अभ्यास प्रश्न – लघु, विस्तृत

13.6 संदर्भ– ग्रंथ सूची

13.0 इकाई का उद्देश्य

"सती प्रतिषेध अधिनियम, 1987" के अधीन निर्मित पठन उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में जाना जा सकता है:

- सती प्रतिषेध अधिनियम के परिचय: इस उद्देश्य के अंतर्गत, हम सती प्रतिषेध अधिनियम के परिचय, महत्वपूर्ण विवरण और अधिनियम के तहत शामिल किए गए प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
- सती प्रथा के परिणामों का विश्लेषण: इस उद्देश्य के तहत, हम सती प्रतिषेध अधिनियम के लागू होने से होने वाले परिणामों का विश्लेषण करेंगे, जैसे कि महिलाओं के सुरक्षा में सुधार, उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा, और समाज में सती प्रथा के उचित विरोध के प्रमुख परिणाम।
- सती प्रतिषेध अधिनियम के लागू होने की प्रक्रिया: इस उद्देश्य के तहत, हम सती प्रतिषेध अधिनियम के लागू होने की प्रक्रिया, उसमें शामिल किए जाने वाले न्यायिक प्रक्रियाओं, जुर्माने, सजा, और सती प्रथा से जुड़े मामलों के न्यायालयीन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

13.1 परिचय

सती या विधवाओं या स्त्रियों का जीवित दहन या गाढ़ा जाना मानव प्रकृति की भावनाओं के विपरीत है और यह भारत के किसी भी धर्म में कहीं भी अनिवार्य कर्तव्य के रूप में आदिष्ट नहीं है, और सती कर्म के और उसके गौरवान्वयन के निवारण के लिए अधिक प्रभावी उपाय करना आवश्यक है।

इस अधिनियम द्वारा, सती प्रथा के कारण महिलाओं के जीवन और सुरक्षा की रक्षा की जाती है। यह कानून महिलाओं के लिए उच्चतम प्राथमिकता रखता है और सती प्रथा को समाप्त करता है। इससे महिलाओं को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेशों में सुरक्षित रहने का अधिकार प्राप्त होता है।

13.2 सती से अभिप्राय

सती निवारण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत धारा 2 में सती को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार–

"मृतक पति की विधवा को मृतक पति या किसी रिश्तेदार के शव के साथ जीवित जलाना या गाड़ना सती होना है।"

वास्तव में सती प्रथा में मृतक पति की विधवा अपने पति के शव के साथ चिता में बैठकर आपना प्राण त्यागती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी स्त्री को सती या पवित्र कहना न तो बुरा है और न ही अपराध।

ओंकार सिहं बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, (1987) 2 आर॰ एल॰ आर॰ 957 के मामले में न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि–

यदि किसी स्त्री को सती या पवित्र कहा जाता है तो यह कोई अपराध नहीं है। अपराध तो तब होता है जब स्त्री को जलाकर मारा जाता है।

सती को गौरवान्वित किया जाना

किसी विधवा को सती हो जाने के पश्चात् यह परम्परा है कि उस सती को गौरवान्वित करने के लिए स्थल–समाधि, मंदिर आदि का निर्माण किया जाता है, उत्सव मनाये जाते हैं, जुलूस एवं समारोह आयोजित किये जाते हैं, सती प्रथा का प्रचार–प्रसार किया जाता है, न्यास की स्थापना की जाती है तथा अन्य माध्यमों से सती की स्तुति की जाती है। धारा 2 के अनुसार सती को गौरवान्वित करने की यही परिभाषा है।

निषेधित कार्य

इस अधिनियम के अन्तर्गत सती विषयक निम्नांकित कार्यों का निषेध किया गया है–

(1) सती होने का प्रयास करना,

(2) सती होने के लिए दुष्प्रेरित करना,

(3) सती को गौरवान्वित करना।

किसी महिला को अपने मृतक पति के शव के साथ जलने या दफन होने के लिये उत्प्रेरित करना दुष्प्रेरण है।

इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं–

(i) सती होने के लिये उकसाना,

(ii) सती से आत्मिक लाभ होने जैसी बातें करना,

(iii) सती के साथ कब्रिस्तान तथा जुलूस में जाना,

(iv) सती स्थल पर उपस्थित होना,

(v) सती होने के कार्य में सक्रिय भागीदारी देना,

(vi) सती होने से रोके जाने वाली कार्यवाही को बाधित करना,

13.3 सती प्रतिषेध अधिनियम

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –
  1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सती (निवारण) अधिनियम, 1987 है।
  2. इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत पर हैं।यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न–भिन्न राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
- परिभाषाएं (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.–
  1. संहिता " से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है
  2. सती कर्म के संबंध में, "गौरवान्वयन" के अंतर्गत चाहे सती कर्म इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया हो या उसके पश्चात् अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित है–
- सती कर्म के संबंध में कोई अनुष्ठान करना या कोई जुलूस निकालना या
- सती की प्रथा का किसी भी रीति से समर्थन करना, न्यायोचित ठहराना या प्रचार करना या
- उस स्त्री का, जिसने सती कर्म किया है, गुणगान करने के लिए किसी समारोह का आयोजनकरना या

- उस स्त्री के, जिसने सती कर्म किया है, सम्मान को कायम रखने या स्मृति को बनाए रखने की दृष्टि से किसी न्यास का सृजन करना या निधि का संग्रह करना, या कोई मंदिर या अन्य संरचना सन्निर्मित करना याउसमें किसी भी रूप में उपासना करना या कोई अनुष्ठान करना

3. **"सती कर्म से अभिप्रेत है**

- किसी विधवा का उसके मृत पति या किसी अन्य नातेदार के शरीर के साथ या पति या ऐसे नातेदार से संबंधित किसी वस्तु, पदार्थ या चीज के साथ जीवित दहन या गाड़ देने का कार्य अथवा
- किसी स्त्री का उसके किसी भी नातेदार के शरीर के साथ जीवित दहन या गाड़ देने का कार्य, भले ही यह दावा किया जाए कि ऐसा दहन या गाड़ देना विधवा या स्त्री की ओर से स्वेच्छा से किया गया है या अन्यथा

4. "विशेष न्यायालय" से धारा 9 के अधीन गठित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है

5. मन्दिर" के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, स्मृति बनाए रखने के लिए सन्निर्मित या बनाया गया और किसी भी रूप में उपासना करने के लिए या ऐसे सती कर्म के संबंध में कोई अन्य अनुष्ठान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई भवन या कोई संरचना है चाहे उस पर छत है या नहीं।

- उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो भारतीय दंड संहिता या संहिता में हैं।

सती कर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड

3. **सती कर्म करने का प्रयत्न–** भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई सती कर्म करने का प्रयत्न करेगा और सती कर्म करने का कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा :

   परंतु इस धारा के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने से पूर्व, अपराध किए जाने की परिस्थितियों, किए गए कार्य, अपराध से आरोपित व्यक्ति की कार्य करने के समय मानसिक दशा और अन्य सभी सुसंगत बातों पर विचार करेगा।

4. **सती कर्म करने का दुष्प्रेरण**

- भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई स्त्री सती कर्म करती है, तो जो कोई सती कर्म करने का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु से, या आजीवन कारावास से, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
- यदि कोई स्त्री सती कर्म करने का प्रयत्न करती है, तो जो कोई ऐसे प्रयत्न का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दुष्प्रेरण करेगा वह आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित कार्यों में से किसी कार्य या तत्समान कार्यों को भी दुष्प्रेरण समझा जाएगा, अर्थात् :–

- किसी विधवा या स्त्री को उसके मृत पति या किसी अन्य नातेदार के शरीर के साथ या पति या ऐसे नातेदार से संबंधित किसी वस्तु, पदार्थ या चीज के साथ, स्वयं का जीवित दहन कर लेने या गड़ जाने के लिए उत्प्रेरित करना, चाहे वह ठीक मानसिक दशा में है या मत्तता या संज्ञाशून्यता की हालत में है या ऐसा कोई अन्य कारण है जो उसकी स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग में बाधा डाल रहा है:
- किसी विधवा या स्त्री को यह विश्वास दिलाना कि सती कर्म के परिणामस्वरूप उसे या उसके मृत पति या नातेदार को कुछ आध्यात्मिक लाभ होगा या कुटुम्ब का पूर्ण कल्याण होगा
- किसी विधवा या स्त्री को सती कर्म करने के उसके संकल्प में दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना और इस प्रकार उसे सती कर्म करने के लिए उकसाना
- सती कर्म से संबंधित किसी जुलूस में भाग लेना या विधवा या स्त्री को उसके मृत पति या नातेदार के शरीर के साथ शवदाह या श्मशान भूमि तक ले जाकर सती कर्म करने के उसके विनिश्चय में सहायता करना

- उस स्थान पर, जहां सती कर्म किया जा रहा है, सती कर्म करने के कार्य में या उससे संबंधित किसी अनुष्ठान में सक्रिय सहभागी के रूप में उपस्थित रहना
- विधवा या स्त्री को जीवित दहन किए या गाड़े जाने से अपने को बचाने से रोकना या उसमें बाधा पहुंचाना :
- सती कर्म के निवारण के लिए पुलिस के कोई कदम उठाने के उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचानाया हस्तक्षेप करना ।

5. सती कर्म के गौरवान्वयन के लिए दंडजो कोई सती कर्म के गौरवान्वयन के लिए कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो तीस हजार रुपए तक का हो सकेगा. दंडनीय होगा।

सती कर्म से संबंधित अपराधों के निवारण के लिए कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां

कुछ कार्यों का प्रतिषेध करने की शक्ति

- जहां कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की यह राय है कि सती कर्म किया जा रहा है या उसके किए जाने का दुष्प्रेरण किया जा रहा है या सती कर्म किया जाने वाला है वहां वह आदेश द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी व्यक्ति द्वारा सती कर्म से संबंधित किसी कार्य के किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा।
- कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, आदेश द्वारा, उस आदेश में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति द्वारा सती कर्म केकिसी रीति से गौरवान्वयन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा।
- जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, वह, यदि ऐसा उल्लंघन इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन दंडनीय नहीं है तो कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो तीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा

कुछ मंदिरों या अन्य संरचनाओं को हटाने की शक्ति –

- यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी मंदिर या अन्य संरचना में, जो बीस वर्ष से अन्यून समय से विद्यमान है, किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है. सम्मान को कायम रखने या उसकी स्मृति को बनाए रखने की दृष्टि से किसी रूप में उपासना या कोई अनुष्ठान किया जाता है तो वह आदेश द्वारा, ऐसे मंदिर या संरचना को हटाने का निदेश दे सकेगी।
- यदि कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी मंदिर या अन्य सरंचना में, ऐसे व्यक्ति के, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, सम्मान को कायम रखने या उसकी स्मृति को बनाए रखने की दृष्टि से किसी रूप में उपासना या कोई अन्य अनुष्ठान किया जाता है तो वह आदेश द्वारा, ऐसे मंदिर या संरचना को हटाने का निदेश दे सकेगा।
- जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, वहां, यथास्थिति, राज्य सरकार या कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, मंदिर या अन्य संरचना को किसी ऐसे पुलिस अधिकारी के, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, माध्यम से व्यतिक्रमी के खर्चे पर हटवाएगा।

8. **कुछ संपत्तियां अभिग्रहण करने की शक्ति–**

- जहां कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है किसती कर्म के गौरवान्वयन के प्रयोजन के लिए कोई निधि या संपत्ति संगृहीत या अर्जित की गई है या जो ऐसी परिस्थितियों में पाईजाती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का संदेह उत्पन्न करती है, वहां वह ऐसी निधि या संपत्ति काअभिग्रहण कर सकेगा
- उपधारा (1) के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे अपराध का, जिसके संबंध में ऐसी निधि या संपत्ति संगृहीत या अर्जित की गई थी, विचारण करने के लिए गठित

विशेष न्यायालय को, यदि कोई है, ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट देगा और उसके व्ययन के बारे में ऐसे विशेष न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करेगा।

विशेष न्यायालय

इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण–

- संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, इस धारा के अधीन गठित किसी विशेष न्यायालय द्वाराही विचारणीय होंगे।
- राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा एक या अधिक विशेषन्यायालय गठित करेगी और प्रत्येक विशेष न्यायालय संपूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग की बाबत, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कियाजाए, अधिकारिता का प्रयोग करेगा।
- विशेष न्यायालय में ऐसा न्यायाधीश पीठासीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से नियुक्त किया जाएगा।
- कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व किसी राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश नहीं हो।

विशेष लोक अभियोजक –

- प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजकके रूप में नियुक्त करेगी।
- कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने का तभी पात्र होगा जब उसने सात वर्ष से अन्यून अवधि तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया है, या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून अवधि तक ऐसा कोई पद धारण किया है जिसमें विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा है।
- इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को संहिता की धारा 2 के खंड (प) के अर्थ में लोक अभियोजक समझा जाएगा और तद्नुसार संहिता के उपबंध प्रभावी होंगे।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां

- विशेष न्यायालय ऐसे तथ्यों के परिवाद के प्राप्त होने पर जिनसे ऐसा अपराध गठित होता है या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर अभियुक्त को विचारण के लिए अपने को सुपुर्द किए जाने के बिना, किसी अपराध का संज्ञान कर सकेगा।
- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए, सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे अपराधों का विचारण यावत्शक्य, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार वैसे ही करेगा मानो वह सेशन न्यायालय हो ।

विशेष न्यायालय की अन्य अपराधों की बाबत शक्ति

- इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए अभियुक्त पर उसी विचारण में संहिता के अधीन आरोप लगाया जाए यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबंधित है।
- यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किसी विचारण के दौरान यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है, तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध के लिए भी सिद्धदोष ठहरा सकेगा और उसके दंड के लिए इस अधिनियम द्वारा या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा।
- प्रत्येक जांच या विचारण में, कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता के साथ की जाएगी और विशिष्टतया वहां जहां साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ हो गई है, वह दिन प्रतिदिन तब तक चलती रहेगी जब तक हाजिर सभी साक्षियों की परीक्षा नहीं हो जाती है, और यदि कोई विशेष न्यायालय उसका पश्चात्वर्ती तारीख से आगे के लिए स्थगित किया जाना आवश्यक समझता है तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारण लेखबद्ध करेगा।

निधि या संपत्ति का समपहरण

- जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, वहां ऐसे अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, यह घोषणा कर सकेगा कि धारा 8 के अधीन अभिगृहीत कोई निधि या संपत्ति राज्य को समपहृत हो जाएगी।

अपील–

- संहिता में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जो अंतवर्तीआदेश नहीं है, तथ्य और विधि, दोनों पर उच्च न्यायालय को साधिकार अपील होगी।
- इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से, जिससे अपील की गई है, तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

  परंतु उच्च न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था तो तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा

प्रकीर्ण

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का सरंक्षण

- इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

सबूत का भार –

- जहां किसी व्यक्ति को धारा 4 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है वहां यह साबित करने का भार कि उसने उक्त धारा के अधीन अपराध नहीं किया है, उस पर होगा।

  कुछ व्यक्तियों की इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने के बारे में रिपोर्ट करने की बाध्यता–

- सरकार के सभीअधिकारियों से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में पुलिस की सहायता करने के लिए अपेक्षा की जाती है और उन्हें सशक्त किया जाता है
- सभी ग्राम अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट किसी क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट करे और ऐसे क्षेत्र के निवासी, यदि उन्हें यह विश्वास करने का कारण है या यह ज्ञान है कि उस क्षेत्र में सती कर्म किया जाने वाला है या सतीकर्म किया गया है तो, ऐसे तथ्य की रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने में तुरंत करेंगे।
- जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

  धारा 4 के अधीन किसी अपराध के सिद्धदोष व्यक्ति का कुछ संपत्ति विरासत में पाने से निरर्हित होना–

- सती कर्म करने के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, सम्पत्ति या ऐसे अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति, जिसका वह ऐसे व्यक्ति की, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, मृत्यु पर विरासत में पाने का हकदार होता, विरासत में पाने से निरर्हित हो जाएगा।

  1951 के अधिनियम 43 का संशोधन– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में–

- धारा 8 की उपधारा (2) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतु अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

परंतु यह और कि सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए किसी विशेष न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और अपने छोड़े जाने से पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निरर्हित बना रहेगा।

- धारा 123 में, खंड (3क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(3ख) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती की प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन ।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सती कर्म" और सती कर्म के संबंध में "गौरवान्वयन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो सती (निवारण) अधिनियम, 1987 में हैं।' ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना–

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

- केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
- इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे प्रविवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विद्यमान विधियों का निरसन –

- किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व उस राज्य में सभी विधियां, जो सती कर्म के निवारण या गौरवान्वयन का उपबंध करती हैं, ऐसे प्रारंभ पर निरसित हो जाएंगी।
- ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन निरसित किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और विशिष्टतया इस प्रकार निरसित किसी विधि के उपबंधों के अधीन किसी विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान किए गए और उस राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व उसके समक्ष लंबित किसी मामले पर कार्रवाई ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उस विशेष न्यायालय द्वारा वैसे ही जारी रहेगी, मानो वह विशेष न्यायालय इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित किया गया हो।

13.4 सारांश

सती प्रतिबंध अधिनियम, 1829 को ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत सती प्रथा जैसे अधर्मिक और अमानवीय अभियान्त्रिकी कार्यों को रोका गया। इससे पूर्व सती प्रथा में मृत्यु के बाद विधवा पत्नी को अपने पति के साथ अवश्य जलने की प्रथा थी। इस अधिनियम ने भारतीय समाज में महिलाओं की सुरक्षा,न्याय और आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया।

13.5 पारिभाषिक शब्दवाली

सती प्रथा– यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था।

सती– पति की चिता के साथ जलनें वाली स्त्री को सती कहा जाता था।

अभ्यास प्रश्न – लघु, विस्तृत

लघु उत्तरीय प्रश्न

- "सती प्रतिषेध अधिनियम" किस वर्ष में पारित हुआ?
- सती प्रतिषेध अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
- सती प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसे सजा हो सकती है?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

- सती प्रतिषेध अधिनियम क्या है? इसका उद्देश्य और प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
- सती प्रतिषेध अधिनियम की महत्वपूर्णता क्या है? इसके लागू होने से कैसे महिलाओं की सुरक्षा और मानवाधिकारों की सुरक्षा में सुधार हुआ है?

13.6 संदर्भ– ग्रंथ सूची

- "अपराधशास्त्र, दंण्डशास्त्र एवं पीड़ितशास्त्र" लेखक एम के तिवारी, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी,
- "महिला एवं अपराधिक विधि" लेखक गोपाल उपाध्याय, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन
- "अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" लेखक डॉ ना वि परांजपे सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2005
- "अपराधशास्त्र एवं दण्ड शास्त्र" लेखक डॉ बसन्तीलाल बाबेल इस्टर्न बुक कम्पनी, 2013

इकाई–14 घरेलू हिंसा एक अधिनियम

इकाई की रूपरेखा

14.0 इकाई का उद्देश्य

14.1 परिचय

14.2 घरेलू हिंसा अधिनियम का अर्थ

14.3 घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005

14.4 सारांश

14.5 पारिभाषिक शब्दवाली

अभ्यास प्रश्न – लघु, विस्तृत

14.6 संदर्भ– ग्रंथ सूची

14.0 इकाई का उद्देश्य

"घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005" के उद्देश्य घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षा प्रदान करने, पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, और इस अन्यायपूर्ण व्यापार को रोकने के लिए हैं। यह अधिनियम पीड़ित महिलाओं को सामाजिक, मानसिक, और न्यायिक सहायता प्रदान करता है और उन्हें घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण की प्रावधानिक व्यवस्था करता है। यह अधिनियम संगठनित प्रवृत्तियों को दबाने, जागरूकता बढ़ाने, जुर्माने की प्रणाली को मजबूत करने और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए भी उद्देश्यों को पूरा करता है। इसके माध्यम से समाज में घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाती है और महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।

14.1 परिचय

"घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005" भारतीय कानून में एक महत्वपूर्ण कदम है जो स्त्री और परिवार को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। इस अधिनियम के तहत, घरेलू हिंसा के तत्वों और प्रकारों को परिभाषित किया जाता है, पीड़ित महिलाओं को संरक्षण, न्यायिक सहायता, और प्रावधानों का आयोजन किया जाता है। यह अधिनियम स्त्री और परिवार की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है।

14.2 घरेलू हिंसा अधिनियम का अर्थ

किसी पुरुष या उस के रिश्तेदार द्वारा महिला, जो कि उसके रिश्ते में थी या है, को शारीरिक, मानसिक, यौनिक, भावनात्मक या आर्थिक नुकसान या चोट पहुंचाना या पहुंचाने की चेष्टा करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंर्तगत महिला को दहेज या अन्य संपत्ति की मांग करना या इसके लिए महिला से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति या रिश्तेदार को परेशान या प्रताड़ित किया जाना भी आता है।

स्पष्टीकरण

शारीरिक क्षति से अभिप्राय –

- महिला को किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा पहुंचाना।
- ऐसा कोई भी कार्य करना जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता हो या ऐसी आशंका पैदा करता हो।
- ऐसा कोई व्यवहार जो महिला के स्वास्थ्य या विकास को रोकता हो।
- इसके अंतर्गत हमला या शारीरिक बल का आपराधिक इस्तेमाल शामिल है।

लैंगिक क्षति/यौनिक शोषण –

- ऐसा कोई भी यौनिक आचरण/व्यवहार जो महिला की गरिमा को खत्म करता हो।
- महिला का अपमान या तिरस्कार करता हो।
- महिला के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाना भी घरेलू हिंसा में शामिल है।

मौखिक और भावनात्मक रूप से शोषण –

- अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से बच्चे/संतान या लड़का के न होने के संबंध में अपमान/ताने या उपहास।
- किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाने की लगातार धमकियां देना जिससे कि महिला का जुड़ाव/संबंध हो, या लगाव हो।

आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाना –

- ऐसे सभी आर्थिक, वित्तीय संसाधनों जिसके लिए महिला किसी विधि/कानून या परम्परा/रूढ़ि के अनुसार हकदार है, उसका प्रयोग न करने देना
  - महिला व उसके बच्चों की घरेलू आवश्यकताओं का पूरा न करना।
  - स्त्रीधन, महिला द्वारा संयुक्त रूप से या अलग से स्वामित्व वाली संपत्ति, साझी गृहस्थी के प्रयोग से उसे रोकना और उसके रख–रखाव से संबंधित किराया और खर्च उसे देने से रोकना/वंचित करना।
- घरेलू सामान को बेचना
  - संपत्ति, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और इनके बराबर अन्य सम्पत्तियों पर –जिन पर महिला का पूर्ण या आंशिक अधिकार हो या फिर जिन से महिला का हित सुरक्षित रहता हो– को महिला की गैर मौजूदगी और बिना सहमति के बेचना।
  - संपत्ति किसी और को देना या कब्जा करना या किसी भी तरीके से महिला को उसके इस्तेमाल से वंचित करना।

14.3 घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005

महिलाएं आज भी बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। पितृ सत्तात्मक समाज का ताना–बाना घर से लेकर पुलिस थाने और कचहरी तक ऐसा है कि महिला हर जगह पीड़ित बनकर ही रह जाती है। घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज न उठाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना और घर छिन जाने का डर होता है। वर्ष 2005 से पहले घरेलू हिंसा से लड़ने के नाम पर हमारे पास 498ए और 304बी जैसी धाराओं की व्यवस्था थीजो कि देहज प्रताड़ना और दहेज हत्या से महिलाओं को राहत देने वाली धाराएं थीं। लेकिन इनका क्रियान्वयन कई कारणों से नहीं हो पाता था और इनके तहत विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसा की घटनाएं कवर नहीं हो पाती थीं। नजीता यह हुआकि घरों के अंदर महिलाओं के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा न सिर्फ नजरअंदाज होती रही बल्कि साल दर साल महिलाएं अपनी जान से हाथ धोती रहीं।वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम महिलाओं और महिला अधिकारों परकाम कर रहे संगठनों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया और इस अधिनियम को प्रगतिशील अधिनियम की संज्ञा से नवाजा भी गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर महिलाओं के साथ लगभग सभी प्रकार की हिंसा को न सिर्फ परिभाषित किया गया है बल्कि समस्या के अनुरूप घर के अंदर सुरक्षा का अधिकार, निवास का अधिकार जैसी राहतों को शामिल किया गया है। महिलाओं को ऐसी व्यवस्था बड़ी समस्या से निजात दिलाती है। मगर अफसोस है कि अभीतक इस अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। प्रशासन का असंवेदनशील रवैया इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा देने में चुनौती बना हुआ है।

किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है – प्रत्यर्थी

- प्रत्यर्थी का अभिप्राय ऐसे पुरुष/व्यक्ति होता है जो महिला की घरेलू नातेदारी से हो, या रहा है जिसके खिलाफ महिला ने, इस कानून के अंतर्गत राहत की मांग की है।

- इस कानून के अंतर्गत महिला केवल वयस्क पुरुष के खिलाफ ही कानूनी कार्यवाही कर सकती है। चाहे वह उसके साथ महिला का किसी प्रकार की घरेलू रिश्ता हो ;शादी से पहले या शादी के बाद। महिला यदि किसी व्यक्ति के साथ बिना शादी के शादी जैसे संबंधो में किसी भी समय रही हो तो वह व्यक्ति भी इस परिभाषा में शामिल है।

शिकायत कौन कर सकता है?

- संरक्षण अधिकारी से घरेलू हिंसा की शिकायत कोई भी कर सकता है। चाहे वह महिला से संबंधित हो या नहीं।

घरेलू सम्बन्ध

घरेलू सम्बन्ध उन दो लोगों में होता है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं और उन दोनों अर्थात स्त्री और पुरुष के बीचमें किसी भी प्रकार का संबंध चाहे वह समरक्तता, या दत्तक ग्रहण से जुड़ा हो या फिर वे दोनों संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते आये हों।

घरेलू हिंसा अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी जिम्मेदार है:–

संरक्षण अधिकार– इस कानून के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा हर जिले में एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया जिसकी जिम्मेदारी घरूले हिंसा से पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं जैसे तुरंत चिकित्सा तथा कानूनी सहायता दिलवाने की होगी।

पुलिस अधिकारी– इस कानून के अर्न्तगत प्रत्येक थाने के थानाध्यक्ष को भी पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं दिलवाने के निर्देश है।

सेवा प्रदाता– इस कानून के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा कुछ गैर सरकारी संस्थाओ को सेवा प्रदाता के रूप में चुना जाएगा जिनकी जिम्मेदारी होगी पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं और मुफ्रत कानूनी सहायता दिलवाना।

मजिस्ट्रेट/जज–इस कानून के जज भी विशेष परिस्थितियों मे किसी पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए स्वतः कार्यवाही कर सकता है। (ये सभी अधिकारी घरेलू हिंसा का संदेह होने पर स्वयं कार्यवाही कर सकते है)

शिकायत करने के निम्न प्रकारों को शामिल किया गया है –

- फोन पर की जा सकती है
- ई–मेल भेजकर की जा सकती है
- लिखित रुप में की जा सकती है।

घरेलू हिंसा की शिकायत कब की जा सकती है?

- घरेलू हिंसा होने के बाद।
- घरेलू हिंसा होते समय।
- घरेलू हिंसा होने की आशंका होने पर।

घरेलू हिंसा की शिकार महिला की सहायता कौन कर सकता है?

इस कानून के अंतर्गत घरेलू हिंसा की शिकार महिला को राहत प्रदान करवाने के लिए मुख्य रूप से संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा सेवा प्रदाताओं का चयन किया गया है।

- **संरक्षण अधिकारी**

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले उतने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जितने कि जिले के अनुसार राज्य सरकार को आवश्यक लगे। संरक्षण अधिकारी, जहां तक संभव हो, महिला होंगी।

संरक्षण अधिकारी के कर्त्तव्य

- मजिस्ट्रेट को इस कानून के अंतर्गत उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना

- मजिस्ट्रेट को, घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर और उस पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अग्रेषित/पहचान देना, जो कि उसकी स्थानीय सीमा के अंतर्गत हो।
- पीड़ित महिला के अधिकारों के विषय में अवगत करना, मुफ्त कानूनी सुविधा दिलाना
- यदि महिला सुरक्षित आश्रय गृह चाहती है। उसे उपलब्ध करना, व रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस अधिकारी को देना।
- पीड़ित महिला को अगर शारीरिक चोट घरेलू हिंसा से पहुंची हो तो, उसका चिकित्सीय परीक्षण करना, व उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी को एक प्रति देना।
- स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सेवा प्रदाताओं, सलाहकारों, और आश्रयगृहों के नाम तथा चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने वाले अस्पतालों के नामों की सूची बनाना।
- पीड़िता को यह विश्वास दिलाना कि उसे मजिस्ट्रेट से सुरक्षा का आर्डर अवश्य प्राप्त होगा।

सेवा प्रदाता

सेवा प्रदाता उस संस्था को नियुक्त किया जायेगा जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, या कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो।

सेवा प्रदाता का उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन के द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता व अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है। वे इस कानून/अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को राज्य सरकार के पास सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं।

सेवा प्रदाता के कर्त्तव्य

- पीड़ित महिला के अधिकारों के विषय में अवगत करना, मुफ्त कानूनी सुविधा दिलाना।
- यदि पीड़ित महिला सुरक्षित आश्रयगृह चाहती है तो उसे उपलब्ध कराना और रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस अधिकारी को देना।
- पीड़ित महिला को अगर शारीरिक चोट घरेलू हिंसा से पहुंची हो तो, उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना, व उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी को देना।

अधिनियम/कानून के अंतर्गत महिला प्राप्त होने वाली सुविधा/आदेश/राहत

1. **धारा–14 (परामर्शदाता से परामर्श लेने को निर्देश)**

   मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अंतर्गत अगर महिला चाहे तो, प्रत्यर्थी या पीड़ित महिला को अकेले या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से जो परामर्श में योग्यता और अनुभव रखता है, परामर्श लेने को निर्देश दे सकता है।

2. **धारा–16 (कार्यवाही को बंद कमरे में किया जाना)**

   यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण और यदि महिला चाहे तो वह इस कानून के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही बंद कमरे में करने की मांग करती है तो मजिस्ट्रेट विशेष परिस्थितियों मे कार्यवाही बंद कमरे में संचालित कर सकता है।

3. **धारा–17 (साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार)**

   घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी/ साझे घर में निवास करने का अधिकार होगा चाहे वह उसमें कोई हक, फायदा, हित रखती हो या नहीं। उसे प्रत्यर्थी को महिला को साझी गृहस्थी से निकाल नहीं सकता है।

4. **धारा–18 (संरक्षण का अधिकार)**

   मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़ित महिला और प्रत्यर्थी को एक बार सुनने के पश्चात, या यह संभावना होते हुए कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है महिला के पक्ष में संरक्षण का आदेश पारित कर सकता है।

- घरेलू हिंसा के किसी कार्य या आचरण/व्यवहार को करने पर रोक।
- घरेलू हिंसा के कार्यों के करने में सहायता या दुष्प्रेरित करने पर रोक।
- पीड़ित महिला के काम करने के स्थान पर, उसके बच्चे के विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहां महिला का बार–बार आना–जाना है उस पर प्रत्यर्थी के आने में रोक।
- पीड़ित महिला से प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के सम्पर्क पर रोक/ इसके अंतर्गत मौखिक, लिखित, दूरभाषीय/फोन पर बातचीत या इलैक्ट्रोनिक ;ई–मेल सम्पर्क भी सम्मिलित है।
- सम्पत्ति का हस्तांतरण करने, बैंक लाकरों या बैंक खातों का प्रचालन ;उपयोग करने जिसमें दोनों पक्षों द्वारा प्रयोग, उपयोग करने (जो दोनों पक्षों नाम पर था) पर रोक।
- पीड़ित महिला की सुरक्षा की दृष्टि से किसी अन्य प्रकार का संरक्षण का अधिकार भी दिया जा सकता है।

5. धारा–19 (निवास का आदेश)

मामले का समाधान करते समय, जब मजिस्ट्रेट को विश्वास हो जाये कि घरेल हिंसा हुई है, मजिस्ट्रेट महिला को उसी घर में या प्रत्यर्थी के खर्चे पर कहीं और निवास का आदेश दे सकता है। निवास आदेश मे निम्न प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं–

- साझी गृहस्थी से महिला को न निकालने का आदेश।
- प्रत्यथी को उस साझी गृहस्थी से स्वयं हटने का आदेश।
- पीड़ित महिला की साझी गृहस्थी/घर के उस हिस्से में जिसमें वह रह रही है, उसमें प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदार के प्रवेश पर रोक।
- पीड़ित महिला को प्रत्यर्थी के स्तर के आनुकल्पिक वास (किराये के घर) की सुविधा दिलाना जैसी कि वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी।
- महिला को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को जिसकी वह हकदार है, कब्जा लौटाने के आदेश देना।

6. धारा–20 (आर्थिक सहायता/वित्तीय राहत)

पीड़ित महिला व उसके बच्चों को उसकी जरूरत के अनुसार व्यय और नुकसान की पूर्ति के लिये आर्थिक सहायता/वित्तीय राहत देने का आदेश भी मजिस्ट्रेट दे सकता।

- कमाई की हुई हानि की पूर्ति।
- चिकित्सीय खर्च की पूर्ति।
- पीड़ित महिला के नियंत्रण में से किसी सम्पत्ति के नुकसान, हटाये जाने के कारण हुई हानि की पूर्ति का आदेश।

7. धारा–21 (अभिरक्षा का आदेश)

- पीड़ित महिला या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को बच्चों की अभिरक्षा का आदेश भी मिल सकता है।
- यदि मजिस्ट्रेट को यह लगे कि प्रत्यर्थी की किसी प्रकार की मुलाकात बच्चों/संतान के हित में नहीं है या हानिकारक है तो वह प्रत्यर्थी के बच्चों से मिलने पर भी रोक लगा सकता है।

8. **धारा–22) हर्जाना/मुआवजे का आदेश**

इस कानून के अंतर्गत मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला के साथ प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा, मानसिक यातना, भावनात्मक चोट भी सम्मिलित है के एवज में प्रतिकर और क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला को मुआवजा/हर्जाना देने के आदेश भी दे सकेगा।

9. **(धारा–23) एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति**

यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा कर रहा है या की है अथवा करने की आशंका है तो वह शपथपत्र को संज्ञान में रखते हुए धारा 18, धारा 19, धारा20, धारा 21 और धारा 22 के तहत एकपक्षीय आदेश दे सकता है।

10. **धारा–24**

पीड़ित महिला को आदेश की प्रति निःशुल्क मिलनी चाहिए।

11. **धारा–29 अपील**

पीड़ित महिला अथवा प्रत्यर्थी को जारी मजिस्ट्रेट के आदेश के 30 दिन के भीतर सत्र न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

12. **धारा–31 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर दंड**

अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेशका भंग होना, इस कानून के अन्दर अपराध होगा। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को एकसाल की सजा या बीस हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडितकिया जा सकता है।

14.4 सारांश

"घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005" में, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम महिलाओं को उनके अधिकारों की पहचान, सहायता और न्याय प्रदान करता है। इससे घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और पीड़ित महिलाओं को संरक्षण और सहायता प्राप्त होती है। यह अधिनियम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की एक मजबूत आधार प्रदान करता है और घरेलू हिंसा को कम करने और समाज में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

14.5 पारिभाषिक शब्दवाली

घरेलू हिंसा– घरेलू हिंसा मे किसी महिला के साथ शरीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है।

अभ्यास प्रश्न – लघु, विस्तृत

लघु उत्तरीय प्रश्न

- "घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005" का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- "घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005" में महिलाओं को किस प्रकार का समर्थन और सुरक्षा प्रदान की जाती है?
- "घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005" के अंतर्गत कौन–कौन सी कार्यवाई और सजा प्रावधान हैं?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

- "घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005" क्या है और इसके महत्व को विस्तार से समझाएं?
- "घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005" के तहत कौन–कौन से अधिकार और सुरक्षा प्रावधान महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं? इनका विस्तार से वर्णन करें।

14.6 संदर्भ– ग्रंथ सूची

- "महिला एवं बाल कानून" लेखक ओ पी मिश्रा, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी
- "अपराधशास्त्र, दंण्डशास्त्र एवं पीड़ितशास्त्र" लेखक एम के तिवारी, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी,
- "महिला एवं अपराधिक विधि" लेखक गोपाल उपाध्याय, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन
- "अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन" लेखक डॉ ना वि परांजपे सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन

खण्ड परिचय

बाल विकास एवं बालकों से संबंधित विधिक प्रावधान

इस खंड का उद्देश्य विद्यार्थियों में बाल विकास की अवधारणा एवं अर्थ की समझ विकसित करना है। इस खंड के अंतर्गत बाल विकास के चरण, बाल विकास की प्रक्रिया, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह पर प्रकाश डाला गया है। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत विद्यार्थी बाल विकास से संबंधित विभिन्न आयामों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। साथ ही बाल विवाह, बाल श्रम जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर सकेंगे।

इस खंड की इकाई–15 में बाल विकास की अवधारणा तथा बाल विकास चरणों की व्याख्या की गई है। इकाई–16 में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया है। इकाई–17 में बाल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों का वर्णन किया गया है। इकाई–18 बाल विकास संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या करती है। इकाई–19 में विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का विवरण दिया गया है। इकाई–20 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों को प्रस्तुत करती है।

इकाई–15 बाल विकास की अवधारणा एवं चरण

इकाई की रूपरेखा

15.0 इकाई का उद्देश्य

15.1 परिचय

15.2 बाल विकास के चरण तथा सिद्धान्त

15.3 बाल विकास के मुख्य क्षेत्र

15.4 सार संक्षेप

15.5 परिभाषिक शब्दावली

15.6 अभ्यास प्रश्न लघु विवरण

15.7 संदर्भ ग्रंथ सूची

15.0 इकाई का उद्देश्य

हममें से अधिकांश लोग आम तौर पर इस बात से अवगत होते हैं कि एक बच्चा किन विभिन्न चरणों से गुजरता है और इन विभिन्न चरणों के दौरान बच्चों की ज़रूरतें कैसे बदलती हैं। यद्यपि ये केवल वस्तुनिष्ठ तथ्य हैं जिन्हें हम अपनी परिपक्वता और अनुभव के आधार पर सीखते हैं। जब इस तरह के प्रश्नों की बात आती है कि इन निर्णायक वर्षों के दौरान बच्चों की क्षमताएं कैसे विकसित होती हैं, या औपचारिक शिक्षा इस विकास में क्या भूमिका निभाती है, सामान्य तौर पर समाज इस विकास में क्या भूमिका निभाता है, तो उत्तर और स्पष्ट समझ की वास्तविक कमी है। मूल रूप से, बाल विकास की अवधारणा को या तो ठीक से समझा नहीं गया है, या इसे बहुत ही सीमित अर्थ दिया गया है जो काफी हद तक बच्चों की औपचारिक शिक्षा के आसपास घूमती है। इसलिए, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों के जीवन में शामिल विभिन्न लोगों की भूमिकाओं का विश्लेषण करने से पहले बाल विकास की अवधारणा को समझने पर ध्यान केंद्रित करें।प्रस्तुत इकाई उपरलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए संरचित की गई है। इस इकाई के अध्ययन के उरांत विद्यर्थियों में बाक विकास के बहुआयामी पक्षों का ज्ञान प्राप्त होगा। जिसका उपयोग विद्यार्थी अपने व्यावहारिक जीवन में करने में सक्षम होंगे तथा समाज में बालकों के सर्वांगीण विकास प्रक्रिया को सहज बनाने में अपना योगदान देने में सक्षम हो पाएंगे।

15.1 परिचय

बाल विकास से तात्पर्य एक बच्चे में जन्म से लेकर वयस्कता की शुरुआत तक होने वाले शारीरिक, भाषा, विचार और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम से है। इस प्रक्रिया के दौरान एक बच्चा अपने माता-पिता/अभिभावकों पर निर्भरता से बढ़ती स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। बच्चे का विकास आनुवांशिक कारकों (उनके माता-पिता से पारित जीन) और जन्मपूर्व जीवन के दौरान की घटनाओं से काफी प्रभावित होता है। यह पर्यावरणीय तथ्यों और बच्चे की सीखने की क्षमता से भी प्रभावित होता है। सामान्यतः बाल विकास आनुवंशिकी, जन्मपूर्व परिस्थितियाँ, एक विशिष्ट निदान या चिकित्सा कारकों की उपस्थिति या अवसर की कमी से अत्यधिक प्रभवित होता है। सर्वोत्तम योग्य पेशेवर द्वारा विशिष्ट मूल्यांकन, विकासात्मक मुद्दों और चिंता की सीमा के बारे में स्पष्टता प्रदान कर सकता है चूंकि बाल विकास की प्रक्रिया में एक साथ कई कौशल विकसित करना शामिल होता है, इसलिए कई पेशेवरों से परामर्श लेने में लाभ हो सकता है।विकास की सहजता और गति को अधिकतम करने, बच्चे की क्षमता और उसके समान उम्र के साथियों के बीच होने वाले अंतर को कम करने, बच्चे के आत्मविश्वास के साथ-साथ बच्चे के माता-पिता द्वारा सामना की जा सकने वाली निराशा को कम करने के लिए विकासात्मक चुनौतियों पर काबू पाना महत्वपूर्ण है।

15.2 बाल विकास के चरण तथा सिद्धांत

सामान्यतः बाल विकास की प्रक्रिया विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। विभिन्न शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों ने इस बात पर विचार किया है कि जीवन के विभिन्न चरणों में एक बच्चा कैसे विकसित होता है, वे चरण क्या हैं, बच्चों के जीवन को आकार देने में माता-पिता और समाज की सामान्य भूमिका क्या है? एक बच्चा अपने जीवन में तीन अलग-अलग विकासात्मक परिवर्तनों से गुजरता है जो इस प्रकार हैं:

1. शैशवावस्था
2. बचपन
3. किशोरावस्था

इन 3 चरणों में शैशवावस्था 0-2 आयु वर्ग के बच्चों को संदर्भित करती है, बचपन 2-13 से शुरू होता है, और किशोरावस्था 13-18 से शुरू होती है। वास्तव में इस समय तक बच्चे का अधिकांश सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास विकसित हो जाता है और इसके बाद के वर्ष काफी हद तक इस बात का प्रतिबिंब होते हैं कि वे इन प्रारंभिक वर्षों में क्या सीखते हैं। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत हैं जो इस अवधारणा में कुछ वाकई दिलचस्प और अनोखी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक **एरिक एरिक्सन** ने बाल विकास का अपना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनका प्रावधान है कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को बचपन से वयस्कता तक विकास के आठ चरणों से गुजरना चाहिए। इन आठ चरणों में से प्रत्येक के साथ कुछ गुण जुड़े हुए हैं और कुछ चुनौतियाँ हैं जिन्हें एक व्यक्ति को प्राप्त करना और दूर करना होगा। वह इन चरणों पर काबू पाने और किसी व्यक्ति के विकास में सामाजिक संबंधों पर बहुत अधिक निर्भरता रखता है। उदाहरण के लिए, इसमें शामिल चरणों में से एक स्कूली उम्र का चरण है जिसमें बच्चे का विकास काफी हद तक उसके स्कूल के दोस्तों और पड़ोस के साथ उसके संबंधों पर निर्भर होता है। इस चरण से जुड़ा गुण योग्यता है क्योंकि बच्चा दुनिया में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करने की अपनी क्षमता पर सवाल उठा रहा है। उसे अगले चरण में जाने के लिए इस चरण को पार करना आवश्यक होता है। बच्चे की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने में असमर्थता उसकी प्रगति और विकास में बाधा डालती है।

लेव वायगोत्स्की द्वारा प्रदान किया गया एक अन्य सिद्धांत भी बच्चों के अंतिम विकास को निर्धारित करने वाले सामाजिक संबंधों पर बहुत अधिक निर्भरता रखता है। वह माता-पिता पर एक अतिरिक्त और बड़ी जिम्मेदारी डालते हैं कि वे अपने बच्चों को इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करें और उन्हें बेहतर विकास में मदद करें।

यद्यपि, विकास का मनोवैज्ञानिक चरण सिद्धांत एक बहुत प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट, मनोविश्लेषक, लेखक, **सिगमंड फ्रायड** द्वारा प्रतिपादित किया गया |इसके अनुसार प्रत्येक बच्चा, शैशवावस्था से वयस्कता तक, अचेतन जन्मजात यौन प्रवृत्ति के विभिन्न चरणों से गुजरता है जो एक बच्चे के विकास को निर्धारित करता है। इन विभिन्न चरणों में से किसी भी समय हुई कोई भी चिंता बाद में मानसिक अक्षमताओं का कारण बन सकती है। फ्रायड जिस यौन प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं, उसकी व्याख्या इच्छा, आनंद, खींची गई ऊर्जा आदि सहित व्यापक अर्थों में की जानी चाहिए। उनके काम को गहराई से पढ़ने और उनके अन्य कार्यों की बुनियादी समझ से उनके सिद्धांत को अधिक परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद मिलती है। हालाँकि, उनके विचार निरंतर, रचनात्मक आलोचना पाने में कभी असफल नहीं हुए।

15.3 बाल विकास के मुख्य क्षेत्र

आम तौर पर स्वीकृत धारणाओं और ऊपर दिए गए सिद्धांतों के आधार पर, व्यक्ति के आसपास के वातावरण में निवास करने वाले व्यक्ति उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औपचारिक शिक्षा, विकास की एक विस्तृत प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है और विकास के विभिन्न चरणों में बच्चों के बीच विभिन्न गुणों को विकसित करने में मदद करती है और उन्हें जीवन जीने के सकारात्मक तरीके की ओर सक्षम बनाती है, इसमें भी एक बड़ी भूमिका होती है। बालकों के विकास में माता-पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे बचपन के प्रारंभिक वर्षों में विकास की पूरी प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, और वे समाज के सामने आने पर अपने बच्चों के जीवन से अवांछित वस्तुओं और घटनाओं को नियंत्रित करने के बारे में भी निर्णय ले सकते हैं। अतः समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वह अच्छे कार्यों के साथ बच्चों की भलाई सुनिश्चित करे और उनके समग्र विकास के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करें |

जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनका विकास विभिन्न तरीकों से होता है, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिससे हर बच्चा गुजरता है और इसमें बैठने और खड़े होने जैसे शारीरिक कौशल से लेकर

मुस्कुराने या दूसरों के साथ संबंध बनाने जैसे सामाजिक और भावनात्मक कौशल तक सब कुछ शामिल होता है। प्रत्येक बच्चा अपनी गति से प्रगति करता है, लेकिन कुछ निश्चित कौशल होते हैं जो प्रत्येक बच्चे को एक निश्चित उम्र तक होने चाहिए, और इन्हें विकासात्मक मील के पत्थर के रूप में जाना जाता है।

जीवन के प्रारंभिक वर्ष बच्चों के लिए एक मजबूत नींव बनाने का सबसे महत्वपूर्ण समय होते है क्योंकि वे अपने विकासात्मक मील के पत्थर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जन्म के उपरान्त बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकास करता है, प्रत्येक दिन उसमें एक अद्भुत परिवर्तन देखा जा सकता है | बच्चे अपने जीवन के पहले पांच वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ते और विकसित होते हैं कि यह ट्रैक करना महत्वपूर्ण है कि वे विकास के स्तर पर कहां हैं। इस सन्दर्भ में बाल विकास को कुछ विषित क्षेत्रों में बांटा गया है जो इस प्रकार है:

1. **ज्ञान संबंधी विकास:** संज्ञानात्मक विकास को अक्सर अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जो जन्म से लेकर किशोरावस्था और वयस्कता तक की अवधि में विकसित होते हैं। इनमें बुद्धि, स्मृति और तर्क शामिल हैं।

i. **बुद्धि:** हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या जानते हैं और बौद्धिक क्षमताएँ कैसे विकसित होती हैं? बच्चे अपने विकास के प्रत्येक चरण में सीखने में कितना सक्षम हैं? क्या यह असीमित है या इसके पैरामीटर हैं? वे अपने आसपास की दुनिया के साथ प्रतिक्रिया करने और बातचीत करने के लिए आवश्यक कौशल कैसे विकसित करते हैं? क्या कोई आदेश है कि उनकी क्षमताएं कैसे विकसित होंगी? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने 1952 में, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर अपना अग्रणी सिद्धांत के माध्यम से दिया और बचपन के विकास के चार संज्ञानात्मक चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की। यह अपने समय में विवादास्पद था क्योंकि यह उस समय की सोच के विपरीत था कि बच्चों को तब तक कोई अनुभूति नहीं होती जब तक वे बोलने में सक्षम नहीं हो जाते। उनके सिद्धांत को अब बचपन के संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम जो समझते हैं उसमें अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है।पियागेट के सिद्धांत के अनुसार; संज्ञानात्मक विकास चार अलग-अलग, सार्वभौमिक चरणों की श्रृंखला में होता है, जो हमेशा एक ही क्रम में विकसित होते हैं। प्रत्येक चरण पिछले चरण में सीखी गई बातों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, 2-7 वर्ष की आयु के बच्चे अनदेखी वस्तुओं (जैसे राक्षस, या डरावना भूत) की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक यह समझने के लिए कि राक्षस वास्तव में मौजूद नहीं हैं, निगमनात्मक तर्क में कौशल विकसित नहीं किया है |

ii. **याद :** मस्तिष्क का विकास संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है और जैसे हमारे बच्चों का मस्तिष्क शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन में विकसित होता है, वैसे ही उनकी याद रखने की क्षमता भी विकसित होती है। स्मृति एक बच्चे के सामाजिक-भावनात्मक और संज्ञानात्मक कामकाज में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।जैसा कि हम जानते हैं, जन्म के समय मानव मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। हम एक बच्चे के रूप में याद नहीं रख पाते हैं, फिर भी हम अपनी पसंदीदा किशोर फिल्म या गीत की हर पंक्ति को याद रख पाते हैं, इसका कारण यह है कि हमारा मस्तिष्क कैसे विकसित होता है, और अधिक विशेष रूप से, हमारी स्मृति प्रणाली बचपन से किशोरावस्था तक कैसे विकसित होती है। स्मृति का विकास (अल्पकालिक और दीर्घकालिक) बच्चे के जीवन के पहले 2-5 वर्षों में सबसे अधिक स्पष्ट होता है, उनकी स्मृति वयस्कता तक अच्छी तरह विकसित होती रहती है। इसके अलावा, मस्तिष्क के सभी हिस्से एक ही समय में विकसित नहीं होते हैं - वास्तव में, मस्तिष्क 25 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है

सूचना प्रसंस्करण से तात्पर्य है कि हम जानकारी कैसे लेते हैं और कैसे बनाए रखते हैं। अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित सूचना प्रसंस्करण मॉडल दो दशक पहले के पियागेट के मॉडल पर एक विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जबकि जीन पियागेट का सिद्धांत बताता है कि विचार विकास एक समय में चरणों में होता है, सूचना प्रसंस्करण मॉडल इसे विकास के एक सतत पैटर्न के रूप में मानता है और एक बच्चे की मानसिक प्रक्रिया की तुलना कंप्यूटर प्रसंस्करण, एन्कोडिंग, भंडारण और डिकोडिंग डेटा के रूपक से करता है। मॉडल का सिद्धांत है कि बच्चे केवल उत्तेजनाओं यानी अपनी इंद्रियों (संवेदी स्मृति) के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर प्रतिक्रिया करने के बजाय, अपनी छोटी और दीर्घकालिक यादों का उपयोग करके प्राप्त जानकारी को संसाधित करते हैं। दूसरे शब्दों में, बच्चे अपनी अधिकांश यादें अपने अनुभवों और दूसरों के साथ इसके बारे में बात करने से बनाते हैं और उनके संचार कौशल घटनाओं को याद करने की उनकी क्षमता में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं।

iii. **तर्कशक्तियाँ:** 2-5 वर्ष की आयु तक, अधिकांश बच्चे अपना ध्यान लंबे समय तक बनाए रखने और पहले मिली जानकारी को पहचानने और याद करने में सक्षम हो जाते हैं। साथ ही वे एक अनुभव का वर्णन करने और उसे वर्तमान समय में पुनर्निर्मित करने में सक्षम हो जाते है । उनकी लघु और दीर्घकालिक स्मृति के निर्माण से बच्चों को घटनाओं के पैटर्न और अनुक्रम को समझने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, वे जानते हैं कि दादी से मिलने के लिए कदमों का एक विशिष्ट क्रम शामिल होता है - एक कार की सवारी, सड़क पर थोड़ी पैदल दूरी, तालाब के पार, उनके दो कुत्तों द्वारा स्वागत, एक घर का बना कुकी और नाश्ते के लिए कुछ दूध, आदि। 5 से 7 साल की उम्र के बीच, बच्चे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना और उनका उपयोग करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, वे शब्दों की सूची (जैसे पढ़ने के लिए "दृष्टि" शब्द) या तथ्यों को याद कर सकते हैं। वे

अक्षर ध्वनियों (ध्वनि) को याद कर सकते हैं और पढ़ना सीखना शुरू कर सकते हैं। इस उम्र में वे श्रवण प्रसंस्करण भी विकसित करते हैं, जो अच्छे पढ़ने के कौशल के लिए महत्वपूर्ण हैउसे गाने सिखाना - दोहराव महत्वपूर्ण होता है। जितना अधिक उसके साथ खेला जायेगा और उसके पसंदीदा गाना गया जायेगा वह उनसे उतना ही अधिक परिचित होगी। शब्दों से मेल खाने के लिए क्रियाएँ जोड़ना,उन्हें कुछ ध्वनियाँ या शब्द दोहराने के लिए कहना , उसे रंग, संख्याएँ और आकार सिखाएँ परिचित खेल खेलना ताकि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कर सके|

2. **सामाजिक और भावनात्मक विकास:** ये एक बच्चे की दूसरों के साथ बातचीत करने और उसकी भावनाओं और भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को संदर्भित करते हैं। सहानुभूति, सहानुभूति, भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना और दूसरों से जुड़ने की क्षमता सामाजिक-भावनात्मक कौशल के उदाहरण हैं।ये कौशल बचपन में ही प्रारंभ हो जाते हैं | जन्म से बच्चे अपनी देखभाल करने वालों के साथ बातचीत करते हैं और भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं और ये वयस्कता के दौरान बढ़ता रहता है। शिशु मुस्कुराकर, किसी के चले जाने पर हाथ हिलाकर अलविदा कहकर, अपने भाई-बहन के साथ अपने खिलौने साझा करके, यहां तक कि अजनबियों के सामने चिंता (लगभग 7-9 महीने) या नखरे (लगभग 2 वर्ष की उम्र) दिखाकर सामाजिक-भावनात्मक विकास के लक्षण दिखाता है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ उनके भावनात्मक विकास का एक सामान्य हिस्सा हैंस्वस्थ सामाजिक-भावनात्मक कौशल आपके बच्चे को सकारात्मक रिश्ते बनाने और बनाए रखने, आत्मविश्वास, आत्म-जागरूकता और दूसरों और उनकी भावनाओं के बारे में जागरूकता विकसित करने, तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में मदद करते हैं |

   जन्म से ही, बच्चों को प्यार और ध्यान की ज़रूरत होती है माता पिता को उनकी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों का जवाब देना चाहिए, और उन्हें सुरक्षित और पोषित रखें| सकारात्मक रिश्तों और दृष्टिकोणों द्वारा उनके व्यवहार से सम्बंधित हर स्थितियों पर उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करें| अर्थात यदि कोई दुखी है तो सहानुभूति दिखाएं और मौखिक रूप से व्यक्त करेंखेल, कहानियों और सीखने के माध्यम से अपने बच्चे के साथ बातचीत करें जब वे खेलते हैं तो उनकी बातें सुनकर या उन्हें देखकर उन्हें दिखाएं कि आप उनमें और उनकी गतिविधियों में रुचि रखते हैं, जब वे आपको कुछ बताने की कोशिश करें या आपको दिखाएं कि वे क्या कर रहे हैं तो उन्हें अपना पूरा ध्यान दें। अपने बच्चे की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें स्वीकार करें, उन्हें अपनी भावनाओं को उम्र के अनुसार उपयुक्त तरीकों से साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें | अपने बच्चे को दूसरों के साथ खेलने और अपने साथियों के साथ संबंध बनाने का अवसर प्रदान करें पालतू जानवर आपके बच्चों को जिम्मेदारी के साथ-साथ सहानुभूति सिखाने का एक शानदार तरीका है। बच्चों को अपने पालतू जानवरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना सिखाया जा सकता हैं और विस्तार से, बच्चे अपने पालतू जानवरों के भावनात्मक संकेतों को समझना भी सीखते हैं - जब उन्हें जगह की आवश्यकता होती है, जब वे चिंतित होते हैं आदि। वे इन्हीं कौशलों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और अपने मानवीय रिश्तों के साथ सामाजिक जागरूकता को भी विकसित कर सकेंगे |

3. **भाषण और भाषा विकास:** वाणी का तात्पर्य उन ध्वनियों के निर्माण से है जो शब्द बन जाती हैं। लगभग 2 महीने में, बच्चे सबसे पहले कूकना शुरू करते हैं, और 6 महीने में वे आम तौर पर बड़बड़ाना शुरू करते हैं - यह वह है जो वे ध्वनियाँ बनाना सीखते हैं जो अंततः शब्द बनाती हैं। यह बात करने का शारीरिक कार्य है, भले ही हम यह न समझें कि वे क्या कह रहे हैं।दूसरी ओर, भाषा दूसरों से संवाद करने और समझने के लिए शब्दों (बोले या लिखे गए) और इशारों का उपयोग है। भाषा संचार के किसी भी रूप को संदर्भित करती है, चाहे वह मौखिक हो, लिखित हो या इशारे/हस्ताक्षर हो।हो सकता है कि आपका छोटा बच्चा अभी तक पूरे वाक्य नहीं बना रहा हो, या सुसंगत रूप से बोल भी नहीं रहा हो, लेकिन उनकी संवाद करने की क्षमता को नज़रअंदाज़ न करें। वे ध्वनि, चेहरे के भाव, हावभाव और कार्यों के माध्यम से अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को संप्रेषित कर सकते हैं। मुस्कुराना, रोना, चिल्लाना, हंसना, चीजें फेंकना, इशारा करना और यहां तक कि नखरे दिखाना ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे वे आपसे संवाद करने का प्रयास कर रहे हैंये ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप प्रारंभिक भाषा विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

   उनकी आवाज़ों और इशारों पर प्रतिक्रिया करते हुए - यदि वह उठाए जाने के लिए अपनी भुजाएँ उठाता है - तो उसे उठाएँ और कहें "क्या आप उठाया जाना चाहते हैं?" यदि वह अजीब आवाजें निकालता है, तो उसकी आवाजों की नकल करें | बच्चे को दिखाएं कि आप संवाद करने के उसके प्रयासों की सराहना करते हैं और समझते हैंउससे सवाल पूछें, भले ही वह अभी तक आपको जवाब न दे सके। उसे पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकों का विकल्प दें और दोनों पुस्तकों को पकड़ें और देखें कि वह कैसे प्रतिक्रिया देती है |यह सब गतिविधियाँ बच्चे के भाषण और भाषा के विकास में सहायक होते है|

4. **सूक्ष्म मोटर कौशल विकास:** यह छोटी-छोटी गतिविधियाँ करने के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल यानी छोटी मांसपेशियों, विशेष रूप से उनके हाथों और उंगलियों को संदर्भित करता है। ठीक मोटर कौशल का विकास लगभग जन्म के समय ही शुरू हो जाता है क्योंकि वे प्रतिक्रियापूर्वक पकड़ लेते हैं, कुछ महीनों बाद जब वे अपनी उंगलियां अपने मुंह में रखते हैं, और 6 महीने की उम्र

में, जब वे वस्तुओं को पकड़ना शुरू करते हैं।फाइन मोटर कौशल में प्रदर्शन करने के लिए सकल मोटर कौशल की तुलना में अधिक सटीकता शामिल होती है और इसके लिए कई स्वतंत्र कौशल (जैसे हाथ-आंख समन्वय, हाथ नियंत्रण, शरीर जागरूकता और धैर्य) की आवश्यकता होती है। हाथ में लिए गए काम को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें और खिलौनों से खेलना, खुद कपड़े पहनना, खुद खाना खिलाना, चित्र बनाना और लिखना जैसे काम करोंछोटे बच्चों को हर दिन अपनी ठीक मोटर गतिविधि का अभ्यास करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। चाहे वे नाश्ते के लिए खाना उठा रहे हों या अपने जैकेट पर ज़िपर खींचने की कोशिश कर रहे हों, इसे स्वयं लेना और इसे स्वयं करना बहुत जल्दी हो सकता है|

मोटर कौशल विकास अच्छी लिखावट कौशल विकसित करने का एक अग्रदूत है। एक बच्चे को छोटी वस्तुओं को उठाने और अपने हाथ की हथेली में छोटी मांसपेशियों में हेरफेर करने और व्यायाम करने के जितने अधिक अवसर मिलेंगे, बाद में रंग भरने, काटने और अक्षर बनाने के दौरान उसके पास उतना ही बेहतर नियंत्रण और ताकत होगी।लेकिन यह सिर्फ साफ-सुथरी लिखावट होने के बारे में नहीं है! छोटे हाथों को रोजमर्रा के काम करने के लिए निपुणता और ताकत विकसित करने की आवश्यकता होती है जैसे कि जूते के फीते बांधना, कपड़े पहनना, स्वयं भोजन करना आदि। अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचें और आप कितनी बार अपने ठीक मोटर कौशल का उपयोग करते हैं। यहां कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं: .....गांठ बांधना ,सुई में धागा पिरोना ,खाना बनाना ,टेबलवेयर का उपयोग करना ,खेल (जैसे पूल या डार्ट्स) ,एक कुंजी का उपयोग करना ,दरवाज़े का घुंडी घुमाना ,संगीत वाद्ययंत्र बजाना ,वीडियो गेम खेलना ,मेकअप लगाना ,हजामत बनाने का काम ,एक कीबोर्ड का उपयोग करना ,कपड़े उतारना ,किताब के पन्ने पलटना ,फर्श से खिलौने उठा रहे हैं|

फ़ाइन मोटर स्किल्स बढ़िया मोटर कौशल को बढ़ावा देने में मदद के लिए युक्तियाँ शामिल हैं|अपने बच्चे को विभिन्न प्रकार के खिलौनों के साथ खेलना, जिन्हें अच्छी तरह से संभालने या परिशुद्धता की आवश्यकता होती है जैसे ब्लॉक बनाना, मोतियों की माला लगाना, ढक्कन बंद करना, बटन दबाना, स्विच फ़्लिक करना आदि।कला - लिखना, चित्रकारी, चित्रकारी, रंग भरना, लिखनास्वयं की देखभाल - जैकेट की ज़िप लगाना, बटन लगाना, दस्ताने और मोज़े पहननापूरी सूची के लिए, बढ़िया मोटर कौशल को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम खिलौनों और गतिविधियों होती हैं|

4. **सकल मोटर कौशल विकास:** सकल मोटर कौशल से तात्पर्य शरीर की बड़ी गतिविधियों यानी बड़ी मांसपेशियों, विशेष रूप से सिर, गर्दन, हाथ और पैर को चलाने के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल से है। यह समन्वित और नियंत्रित तरीके से आपके हाथ, पैर या धड़ की गति है।किसी बच्चे के सकल मोटर कौशल विकसित होने का पहला उदाहरण लगभग 3-4 महीने का है जब उसे बैठने की स्थिति में खींचे जाने पर वह अपना सिर उठाता है, जिसके बाद वह करवट लेता है।सकल मोटर कौशल विकास का प्रत्येक चरण अगले चरण की ओर ले जाता है, क्योंकि वे आवश्यक मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करते हैं ताकि उन्हें करवट लेने से लेकर बैठने, रेंगने, खड़े होने, चलने, दौड़ने, कूदने आदि में प्रगति करने में मदद मिल सके। कुछ सकल मोटर कौशल के लिए आंखों की भी आवश्यकता होती है- हाथ समन्वय कौशल जैसे फेंकना, पकड़ना, लात मारना, स्कूटर या बाइक चलाना।

वस्तुतः हर समय अपने सकल मोटर कौशल का उपयोग करते हैं, चाहे हम बैठे हों या खड़े हों या अपने बिस्तर पर लेटे हों, हर बार जब हम चलते हैं या स्थिति बदलते हैं, तो हम अपने सकल मोटर आंदोलनों का उपयोग कर रहे होते हैं। संतुलन, शारीरिक शक्ति और शारीरिक जागरूकता सभी सकल मोटर विकास का हिस्सा हैं। यहां रोजमर्रा की गतिविधियों के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं जिनमें सकल मोटर कौशल की आवश्यकता होती है जैसे चीज़ें उठाना बाइक या घोड़े की सवारी करना ,फ़ुटबॉल या बेसबॉल या तैराकी जैसे खेल खेलना ,रोलर ब्लेडिंग या आइस स्केटिंग ,व्यायाम,बिस्तर बनाना ,खाना बनाना ,ड्राइविंग ,सिर हिलाना ,कपड़े पहनने के लिए अपनी भुजाएँ ऊपर उठाना ,खिलौने उठाने के लिए नीचे झुकना या आगे बढाना तथा गले लगाना सकल मोटर कौशल को बढ़ावा देने में मदद के लिए युक्तियाँ शामिल हैं:

बच्चे को उसके पेट पर लिटाया जाय ताकि वह अपना सिर उठाने के लिए आवश्यक मांसपेशियों को मजबूत कर सके, उसे अपने पसंदीदा खिलौने तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें| जब वह बैठा हो या खड़ा हो तो उसकी पहुंच से एक खिलौना दूर रखें ताकि वह उसे पाने के लिए अपने शरीर को हिलाने के लिए प्रोत्साहित कर सके छोटे बच्चों के लिए एक शॉपिंग कार्ट (या ऊंची पीठ वाला कोई पहिये वाला खिलौना) लें जिसे बच्चा इधर-उधर धकेल सके और चलने में मदद करने के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग कर सके।अपने बच्चे को ट्रैम्पोलिन पर या पार्क में खेल के ढांचे पर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वह दौड़ सके, कूद सके, चढ़ सके, झूल सके और फिसल सके।उसे फेंकने और किक मारने और पकड़ने के लिए एक गेंद दें| निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की सकलमोटर कौशल की विकसित किया जा सकता है

1. नृत्य। "साइमन सेज़" खेलें - ताली बजाएं, अपना सिर हिलाएं, अपनी बाहों को चारों ओर घुमाएं, अपने पैर की उंगलियों को छूएं, ऊंचाई तक पहुंचें, एक पैर पर खड़े हों।

2. खिलौनों का ढेर लगाना - ब्लॉकों को उठाना और टावर बनाना महत्वपूर्ण सकल मोटर कौशल का उपयोग करता ह
3. हुला हूपिंग - अपने बच्चे के शरीर को गतिशील बनाने का एक अत्यंत रोचक तरीका|
4. प्रकृति का अन्वेषण करें - पंखुड़ियाँ उठाने के लिए झुकें, या किसी पेड़ पर चढ़ें!

15.4 सार संक्षेप

अंतःये कहा जा सकता है बाल विकास की प्रक्रिया के सुचारू रूप से सञ्चालन हेतु न केवल बालक का व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं व्यवहार अपितु उसके आसपास के वातावरण में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निर्भर करता| क्योंकि उनके साथ की गई अंतर्क्रिया उनके उनकी बुद्धि , विवेक तर्कशक्ति ,भावनात्मक विकास तथा मोटर स्किल्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है| बालकों के विकास के प्रति नैतिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्त्व के अंतर्गत हम सभी को अपने व्यवहार में परिष्करण लाना चाहिए तथा बालकों के प्रति हिंसा ,शोषण ,दुर्व्यवहार,उपेक्षा आदि घटनाओं को घटने से बचाया जा सकता है|

15.7 परिभाषिक शब्दावली

अनुवांशिकी ,मोटरस्किल, शैशवावस्था , किशोरावस्था ,बाल्यावस्था ,सहानुभूति ,अंतर्क्रिया , मोटर कौशल

15.8 अभ्यास प्रश्न लघु

लघु प्रश्न:

1. बाल विकास के चरणों का संक्षिप्त विवरण दीजिये|

   .....

   .....

2. सकल मोटर कौशल विकास से आप क्या समझते हैं ?

   .....

   .....

विस्तृत प्रश्न:

1. बाल विकास के मुख्य क्षेत्रों का विस्तृत विवरण दीजिये

   .....

   .....

2. बालकों के मनोवैज्ञानिक विकास हेतु उत्तरदायी युक्तियों का विस्तृत वर्णन कीजिये|

   .....

   .....

15.9 संदर्भ सूची

1. आर्मस्ट्रांग केएल, फ्रेजर जेए, डैड्स एमआर और मॉरिस जे (1999) एक यादृच्छिक, नियंत्रितनवजात शिशुओं वाले कमजोर परिवारों में नर्स के घर जाने का परीक्षण। जे. बाल चिकित्सा.बाल स्वास्थ्य, वॉल्यूम. 35: 237-244.
2. बेकर एजेएल, पियोत्रकोव्स्की सीएस और ब्रूक्स-गन जे (1999) द होम इंस्ट्रक्शन प्रीस्कूल युवाओं के लिए कार्यक्रम (HIPPY)। बच्चों के भविष्य में, खंड 9 नं1: 114-133.
3. बार्लो जे (1997) अभिभावक-प्रशिक्षण की प्रभावशीलता की व्यवस्थित समीक्षा3-10 वर्ष की आयु के बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं में सुधार के लिए कार्यक्रमासार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय।
4. बार्नेट एसडब्ल्यू (1995) संज्ञानात्मक पर प्रारंभिक बचपन के कार्यक्रमों के दीर्घकालिक प्रभावऔर स्कूल के परिणाम. बच्चों के भविष्य में, वॉल्यूम। 5 नंबर 3: 25-50.
5. बार्नेट एसडब्ल्यू (1998) प्रारंभिक बचपन के दीर्घकालिक संज्ञानात्मक और शैक्षणिक प्रभाव गरीबी में बच्चों पर शिक्षा. प्रिवेंटिव मेडिसिन, वॉल्यूम. 27:204-207.

6. बूकॉक एसएस (1995) अन्य देशों में प्रारंभिक बचपन कार्यक्रम: लक्ष्य और परिणाम. बच्चों के भविष्य में, वॉल्यूम। 5 (3): 94-115.

7. कैंट आर (1999) नेशनल गुड बिगिनिंग्स पेरेंटिंग प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन.

8. राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य और वृद्ध देखभाल विभाग (1998) निविदा के लिए अनुरोध: बाल स्वास्थ्य जांच दिशानिर्देशों के अद्यतन की समीक्षा। कैनबरा

9. डाहलिन सी, सेडरब्लैड एम, एंटोनोव्स्की ए, हेगनेल ओ (1990) चाइल्डहुड अजेयता और वयस्क अजेयता। एक्टा मनोचिकित्सक स्कैंड, 82: 228-32।

10. मानव सेवा विभाग (1999) परिवार सहायता प्रारंभिक पहचान, हस्तक्षेप और रोकथाम सेवा मूल्यांकन रिपोर्ट। मानव विभाग सेवाएँ। मेलबर्न.

11. रोसेनबर्ग एलए, बुचबिंदर एसबी और सिया जीसी (1999) हवाई स्वस्थ शुरुआत का मूल्यांकन कार्यक्रम. बच्चों के भविष्य में. खंड 9 नंबर 1: 66-80।

12. डंस्ट सीजे और ट्रिवेटे सीएम (1994) पद्धति संबंधी विचार और रणनीतियाँ प्रारंभिक हस्तक्षेप के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन करना। एसएल फ्रीडमैन और एचसी में हेवुड (ईडीएस) विकासात्मक अनुवर्ती: अवधारणाएं, डोमेन और तरीके। नयार्योर्क. अकादमिक प्रेस.

13. डर्लक जेए और वेल्स एएम (1997) प्राथमिक रोकथाम मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चे और किशोर: एक मेटा-विश्लेषणात्मक समीक्षा। लोयोला विश्वविद्यालय: शिकागो

14. ड्वॉर्किन पीएच (1998) निवारक स्वास्थ्य देखभाल और प्रत्याशित मार्गदर्शन। प्रारंभिक हस्तक्षेप की हैंडबुक, द्वितीय संस्करण के लिए प्रस्तुत।

15. फर्ग्यूसन डीएम और लिंस्की एमटी (1997) के दौरान शारीरिक दंड/दुर्व्यवहार बचपन और युवा वयस्कता में समायोजन। बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा, खंड। 21:617-630.

16. फर्ग्यूसन डीएम, हॉरवुड एलजे (1998) अंतर-अभिभावकीय हिंसा का एक्सपोजर बचपन और युवा वयस्कता में मनोसामाजिक समायोजन। बाल शोषण और उपेक्षा, वॉल्यूम. 22: 339-357.

17. फर्ग्यूसन डीएम, हॉरवुड एलजे, शैनन और जेएम लॉटन (1989) द क्राइस्टचर्च चाइल्ड विकास अध्ययन: महामारी विज्ञान संबंधी निष्कर्षों की समीक्षा। बाल चिकित्सा और प्रसवकालीन महामारी विज्ञान, खंड 3: 302-325।

18. बच्चों का भविष्य: गृह भ्रमण हालिया कार्यक्रम मूल्यांकन (1999) खंड 9 नंबर 1। डेविड और ल्यूसिले पैकार्ड फाउंडेशन।

19. गुडमैन एसएच, गोटलिब आईएच (1999) बच्चों में मनोविकृति के लिए जोखिम अवसादग्रस्त माताएँ: तंत्र को समझने के लिए एक विकासात्मक मॉडल संचरण. साइकोल रेव 106 (3): 458-490।

20. गुरलनिक एमजे और बेनेट एफसी (एड्स) (1987) प्रारंभिक हस्तक्षेप की प्रभावशीलता जोखिम में और विकलांग बच्चे। ऑरलैंडो. फ्लोरिडा. अकादमिक प्रेस.

21. गुरलनिक एमजे और नेविल बी (1997) बच्चों की सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देना। गुरलनिक एमजे (एड) की प्रभावशीलता में समय से पहले हस्तक्षेप। बाल्टीमोर. पॉल ब्रुक्स प्रकाशन।

22. जॉनसन जेड, हॉवेल एफ, मोलॉय बी (1993) सामुदायिक माताओं का कार्यक्रम: पालन-पोषण में गैर-पेशेवर हस्तक्षेप का यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण। ब्रीटेन का मेडिकल जर्नल, वॉल्यूम। 306: 1449-52.

23. सैंडर्स एम, चिएसा जे (1998) हमारे बच्चों में निवेश: हम क्या जानते हैं और क्या नहीं प्रारंभिक बचपन के हस्तक्षेप, रैंड, सांता की लागत और लाभों के बारे में जानें

24. मैम्नसन डी (1988) एक अंतःक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य से व्यक्तिगत विकास। हिल्सडेल, एनजे: एर्लबौम

इकाई–16 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विकास–आवश्यकताएं एवं समस्याएं

इकाई की रूपरेखा

16.0 इकाई का उद्देश्य

16.1 परिचय

16.2 विकलांगता के प्रकार

16.3 विकलांगता के कारण

16.4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताएं

16.5 विकलांग बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

16.6 विकलांग बच्चों की समस्याएं

16.7 ग्रामीण परिवेश के विकलांग बच्चों की समस्याएं

16.8 सार संक्षेप

16.9 परिभाषिक शब्दावली

16.10 अभ्यास प्रश्न लघु विवरण

16.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

16.0 इकाई का उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों को बच्चो में होने वाली विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है |इतना ही नहीं विद्यार्थियों के माध्यम से समाज में विकलांगों के प्रति नकारात्मामक दृष्टिकोंण में परिवर्तन लाना है| जिससे विकलांग बच्चो के साथ हो रही भेदभाव , शोषण तथा दुर्व्यवहार की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके साथ ही विकलांग बच्चों को मानवीय आधारों पर एक गुणवत्ता पूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जा सके| अतः इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थी विकलांग बच्चों की सहायता करने में सक्षम हो सकेंगे|

16.1 परिचय

शब्द "विशेष आवश्यकता वाले बच्चे" (सीडब्ल्यूएसएन) से तात्पर्य उन बच्चों से है जिनके सामने सामान्य जीवन की अवस्थाँथाओं से सम्बंधित चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं| जिनकी स्थिति सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक गंभीर होती हैं, और संभवतः जीवन भर रह सकती हैं विशेष आवश्यकता शब्द एक सर्वव्यापी वाक्यांश है जो बच्चों की समस्याओ के निदान और/या विकलांगताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित कर सकता है। वे ऐसे बच्चे हैं जिनमें विकलांगता या विकलांगता का संयोजन है जो सीखने या अन्य गतिविधियों को कठिन बनाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में वे शामिल हैं जिनमें मानसिक मंदता है जिसके कारण उनका विकास अन्य बच्चों की तुलना में अधिक धीमी गति से होता है। वाणी और भाषा संबंधी हानि जैसे स्वयं को अभिव्यक्त करने या दूसरों को समझने में समस्या। शारीरिक विकलांगता जैसे दृष्टि समस्या, सेरेब्रल पाल्सी, या अन्य स्थितियाँ। सीखने की अक्षमताएं जो उनकी इंद्रियों से संदेशों को विकृत करती हैं। भावनात्मक विकलांगताए जैसे असामाजिक या अन्य व्यवहार संबंधी समस्याएं आदि सम्मिलित होती हैं । विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में विकास संबंधी देरी चिकित्सीय स्थितियाँ मानसिक स्थितियाँ और/या जन्मजात स्थितियाँ हो सकती हैं।

16.2 विकलांगता के प्रकार

शारीरिक विकलांगता किसी व्यक्ति की शारीरिक कार्यप्रणाली. गतिशीलता निपुणता या सहनशक्ति पर एक सीमा है। यह किसी व्यक्ति के शरीर के एक हिस्से को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक स्थिति है जो उनकी शारीरिक कार्यप्रणाली गतिशीलता सहनशक्ति या निपुणता को ख़राब और सीमित कर देती है। शारीरिक क्षमता के नुकसान के परिणामस्वरूप व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों जैसे चलना हाथ हिलाना बैठना और खड़े होने के साथ-साथ अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है या असमर्थता हो जाती है। शारीरिक अक्षमताओं में जैसी स्थितियाँ शामिल हैं भारत में विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुसार सीडब्ल्यूएसएन की विभिन्न स्थितियों और विकलांगताओं को नीचे उल्लिखित चार प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है|

1. **लोकोमोटर विकलांगता:** किसी व्यक्ति की मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की पीड़ा के परिणामस्वरूप स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता इसमें शामिल है-

   क. कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति: का अर्थ वह व्यक्ति है जो कुष्ठ रोग से ठीक हो चुका है, लेकिन हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदना और पैरेसिस की हानि से पीड़ित है| उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता न हो ताकि उसके लिए सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न होना संभव न हो सके| अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ बढ़ती भी एक कारण है उम्र जो उसे तदनुसार करने से रोकती है।

   ख. सेरेब्रल पाल्सी: का अर्थ शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले उसके दौरान या उसके तुरंत बाद होता है। सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क से संबंधित होना। पक्षाघात का अर्थ है कमजोरी या मांसपेशियों के उपयोग में समस्या। सीपी मस्तिष्क के असामान्य विकास या विकासशील मस्तिष्क की क्षति के कारण होता है जो किसी व्यक्ति की उसकी मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

   ग.बौनापन: यह एक चिकित्सीय या आनुवांशिक स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। बौनेपन का एक सामान्य कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन है जो हड्डियों के विकास को प्रभावित करता है।

   घ. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी: का अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को हिलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और गायब जानकारी होती है जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है

   अं. एसिड अटैक पीड़ित: का अर्थ एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हुए हिंसक हमलों के कारण विकृत हुआ व्यक्ति है।

2. **दृष्टिहीन:** दृष्टि हीन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की दृष्टि को सामान्य स्तर तक ठीक नहीं किया जा सकता है। दृष्टि हानि दृश्य तीक्ष्णता की हानि के कारण हो सकती है, जहां आंख वस्तुओं को हमेशा की तरह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। यह दृश्य क्षेत्र के नुकसान के कारण भी हो सकता है, जहां आंखें सामान्य रूप से आंखों को हिलाए बिना या सिर घुमाए बिना उतना बड़ा क्षेत्र नहीं देख पाती हैं। इसमें शामिल है:-

   क. **अंधापन :** इसका का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां सर्वोत्तम सुधार के बाद किसी व्यक्ति में इनमें से कोई भी स्थिति होती है दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति या सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलेन से कम या 10 डिग्री से कम का कोण अंतरित करने वाली दृष्टि के क्षेत्र की सीमा।

   ख. **कम दृष्टि :**का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां किसी व्यक्ति में इनमें से कोई भी स्थिति है, अर्थात् -(i) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम नहीं 3/60 तक या 10/200 तक (स्नेलेन सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ बेहतर आँख में या ii) 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक अंतरित करने वाली दृष्टि के क्षेत्र की सीमा।

3. **श्रवण हानि :**श्रवण दोष किसी व्यक्ति की ध्वनि को पर्याप्त रूप से सुनने में असमर्थता है। यह श्रवण तंत्र के किसी भाग के अनुचित विकास, क्षति या बीमारी के कारण हो सकता है। सामान्य वाणी और भाषा के विकास के लिए सुनना एक पूर्व शर्त है। इसमें शामिल है|

क. बधिर: इसका का अर्थ है दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 70 डीबी श्रवण हानि वाले व्यक्ति।

ख. सुनने में कठिनाई: का अर्थ है दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण हानि वाला व्यक्ति।

4. **वाक् और भाषा विकलांगता"** का अर्थ है जैविक या न्यूरोलॉजिकल कारणों से भाषण और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करने वाली लेरिंजेक्टॉमी या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्थायी विकलांगता।

5. **बौद्धिक विकलांगता :**बौद्धिक विकलांगता (या आईडी एक शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के पास संचार, सामाजिक और आत्म-देखभाल कौशल सहित संज्ञानात्मक कामकाज और कौशल में कुछ सीमाएं होती हैं। इन सीमाओं के कारण एक बच्चा आम तौर पर विकसित होने वाले बच्चे की तुलना में अधिक धीरे-धीरे या अलग तरीके से विकसित और सीख सकता है। बौद्धिक विकलांगता बच्चे के 18 वर्ष का होने से पहले, यहां तक कि जन्म से पहले कभी भी हो सकती है। इसमें शामिल है|

क. विशिष्ट सीखने की अक्षमता: इसका का अर्थ है स्थितियों का एक विषम समूह जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी होती है जो समझने बोलने पढ़ने लिखने वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक विकलांगता डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया, डिस्केल्कुलिया डिस्प्रैक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं|

ख. **ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर: इसका** का अर्थ है एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है , और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है। इस विकार में व्यवहार के सीमित और दोहराव वाले पैटर्न भी शामिल हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार में स्पेक्ट्रम शब्द लक्षणों और गंभीरता की विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है।

ग. **मानसिक बीमारी** : मनसिक बीमारी का अर्थ सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को गंभीर रूप से क्षीण करता है लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो एक है किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता की विशेषता। मानसिक बीमारी के उदाहरणों में अवसाद, चिंता विकार, सिज़ोफ्रेनिया, खाने के विकार और व्यसनी व्यवहार शामिल हैं।

15.3 विकलांगता के कारण

क. क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां: न्यूरोलॉजिकल विकारों को चिकित्सकीय रूप से उन विकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मस्तिष्क के साथ-साथ पूरे मानव शरीर और रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली नसों को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या अन्य तंत्रिकाओं में संरचनात्मक, जैव रासायनिक या विद्युत असामान्यताओं के परिणामस्वरूप कई प्रकार के लक्षण हो सकते हैं जैसे-

1. **मल्टीपल स्केलेरोसिस: यह** एक सूजन, तंत्रिका तंत्र की बीमारी है जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के चारों ओर माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं| जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता नष्ट हो जाती है । इसमें एक दूसरे के साथ संवाद करनासंभव नहीं हो पता है|

2. **पार्किंसंस रोग: यह** तंत्रिका तंत्र की एक प्रगतिशील बीमारी है जो कंपकंपी, मांसपेशियों की कठोरता और धीमी, अनिश्चित गति से चिह्नित होती है जो मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है जो मस्तिष्क के बेसल गैन्लिया के पतन और कमी से जुड़ी होती है।

ख. रक्त विकार : रक्त विकार ऐसी स्थितियाँ हैं जो रक्त की सही ढंग से कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। जबकि कुछ रक्त विकार जीन के कारण होते हैं, कुछ अन्य बीमारियों, दवाओं या आपके आहार में पोषक तत्वों की कमी के परिणामस्वरूप विकसित हो सकते हैं। इसमें शामिल हैं| -

1. **हीमोफीलिया: यह** एक वंशानुगत बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करती है लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरुष बच्चों को प्रेषित होती है| जिसमें रक्त की सामान्य थक्के जमने की क्षमता की हानि या हानि होती है| जिससे मामूली रक्तस्राव के कारण घातक रक्तस्राव हो सकता है|

2. **थैलेसीमिया:** यह वंशानुगत विकारों का एक समूह है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होती हैशरीर में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा रक्त बनना बंद हो जाता है।

3. **सिकलसेल रोग:** यह एक हेमोलिटिक विकार जो क्रोनिक एनीमिया, दर्दनाक घटनाओं और संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं से होता है, हेमोलिटिक, लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन निकलता है।

4. **एकाधिक विकलांगताएं:** उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं में से एक से अधिक- जिसमें बहरा अंधापन भी शामिल है, जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को सुनने और दृष्टि संबंधी विकलांगता का संयोजन गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याओं का कारण बन सकता है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता और अतिरिक्त सेवाओं की आवश्यकता होगी। उनके अलग-अलग लक्ष्य होंगे, और उन्हें शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और कभी-कभी चिकित्सा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता होगी। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को आवास, रोजगार, सामाजिक भागीदारी और वित्त जैसे रोजमर्रा के मुद्दों से निपटने के दौरान आजीवन मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है।

16.4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताएं

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) वे होते हैं जिनमें किसी प्रकार की विकलांगता होती है और उन्हें असाधारण देखभाल और अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। इन बच्चों की विशेष आवश्यकताएँ उनकी विकलांगता की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। सीडब्ल्यूएसएन की विशेष आवश्यकताओं में बार-बार चिकित्सा परीक्षण, अस्पताल में रहना, उपकरण और विकलांगों के लिए आवास शामिल हो सकते हैं। सीडब्ल्यूएसएन की विभिन्न स्थितियाँ और अक्षमताएँविकलांगता के आधार पर यह विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन विकलांग बच्चों की कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं जो सभी प्रकार की विकलांगताओं में समान होती हैं। कुछ ज़रूरतें उनकी विकलांगताओं के लिए विशिष्ट हैं,जो निम्नलिखित हैं -

(i) **विशेष देखभाल** :इन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि सामान्य बच्चे कुछ मामलों में अपना ख्याल तो रख लेते हैं, लेकिन ये बच्चे अपना ख्याल अच्छे से नहीं रख पाते हैं। वे अपनी छोटी-छोटी जरूरतों और रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं। मानसिक रूप से मंद बच्चे अपने दैनिक कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं और खतरनाक स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाने के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसलिए माता-पिता को उनका अतिरिक्त ख्याल रखना पड़ता है।

(ii) **पारिवारिक सहयोग** :विकलांग बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों विशेषकर अपने माता-पिता और भाई-बहनों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इन सभी को बच्चे की इस प्रकार मदद करनी चाहिए कि बच्चा अपने दैनिक कार्य करने में सक्षम हो सके। उदाहरण के लिए, किसी शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे को हाथ पकड़कर या बैसाखी देकर चलने-फिरने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिएकिसी अंधे बच्चे को भी उसकी सुविधा के लिए मौके पर ही ब्रश और टूथपेस्ट उपलब्ध कराने के बजाय उसे स्वयं बाथरूम जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। धीरे-धीरे वह रास्ता पहचानने लगेगा और उससे परिचित हो जायेगा। इससे उसका आत्मविश्वास मजबूत होगा और वह स्वतंत्र होने का प्रयास करेगा।

(iii) **पर्यावरण के साथ अधिक संपर्क** :ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों की तुलना में पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होती है। हम सभी जानते हैं कि जीवन के शुरुआती वर्षों में इंद्रियों का विकास बहुत तेजी से होता है और बच्चा उनके माध्यम से पर्यावरण के साथ संपर्क करता है। उसे उत्तेजनाएँ और प्रतिक्रियाएँ प्राप्त होती हैं। इस प्रक्रिया द्वाराबच्चा अपने पर्यावरण के बारे में सीखता है। उसे पर्यावरण के साथ अधिक मेलजोल की आवश्यकता है ताकि उसकी विकलांगता को दूर करने के लिए अधिक प्रयास किये जा सकें। बच्चे को उसकी शारीरिक क्षमताओं के आधार पर बातचीत और शिक्षा के माध्यम से सीखने के अधिकतम अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

बच्चे को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलने चाहिए। बच्चे को विभिन्न प्रकार के रंगीन खिलौने उपलब्ध कराने चाहिए, विभिन्न प्रकार की आवाजों और आवाजों जैसे संगीत, खड़खड़ाहट वाले खिलौने, घंटियाँ आदि का अनुभव कराना चाहिएउसे विभिन्न प्रकार के मार्मिक अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। धीरे-धीरे बच्चा अपनी अधिकतम क्षमता तक रंगों, आवाज़ों और ध्वनियों तथा बनावटों को पहचानना सीखता है। वह अपनी इंद्रियों का पूरी क्षमता से उपयोग करता है। वह अपनी अक्षम क्षमता पर काबू पाने के लिए अपनी सामान्य क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करता है।

(iv) **प्रारंभिक शिक्षा** :विकलांग बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी विकलांगता की रोकथाम और देखभाल। उनकी विकलांगताओं का प्रबंधन उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों से शुरू होना चाहिए। जैसे ही बच्चे की विकलांगता का पता चले, उसकी मदद के लिए तुरंत उसकी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए, इससे उसे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने में मदद मिलती है। दरअसल सामान्य बच्चों की तुलना में विकलांग बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को अंततः समाज में समायोजित होना ही पड़ता है, इसलिए उन्हें सामान्य बच्चों के करीब ही रखना चाहिए और सभी को उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम सामान्य बच्चों के साथ करते हैं। उनकी शिक्षा में उन्हें अपने व्यक्तिगत कार्यों जैसे स्नान करना, खाना, कपड़े पहनना आदि के संबंध में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। अंधे, बहरे और गूंगे को विशेष स्कूलों में शिक्षा मिलनी चाहिए लेकिन प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिवार में प्रदान किया जाना चाहिए।

(v) **एकीकृत शिक्षा** :यह अनुभव किया गया है कि विकलांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके प्रारंभिक वर्षों से ही अलग संस्थानों में भेजा जाता है। उनके लिए समाज में समायोजन करना कठिन पाया गया। मनोवैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि वे समाज का हिस्सा हैं और अन्य बच्चों को भी शुरू से ही उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें एक ही कक्षा में देखने और उनके साथ खड़े होने की आदत डालनी चाहिए।इस तरह एक-दूसरे की स्वीकार्यता परस्पर होगी। यदि इन्हें सामान्य बच्चों के साथ रखा जाए तो इन दिव्यांग बच्चों का समाज में समायोजन आसान होगा और उनमें समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा।

(vi) **व्यावसायिक शिक्षा** :बच्चों को विभिन्न हस्तशिल्पों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और आजीविका कमाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचि और प्रतिभा के अनुसार संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए। दृष्टिहीन बच्चों को 'ब्रेल', मूक-बधिर बच्चों को 'लिप लैंग्वेज' सिखाई जानी चाहिए ताकि वे दूसरे लोगों से संवाद कर सकें। इस संचार और इन व्यापारों के माध्यम से, वे समाज में अच्छी तरह से समायोजित हो जाएंगे और दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे।

(vii) **उचित उपकरण उपलब्ध कराना** :शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है जो उन्हें पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद करते हैं, जैसे, अपंगों के लिए 'बैसाखी', आंशिक रूप से बहरे के लिए श्रवण सहायता, खराब दृष्टि के लिए चश्मा ताकि बच्चा कुछ हद तक अपनी विकलांगता पर काबू पा सके।

(viii) **संयुक्त प्रयास**:विकलांगता की समस्या से बचाव एवं रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयास करना आवश्यक है। डॉक्टर, पोषण विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, शिक्षक और माता-पिता- इन सभी को एक साथ बैठना चाहिए और वंचित बच्चों की देखभाल, शिक्षा और पुनर्वास के तरीके तलाशने चाहिए।

(ix) **समझने की आवश्यकता** :माता-पिता और अन्य लोगों को ऐसे बच्चों के प्रति समझदारी का रवैया दिखाना चाहिए। ये बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में दूसरों से अधिक देखभाल, प्यार और समझ की उम्मीद करते हैं। उनकी क्षमता सीमित है

16.5 विकलांग बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

बेलग्रेड, 30 नवंबर 2017 - यूनिसेफ और विकलांग व्यक्तियों के राष्ट्रीय संगठन (एनओओआईएस) ने सर्बिया में विकलांग बच्चों की स्थिति और उनके अधिकारों का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत कियासम्मेलन में, जिसमें राज्य और नागरिक समाज संस्थानों के प्रतिनिधियों, निर्णय निर्माताओं, माता-पिता संघों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इस बात पर जोर दिया गया कि विकलांग बच्चों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने में कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इस तथ्य के बावजूद कि सर्बिया गणराज्य ने सभी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की पुष्टि की है, मजबूत कानून और नीतियां अपनाई हैं और समावेशी सेवाओं के विकास में प्रगति की है।

स्थिति विश्लेषण छह क्षेत्रों में विकलांग बच्चों की स्थिति पर केंद्रित है: भेदभाव, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य देखभाल, और हिंसा और दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा।निष्कर्षों के आधार पर, आगे की वकालत के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और सिफारिशें तैयार की गई हैं, साथ ही इस क्षेत्र में नए रणनीतिक और कानूनी कृत्यों के विकास के लिए दिशानिर्देश, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक के क्षेत्र में नीतियों में सुधार के लिए समावेशन, गरीबी में कमी और हिंसा के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा आदि विषयों को सम्मिलित किया गया ।

"विकलांग बच्चों को विकलांगता और उम्र दोनों के संदर्भ में दोगुना हाशिए पर रखा जाता है, जबकि उनके परिवारों को अक्सर गरीबी के जोखिम का सामना करना पड़ता है। उन बच्चों के लिए परिणाम बहुस्तरीय हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के भेदभाव के संपर्क में

आते हैं, साथ ही साथ परिवारों के लिए, जिन पर अतिरिक्त रूप से विकलांगता की बढ़ती लागत का बोझ पड़ सकता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हर जिम्मेदार समाज को हल करना होगा, "इवांका जोवानोविक ने कहा।यूरोपीय संघ और यूनिसेफ मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के साथ-साथ विकलांग बच्चों सहित कमजोर समूहों के लिए सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता और समावेशिता को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं |शोध के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है :

- विकलांग बच्चों के 45% माता-पिता कहते हैं कि उन्होंने या उनके बच्चों ने अपने बच्चे की विकलांगता के कारण किसी प्रकार का अपमान, अपमान या उत्पीड़न का अनुभव किया है;
- 24% परिवारों में, माता-पिता में से किसी एक को अपने बच्चे की देखभाल के लिए काम छोड़ना पड़ा, और जब बच्चे की देखभाल से संबंधित अतिरिक्त दायित्वों की बात आती है, तो माता-पिता को अक्सर अपने नियोक्ताओं द्वारा समर्थन की कमी का सामना करना पड़ता है। सर्बिया में, विकलांग बच्चों और उनके परिवारों को गरीबी से बचाने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं है;
- आधे विकलांग बच्चे अलग वातावरण में स्कूलों में जाते हैं, और अधिकांश माता-पिता इन अनुभवों को मुख्यधारा की शिक्षा की तुलना में अधिक सकारात्मक मानते हैं;
- 22% विकलांग बच्चे वैकल्पिक देखभाल प्रणाली में हैं, जबकि 72% आवासीय देखभाल में हैं;
- पारिवारिक सेटिंग में बाल सहायता सेवाएँ (घरेलू सहायता, दिन की देखभाल, व्यक्तिगत सहायक) आमतौर पर विकलांग बच्चों और उनके परिवारों के लिए उपलब्ध नहीं हैं;
- 60% माता-पिता द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को उच्च या बहुत उच्च गुणवत्ता का दर्जा दिया गया है, जबकि 32% माता-पिता का मानना है कि सेवाएँ निम्न गुणवत्ता की हैं, और 6% का कहना है कि वे बहुत निम्न गुणवत्ता की हैं।
- 16% नागरिक और 18% छात्र सोचते हैं कि कुछ समूहों के खिलाफ भेदभाव स्वीकार्य है।
- 25% से 47% विकलांग बच्चों ने हिंसा का अनुभव किया है। वां

15.6 विकलांग बच्चो की समस्याएं

विकलांगता से पीड़ित बच्चों की मुख्य संमस्यायें निम्हैंनलिखित हैं :-

1. **दूसरों से सहानुभूति और समझ** :जब विशेष जरूरतों वाले बच्चे के पालन-पोषण की चुनौतियों की बात आती है तो कई परिवारों को दूसरों की समझ की कमी का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि यह आपके बच्चे के व्यवहार या संवेदी मुद्दों को न समझ रहा हो। ऐसा हो सकता है कि आप जन्मदिन की पार्टी में शामिल न हो सकें क्योंकि यह बहुत शोर-शराबा, दुर्गम या आपके बच्चे के लिए बहुत व्यवस्थित है। शायद जब आपके बच्चे को सुपरमार्केट में 'मेल्टडाउन' होता है तो वह अजनबी आपको घूर रहा होता है। सहानुभूति और समझ बहुत महत्वपूर्ण है और यह सभी अंतर ला सकती है।

4. **व्यवहार संबंधी मुद्दे** :विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पारंपरिक अनुशासन पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। संवेदी प्रसंस्करण विकार (एसपीडी) जैसे निदान के लिए विशेष रणनीतियों की आवश्यकता होती है जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं। व्यवहार संबंधी मुद्दे स्कूल में समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। माता-पिता के रूप में, आपको लचीला, रचनात्मक और धैर्यवान होना होगा।

5. **अन्य अभिभावकों से मिलना** :विशेष जरूरतों वाले बच्चों के अन्य माता-पिता से मिलना वास्तव में मुश्किल हो सकता है और हालांकि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जिन लोगों को यह मिलता है, उनसे मिलना और बात करना वास्तव में मदद कर सकता है। आप उन माता-पिता की सलाह को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो 'वहां रहे' हैं और वास्तव में विकलांग बच्चे की परवरिश के उतार-चढ़ाव को समझते हैं। अक्सर बच्चों को स्कूल के लिए समर्पित परिवहन के साथ ले जाया जाता है, इसलिए माता-पिता को स्कूल के गेट पर बातचीत करने का अवसर नहीं मिलता है। हम वास्तव में ऑनलाइन मंचों, फेसबुक समूहों और स्थानीय क्लबों की खोज करने की सलाह देते हैं - आप कभी नहीं जानते कि आप किससे मिल सकते हैं और यह जीवन बदलने वाली चीज़ हो सकती है।

6. **विशेष संचार आवश्यकता** :उन माता-पिता के लिए संचार एक बड़ी चुनौती है जिनके बच्चों को संचार संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं। उनमें चयनात्मक उत्परिवर्तन हो सकता है, वे पूरी तरह से गैर-मौखिक हो सकते हैं या उनमें व्यवहार संबंधी या संवेदी समस्याएं हो सकती हैं जो उनके संवाद करने के तरीके को प्रभावित करती हैंकल्पना कीजिए कि आपका बच्चा क्रिसमस के लिए क्या चाहता है, यह अनुमान लगाने की चुनौतियों की कल्पना करें, जब वह अस्वस्थ हो तो यह न जानना कि क्या गलत है या रोजमर्रा की साधारण बातें जैसे यह जानना कि वह रात के खाने में क्या चाहता है या स्कूल में उसका दिन कैसा था।

16.7 ग्रामीण परिवेश के विकलांग बच्चों की समस्याए

ग्रामीण परिवेश में विकलांग बच्चों को विकास संबंधी देरी, मनोरोग संबंधी स्थितियां, चिकित्सीय स्थितियां और साथ ही जन्मजात स्थितियों से सम्बंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं| विकलांगता की स्थिति में बच्चे को अपनी क्षमता को उजागर करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है।सामान्यतः विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का पालन-पोषण करना एक कठिन कार्य है। लेकिन, स्कूल और सामुदायिक सहयोग से शहरी क्षेत्रों में इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में यह कार्य वास्तव में कठिन हो जाता है और यह माता-पिता या बच्चों के लिए आसान नहीं होता है। ऐसी और भी कई समस्याएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के जीवन की गुणवत्ता और विकास में बाधा डालती हैं। यहां कुछ मुख्य चुनौतियों पर एक नजर डाली गई है जिनका ग्रामीण परिवेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामना करना पड़ता है -

1. **व्यक्तिगत ध्यान की कमी** – यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामने आने वाली सबसे आम चुनौतियों में से एक है। जाहिर है, बड़े सेटअप वाले स्कूलों में विशेष शिक्षा सहायता सहित अधिक संसाधन होते हैं जो शिक्षकों और विशेष शिक्षकों को विशेष बच्चों के साथ काम करने में मदद करते हैं। बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी वाले ग्रामीण परिवेश में काम करते समय, प्रत्येक विशेष बच्चे के साथ व्यक्तिगत आधार पर काम करना संभव नहीं है।

2. **स्टाफ की कमी** - चूंकि ग्रामीण स्कूलों की व्यवस्था दूरदराज के इलाकों में होते है, इसलिए पेशेवर स्टाफ लाना आसान नहीं होता है।शहरों में विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता के कारण व्यावसयिक कर्मचारी आसानी से मिल जाते है लेकिन, ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं है, जिससे शिक्षक और कर्मचारी अलग-थलग या अकेला महसूस करते हैं। इसलिए, कर्मचारियों की कमी है और मौजूदा कर्मचारियों को कई स्थानों पर काम करना पड़ता है, जिससे यह उनके लिए भी थकाऊ हो जाता है।

3. **प्रशिक्षण की कमी** – एक समय में कई विकलांगताओं से निपटने के लिए एक विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। दूरस्थ स्थानों पर, इससे निपटना कठिन हो जाता है और इसलिए, इस कार्य को ठीक से प्रबंधित करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है।

4. **माता-पिता का समर्थन** - कुछ माता-पिता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष आवश्यकताओं के बारे में अनभिज्ञ होते हैं और कभी-कभी उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने में भी रुचि नहीं रखते हैं। दूसरी ओर, अत्यधिक देखभाल करने वाले माता-पिता भी शिक्षकों और शिक्षकों के लिए इन बच्चों के आसपास काम करना मुश्किल बना सकते हैं। लेकिन, पर्याप्त माता-पिता का समर्थन विशेष जरूरतों वाले बच्चे के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और बच्चों को पूरी तरह से खिलने में मदद कर सकता है।

5. **कम वेतन**- शिक्षकों को सामान्यतः अच्छे स्कूलों में अच्छा वेतन दिया जाता हैं, विशेष शिक्षकों को तुलनात्मक रूप से समान वेतन नहीं दिया जाता है, जबकि उनका काम बहुत कठिन है क्योंकि वे पहले से ही उन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जिन्हें सीखने में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। यह भी एक ऐसा कारक है जिसके परिणामस्वरूप विशेष शिक्षक नौकरियों की कमी हो रही है।

16.8 सार संक्षेप

अंततः आवश्यकता है की हम लोग इस मुद्दे के महत्व को समझें इसके लिए हमें सम्मिलित प्रयासों द्वारा समुदायों को विकलांग बच्चों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक ऐसी दुनिया के दृष्टिकोण को जीवन में लाने के लिए सभी को एक नई प्रतिबद्धता आवश्यक है जहां बच्चे सुरक्षित रूप से रह सकते हैं , खेलें, सीखें, अपनी पूरी क्षमता विकसित कर सकें , और सभी मौजूदा अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकें। बाल अधिकारों और उनके सर्वोत्तम हित में समर्थन और सुरक्षा के लिए पहल का समर्थन सभी स्तर पर नितांत आवश्यक है| अतः मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए हमे विकलांग बच्चों के प्रति एक सहयोगी प्रवृत्ति अपनानी चहिये जिससे उनके जीवन को सफ़ल बनाया जा सके|

16.9 परिभाषिक शब्दावली

मल्टीपल स्केलेरोसिस ,विकलांगता ,सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बौनापन ,एकाधिक विकलांगताएं,सिकलसेल रोग, थैलेसेमिया ,हेमोफीलिया

16.10 अभ्यास प्रश्न लघु

लघु प्रश्न:

1. **विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चो की समस्याओं का विवरण दीजिये|**

   .....
   .....

   .....
   .....

2. **विकलांग बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर संशिप्त लेख लिखिए |**

   .....
   .....

   .....
   .....

विस्तृत प्रश्न:

1. **विकलांगता के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिये|**

   .....
   .....

   .....
   .....

2. **ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग बच्चों की समस्याओं तहत आवश्यकताओं पर एक निबंध लिखिए |**

   .....
   .....

   .....
   .....

16.11 संदर्भ सूची

1. साइंसेज, एस., ब्रेनर, एच., फोर्ड, एम., गैड्सडेन, बी.एल., और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। (2016)। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता, विशेष प्रतिकूलताओं का सामना करने वाले माता-पिता और बाल कल्याण सेवाओं से जुड़े माता-पिता की सहायता के लिए लक्षित हस्तक्षेप। पालन-पोषण के मामले में: 0-8 आयु वर्ग के बच्चों के माता-पिता की सहायता करना। राष्ट्रीय अकादमी प्रेस (यूएस)।(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK402018)

2. प्रथम, एल.आर., और पाल्फ्रे, जे.एस. (1994)। विकासात्मक देरी वाला शिशु या छोटा बच्चा। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, 330(7), 478-483। सार: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7507219 प्रोवोस्ट, बी., लोपेज़, बी.आर., और हेमरल, एस. (2007)। छोटे बच्चों में मोटर विलंब की तुलना: ऑटिज्मप्रसंस्करण विकार की प्रकृति। बाल रोग, 126(2), e382-e390। (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20660546)

3. स्टीनर, एच., और रेमसिंग, एल. (2007)। विपक्षी उद्दंड विकार वाले बच्चों और किशोरों के मूल्यांकन और उपचार के लिए अभ्यास पैरामीटर। जर्नल ऑफ़ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री, 46(1), 126-141। सार: (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17195736)

4. रिकार्ड्स, ए.एल., वालस्टैब, जे.ई., राइट-रॉसी, आर.ए., सिम्पसन, जे., और रेडिहॉफ़, डी.एस. (2007)। ऑटिज्म और विकासात्मक देरी से पीड़ित बच्चों के लिए घर-आधारित हस्तक्षेप कार्यक्रम का एक यादृच्छिक, नियंत्रित परीक्षण। जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिक्स, 28(4), 308-316। (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17700083)

5. फिलमोर, ई.जे., जोन्स, एन., और ब्लैंक्सन, जे.एम. (1997)। अस्थमा से पीड़ित स्कूली बच्चों के लिए उपचार लक्ष्य प्राप्त करना। बचपन में बीमारी के अभिलेख, 77(5), 420-422। (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9487965)

6. टीयू, एच.टी., और कनिंघम, पी.जे. (2005)। सार्वजनिक कवरेज विशेष स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान करता है। अंक संक्षिप्त (स्वास्थ्य प्रणाली परिवर्तन का अध्ययन केंद्र), (98), 1-7। सार: (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17290559-public-coverage-provides-vital-safety-net-for-children-with-special-health-care-needs/)

7. क्री, आर. ए., बिट्सको, आर. एच., रॉबिन्सन, एल. आर., होलब्रुक, जे. आर., डेनियलसन, एम. एल., स्मिथ, सी., ... और पीकॉक, जी. (2018)। 2-8 वर्ष की आयु के बच्चों में मानसिक, व्यवहारिक और विकासात्मक विकारों और गरीबी से जुड़े स्वास्थ्य देखभाल, परिवार और सामुदायिक कारक – संयुक्त राज्य अमेरिका, 2016। रुग्णता और मृत्यु दर साप्ताहिक रिपोर्ट, 67(50), 1377। (https: //www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6750a1.htm)

डे8.नियलसन, एम.एल., बिट्सको, आर.एच., घंडौर, आर.एम., होलब्रुक, जे.आर., कोगन, एम.डी., और ब्लमबर्ग, एस.जे. (2018)। अमेरिकी बच्चों और किशोरों के बीच माता-पिता द्वारा रिपोर्ट किए गए एडीएचडी निदान और संबंधित उपचार की व्यापकता, 2016। जर्नल ऑफ़ क्लिनिकल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकोलॉजी, 47(2), 199-212। (https://stacks.cdc.gov/view/cdc/52167)

9. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र। (2019)। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर डेटा और आँकड़े। 1 फरवरी, 2020 को पुनःप्राप्त। बिट्सको, आर.एच., होलब्रुक, जे.आर., घंडौर, आर.एम., ब्लमबर्ग, एस.जे., विसर, एस.एन., पेरौ, आर., और वॉकअप, जे.टी. (2018)। महामारी विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का प्रभाव-अमेरिकी बच्चों में चिंता और अवसाद का निदान। जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिक्स: जेडीबीपी, 39(5), 395. पूरा पाठ: (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6003874/)

10. बाओ, जे., विगिन्स, एल., क्रिस्टेंसन , डी.एल., मेनर, एम.जे., डेनियल्स, जे., वॅरिन, जेड., ... और डर्किन, एम.एस. (2018)। 8 वर्ष की आयु के बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार की व्यापकता-ऑटिज्म और विकासात्मक विकलांगता निगरानी नेटवर्क, 11 साइटें, संयुक्त राज्य अमेरिका, 2014। एमएमडब्ल्यूआर निगरानी सारांश, 67(6), 1. पूरा पाठ: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/ss/ss6706a1.htm)

11. जू, जी., स्ट्रैथर्न, एल., लियू, बी., और बाओ, डब्ल्यू. (2018)। अमेरिकी बच्चों और किशोरों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार की व्यापकता, 2014-2016। जामा, 319(1), 81-82. पूरा पाठ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5833544/#jld170047

12. ग्रोस, एन., चैलेंजर, ई., बर्मन-बीलर, आर., फ़ार्कस, ए., यिलमाज़, एन. ., शुल्टिंक, डब्ल्यू.,... और केराक, एम. (2014)। कुपोषण और विकलांगता: सहयोग के अनछुए अवसर। बाल चिकित्सा और अंतर्राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, 34(4), 308-314। पूरा पाठ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4232244/

13. श्राइडरमैन, एन., आयरनसन, जी., और सीगल, एस.डी. (2005)। तनाव और स्वास्थ्य: मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और जैविक निर्धारक। अन्नू. रेव्ह. क्लिन. साइकोल., 1, 607-628. पूरा पाठ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2568977/ पूरा पाठ: श्राइडरमैन, एन., आयरनसन, जी., और सीगल, एस.डी. (2005)। तनाव और स्वास्थ्य: मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और जैविक निर्धारक। अन्नू. रेव्ह. क्लिन. साइकोल., 1, 607-628. पूरा पाठ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3079864/

इकाई–17 बाल विकास कार्यक्रम एवं योजनायें

इकाई की रूपरेखा

17.0 इकाई का उद्देश्य

17.1 परिचय

17.2 बाल विकास की परिभाषा

17.3 बाल विकास के मुख्य क्षेत्र

17.4 बाल विकास हेतु मुख्य योजनायें

17.5 सार संक्षेप

17.6 परिभाषिक शब्दावली

17.7 अभ्यास प्रश्न

17.8 संदर्भ सूची

17.0 इकाई का उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों को सरकार द्वारा बाल कल्याण हेतु संचालित की जाने वाली योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना| जिससे विद्यार्थी अपने व्यावहारिक जीवन में इस जानकारी के उपयोग द्वारा अधिक से अधिक् बालको के कल्याण में योगदान कर सकें | लाभार्थियों के पास योजनाओं की जानकारी का आभाव वर्तमान समय की सबके बड़ी समस्या है| यही कारण है कि अधिकाँश योजनायें अपने उद्देश्य में असफल रहती हैं| योजनाओं की जानकारी यदि होती भी है तो लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उठाने हेतु आवश्यक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण अक्सर योजनाओं का लाभ आवश्यकताग्रस्त द्वारा ना उठाकर अवांछित व्यक्तियों द्वारा होता है| अतः आवश्यक हो जाता है की विद्याईथी इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा उसका अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार करें|

17.1 परिचय

सामान्यतःकिसी भी कल्याणकरी योजना का उदेश्य आवश्यक सेवाओं को संस्थागत बनाना होता है| जिसके जिसके माध्यम से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर संस्थागत देखभाल, परिवार और समुदाय आधारित देखभाल, परामर्श और सहायता सेवाओं के लिए संरचनाओं को मजबूत किया जा सके| योजनाओ का समुचित क्रियान्वयन प्रशासकों और सेवा प्रदाताओं, स्थानीय निकायों तथ संबद्ध प्रणालियों के सदस्यों की क्षमता पर निर्भर करता है| बाल कल्याण सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु न केवल प्रशासकों वरन जनसामान्य को योजनाओं की वास्तविक अर्थों में जानकारी होना नितांत आवश्यक होता है| परिवार और सामुदायिक स्तर पर बाल कल्याण सेवाओं को मजबूत करने के लिए योजनाओं का गहन प्रचार एवं प्रसार नितांत आवश्यक हो जाता है जिससे बच्चों को असुरक्षा, जोखिम और दुर्व्यवहार की स्थितियों से बचाया जा सके तथा इसके लिए आवश्यक निवारक उपाय अपनाए जा सकें| साथ ही बाल कल्याण हेतु बनायी गयी योजनाओं हेतु सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, सभी स्तरों पर उपलब्ध बाल संरक्षण सेवाओं, योजनाओं और संरचनाओं पर, बच्चों और परिवारों की स्थिति और कमजोरियों पर बाल अधिकारों और संरक्षण पर जनता को शिक्षित करना भी एक आवश्यक चरण के रूप में स्वीकार किया गया है|

17.2 बाल विकास की परिभाषा

बाल विकास से तात्पर्य एक बच्चे में जन्म से लेकर वयस्कता की शुरुआत तक होने वाले शारीरिक, भाषा, विचार और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम से है। इस प्रक्रिया के दौरान एक बच्चा अपने माता-पिता/अभिभावकों पर निर्भरता से बढ़ती स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है।बाल विकास से तात्पर्य एक बच्चे में जन्म से लेकर वयस्कता की शुरुआत तक होने वाले शारीरिक, भाषा, विचार और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम से है। इस प्रक्रिया के दौरान एक बच्चा अपने माता-पिता/अभिभावकों पर निर्भरता से बढ़ती स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। बच्चे का विकास आनुवांशिक कारकों (उनके माता-पिता से पारित जीन) और जन्मपूर्व जीवन के दौरान की घटनाओं से काफी प्रभावित होता है। यह पर्यावरणीय तथ्यों और बच्चे की सीखने की क्षमता से भी प्रभावित होता है।

व्यावसायिक चिकित्सक और भाषण चिकित्सक द्वारा अनुशंसित लक्षित चिकित्सीय हस्तक्षेप और 'बिल्कुल सही' घर आधारित अभ्यास के माध्यम से बाल विकास को सक्रिय रूप से बढ़ाया जा सकता है।बाल विकास में उन कौशलों का पूरा दायरा शामिल होता है जो एक बच्चा अपने जीवन काल में हासिल करता है, जिसमें विकास भी शामिल है:

1. अनुभूति - सीखने और समस्या हल करने की क्षमता
2. सामाजिक संपर्क और भावनात्मक विनियमन - दूसरों के साथ बातचीत करना और आत्म-नियंत्रण में महारत हासिल करना
3. वाणी और भाषा - भाषा को समझना और उसका उपयोग करना, पढ़ना और संचार करना
4. शारीरिक कौशल - सूक्ष्म मोटर (उंगली) कौशल और सकल मोटर (संपूर्ण शरीर) कौशल
5. संवेदी जागरूकता - उपयोग के लिए संवेदी जानकारी का पंजीकरण

17.3 बाल विकास के क्षेत्र

जीवन की प्रारम्भिक अवस्था बच्चों के लिए एक मजबूत नींव बनाने का सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि वे अपने विकासात्मक मील के पत्थर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता और विकसित होता है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह अपने आस-पास की दुनिया को कैसे सीखता और अनुभव करता है। विकास की इन पांच विशेषताओं को जानना प्रारंभिक बचपन के शिक्षकों, बाल विकासकर्ताओं या सिर्फ माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के विकासात्मक कौशल अपनी गति से विकसित होंगे, लेकिन कुछ विकासात्मक मील के पत्थर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है बाल विकास के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

i. ज्ञान संबंधी विकास,
ii. सामाजिक और भावनात्मक विकास,
iii. भाषण और भाषा विकास,
iv. ठीक मोटर कौशल विकास, और
v. सकल मोटर कौशल विकास.
vi. 1.4 बाल विकास हेतु कार्यक्रम तथा सेवायें

1. **मिड डे मील** :भारत में मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को 'प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई)' के नाम से शुरू की गई थी। अक्टूबर 2007 में, एनपी-एनएसपीई का नाम बदलकर 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम' कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने बच्चों के मध्याह्न भोजन में दूध को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।सितंबर 2021 में, मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर **'पीएम पोषण' या प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण** कर दिया गया। पीएम पोषण पहले से ही मध्याह्न योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों के अलावा, पूर्व-प्राथमिक स्तर या सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के बाल वाटिका में पढ़ने वाले छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करेगा।

पीएम पोषण संशोधित योजना 1,30,794.90 करोड़ रुपये के बजट के साथ 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए शुरू की गई है। सरकार को आशा है कि इससे पूरे भारत के 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 11.80 करोड़ बच्चों को लाभ होगा। यह योजना निम्नलिखित तरीकों से मिड डे मील योजना से भिन्न है:

i. स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त , संशोधित योजना स्कूली बच्चों के पोषण स्तर की निगरानी पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
ii. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल में एक पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किया जाएगा कि छात्रों के बीएमआई, वजन स्तर और हीमोग्लोबिन स्तर की निगरानी की जाए।
iii. एनीमिया के अधिक प्रसार वाले जिलों में पोषण संबंधी वस्तुओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
iv. सरकार छात्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ स्कूल परिसरों में पोषण उद्यान विकसित करने पर भी विचार कर रही है।

v. स्थानीय सामग्रियों पर आधारित स्थानीय और नवीन व्यंजनो और को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत खाना पकाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकती हैं।

यह एक ऐसा भोजन है जो सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत समर्थित सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, स्थानीय निकाय स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी), मदरसों और मकतबों में नामांकित सभी बच्चों को प्रदान किया जाता है।

एमडीएम योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

I. विद्यालयों में वंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन बढ़ाना।

II. स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए नामांकन का नेतृत्व करना।

III. कक्षा 1-8 में पढ़ने वाले बच्चों को बनाए रखना।

IV. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

मध्याह्न भोजन योजना की मुख्य विशेषताएं

i. यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

ii. शिक्षा मंत्रालय (पहले मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था) इस योजना को लागू करने के लिए अधिकृत निकाय है।

iii. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है इसलिए लागत केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाती है। (केंद्र की हिस्सेदारी- 60 फीसदी तथा राज्य 40 फ़ीसदी)

iv. तमिलनाडु मध्याह्न भोजन योजना लागू करने वाला पहला राज्य है।

2001 में, एमडीएमएस एक पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना बन गई जिसके तहत प्रत्येक पात्र बच्चे को न्यूनतम 200 दिनों के लिए तैयार मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता था (ऊर्जा की खपत- 300 कैलोरी,प्रोटीन की मात्रा - 8 से 12 ग्राम 2002 तक, यह योजना केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों के लिए बनायी गई थी। बाद में, शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) और वैकल्पिक एवं नवीन शिक्षा (एआईई) केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया। 2004 में, एमडीएमएस को संशोधित किया गया था जिसके अंतर्गत खाना पकाने की लागत के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई|परिवहन सब्सिडी सभी राज्यों के लिए शामिल है (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए अधिकतम 100 रुपये प्रति क्विंटल और अन्य राज्यों के लिए 75 रुपये प्रति क्विंटल।)

योजना का प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन:सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन परोसने का प्रावधान भी जोड़ा गया |2006 में, एमडीएमएस को फिर से संशोधित किया गया:

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए खाना पकाने की लागत को बढ़ाकर 1.80 रुपये प्रति बच्चा/स्कूल दिवस और अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 1.50 रुपये प्रति बच्चा/स्कूल दिवस कर दिया गया।

2. पोषण मानदंड को संशोधित किया गया - ऊर्जा का सेवन 300 कैलोरी से बढ़ाकर 450 कैलोरी और प्रोटीन का सेवन 8-12 ग्राम से बढ़ाकर 12 ग्राम कर दिया गया।

3. 2007 में, 3,479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ईबीबी) में पढ़ने वाले कक्षा 6-8 के बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया था।

4. 2008 में एसएसए समर्थित मदरसों और मकतबों को इस योजना में शामिल किया गया था।

5. कैलोरी और भोजन सेवन के अलावा, सूक्ष्म पोषक तत्वों (गोलियाँ और कृमिनाशक दवाओं) के लिए, प्रत्येक बच्चा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रदान की जाने वाली राशि प्राप्त करने का हकदार है।

एमडीएम नियम, 2015 : मध्याह्न भोजन नियम 2015 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत 30 सितंबर 2015 को अधिसूचित किया गया है।एमडीएम नियमों के तहत, एमडीएम फंड समाप्त होने की स्थिति में स्कूलों को मध्याह्न भोजन के लिए अन्य फंड का उपयोग करने का अधिकार है।ऐसे अवसरों पर जहां स्कूल और अन्य आवश्यक निकाय बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं; उन्हें लाभार्थियों को भोजन भत्ता प्रदान करना है।मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ यादृच्छिक आधार पर भोजन का मासिक परीक्षण करेंगी।एमडीएम नियम 2015 के तहत, यदि किसी स्कूल के बच्चों को लगातार 3 स्कूल दिवस या महीने में 5 दिन भोजन नहीं

मिलता है, तो संबंधित राज्य सरकार को किसी व्यक्ति या एजेंसी पर जिम्मेदारी तय करनी होती हैएमडीएम नियम, 2015 की मुख्य विशेषताएं:

कक्षा 1-8 तक छह से चौदह वर्ष की आयु का प्रत्येक बच्चा स्कूल की छुट्टियों को छोड़कर हर दिन पका हुआ पौष्टिक भोजन पाने का पात्र है; निम्नलिखित पोषण संबंधी आवश्यकताओं के साथ:

i. स्कूल मध्याह्न भोजन की तैयारी के लिए एगमार्क गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीदते हैं।

ii. भोजन विद्यालय परिसर में ही परोसा जाना है।

iii. प्रत्येक स्कूल में मध्याह्न भोजन को स्वच्छ तरीके से पकाने के लिए एक स्वच्छ खाना पकाने का बुनियादी ढांचा होना चाहिए।

iv. स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) एमडीएमएस की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एसएमएससी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य किया गया है

v. प्रधानाध्यापकों या प्रधानाध्यापिका को मध्याह्न भोजन निधि की समाप्ति के कारण स्कूल निधि का उपयोग करने का अधिकार है। हालाँकि, जैसे ही स्कूल को एमडीएम निधि जमा की जाती है, उसे मध्याह्न भोजन निधि में प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

vi. राज्य का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग भोजन के पोषक मूल्य और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए नमूने एकत्र कर सकता है।

vii. जब भी बच्चों को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पका हुआ भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो नीचे दिए गए तरीके से भोजन भत्ता प्रदान किया जाएगा:

viii. बच्चे की पात्रता के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा; और

ix. राज्य में प्रचलित खाना पकाने की लागत।

कैलोरी सेवन	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
ऊर्जा	450 कैलोरी	700 कैलोरी
प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
भोजन सेवन		
खाद्यान्न	100 ग्राम	150 ग्राम
सब्जी	50 ग्राम	75 ग्राम
तेल एवं वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम

2. **एकीकृत बाल विकास योजना:** एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS) एक भारत सरकार का कल्याण कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पूर्वस्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यूपीएससी पाठ्यक्रम इस योजना को केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के विषय में शामिल करता हैयह योजना 1975 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास और माँ का सशक्तिकरण है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना मुख्य रूप से आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से चलती है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। Sएकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं

i. 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना;

ii. बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना;

iii. मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना;

iv. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना; और

v. उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की माँ की क्षमता को बढ़ाना।

आईसीडीएस प्रावधान और सेवाएँ :एकीकृत बाल विकास सेवाएँ केंद्र प्रायोजित हैये सेवाएँ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं वाले आंगनवाड़ी केंद्रों से प्रदान की जाती हैं। लाभार्थियों को निम्नलिखित छह सेवाएँ प्रदान करेगी:

1. **अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी):**आईसीडीएस के इस खंड के तहत, समुदाय के भीतर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की पहचान की जाती है और उन्हें पूरक आहार और विकास निगरानी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लाभार्थियों को 300 दिन का पूरक आहार दिया जाता है। पूरक आहार देकर, योजना निम्न-आय वर्ग के बच्चों और महिलाओं के राष्ट्रीय अनुशंसित और औसत सेवन के बीच कैलोरी अंतर को पाटने का प्रयास करती है।

2. **स्वास्थ्य एवं पोषण जांच :**इसमें छह साल से कम उम्र के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल, गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व देखभाल और स्तनपान कराने वाली माताओं की प्रसवोत्तर देखभाल शामिल है। दी जाने वाली सेवाओं में नियमित स्वास्थ्य जांच, दस्त का उपचार, कृमिनाशक, वजन रिकॉर्डिंग, टीकाकरण और सरल दवाओं का वितरण शामिल है।

3. **प्रतिरक्षा :**बच्चों को निम्नलिखित रोकथाम योग्य बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं: डिप्थीरिया, पोलियो, पर्टुसिस, खसरा, टीबी और टेटनस। गर्भवती महिलाओं को टेटनस के खिलाफ टीके लगाए जाते हैं जिससे नवजात और मातृ मृत्यु दर में कमी आती है।

4. **प्री-स्कूल में बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा (पीएसई) :**इसे आईसीडीएस योजना की रीढ़ माना जा सकता है। योजना की सभी सेवाएँ गाँवों और ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर एकत्रित होती हैं। मुख्य रूप से वंचित बच्चों के लिए यह प्रीस्कूल शैक्षिक कार्यक्रम इष्टतम वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक इनपुट पर जोर देने के साथ एक प्राकृतिक, आनंददायक और उत्तेजक वातावरण प्रदान करने और सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित है। आईसीडीएस का प्रारंभिक शिक्षण घटक संचयी आजीवन सीखने और विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। यह बच्चे को प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवश्यक तैयारी प्रदान करता है और बड़े भाई-बहनों (विशेषकर लड़कियों) को परिवार में छोटे बच्चों की देखभाल करने से मुक्त करता है और इस प्रकार उन्हें स्कूलों में जाने में सक्षम बनाता है।

5. **स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा :**इस घटक के अंतर्गत 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कवर किया गया है। यह बीसीसी (व्यवहार परिवर्तन संचार) रणनीति का हिस्सा है। दीर्घकालिक लक्ष्य महिलाओं की क्षमता का निर्माण करना है ताकि वे अपने स्वास्थ्य, पोषण और विकास की जरूरतों के साथ-साथ अपने बच्चों और परिवारों की देखभाल करने में सक्षम हो सकें।

6. **रेफरल सेवाएँ :**नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान, तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाली स्थितियों या बीमारियों के किसी भी मामले को अस्पताल या किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि में भेजा जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों में विकलांगता का पता लगाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है ताकि शीघ्र हस्तक्षेप किया जा सके।

क्र.सं..	सेवाएँ	लक्षित लाभार्थी
1	अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी)	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएँ ,6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
1.	स्वास्थ्य एवं पोषण जांच	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएँ।
2.	प्रतिरक्षा	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएँ ,6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
3.	प्री-स्कूल में बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा	6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
4.	स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएँ ,6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
5.	रेफरल सेवाएँ	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएँ,6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे

3. **एकीकृत बाल संरक्षण योजना:**एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2009-10 में कार्यान्वित किया गया था। आईसीपीएस का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ-साथ देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है। यह योजना "बाल अधिकारों की सुरक्षा" और "बच्चे के सर्वोत्तम हित" के प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक व्यापक योजना है जो कई मौजूदा बाल संरक्षण कार्यक्रमों को बेहतर मानदंडों के साथ एक छत के नीचे लाती है। इस योजना में उन मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से अन्य आवश्यक हस्तक्षेप शामिल हैं जो अब तक पिछली योजनाओं में शामिल नहीं किए गए हैं।आईसीपीएस सभी स्तरों पर उचित अंतर-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा, सभी स्तरों पर क्षमताएं बढ़ाएगा, परिवार और सामुदायिक स्तर पर बाल संरक्षण को मजबूत करेगा, बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटाबेस और ज्ञान आधार तैयार करेगा और संरचनाओं को मजबूत करेगा और आवश्यक सेवाओं को संस्थागत बनाएगा। आईसीपीएस के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

   i. आवश्यक सेवाओं को संस्थागत बनाना और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपातकालीन आउटरीच, संस्थागत देखभाल, परिवार और समुदाय आधारित देखभाल, परामर्श और सहायता सेवाओं के लिए संरचनाओं को मजबूत करना।

   ii. बाल संरक्षण योजनाओं, सेवाओं के संबंध में जनता को शिक्षित करें और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएं।

   iii. सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया का उचित समन्वय।

   iv. दस्तावेज़ीकरण और अनुसंधान किया जाएगा।

   v. प्रशासकों और सेवा प्रदाताओं सहित सभी स्तरों के पदाधिकारियों की क्षमताओं में वृद्धि करना; स्थानीय निकायों, पुलिस, न्यायपालिका और राज्य सरकारों के अन्य संबंधित विभागों सहित संबद्ध प्रणालियों के सदस्य आईसीपीएस के तहत जिम्मेदारियां निभाना सुनिश्चित करना |

   vi. बाल संरक्षण सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए देश में प्रबंधन सूचना प्रणाली और बाल ट्रैकिंग प्रणाली सहित बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटाबेस और ज्ञान आधार बनाना।

   vii. परिवार और सामुदायिक स्तर पर बाल संरक्षण को मजबूत करना।

   viii. बच्चों को असुरक्षा, जोखिम और दुर्व्यवहार की स्थितियों से बचाने के लिए निवारक उपाय बनाना और बढ़ावा देना

   ix. सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए, बाल अधिकारों और संरक्षण पर जनता को शिक्षित करें।

4. **सर्व शिक्षा अभियान:**यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (यूईई) को प्राप्त करने के लिए 2001 में शुरू किया गया था। एसएसए को कानूनी समर्थन तब प्रदान किया गया था जब 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21 ए के तहत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। एसएसए का लक्ष्य एक समय में इस मौलिक अधिकार की अपेक्षाओं को पूरा करना है -बद्ध तरीके से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार (जीओआई) एसएसए कार्यक्रम का संचालन करता है और यह 2000-2001 से चालू है।

एसएसए को 'सभी के लिए शिक्षा' आंदोलन कहा जाता है।एसएसए कार्यक्रम के प्रणेता भारत के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थेकेंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में इस पहल को लागू कर रही है।एसएसए का प्रारंभिक लक्ष्य 2010 तक अपने उद्देश्यों को पूरा करना था, हालांकि, समयसीमा बढ़ा दी गई है।एसएसए का लक्ष्य 1.1 मिलियन बस्तियों में लगभग 193 मिलियन बच्चों को शैक्षिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम ने एसएसए को कानूनी समर्थन प्रदान किया जब इसने 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना दियानई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य लगभग दो करोड़ स्कूली बच्चों को मुख्यधारा में लाना है।2019 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, यह उल्लेख किया गया था कि 2015 में स्कूली उम्र (6 से 18 वर्ष के बीच) के अनुमानित 6.2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थेपढ़े भारत बढ़े भारत एसएसए का एक उप-कार्यक्रम है।'शगुन' नाम से एक सरकारी पोर्टल है जिसे एसएसए कार्यक्रम की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इसे विकसित किया है।

5. **ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड:**ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1986 के एनपीई द्वारा दिए गए एक सुझाव के जवाब में 1987 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है।ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, बर्बादी और ठहराव को कम करना और सार्वभौमिक शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में अधिक छात्रों, विशेषकर लड़कियों को आकर्षित करना था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो कक्षाएँ और

लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए आवश्यक शौचालय प्रदान करना और अन्य बातों के अलावा, सभी प्रशिक्षकों में से कम से कम पचास प्रतिशत महिलाएँ नियुक्त करना था।

राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय नीति की स्थापना की। नई रणनीति में विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों (एसटी), और अनुसूचित जाति (एससी) आबादी के लिए "अंतराल को खत्म करने और शैक्षिक अवसर को बराबर करने पर विशेष जोर देने" का आह्वान किया गया।इस नीति का उद्देश्य छात्रवृत्ति और वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति से अधिक शिक्षकों की भर्ती करना, कम आय वाले परिवारों को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन देना, नए संस्थान विकसित करना और ऐसे सामाजिक एकीकरण को प्राप्त करने के लिए आवास और सेवाएं प्रदान करना है।एनपीई ने प्राथमिक शिक्षा में "बाल-केंद्रित दृष्टिकोण" की वकालत की और प्राथमिक विद्यालयों में सुधार के लिए एक राज्यव्यापी पहल "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" शुरू की।1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ रणनीति का विस्तार हुआ और ग्रामीण भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित एक "ग्रामीण विश्वविद्यालय" मॉडल स्थापित करने का आह्वान किया गया। 1986 की शिक्षा नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने का अनुमान लगाया गया था। संशोधित या संशोधित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं:-

i. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जैसे वस्तुओं की पुनःपूर्ति, मरम्मत आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जायेगा

ii. प्रत्येक अनुभाग/कक्षा में कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए।

iii. प्रत्येक कक्षा या सेक्शन के लिए कम से कम एक कमरा होना चाहिए।

iv. पुस्तकालय, आवश्यक शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराना।

v. लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालयों का पृथक्करण।

vi. नामांकन आवश्यकताओं के अनुसार तीन कमरे और तीन शिक्षक उपलब्ध कराना।

vii. एससी/एसटी क्षेत्रों के स्कूलों पर विशेष जोर देने के साथ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को कवर करना।

योजना के अनुसार, राज्य सरकारों ने धनराशि प्रतिस्थापन और आकस्मिक निधि प्रदान की, राज्य सरकारें शौचालय, हेडमास्टर के लिए कमरा, कार्यालय, स्कूल भवनों के निर्माण के लिए संसाधन जुटाएंगी।केंद्र सरकार शिक्षकों के वेतन और उपकरणों के लिए धन उपलब्ध कराएगी।ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना द्वारा प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार, सभी स्कूलों को वर्ष 2000 तक कवर किये जाने का प्रावधान किया गया था।

6. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी):** मिशन शक्ति की संबल उप-योजना के तहत बीबीबीपी योजना का उद्देश्य लिंग आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना, लड़कियों के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित करना है। इस योजना का विस्तार बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए किया गया है, जो शून्य-बजट विज्ञापन और जमीनी प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है, जैसे, लड़कियों के बीच खेल को बढ़ावा देना, आत्मरक्षा शिविर, निर्माण। लड़कियों के लिए शौचालय, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 (पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994) के बारे में जागरूकता और लड़कियों को कौशल प्रदान करना आदियह योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के लिए धन राज्य से जिलों तक भेजा जाता है। केंद्र सरकार पूरे भारत के आधार पर बीबीबीपी योजना लागू कर रही है। हालाँकि, पश्चिम बंगाल राज्य बीबीबीपी योजना लागू नहीं कर रहा है।

7. **पोषण अभियान** :पोषण अभियान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 8 मार्च, 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में शुरू किया गया था। अभियान का फोकस किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देना है। कार्यक्रम, लक्षित दृष्टिकोण के साथ प्रौद्योगिकी, अभिसरण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन के स्तर को कम करने का प्रयास करता है, साथ ही किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। कुपोषण को समग्र रूप से संबोधित करना।यह अभियान हरियाणा के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। चरण-I के लिए नूंह और पानीपत जिलों का चयन किया गया। चरण-2 के लिए 10 जिलों कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, भिवानी, यमुनानगर, गुरूग्राम, पलवल, रोहतक, सिरसा और सोनीपत का चयन किया गया। शेष जिले तीसरे चरण में शामिल हैं। इस अभियान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. बच्चों में स्टंटिंग को रोकें और कम करें (0-6 वर्ष)

ii. बच्चों (0-6 वर्ष) में अल्प-पोषण (कम वजन का प्रसार) को रोकें और कम करें|

iii. छोटे बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया के प्रसार को कम करें|

iv. 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया की व्यापकता को कम करना|

v. जन्म के समय कम वजन (एलबीडब्ल्यू) कम करें|

पोषण अभियान के अवयव:

क) अभिसरण: वीएचएसएनडी दिवस विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच तालमेल सुनिश्चित करेगा। अभियान का लक्ष्य लक्षित आबादी पर एमडब्ल्यूसीडी की सभी पोषण संबंधी योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित करना है। यह अभियान विभिन्न कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित करेगा। यह प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके, संबंधित सचिवों के साथ सेक्टर स्तर की बैठकें, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों के सचिवों की संयुक्त बैठक, प्रत्येक स्तर के लिए संयुक्त दिशानिर्देश, संयुक्त निगरानी दौरे और विकेन्द्रीकृत योजना द्वारा किया जाएगा। यह प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके, संबंधित सचिवों के साथ सेक्टर स्तर की बैठकें, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों के सचिवों की संयुक्त बैठक, प्रत्येक स्तर के लिए संयुक्त दिशानिर्देश, संयुक्त निगरानी द्वारा किया जाएगा।

ख) ICDS-CAS: पोषण संबंधी स्थिति की सॉफ्टवेयर आधारित ट्रैकिंग की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाएगा। विकास निगरानी उपकरण (स्टैडियोमीटर, इंफेंटोमीटर, वजन मापने के पैमाने (शिशु) और वजन मापने के पैमाने (मां और बच्चे) भी प्रदान किए जाएंगे।

ग) व्यवहार परिवर्तन: अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा जहां लोगों की व्यापक भागीदारी वांछित है। जागरूकता पैदा करने और मुद्दों के समाधान के लिए महीने में एक बार समुदाय आधारित कार्यक्रम होगा।

घ) प्रोत्साहन: फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ङ) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: 21 विषयगत मॉड्यूल सिखाने के लिए बुद्धिशील शिक्षण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्करों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

च) शिकायत निवारण: किसी भी समस्या के समाधान तक आसानी से पहुंच के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा।

पोषण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम:पोषण अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित किये गए हैं:

I. समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई)

II. सभी आंगनबाड़ियों में हर महीने की 8 और 22 तारीख को समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) मनाए जा रहे हैं। विषयों में अन्नप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस, उम्र के आने का जश्न मनाना - आंगनवाड़ी केंद्र में प्रीस्कूल के लिए तैयार होना, पोषण में सुधार और बीमारी को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित संदेश अनाप्राशन दिवस, सुपोषण दिवस आदि शामिल हैं। व्यय 15.58 करोड़ रुपये होगा। 250/- प्रति कार्यक्रम प्रति आंगनवाड़ी।

III. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)

IV. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस स्वास्थ्य विभाग, ग्राम पंचायत के समन्वय से महीने की 15 तारीख को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।

V. **पोषण पखवाड़ा:** पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर विचार-विमर्श करने और योजना बनाने के लिए संबंधित विभागों के साथ सभी स्तरों यानी राज्य, जिला और ब्लॉक पर कई बैठकें आयोजित की गईं। मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में पोषण पखवाड़ा के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा और योजना बनाने के लिए 2 मार्च, 2020 को सभी संबंधित विभागों के सचिवों के साथ एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। जिला स्तर पर, उपायुक्तों को इस पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली सभी गतिविधियों का नेतृत्व करने का निर्देश दिया गया। उन्हें सभी स्तरों पर, विशेषकर गांवों में समुदाय को संगठित करने और पोषण पखवाड़ा की गतिविधियों और ठोस प्रयासों के परिणाम की निगरानी करने का निर्देश दिया गया। चूंकि विषय पखवाड़े के दौरान पुरुष भागीदारी को बढ़ाना था, इसलिए उन्हें सलाह दी गई|

8. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:**प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की घोषणा 31 दिसंबर 2016 को की गई थी और 1 जनवरी 2017 से भारत के सभी जिलों में लागू हुईमातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करने पर, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू और एलएम) को सीधे उनके डाकघर खाते या बैंक खाते में 5,000 रुपये (तीन किश्तों में देय) का नकद प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को उनके वेतन के नुकसान की भरपाई में मदद करने के लिए आंशिक नकद प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि उन्हें अपने पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम मिल सके तथा पीडब्लू और एलएम के स्वास्थ्य-संबंधी व्यवहार को उन्हें प्रदान किए जाने वाले मुआवजे से सुधरने का प्रयास किया जाता हैपीएमएमवीवाई के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं :

i. **पात्रता:** स्तनपान कराने वाली माताएं और परिवार में पहले बच्चे के जन्म की स्थिति में गर्भवती महिलाएं।

ii. **देय राशि:** देय राशि 5,000 रुपये है। हालाँकि, राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है।

iii. **कार्यान्वयन मंच:** योजना का कार्यान्वयन मंच एकीकृत बाल विकास सेवा/स्वास्थ्य अवसंरचना हैसात राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (नीचे उल्लिखित) के अलावा, कार्यान्वयन विभाग संबंधित राज्य का समाज कल्याण विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग हैपश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मेघालय, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए, योजना का संचालन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। .

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ:

i. योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला नकद लाभ क्रमशः 1,000 रुपये, 2,000 रुपये और 2,000 रुपये की तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है। हालाँकि, प्रत्येक किस्त के लिए, जिन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है वे अलग-अलग हैं और जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ भी भिन्न हो सकते हैं।

ii. जो उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत प्रदान किया जाने वाला प्रोत्साहन मिलेगा। जेएसवाई के तहत व्यक्तियों को मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है, इसलिए औसतन एक महिला को 6,000 रुपये का लाभ मिलता है।

पीडब्लू और एलएम जो समान लाभ प्रदान करने वाली कंपनियों का हिस्सा नहीं हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), और नियमित राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पीएमएमवीवाई से लाभ होगा।सभी पीडब्लू और एलएम जो 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद अपने पहले बच्चे के लिए गर्भवती हैंमातृ एवं शिशु सुरक्षा (एमसीपी) कार्ड पर उल्लिखित तारीख के आधार पर, गर्भावस्था के चरण और तारीख पर विचार किया जाएगा। तिथि और चरण को उनकी अंतिम मासिक धर्म अवधि (एलएमपी) तिथि के संबंध में माना जाता है।मृत जन्म/गर्भपात: मृत जन्म या गर्भपात के मामले में, नीचे दी गई शर्तें लागू होती हैं:योजना के तहत लाभार्थी को केवल एक बार ही लाभ प्राप्त करने की अनुमति हैशेष किश्तों का दावा लाभार्थी द्वारा भविष्य में किसी भी गर्भावस्था के दौरान किया जा सकता है।इसलिए, यदि किसी लाभार्थी का पहली किस्त के बाद गर्भपात हो जाता है, तो केवल भविष्य में गर्भावस्था के दौरान ही वह दूसरी और तीसरी किस्त प्राप्त कर सकेगी। हालाँकि, लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इसी प्रकार, यदि लाभार्थी को दूसरी किस्त प्राप्त करने के बाद गर्भपात या मृत प्रसव होता है, तो वह भविष्य में गर्भावस्था की स्थिति में तीसरी किस्त प्राप्त कर सकेगी।

योजना के तहत लाभ स्तनपान कराने वाली और गर्भवती मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा)/आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच)/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) भी प्राप्त कर सकती हैं। हालाँकि, महिलाओं को लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।शिशु मृत्यु दर के मामले में लाभार्थी केवल एक बार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। शिशु मृत्यु के मामले में, यदि उसने पहले ही तीनों किस्तों का दावा कर दिया है, तो वह योजना के तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं कर पाएगी।

9. **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) :**केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए भारत में नोडल प्राधिकरण हैयह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत एक वैधानिक निकाय हैयह अंतर-देशीय और देश के भीतर गोद लेने को विनियमित और निगरानी करने के लिए अधिकृत है।अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए CARA भारत में नामित प्राधिकरण है। भारत ने 2003 में इस सम्मेलन की पुष्टि की।प्राधिकरण मुख्य रूप से अपनी मान्यता प्राप्त/संबद्ध दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, आत्मसमर्पित और परित्यक्त बच्चों को गोद लेने का काम संभालता है।

दत्तक ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परित्यक्त, आत्मसमर्पण किया हुआ या अनाथ बच्चा उन सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ अपने दत्तक माता-पिता का वैध बच्चा बन जाता है जो एक जैविक बच्चे से जुड़े होते हैं।भारत से बच्चों को गोद लेने के बुनियादी सिद्धांत निम्नलिखित हैं।

i. किसी भी गोद लेने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे के हित सर्वोपरि होंगे।

ii. जहां तक संभव हो, बच्चे को गोद लिए गए माता-पिता, जो भारतीय नागरिक हैं, और अधिमानतः बच्चे के अपने सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में रखने को प्राथमिकता दी जाएगी।

iii. सभी गोद लेने को बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली पर पंजीकृत किया जाना चाहिए और इसकी गोपनीयता CARA द्वारा बनाए रखी जाएगी।

CARA के अलावा, अन्य अनिवार्य संगठन भी हैं जो भारत में गोद लेने का काम संभालते हैं। वे इस प्रकार हैं:

1. **राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए):** सीएआरए के समन्वय में गोद लेने और गैर-संस्थागत देखभाल की निगरानी और बढ़ावा देने के लिए राज्य के भीतर नोडल निकाय।

2. **विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए):** बच्चों को गोद लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियां।

3. **अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (एएफएए):** एक विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसी जो किसी विदेशी देश के दत्तक ग्रहण प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिशों के आधार पर उस देश के नागरिक द्वारा भारतीय बच्चे को गोद लेने से संबंधित सभी मामलों के लिए सीएआरए द्वारा अधिकृत है।

4. **जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू):** जिले में अनाथ, आत्मसमर्पण और परित्यक्त बच्चों की पहचान के लिए जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक इकाई। यह उन्हें बाल कल्याण समितियों द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करवाता है।

भारत में कानूनी तौर पर एक बच्चे को गोद लेने की पात्रता :भारत में कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने के योग्य होने के लिए भावी दत्तक माता-पिता को कुछ निश्चित मानदंडों का पालन करना होगा। वे हैं:

i. उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए; आर्थिक रूप से सक्षम; बच्चा गोद लेने के लिए प्रेरित; और उसमें जीवन को खतरे में डालने वाली कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं होनी चाहिए।

ii. यदि भावी माता-पिता गोद लेने के अन्य सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, तो वे अपनी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना और चाहे उनके पास पहले से ही अपना जैविक बच्चा हो, गोद ले सकते हैं।

iii. एक अकेली महिला किसी नर या मादा बच्चे को गोद लेने के लिए पात्र है।

iv. एक अकेला पुरुष किसी लड़की को गोद लेने का पात्र नहीं है।

v. गोद लेने वाले जोड़े के मामले में, दोनों भागीदारों की सहमति आवश्यक है। साथ ही, उन्हें स्थिर वैवाहिक संबंध के कम से कम दो साल पूरे करने चाहिए।

vi. चार से अधिक बच्चों वाले जोड़ों को गोद लेने पर विचार नहीं किया जाता है।

vii. बच्चे और भावी दत्तक माता-पिता में से किसी एक के बीच न्यूनतम आयु का अंतर 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

viii. पात्रता तय करने के लिए पंजीकरण की तिथि के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता की आयु की गणना की जाएगी और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए आवेदन करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता निम्नानुसार होगी:

बच्चे की आयु	भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतमसमग्र आयु	एकल भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम आयु
4 वर्ष	90 वर्ष	45 वर्ष तक
4 से 8 वर्ष तक	100 वर्ष	50 वर्ष

8 से 18 वर्ष तक	110 वर्ष	55 वर्ष

गोद लिए जाने वाले बच्चे की पात्रता: कोई भी अनाथ, आत्मसमर्पण किया हुआ या परित्यक्त बच्चा, जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित किया गया होकिशोर न्याय अधिनियम में परिभाषित किसी रिश्तेदार का बच्चाापहले विवाह से पति/पत्नी के बच्चे या बच्चे, सौतेले माता-पिता द्वारा गोद लेने के लिए जैविक माता-पिता द्वारा आत्मसमर्पण किए गए।

गोद लेने में प्राथमिकता: हेग कन्वेंशन के अनुसार, भारत में रहने वाले बच्चों को गोद लेने के संबंध में भारतीय माता-पिता को विदेशियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। 2014 में, भारत से गोद लेने की पात्रता के संबंध में एनआरआई और पीआईओ को भारतीय नागरिकों के बराबर बनाने के लिए कानून में बदलाव किया गया था। भारत से बाहर रहने वाले विदेशियों को तत्काल प्लेसमेंट सूची से अपनाना चाहिए। इस सूची में वे बच्चे शामिल हैं जिन्हें भारतीय माता-पिता ने छोड़ दिया है (इसमें पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, भाई-बहन समूह या विकलांग/बीमारियों वाले बच्चे शामिल हैं)।

नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार बच्चे देश से अंतर-देशीय गोद लेने की सूची में चले जाते हैं:

i. 60 दिनों के बाद, यदि बच्चा 5 वर्ष से कम उम्र का है।

ii. 30 दिनों के बाद, यदि बच्चा 5 वर्ष से अधिक उम्र का है या भाई-बहन है।

iii. 15 दिन के बाद यदि बच्चे में कोई बौद्धिक या शारीरिक विकलांगता हो।

गोद लेने की प्रक्रिया :भारत में, गोद लेना केवल तभी कानूनी है जब यह केवल राज्य सरकारों या अन्य अधिकृत एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएसए) से किया जाता है।भारत में, गोद लेना हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (हिंदुओं, जैन, सिख और बौद्धों के लिए) और संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 (मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों और पारसियों के लिए) के अंतर्गत आता है।

गोद लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत भावी माता-पिता को CARA के बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (CARINGS) के साथ खुद को पंजीकृत करना चाहिए।फिर विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएसए) भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) आयोजित करती है और केयरिंग्स पर डेटा अपलोड करती है।माता-पिता की उपयुक्तता निर्धारित की जाती है और यदि उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है और कारणों की जानकारी दी जाती है।भावी दत्तक माता-पिता एक से छह बच्चों को गोद लेने के लिए आरक्षित कर सकते हैं।एक निर्धारित समय के भीतर, माता-पिता बच्चे को अंतिम रूप देने के लिए गोद लेने वाली एजेंसी का दौरा करते हैं। यदि वे इस अवधि के भीतर अंतिम रूप नहीं देते हैं, तो वे वरिष्ठता सूची में नीचे आ जाते हैं।एक बार जब बच्चे का चयन हो जाता है, तो SAA CARINGS पर रेफरल और गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करता है।फिर माता-पिता बच्चे को गोद लेने से पहले पालन-पोषण के लिए ले जाते हैं और एसएसए अदालत में याचिका दायर करता है।फिर कोर्ट गोद लेने का आदेश जारी करता है।गोद लेने के बाद की अनुवर्ती रिपोर्ट दो साल की अवधि के लिए आयोजित की जाती है।

10. अन्य योजनाये :बाल विकास तथा बाल कल्याण से सम्बंधित अन्य योजनायें निम्निलखित हैं:

1) गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम

2) किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम

3) कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना

4) बालिका समृद्धि योजना

5) महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए पहल

6) केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी

7) शिशु गृह योजना

8) चाइल्ड लाइन सेवाएँ

9) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

10) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले कामकाजी बच्चों के लिए योजना

11) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

17.6 सार संक्षेप

उपरलिखित विवरण से स्पष्ट होता है की भारत में बाल विकास एवं बाल कल्याण हेतु यद्यपि निरंतर रचनात्मक प्रयास किये जा रहे है परन्तु फिर भी वांछित लाभ नहीं अर्जित नहीं किये जा सके हैं| इसका प्रमुख कारण लोगों में योजनाओं की जानकारी का आभाव, योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वन ना किया जाना , अशिक्षा , भ्रष्टाचार तथा एक योग्य एवं प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का आभाव है| समाज कल्याण के क्षेत्र में व्याप्त इन व्यवधानों तथा समस्याओं का निवारण जब तक नहीं किया जायेगा तब तक सभी प्रयास निरर्थक ही जायेंगे |अतः आवश्यकता है की प्रत्येक स्तर पर सम्मिलित प्रयासों द्वारा बल विकास तथा कल्याण के क्षेत्र में संचालित की जाने वाली योजनाओं को उनके सही अर्थों में क्रियान्वित करके सभी को उनका लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जा सके|

17.7 परिभाषिक शब्दावली

पोषण ,बाल विकास ,समन्वित ,दत्तक ग्रहण ,सर्व शिक्षा अभियान , मिड डे मील , पोषण अभियान , ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड |

17.8 अभ्यास प्रश्न लघु

लघु प्रश्न:

1. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए |

   .....

   .....

2. बेटी बचाओ ,बेटी पढ़ाओ योजना के मुख्य प्रावधान क्या है |

   .....

   .....

विस्तृत प्रश्न:

1. सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न पक्षों का विस्तार से विवरण दीजिये|

   .....

   .....

2. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (CARA) की सेवाओं तायथा प्रावधानों की विस्तृत व्यख्या कीजिये |

   .....

   .....

संदर्भ सूची

1. गिन्सबर्ग, एच., और ओपर, एस. (1988)। पियाजे का बौद्धिक विकास का सिद्धांत (तीसरा संस्करण)। एंगलवुड क्लिफ्स, एनजे: प्रेंटिस हॉल।

2. कैल, आर. (2007). बच्चे और उनका विकास (चौथा संस्करण)। टोरंटो: पियर्सन.

3. इलर, पी. (2002)। विकासात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत (चौथा संस्करण)। न्यूयॉर्क: वर्थ.

4. नडेल, जे. (2005). भावनात्मक विकास: हालिया शोध प्रगति। ऑक्सफ़ोर्ड: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

5. पियागेट, जे. (1983). पियागेट का सिद्धांत. पी. मुसेन (सं.) में, बाल मनोविज्ञान की पुस्तिका (चौथा संस्करण, खंड 1 न्यूयॉर्क: विली.

6. शेफ़र, डी., वुड, ई., और विलोबी, टी. (2005)। विकासात्मक मनोविज्ञान (दूसरा संस्करण)। टोरंटो: नेल्सन.

7. उराजनिक, डी., लेविन, ई., और गर्ग, आर. (2008)। बाल विकास। वाई. झांग (सं.) में, वैश्विक स्वास्थ्य विश्वकोश (खंड 1 लॉस एंजिल्स: ऋषि.

इकाई–18 बाल विकास की अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएँ

इकाई की रूपरेखा

18.0 इकाई का उद्देश्य

18.1 परिचय

18.2 बाल अधिकारों का इतिहास

18.3 बाल अधिकारों की समयरेखा

18.4 बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (सीआरसी)

18.5 यूएनसीआरसी और भारत

18.6 सार संक्षेप

18.7 परिभाषिक शब्दावली

18.8 अभ्यास प्रश्न लघु विवरण

18.9 संदर्भ ग्रंथ सूची

18.0 इकाई का उद्देश्य

विकास का अधिकार यानी शिक्षा, नवाचार, देखभाल का अधिकार। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा और नवाचार का अधिकार है जो उसे दुनिया के बारे में जानकारी देगा और बच्चे को उसकी पूरी क्षमता का पता लगाने में मदद करेगा। शिक्षा वस्तुतः वह है जिसका उपयोग हम दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, इसलिए यदि बच्चों को ये अधिकार दिए जाते हैं तो उन्हें भविष्य में दुनिया को बदलने का जनादेश दिया जा रहा है और इस वर्तमान समय में भी वे सबसे छोटे संभव तरीके से बदल सकते हैं। इसलिए यदि बच्चों को इस तरह के अधिकार से वंचित किया गया तो यह अवैध और असंवैधानिक होगा। सीखने के अलावा, बच्चों को सभी देशों के बीच सहिष्णुता, समझ, दृढ़ता और मित्रता की सकारात्मक शिक्षा भी दी जानी चाहिए जो नस्लीय भेदभाव से मुक्त हो और परिणामस्वरूप दुनिया में शांति बनाए रखने में योगदान देगी। यदि बच्चों को शिक्षा और नवाचार का अधिकार दिया जाता है और उनके जीवन के इस प्रारंभिक चरण में उनमें सकारात्मक अभिविन्यास और संवेदनशीलता पैदा की जाती है तो वे राष्ट्रीय/विश्व विकास के साथ-साथ निकट भविष्य में समावेशन के लिए एक वास्तविक उपकरण होंगे।

18.1 परिचय

वस्तुतः हर समाचार चक्र में बच्चों को सैन्य कार्रवाइयों, बंदूक हिंसा, आर्थिक अन्याय, नस्लवाद, लिंगवाद, यौन शोषण, भूख, कम वित्त वाले स्कूलों, बेलगाम व्यावसायिकता के शिकार के रूप में दिखाया जाता है - सूची अंतहीन है। प्रत्येक हमारी उस समझ का उल्लंघन करता है कि बचपन कैसा होना चाहिए और उस चीज़ को चुनौती देता है जिसके बारे में हम मानते हैं कि बचपन हमेशा से रहा हैलेकिन बचपन के बारे में हमारी धारणाओं को आकार देने वाले विचार एक सदी से भी कम समय पहले उभरे थे। सुधारकों और नीति-निर्माताओं ने 1830 के दशक से आधुनिक बचपन बनाने के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने एक विस्तारित, पोषित बचपन का निर्माण करने की कोशिश की, जो बच्चों को ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दे और उन्हें बस बच्चे बने रहने की अनुमति दे। उनके प्रयासों से शिक्षा में मामूली सुधार हुआ, बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों को खत्म करने के प्रयास हुए और कुछ हद तक बेहतर चिकित्सा देखभाल हुई।

1900 के दशक की शुरुआत तक, पर्याप्त प्रगति हुई थी - भौतिक सुधार और बढ़ती अपेक्षाओं दोनों के संदर्भ में - कि अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक अधिकार वकील और बाल श्रम विरोधी कार्यकर्ता फ्लोरेंस केली कानून के माध्यम से कुछ नैतिक लाभों की घोषणा कर सकती थीं जो युवाओं को " बचपन का अधिकार।" लेकिन सामान्य रूप से नागरिकों और विशेष रूप से बच्चों पर प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभावों ने बाल कल्याण सुधारकों को सक्रिय कर दिया, जिनमें सेव द चिल्ड्रेन फंड की स्थापना करने वाली अंग्रेज महिला एग्लेंटाइन जेब भी शामिल थीं। जेब उस आंदोलन के अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे जिसके कारण 1924 में बचपन का "आविष्कार" हुआ।

निस्संदेह, बच्चे हमेशा से रहे हैं, और अधिकांश इतिहास में उनके अनुभव स्वाभाविक रूप से वयस्कों से भिन्न रहे हैं। फिर भी, 26 सितंबर 1924 को, जब राष्ट्र संघ ने "बाल अधिकारों की जिनेवा घोषणा" को अपनाया, तो इसने न केवल समाज में उनकी विभिन्न आवश्यकताओं और भूमिकाओं को मान्यता दी, बल्कि बच्चों के साथ किस समुदाय या राष्ट्र के व्यवहार के खिलाफ मानदंड स्थापित किए। ऐसा करते हुए, लीग ने बचपन के लिए ऐसे मानक स्थापित किए जो ऐसे थे जिन्हें हम "आधुनिक" के रूप में पहचानेंगे।घोषणा की प्रस्तावना में घोषित किया गया कि "मानव जाति को जो कुछ भी देना है वह बच्चे को देना चाहिए।" "जाति, राष्ट्रीयता या पंथ के सभी विचारों से परे," बच्चों के पास कुछ अधिकार सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वे बच्चे थे।

बच्चे को उसके सामान्य विकास के लिए आवश्यक साधन दिए जाने चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से जो बच्चा भूखा हो उसे अवश्य खिलाना चाहिए; जो बच्चा बीमार है उसकी देखभाल अवश्य की जानी चाहिए; जो बच्चा पिछड़ा हुआ है उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए; अपराधी बच्चे को पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए; और अनाथों और अनाथों को आश्रय और सहायता दी जाए ,संकट के समय सबसे पहले बच्चे को राहत मिलनी चाहिए ,बच्चे को आजीविका कमाने की स्थिति में रखा जाना चाहिए और उसे हर प्रकार के शोषण से बचाया जाना चाहिए ,बच्चे को इस चेतना में बड़ा किया जाना चाहिए कि उसकी प्रतिभा साथी मनुष्यों की सेवा के लिए समर्पित होनी चाहिए

यह घोषणा बच्चों के प्रति दशकों से बनी सहानुभूति से उभरी है। फिर भी इसके द्वारा किए गए वादे विश्वव्यापी मंदी और दूसरे, इससे भी अधिक विनाशकारी विश्व युद्ध के सामने खोखले साबित होंगे। दरअसल, हिंसा और अव्यवस्था 20वीं सदी के बाकी हिस्सों और 21वीं सदी तक बच्चों के जीवन को प्रभावित करेगी। फिर भी 1924 के आशावादी शब्दों ने एक मिसाल कायम की जो अंततः बच्चों के अधिकारों के बारे में धारणाओं का एक सेट तैयार करेगी जो लगभग सार्वभौमिक हो जाएगी। बेशक, कई राष्ट्रों ने उन धारणाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन लीग के उत्तराधिकारी, संयुक्त राष्ट्र ने 1959 में और फिर 1989 में बच्चों के अधिकारों पर बहुत विस्तारित बयान पारित किए। घोषणा में व्यक्त किए गए आदर्श संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे। 1946 में बाल कोष (यूनिसेफ) और दुनिया भर में बच्चों की राहत और भलाई के लिए समर्पित अनगिनत सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की स्थापना। लीग द्वारा घोषणापत्र जारी करने के बाद से सदी के दौरान उभरी कई चुनौतियों के बावजूद, यह विश्व समुदाय को "बचपन के अधिकार" की वकालत करने की अपनी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला एक प्रकाशस्तंभ बना हुआ है।

18.2 बाल अधिकारों का इतिहास

1989 में कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। बदलती विश्व व्यवस्था की पृष्ठभूमि में विश्व नेता एक साथ आए और विश्व के बच्चों के प्रति एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे - बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन - को अपनाकर प्रत्येक बच्चे से उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें पूरा करने का वादा किया।इस संधि में एक गहन विचार निहित है: कि बच्चे केवल वे वस्तुएं नहीं हैं जो उनके माता-पिता के हैं और जिनके लिए निर्णय लिए जाते हैं, या प्रशिक्षण में वयस्क नहीं हैं। बल्कि, वे इंसान और व्यक्ति हैं जिनके अपने अधिकार हैं। कन्वेंशन कहता है कि बचपन वयस्कता से अलग है, और 18 साल तक रहता है; यह एक विशेष, संरक्षित समय है, जिसमें बच्चों को सम्मान के साथ बढ़ने, सीखने, खेलने, विकसित होने और फलने-फूलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह कन्वेंशन इतिहास में सबसे व्यापक रूप से अनुमोदित मानवाधिकार संधि बन गई और इसने बच्चों के जीवन को बदलने में मदद की है।

यह कन्वेंशन इतिहास में सबसे व्यापक रूप से अनुमोदित मानवाधिकार संधि है। इसने सरकारों को कानूनों और नीतियों को बदलने और निवेश करने के लिए प्रेरित किया है ताकि अंततः अधिक बच्चों को जीवित रहने और विकसित होने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल और पोषण मिल सके, और बच्चों को हिंसा और शोषण से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। इसने अधिक बच्चों को अपनी आवाज़ सुनने और अपने समाजों में भाग लेने में भी सक्षम बनाया है।

इस प्रगति के बावजूद, कन्वेंशन अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है या व्यापक रूप से ज्ञात और समझा नहीं गया है। लाखों बच्चों को उनके अधिकारों का उल्लंघन झेलना पड़ रहा है, जब उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, शिक्षा और हिंसा से सुरक्षा से वंचित किया जाता है। जब बच्चों को स्कूल छोड़ने, खतरनाक काम करने, शादी करने, युद्ध लड़ने या वयस्क जेलों में बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उनका बचपन छोटा हो जाता हैऔर वैश्विक परिवर्तन, जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकी का उदय, पर्यावरण परिवर्तन, लंबे समय तक संघर्ष और बड़े पैमाने पर प्रवासन, बचपन को पूरी तरह से बदल रहे हैं। आज के बच्चों को अपने अधिकारों के लिए नए खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके पास अपने अधिकारों को महसूस करने के नए अवसर भी हैं।

1989 में विश्व नेताओं की आशा, दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता के कारण यह कन्वेंशन संभव हुआ। यह आज की पीढ़ी पर निर्भर है कि वह सरकार, व्यवसाय और समुदायों के विश्व नेताओं से बाल अधिकारों के उल्लंघन को हमेशा के लिए समाप्त करने की मांग करे। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हर बच्चे को हर अधिकार मिले।

बीसवीं सदी की शुरुआत के औद्योगिक देशों में बच्चों की सुरक्षा के कोई मानक नहीं थे। वयस्कों के साथ अस्वच्छ और असुरक्षित परिस्थितियों में काम करना उनके लिए आम बात थी। उनकी स्थिति के अन्यायों की बढ़ती पहचान, बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं की बेहतर समझ से प्रेरित होकर, उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए एक आंदोलन को जन्म दियाबाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय मानक पिछली शताब्दी में नाटकीय रूप से आगे बढ़े हैं, लेकिन उन आदर्शों को पूरा करने में कमियाँ बनी हुई हैं।

18.3 बाल अधिकारों की समयरेखा

- 1924 राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों पर जिनेवा घोषणा को अपनाया, जिसे सेव द चिल्ड्रेन फंड के संस्थापक एग्लेंटाइन जेब ने तैयार किया था। घोषणा में कहा गया है कि सभी लोगों को बच्चों का अधिकार है, उनके विकास के लिए साधन, जरूरत के समय विशेष सहायता, राहत के लिए प्राथमिकता, आर्थिक स्वतंत्रता और शोषण से सुरक्षा, और एक ऐसी परवरिश जो सामाजिक चेतना और कर्तव्य पैदा करती है।
- 1946 संयुक्त राष्ट्र महासभा दुनिया भर में बच्चों पर जोर देने के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ की स्थापना करती है।
- 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पारित की, जिसमें अनुच्छेद 25 माताओं और बच्चों को 'विशेष देखभाल और सहायता' और 'सामाजिक सुरक्षा' का अधिकार देता हैविकास की सहजता और गति को अधिकतम करने, बच्चे की क्षमता और उसके समान उम्र के साथियों के बीच होने वाले अंतर को कम करने, बच्चे के आत्मविश्वास के साथ-साथ बच्चे के माता-पिता द्वारा सामना की जा सकने वाली निराशा को कम करने के लिए विकासात्मक चुनौतियों पर काबू पाना महत्वपूर्ण है। और/या देखभाल करने वाले।
- 1959 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया, जो अन्य अधिकारों के अलावा, बच्चों के शिक्षा, खेल, सहायक वातावरण और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकारों को मान्यता देता है।
- 1966 नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के साथ, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य सभी बच्चों के लिए शिक्षा और सुरक्षा सहित समान अधिकारों को बनाए रखने का वादा करते हैं।
- 1968 मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने के बाद से 20 वर्षों में देशों द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। भविष्य के काम के लिए एक एजेंडा तैयार किया जाता है और मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को मजबूत किया जाता है।
- 1973 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 138 को अपनाता है, जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता के लिए खतरनाक काम करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है।
- 1974 आपातकालीन और संघर्ष स्थितियों में महिलाओं और बच्चों की असुरक्षा के बारे में चिंतित, महासभा सदस्य राज्यों से आपातकाल और सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर घोषणा का पालन करने का आह्वान करती है। घोषणापत्र नागरिक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हमलों या कारावास पर रोक लगाता है, और सशस्त्र संघर्ष के दौरान महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की पवित्रता को बरकरार रखता है।
- 1978 मानवाधिकार आयोग सदस्य राज्यों, एजेंसियों और अंतर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के एक कार्य समूह द्वारा विचार के लिए बाल अधिकारों पर एक कन्वेंशन का मसौदा प्रस्तुत करता है।
- 1979 -1959 की बाल अधिकारों की घोषणा की बीसवीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया, जिसमें यूनिसेफ अग्रणी भूमिका निभाता है।
- 1985 किशोर न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम एक न्याय प्रणाली के सिद्धांतों का विवरण देते हैं जो शिक्षा और सामाजिक सेवाओं और बाल बंदियों के लिए आनुपातिक उपचार सहित बच्चे के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देते हैं।
- 1989 बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया है और इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक और सांस्कृतिक अभिनेताओं के रूप में बच्चों की भूमिकाओं को मान्यता देते हुए मानवाधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया है। कन्वेंशन सभी क्षमताओं में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यूनतम मानक

निर्धारित करता है और गारंटी देता है। यूनिसेफ, जिसने कन्वेंशन का मसौदा तैयार करने में मदद की, को दस्तावेज़ में विशेषज्ञता के स्रोत के रूप में नामित किया गया है।

- 1990 बच्चों के लिए विश्व शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। किशोर अपराध की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश आपराधिकता को रोकने और उच्च सामाजिक जोखिम वाले युवाओं की सुरक्षा के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं।
- 1991 यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रेन, डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल और अन्य संगठनों के विशेषज्ञ बाल अधिकारों पर कन्वेंशन की रिपोर्टिंग प्रक्रिया से एकत्र किए गए डेटा पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। यह बैठक 1995 में बाल अधिकार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क (CRIN) की औपचारिक स्थापना की ओर ले जाती है।
- 1999 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने बाल श्रम के सबसे खराब स्वरूपों पर कन्वेंशन को अपनाया है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार के काम पर तत्काल रोक लगाने और उसे खत्म करने का आह्वान किया गया है। यूनिसेफ बाल श्रम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और नीतियों के अनुसमर्थन को बढ़ावा देने के लिए 1996 से ILO के साथ काम कर रहा है।
- 2000 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर 1989 के कन्वेंशन में दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल अपनाए हैं, जो सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों को शत्रुता में भाग लेने से रोकने और बच्चों की बिक्री, यौन शोषण और दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए राज्य दलों को महत्वपूर्ण कार्रवाई करने के लिए बाध्य करते हैं।
- 2002 बच्चों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में, बाल प्रतिनिधियों ने पहली बार महासभा को संबोधित किया। अगले दशक में बच्चों की संभावनाओं में सुधार के लिए विशिष्ट लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रेन एजेंडा को अपनाया गया था।
- 2006 यूनिसेफ ने ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ किशोर न्याय संकेतकों के मापन के लिए मैनुअल का सह-प्रकाशन किया है। मैनुअल सरकारों को अपनी किशोर न्याय प्रणालियों की स्थिति का आकलन करने और आवश्यकतानुसार सुधार करने में सक्षम बनाता है।
- 2010 संयुक्त राष्ट्र महासचिव बाल अधिकारों पर कन्वेंशन की स्थिति जारी करते हैं।
- 2011 बाल अधिकारों पर 1989 के कन्वेंशन के लिए एक नया वैकल्पिक प्रोटोकॉल अपनाया गया है। संचार प्रक्रिया पर इस वैकल्पिक प्रोटोकॉल के तहत, बाल अधिकार समिति बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें दर्ज कर सकती है और जांच कर सकती है।
- 2015 -सोमालिया और दक्षिण सूडान कन्वेंशन की पुष्टि करते हैं। यह कन्वेंशन 196 राज्यों के साथ सबसे व्यापक रूप से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ने आज तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

18.4 बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (सीआरसी)

बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु यह सबसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानवाधिकार प्रपत्र है, जिसे दुनिया के दो देशों को छोड़कर हर देश द्वारा अनुमोदित किया गया है। कन्वेंशन बच्चों के मानवाधिकारों - नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों - की पूरी श्रृंखला को एक ही दस्तावेज़ में शामिल करता है। यह कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवंबर 1989 को अपनाया गया और सितंबर 1990 में लागू हुआ। कन्वेंशन 41 लेखों में अठारह वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे के लिए सम्मान और सुरक्षा के मानवाधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसके विभिन्न अनुच्छेदों का विवरण निम्नलिखित है-

अनुच्छेद 1

बच्चे की परिभाषा "अठारह साल से कम उम्र का प्रत्येक इंसान" है, जब तक कि राष्ट्रीय कानून पहले की उम्र में वयस्कता प्राप्त न कर ले।

अनुच्छेद 2

कन्वेंशन में सुरक्षित अधिकारों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुच्छेद 3

बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में बच्चों का सर्वोत्तम हित प्राथमिक रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

अनुच्छेद 5

राज्य माता-पिता या विस्तारित परिवार की जिम्मेदारी, अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करेगा।

अनुच्छेद 6

प्रत्येक बच्चे को जीवन का अंतर्निहित अधिकार है

अनुच्छेद 7

बच्चे को एक नाम रखने, राष्ट्रीयता हासिल करने और अपने माता-पिता को जानने और उनकी देखभाल करने का अधिकार है

अनुच्छेद 8

बच्चे को पहचान और राष्ट्रीयता का अधिकार है।

अनुच्छेद 9

बच्चे को अपने सर्वोत्तम हित और न्यायिक प्रक्रिया के अलावा, अपने माता-पिता से अलग न होने का अधिकार है।

अनुच्छेद 12

बच्चे को उसे प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर विचार व्यक्त करने का अधिकार है और बच्चे के विचारों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 13

बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें सभी प्रकार की जानकारी और विचार खोजने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है।

अनुच्छेद 14

बच्चे के विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान किया जाएगा।

अनुच्छेद 15

बच्चे को संघ बनाने और शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार है।

अनुच्छेद 16

किसी भी बच्चे को उसकी निजता, परिवार, घर या पत्र-व्यवहार में मनमाने या गैरकानूनी हस्तक्षेप का शिकार नहीं बनाया जाएगा; बच्चे को उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर गैरकानूनी हमलों से बचाया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 17

राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से जानकारी और सामग्री तक पहुंच के बच्चे के अधिकार को सुनिश्चित करेगा

अनुच्छेद 18

बच्चे के पालन-पोषण और विकास की प्रमुख जिम्मेदारी माता-पिता की होती है।

अनुच्छेद 19

राज्य सभी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा, चोट, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण से बच्चे की सुरक्षा के लिए सभी विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करेगा।

अनुच्छेद 24

बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, निवारक स्वास्थ्य देखभाल के विकास पर जोर देने के साथ स्वास्थ्य देखभाल के उच्चतम प्राप्य मानक का अधिकार है।

अनुच्छेद 26

बच्चे को सामाजिक सुरक्षा से लाभ पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 27

बच्चे को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जिससे उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास हो सके।

अनुच्छेद 28 और 29

बच्चे को शिक्षा का अधिकार है. राज्य प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य और उपलब्ध तथा निःशुल्क बनाएगा और माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न रूपों के विकास को प्रोत्साहित करेगा, उन्हें प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध कराएगा। स्कूल अनुशासन को बच्चे की गरिमा के अनुरूप तरीके से प्रशासित किया जाएगा। शिक्षा को बच्चे के व्यक्तित्व, प्रतिभा और क्षमताओं के विकास, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान, शांति, दोस्ती, समझ, सहिष्णुता और समानता की भावना में एक स्वतंत्र समाज में जिम्मेदार जीवन, सम्मान के विकास के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण।

अनुच्छेद 30

बच्चे को अपनी संस्कृति का आनंद लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 31

बच्चे को आराम और आराम करने, खेलने और सांस्कृतिक जीवन और कलाओं में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 32

बच्चे को आर्थिक शोषण और ऐसे काम करने से बचाया जाएगा जो उसके जीवन और विकास के लिए खतरनाक है।

अनुच्छेद 33

बच्चे को नशीली दवाओं के अवैध उपयोग से बचाया जाएगा।

अनुच्छेद 34

बच्चे को सभी प्रकार के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार, वेश्यावृत्ति या अन्य गैरकानूनी यौन प्रथाओं में बच्चों के उपयोग, अश्लील प्रदर्शन और सामग्रियों से संरक्षित किया जाएगा।

अनुच्छेद 38

राज्य सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए सभी संभव उपाय करेगा।

अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 37

अपराध या अपराध करने के आरोपी प्रत्येक बच्चे को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाने की गारंटी दी जानी चाहिए, उसे अपना मामला पेश करने में कानूनी सहायता दी जानी चाहिए, गवाही देने या अपराध कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, उसकी गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए उनका पूरा सम्मान किया जाए, उनकी उम्र, परिस्थितियों और भलाई के अनुरूप उचित तरीके से व्यवहार किया जाए। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए अपराधों के लिए न तो मृत्युदंड और न ही रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास दिया जाएगा।

अनुच्छेद 41 (उच्चतर का सम्मान -राष्ट्रीय मानक)

यदि किसी देश के पास कानून और मानक हैं वर्तमान कन्वेंशन से आगे बढ़ें, तो देश को इन कानूनों का पालन करना ही होगा।

अनुच्छेद 42 (अधिकारों का ज्ञान)

सरकारों को सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करन चाहिए कि बच्चों और वयस्कों को कन्वेंशन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त है।

अनुच्छेद 45

यूनिसेफ विशेषज्ञ बच्चों के अधिकारों पर सहायता और सलाह प्रदान कर सकता है

(कन्वेंशन में कुल 54 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 43-54 वयस्कों के बारे में हैं)

18.5 यूएनसीआरसी और भारत

भारत में दुनिया के लगभग पाँचवें बच्चे रहते हैं और 1992 में (यूएनसीआरसी की 30वीं वर्षगांठ) बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) की पुष्टि की गई। इस सम्मेलन ने बच्चों के अधिकारों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सम्मेलन ने भारत को बाल अधिकारों के गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए कई प्रगतिशील कानून बनाने और नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया है। बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है।बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कुछ प्रमुख कानूनों में शामिल हैं

1. यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा का अधिकार 2012: यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006: यह अधिनियम भारत में बाल विवाह पर रोक लगाता है।
3. बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009: इस अधिनियम में कहा गया है कि "6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंडों को निर्दिष्ट करता है।"
4. बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम के अनुसार मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य "यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हैं।"

भारत ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) के जनादेश को लागू करने और बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं भी शुरू की हैं। इनमें से कुछ योजनाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. **बच्चों की सुरक्षा के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS):** यह योजना 'बाल अधिकारों की सुरक्षा और' बच्चों के सर्वोत्तम हितों के सिद्धांतों पर आधारित है और इस योजना का लक्ष्य समुदाय-आधारित आपातकालीन आउटरीच सेवाओं का समर्थन करना है।
2. **सर्व शिक्षा अभियान:** यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत योजना है कि बच्चों को प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा मिले।
3. **कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना:** यह कार्यक्रम 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों पर केंद्रित है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कामकाजी माताओं के साथ रहते हैं जो प्रति माह कम से कम 15 दिन या प्रति वर्ष 6 महीने काम करते हैं। यह योजना पूरे भारत देश को कवर करती है। कम आय वाले परिवारों के बच्चों और गरीब बच्चों और विशेष पोषण संबंधी जरूरतों वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013:** यह अधिनियम कानूनी तौर पर 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।
5. **एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस):** यह योजना बच्चों को पोषण, टीकाकरण और प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करती है।
6. **पोषण अभियान:** इस योजना का उद्देश्य बच्चों, किशोरों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच पोषण बढ़ाना है।

चूंकि भारत ने प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 मौतों के वैश्विक औसत को पार कर लिया है और एसडीजी लक्ष्य को पूरा करने की अधिक संभावना है, इसने रोके जा सकने वाले कारणों से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके अतिरिक्त, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 1992-1993 (एनएफएचएस-1) में 79 से घटकर 2015-16 में 41 हो गई। (एनएफएचएस-4)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में शिक्षा की गुणवत्ता के महत्व पर जोर दिया

18.6 सार संक्षेप

सबसे पहले, बच्चे या युवा लोग जीवित रहने का अधिकार, जीवन का अधिकार, पोषण, नाम और राष्ट्रीयता के अधिकार के हकदार हैं। बच्चे के जीवित रहने के अधिकार में स्वस्थ जीवन का अधिकार शामिल है। बच्चों को जीने, सुरक्षित रहने और उनका जीवन

कैसे बनता है, इस पर अपनी राय रखने का अधिकार है। बच्चों का पोषण सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन दिया जाना चाहिए। उन्हें पर्याप्त पोषण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का भी आश्वासन दिया जाना चाहिए।निष्कर्षतः, देश में प्रत्येक बच्चे के लिए बाल अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। और उम्मीद है कि, कुछ विश्व संगठन और आंदोलन 'संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि इन अधिकारों को सभी वंचितों तक पहुंचाया जाए।

18.7 परिभाषिक शब्दावली

संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन , अधिकार ,पोषण ,स्वास्थ्य शिक्षा ,बाल श्रम , मानवाधिकार ,आपातकालीन कोष

18.8 अभ्यास प्रश्न लघु

लघु प्रश्न:

1. बाल अधिकारों के महत्त्व पर संक्षिप्त टिपण्णी लिखिए।

   .....
   .....
   .....
   .....

2. बाल अधिकारों को प्रभावित करने वाले कारको पर प्रकाश डालिए।

   .....
   .....
   .....
   .....

विस्तृत प्रश्न:

1. बाल अधिकारों के विकास का विभिन्न समय सीमा के सन्दर्भ में वर्णन कीजिये।

   .....
   .....
   .....
   .....

2. बाल अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय घोषणापत्र में वर्णित प्रावधानों का विश्लेषण कीजिये।

   .....
   .....
   .....
   .....

18.6 संदर्भ सूची

1. चार्ड, डेविड (2004)। बच्चे: अधिकार और बचपन (पृ. 1-4)। लंदन: टेलर और फ्रांसिस
2. आर्चर्ड, डेविड और मैकलियोड, कॉलिन एम. [संस्करण] (2002)। बच्चों की नैतिक और राजनीतिक स्थिति: नए निबंध। ऑक्सफ़ोर्ड: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, (2002)
3. ब्लॉक, एलन ए. (2011)। तल्मूड, पाठ्यचर्या, और व्यावहारिक - जोसेफ श्वाब और रब्बी। खंड 2. न्यूयॉर्क: पीटर लैंग प्रकाशन।

4. कैवौकियन, एफ़ी और ओल्फ़मैन, शारना। (2006)। बच्चों का सम्मान: इस दुनिया को कैसे बदलें। कनाडा: होमलैंड प्रेस.

5. कॉवेल, कैथरीन। 2013. सामाजिक न्याय के साधन के रूप में बच्चों की मानवाधिकार शिक्षा: इंग्लैंड से एक केस अध्ययन। सामाजिक न्याय के लिए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, 2(1), 35-48। http://www.rinace.net

6. कॉवेल, कैथरीन और आर. ब्रायन होवे। (2011). हैम्पशायर काउंटी में अधिकार, सम्मान और जिम्मेदारी: आरआरआर और लचीलापन रिपोर्ट। केप ब्रेटन विश्वविद्यालय। http://www.childrensrightseducation.com

7. कोवेल, कैथरीन और आर. ब्रायन होवे। (2009)। अधिकार और लचीलापन: आरआरआर के दीर्घकालिक प्रभाव। केप ब्रेटन विश्वविद्यालय बाल अधिकार केंद्र। http://www.childrensrightseducation.com

8. कोवेल, कैथरीन और आर. ब्रायन होवे। (2008)। अधिकार, सम्मान और जिम्मेदारी: हैम्पशायर काउंटी अधिकार शिक्षा पहल पर अंतिम रिपोर्ट। केप ब्रेटन विश्वविद्यालय बाल अधिकार केंद्र। http://www.childrensrightseducation.com/

9. डेविस, ब्रेंडा। (2012)। शैक्षिक सुधार और सार्वजनिक जुड़ाव को "जटिलता" लेंस के माध्यम से देखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय पाठ्यचर्या पूछताछ 9(2), 50-66।

10. डेविस, ब्रेंट और सुमारा, डेनिस। (2008)। शिक्षा के सिद्धांत के रूप में जटिलता। अंतरराष्ट्रीय पाठ्यचर्या पूछताछ 5(2)। डेंग, ज़ोंग्यी। 2011. पाठ्यचर्या की संभावनाओं पर दोबारा गौर करना। टोरंटो विश्वविद्यालय के शिक्षा में अध्ययन के लिए ओं

11. टारियो संस्थान पाठ्यचर्या पूछताछ, 41(5), 538-559। http://onlinelibrary.wiley.com

12. डुप्रे, कैथरीन। (2013)। गरिमा, लोकतंत्र, सभ्यता. लिवरपूल लॉ रिव्यू, 33(3), 263-280। http://link.springer.com

13. फ्रेरे, पाउलो. (2008)। उत्पीड़ितों की शिक्षाशास्त्र। न्यूयॉर्क: द कॉन्टिनम इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप इंक.

14. वैश्विक गाँव संसाधन: एक बेहतर विश्व के लिए शिक्षा, एक समय में एक व्यक्ति। (एन.डी.) http://www.globalvillageresources.org.

15. गोल्डस्मिंक, क्रिस। (2007)। शैक्षिक सुधार पर पुनर्विचार: एक शिथिल युग्मित और जटिल प्रणाली परिप्रेक्ष्य। शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व35(1), 27-50। http://ema.sagepub.com/content/35/1/27.

16. हैमरबर्ग, थॉमस। (एन.डी.) यूनिसेफ: बाल अधिकारों पर कन्वेंशन - लोग और भागीदार। http://www.unicef.org/rightsite/364_537.

17. जल्दबाजी, हेलेन. (2009)। 'सक्षमता' क्या है और शिक्षा को 'सक्षम नागरिक एजेंट' उत्पन्न करने के लिए नई तकनीक के उपकरणों को कैसे शामिल करना चाहिए। पाठ्यचर्या जर्नल 20(3), 207-223। http://www.tandfonline.com

18. हिम्स, जेम्स आर. (1993)। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन: कार्यान्वयन की चुनौती पर तीन निबंध। यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास केंद्र। http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/essay5.pdf से लिया गया

19. होवे, आर.बी., और कॉवेल, के. (2013)। बच्चों के सर्वोत्तम हित में शिक्षा: उपलब्धि के अंतर को पाटने पर बच्चों के अधिकारों का परिप्रेक्ष्य। टोरंटो: टोरंटो विश्वविद्यालय प्रेस।

20. होवे, आर.बी., और कॉवेल, के. (2005)। बच्चों को सशक्त बनाना: नागरिकता के मार्ग के रूप में बच्चों के अधिकारों की शिक्षा। टोरंटो: टोरंटो विश्वविद्यालय प्रेस।

21. हिस्लोप-मार्गिसन, ई. और पिंटो, एल.ई. (2007)। कैरियर शिक्षा में लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण साक्षरता। कैनेडियन जर्नल ऑफ एजुकेशन 30(1), 193-210।

22. मेसन, एम. (2009)। शैक्षिक विकास और परिवर्तन को टिकाऊ बनाना: जटिलता सिद्धांत से अंतर्दृष्टि। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट 29(2), 117-124।

23. डरसन, डी.एल. और ग्राहम, ए.पी., "छात्र कल्याण में सुधार: स्कूल में अपनी बात कहना", स्कूल प्रभावशीलता और स्कूल सुधार 2016 (27(3)), 348-366। https://doi.org/10.1080/09243453.2015.1084336।

24. बॉन्ड, सी., वुड्स, के., हम्फ्री, एन., सिम्स, डब्ल्यू. और ग्रीन, एल., "प्रैक्टिशनर समीक्षा: बच्चों और परिवारों के साथ समाधान केंद्रित संक्षिप्त चिकित्सा की प्रभावशीलता: साहित्य का एक व्यवस्थित और आलोचनात्मक मूल्यांकन 1990-2010", जर्नल ऑफ

चाइल्ड साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री एंड अलाइड डिसिप्लिन्स 2013 (54(7)), 707-723। https://doi.org/10.1111/jcpp.12058।

25. ब्रांटेफ़ोर्स, एल. और क्वेनेर्स्टेड, ए., "बच्चों के मानवाधिकारों को पढ़ाना और सीखना: एक शोध संश्लेषण", कॉर्जेट एजुकेशन 2016 (3(1)), 1-19। https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1247610।

26. बायर्न, बी. और लुंडी, एल., "बच्चों के अधिकार-आधारित बचपन की नीति: एक छह-पी ढांचा", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स 2019 (23(3)), 357-373। https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1558977।

27. शिक्षा और कौशल विभाग, "हर बच्चा मायने रखता है: लक्ष्य और परिणाम", 2004: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101220155521/http://www.dcsf.gov.uk/everychildmatters/about/aims/ लक्ष्य/। 2 अक्टूबर 2020 को एक्सेस किया गया।

28. डनहिल, ए., "क्या बच्चों को मानवाधिकारों के बारे में पढ़ाना, उन्हें दूसरों के अधिकारों का अभ्यास करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है?", शिक्षा 3-13 2018 (46(1)), 16–26। https://doi.org/10.1080/03004279.2016.1165717।

29. फ्लेचर, ए.जे., "गुणात्मक शोध में आलोचनात्मक यथार्थवाद को लागू करना: कार्यप्रणाली विधि से मिलती है।", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च मेथडोलॉजी 2017 (20(2)), 181-194। https://doi.org/10.1080/13645579.2016.1144401।

30. फ्लिटक्रॉफ्ट, डी. और वुड्स, के., "शोध उच्च विद्यालय के शिक्षकों को परीक्षण प्रदर्शन के लिए छात्र प्रेरणा के बारे में क्या बताता है?", शिक्षा में पादरी देखभाल 2018 (36(2)), 112–125। https://doi.org/10.1080/02643944.2018.1453858।

इकाई–19 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम

इकाई की रूपरेखा

19.0 इकाई का उद्देश्य

19.1 परिचय

19.2 बाल विवाह के प्रमुख कारण

19.3 बाल विवाह के परिणाम

19.4 बाल विवाह निरोधक अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

19.5 बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929

19.6 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

19.7 बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021

19.8 सार संक्षेप

19.9 परिभाषिक शब्दावली

19.10 अभ्यास प्रश्न लघु विवरण

19.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

19.0 इकाई का उद्देश्य

बाल विवाह बच्चों के नैसर्गिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार के उच्च जोखिम में डालता है। बाल विवाह न केवल बालिकाओं को वरन बालकों को भी शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है,परन्तु कन्याओं पर इसका विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे 18 वर्ष की आयु से पहले एक लड़की या लड़के की शादी के रूप में परिभाषित किया गया है और यह औपचारिक विवाह और अनौपचारिक संघ दोनों को संदर्भित करता है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एक साथी के साथ ऐसे रहते हैं जैसे कि विवाहित होंबाल विवाह से बचपन ख़त्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इन दुष्परिणामों का असर सीधे तौर पर न सिर्फ लड़की पर पड़ता है, बल्कि उसके परिवार और समुदाय पर भी पड़ता हैप्रस्तुत इकाई में बच्चों के सर्वांगीण विकास के सन्दर्भ में बाल विवाह के विभिन्न नकारात्मक पक्षों तथा दुष्परिणामों से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया है|इस इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों में बाल विवाह के दूरगामी दुष्परिणामों के प्रति सजग तथा संवेदित करना है|जिससे वर्तमान तथा भविष्य में बाल विवाह की समस्या उत्पन्न होने से रोका जा सके |

प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य कम उम्र में विवाह करने वाली लड़कियों, उनके बच्चों और उनके परिवारों पर बाल विवाह के आर्थिक प्रभावों के बारे में ज्ञात जानकारी का दस्तावेजीकरण करके ऐसे संवाद के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करना है। ऐसी जानकारी आस्था और समुदाय के नेताओं को इस प्रथा के परिणामों और इसे खत्म करने की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील बनाने में मदद कर सकती है।

19.1 परिचय

बाल विवाह मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन है। यह सम्पूर्ण सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा है और इसकी जड़ लैंगिक असमानता है। लड़कियों और महिलाओं को कम महत्व दिया जाना समाज में बाल विवाह की प्रथा और स्वीकार्यता को कायम रखता है । बाल विवाह को 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़की को शामिल करने वाले किसी भी कानूनी या प्रथागत व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा विभिन्न सम्मेलनों, संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से ली गई है| बाल विवाह के कारण प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण बालिकाओं की मृत्यु की संभावना अधिक होती है।अनुमान बताते हैं कि भारत में हर साल 18 साल से कम उम्र की कम से कम 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है। वर्तमान में 15-19 वर्ष की लगभग 16 प्रतिशत किशोरियाँ विवाहित हैंजबकि 2005-2006 और 2015-2016 के बीच 18 वर्ष से पहले लड़कियों की शादी की व्यापकता 47 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गई है,

समीक्षाओं से पता चलता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड, जिनमें आस्था से जुड़े मानदंड भी शामिल हैं, उस उम्र को प्रभावित करते हैं जिस उम्र में लड़की की शादी होने की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर और सामुदायिक संदर्भ भी लड़की की कम उम्र में शादी की संभावना को प्रभावित करते हैं। सबसे गरीब देशों में बाल विवाह की दर सबसे अधिक है, और बाल विवाह उन गरीबों में सबसे आम है जिनके पास लड़कियों के लिए वैकल्पिक विकल्पों में निवेश करने के लिए कम संसाधन और अवसर हैं। लड़कियों की शिक्षा और औपचारिक श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी के आसपास के सामाजिक मानदंडों का मतलब यह हो सकता है कि घर के शिक्षा निवेश निर्णयों में लड़कियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। अन्य संदर्भों में, माता-पिता शादी की लागत और लाभों का आकलन कर सकते हैं और अपनी बेटियों की जल्दी शादी करने का निर्णय ले सकते हैं यदि उन्हें एक आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है जिसे विवाह के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

विवाह के आसपास वित्तीय लेनदेन इस प्रथा में योगदान करते हैं। ऐसे संदर्भों में जहां दुल्हन की संपत्ति या दुल्हन की कीमत का अभ्यास किया जाता है (यानी दूल्हे या दूल्हे का परिवार शादी के बदले में दुल्हन के परिवार को संपत्ति प्रदान करता है), परिवार अपनी बेटियों की शादी से तत्काल आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, दुल्हन जितनी छोटी होगी, परिवारों को अधिक वित्तीय राशि प्राप्त हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में जहां दहेज का चलन है (दुल्हन का परिवार दूल्हे के परिवार को संपत्ति प्रदान करता है), छोटी और कम पढ़ी-लिखी दुल्हन को कम दहेज की आवश्यकता हो सकती है, जो माता-पिता को कम उम्र में बेटियों की शादी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जब माता-पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो उनके लिए यह चुनाव करने के पीछे अक्सर आर्थिक और सामाजिक कारण होते हैं। हालाँकि, माता-पिता की पसंद को प्रभावित करने वाले अल्पकालिक आर्थिक कारण लड़कियों के दीर्घकालिक हितों की पूर्ति नहीं करते हैं।

बाल विवाह हस्तक्षेपों की एक व्यवस्थित समीक्षा से संकेत मिलता है कि कानूनी और नीतिगत ढांचे में सुधार उत्तर का एक आवश्यक लेकिन अपर्याप्त हिस्सा है। हस्तक्षेप केवल तभी प्रभावशाली होते हैं जब वे लड़कियों को सूचना, कौशल और समर्थन नेटवर्क के साथ सशक्त बनाते हैं; लड़कियों के लिए औपचारिक स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाना; और लड़कियों और उनके परिवारों को लड़कियों को स्कूल में रखने या बाद में शादी करने के लिए आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रथा के विरोध में माता-पिता और समुदाय के सदस्यों को शिक्षित और संगठित करना भी सिद्ध सफलता वाला एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है।वास्तविक रूप में लड़कियों के विवाह के बिना वयस्कता की ओर बढ़ने के विचार को नए सिरे से तैयार करने के लिए धार्मिक और सामुदायिक नेताओं के साथ वार्तालाप आवश्यकता है, जिनका उन मुद्दों पर काफी प्रभाव है।

बाल विवाह कई समुदायों में सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं और धार्मिक विश्वासों में निहित है, लेकिन शैलीगत तथ्यों से परे, आस्था और बाल विवाह के बीच संबंध जटिल हैं और समुदाय के आधार पर बदलते रहते हैं (जेमिम्नानी और बोडन उद्धरण2015)। कम उम्र में विवाह के कारणों और परिणामों की गंभीरता से जांच करने के लिए आस्था और समुदाय के नेताओं के साथ-साथ आस्था-आधारित संगठनों के साथ जुड़ने से इस प्रथा के उन्मूलन की दिशा में नीतियों के लिए समर्थन बनाने में मदद मिल सकती है। कुछ देशों में, आस्था और समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत द्वारा पारिवारिक कानून में सुधार किया जा सकता है साथ ही महिला सशक्तिकरण पर व्यापक चर्चा का द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है|

19.2 बाल विवाह के प्रमुख कारण

वर्तमान में भारत में बाल विवाह के प्रचलन में काफी हद तक कमी देखि गयी है। यह गिरावट कई कारकों का परिणाम हो सकती है जैसे माताओं की साक्षरता में वृद्धि, लड़कियों के लिए शिक्षा की बेहतर पहुंच, मजबूत कानून और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर प्रवास। लड़कियों की शिक्षा की बढ़ी हुई दर, किशोर लड़कियों में सक्रिय सरकारी निवेश, बाल विवाह की अवैधता और इससे होने वाले नुकसान के बारे में मजबूत सार्वजनिक संदेश भी बदलाव के कारणों में से हैं।बाल विवाह, एक गहरी जड़ें जमा चुका सामाजिक आदर्श, व्यापक लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करता है। यह आर्थिक और सामाजिक ताकतों की परस्पर क्रिया का परिणाम है। जिन समुदायों में यह प्रथा प्रचलित है, वहां एक लड़की का बचपन में विवाह करना सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोणों के एक समूह का हिस्सा है जो लड़कियों के मानवाधिकारों को दिए गए कम महत्व को दर्शाता है।विकासात्मक चुनौतियों का यथाशीघ्र संभावित पता लगाकर बच्चे के कौशल विकास और उनके आत्मविश्वास पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है| बाल विवाह के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

1. गरीबी की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का पितृसत्तात्मक मानदंडों पर आधारित होना।
2. प्रायःदेखा गया है कि नाबालिग लड़की का विवाह गरीबी और के कारण यथा शीघ्र कर दिया जाता हैउसके परिवार का ऋणग्रस्त होना, दहेज एक अतिरिक्त कारण बन जाता है|फलत इसका भार गरीब परिवारों पर और भी अधिक पड़ता है।

3. हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में लड़की को किसी और की संपत्ति और एक बोझ माना जाता है. ये मान्यताएँ माता-पिता को लड़की की शादी करने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसा करने में, वे निश्चित रूप से देखभाल के 'बोझ' से खुद को मुक्त करने का प्रयास करते हैं|

4. सामान्लयतः लड़कियों को एक दायित्व के रूप में माना जाता है क्योंकि उन्हें परिवार के लिए उत्पादक योगदान देने वाले सदस्य के रूप में नहीं देखा जाता है। दुर्भाग्य से, पितृसत्तात्मक मानसिकता इतनी मजबूत है कि निर्णय लेने में लड़की की कोई भूमिका नहीं है।

5. बाल विवाह को उचित ठहराने के लिए कभी-कभी नरक का हवाला दिया जाता है। बाल विवाह उन माता-पिता के लिए भी एक आसान रास्ता है जो इस प्रकार की मान्यता रखते हैं|

6. ऐसी भी मान्यता है कि बाल विवाह लड़कियों के कौमार्य और शुद्धता लिए एक सुरक्षा उपाय है|अतः ऐसी मान्यत प्रचलन में है किचितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कन्या का विवाह कर दिया जाए उतना ही उचित है|

7. इसके अलावा लड़की को भविष्य के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित करने के उद्देश्य से कम उम्र में शादी करने को उचित ठहराया जाता है|

8. समाज में विवाह संस्था का उपयोग विभिन्न परिवारों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया जाता है या समुदाय. इसके अलावा एक युवा लड़की को किसी परिवार को पेश किया जा सकता हैलड़की के परिवार की वित्तीय और सामाजिक स्थिति में सुधार करें।

19.3 बाल विवाह के परिणाम

बाल विवाह भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और गरीबी के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को जन्म दे सकता है।बचपन में विवाहित लड़कियों और लड़कों में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने और अपने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और नौकरी की संभावनाओं की कमी होने की संभावना अधिक होती है। कम उम्र में शादी करने से लड़कियों को जल्दी बच्चे होते हैं और उनके जीवनकाल में अधिक बच्चे होते हैं, जिससे घर पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कई देशों में पर्याप्त निवेश की कमी संभवतः इस तथ्य के कारण है कि इस प्रथा को समाप्त करने के लिए आर्थिक मामला अभी तक सशक्त रूप से नहीं बनाया गया है।लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम महत्व देने वाले मानदंडों के परिणामस्वरूप, लड़कियों के पास शादी करने के अलावा कोई वैकल्पिक भूमिका नहीं है। और उनसे घरेलू कामों में मदद करने और अपनी शादी की तैयारी में घरेलू ज़िम्मेदारियाँ उठाने की अपेक्षा की जाती है।

साक्ष्य से पता चलता है कि किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों में कानूनी उम्र से परे विवाह को स्थगित करना, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना, लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने में सहायता करना और उन्हें विपणन योग्य कौशल विकसित करने में मदद करना शामिल है ताकि वे अपनी आर्थिक क्षमता और परिवर्तन का एहसास कर सकें। स्वस्थ, उत्पादक और सशक्त वयस्कों में।भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए यूनिसेफ का दृष्टिकोण समस्या की जटिल प्रकृति और इस प्रथा को रेखांकित करने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारकों को पहचानता है। यूनिसेफ इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक सरकार, भागीदारों और संबंधित हितधारकों के साथ काम करके बाल विवाह को रोकने और किशोर सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए अपनी 'स्केल-अप रणनीति' पूरी की। सबसे महत्वपूर्ण विकास उन हस्तक्षेपों से धीरे-धीरे बदलाव है जो कि दायरे में छोटे हैं और मुख्य रूप से क्षेत्र-आधारित किशोर सशक्तीकरण और बाल विवाह में कमी पर बड़े पैमाने पर जिला मॉडल हैं जो मौजूदा बड़े सरकारी कार्यक्रमों पर निर्भर हैं। यूनिसेफ और यूएनएफपीए बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम के माध्यम से एकजुट हुए हैं, जहां पहली बार बाल विवाह को संबोधित करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल संरक्षण, पोषण और पानी और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में मौजूदा रणनीतियों को एक साथ लाया गया है। एक समग्र ढंग. यह दृष्टिकोण एक बच्चे के पूरे जीवनचक्र के माध्यम से बाल विवाह को संबोधित करना है, विशेष रूप से मौजूदा नकारात्मक सामाजिक मानदंडों को संबोधित करके जो भारत में बाल विवाह के उच्च प्रसार के लिए प्रमुख चालक हैं। यह कार्यक्रम सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और स्वयं युवाओं के साथ साझेदारी में काम करता है और ऐसे तरीकों को अपनाता है जो बड़े पैमाने पर कारगर साबित हुए हैं।वैश्विक स्तर पर, बाल विवाह को लक्ष्य 5 में शामिल किया गया है "लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना" लक्ष्य 5.3 के तहत "बाल, कम उम्र और जबरन विवाह और महिला जननांग विकृति जैसी सभी हानिकारक प्रथाओं को खत्म करना" सम्मिलित किया गया है।

19.4 बाल विवाह निरोधक अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में कम उम्र में विवाह की व्यापक प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने के लिए, राव साहब हरिबिलास सारदा ने वर्ष 1928-1929 के दौरान भारत सरकार की विधान सभा में शारदा विधेयक पेश किया। 28 सितंबर, 1929 को, लॉर्ड इरविन के वायसराय के दौरान, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने शारदा अधिनियम 1929 पारित किया, जिसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम का नाम न्यायाधीश और आर्य समाज के सदस्य हरबिलास सारदा के नाम पर रखा गया है। 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट कानून बन गया। शारदा अधिनियम 14 और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों को शादी करने से रोकने से संबंधित है। यह जाति या नस्ल की परवाह किए बिना सभी भारतीयों पर लागू होता है और इसमें संपूर्ण भारत शामिल है।

शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लड़कियों की विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित करने के लिए पारित किया गया था। 1949 में भारत की आज़ादी के बाद इसे समायोजित करके लड़कियों के लिए 15 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया। 1978 में, आयु सीमा लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 कर दी गई। शारदा अधिनियम का नाम हर बिलास सारदा के नाम पर रखा गया है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम को देश से बाल विवाह की बुराई को खत्म करने के नियोजित मिशन के साथ पारित किया गया था। विवाह की कानूनी उम्र वर्तमान में लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 21 वर्ष है, जैसा कि क्रमशः 2006 के बाल विवाह निषेध अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है। शारदा अधिनियम बाल विवाह निरोधक अधिनियम के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण शारदा अधिनियम आया। ब्रिटिश भारतीय सरकार, जो मुख्य रूप से भारतीयों से बनी थी, ने ब्रिटिश अधिकारियों के भारी प्रतिरोध के खिलाफ कानून बनाया। शारदा अधिनियम 1 अप्रैल, 1930 को लागू हुआ और यह पूरे ब्रिटिश भारत पर लागू हुआ। बाल विवाह निरोधक अधिनियम को भारत की संगठित महिलाओं द्वारा उठाए गए सामाजिक सुधार के मुद्दों के पहले उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। उन्होंने राजनीतिक याचिका के उपकरण का सक्रिय रूप से उपयोग करके तर्कों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। संगठित महिला संघों ने विधेयक के लिए समर्थन मांगने के लिए मोतीलाल नेहरू जैसे सुधार समर्थक नेताओं से मुलाकात की। अखिल भारतीय महिला संघ समूह ने भी गांधीजी को अपने भाषण में बाल विवाह की बुराइयों के बारे में बताया। महिला संगठन उदार नारीवाद को सबसे आगे लाने में सफल रहा।

19.5 बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ.-**

   (1) इस अधिनियम को बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1 [1929] कहा जा सकता है।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत 3 [जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर] तक है; और यह भारत के बाहर और बाहर भारत के सभी नागरिकों पर भी लागू होता है।]

   (3) यह 1 अप्रैल 1930 को लागू होगा।

2. **परिभाषाएँ.**—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,—

   4 (ए) "बच्चे" का अर्थ है वह व्यक्ति, जो यदि पुरुष है, तो इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि महिला है, तो अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;]

   (बी) "बाल विवाह" का अर्थ एक ऐसा विवाह है जिसमें अनुबंध करने वाले दोनों पक्षों में से कोई एक बच्चा है;

   (सी) विवाह के लिए "अनुबंध करने वाली पार्टी" का अर्थ उन पार्टियों में से एक है जिनकी शादी 5 [या होने वाली है] है; और

   (डी) "नाबालिग" का अर्थ किसी भी लिंग का व्यक्ति है जो अठारह वर्ष से कम उम्र का है।

3. **इक्कीस वर्ष से कम आयु के वयस्क पुरुष के लिए बाल विवाह करने पर सजा** - जो कोई भी, अठारह वर्ष से अधिक और इक्कीस वर्ष से कम आयु का पुरुष होते हुए, बाल विवाह का अनुबंध करता है ऐसी स्थिति में वह साधारण कारावास से दंडनीय होगा जो कि पंद्रह दिन तक बढ़ाया जा सकता है , या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से।

4. **इक्कीस वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वयस्क के लिए बाल विवाह करने पर सजा** - जो कोई इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का पुरुष होते हुए भी बाल विवाह करता है, उसे साधारण कारावास जो तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा। वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

5. **बाल विवाह को अनुष्ठापित करने के लिए सजा** - जो कोई भी बाल विवाह करेगा, संचालन करेगा या निर्देशित करेगा, उसे साधारण कारावास जो तीन महीने तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, से दंडित किया जाएगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसके पास ऐसा करने का कारण था तथा यह विश्वास न दिला दे कि यह विवाह बाल विवाह नहीं था।

6. **बाल विवाह में संबंधित माता-पिता या अभिभावक के लिए सजा.—**

(1) जहां कोई नाबालिग बाल विवाह करता है, वहां नाबालिग का प्रभार रखने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे माता-पिता या अभिभावक के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, वैध या गैरकानूनी, जो विवाह को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य करता है या इसे अनुष्ठापित करने की अनुमति देता है, या इसे समारोह पूर्वक मनाने से रोकने में लापरवाही बरतने पर उसे साधारण कारावास जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है बशर्ते कि किसी भी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह माना जाएगा, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, कि जहां एक नाबालिग ने बाल विवाह किया है, ऐसे नाबालिग का आरोप रखने वाला व्यक्ति लापरवाही से विवाह को रोकने में विफल रहा है .

8. **इस अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार** - 11 [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)] की धारा 190 में निहित किसी भी बात के बावजूद, 12 [मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक 13 [मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट] के अलावा कोई अदालत नहीं है। प्रथम श्रेणी]] इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान लेगी, या कोशिश करेगी।

10. **कुछ उद्देश्यों के लिए अपराधों का संज्ञेय होना।**—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), इस अधिनियम के तहत अपराधों पर ऐसे लागू होगी जैसे कि वे संज्ञेय अपराध हों—

(ए) ऐसे अपराधों की जांच के उद्देश्य से; और

(बी) (i) उस संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट मामलों, और (ii) बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के अलावा अन्य मामलों के प्रयोजनों के लिए।

14. **अपराधों का संज्ञान लेने का तरीका.**—कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं लेगी जिस दिन अपराध किए जाने का आरोप है।

15. **अपराधों की प्रारंभिक जांच** - कोई भी अदालत, किसी अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, जिसका संज्ञान लेने के लिए अधिकृत है, जब तक कि वह 16 की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज नहीं करती [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2))] या तो स्वयं उस संहिता की धारा 202 के तहत जांच करें या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को ऐसी जांच करने का निर्देश दें।]

17 **[12. इस अधिनियम के उल्लंघन में विवाह पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति-**

(1) इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, यदि न्यायालय किसी शिकायत के माध्यम से या अन्यथा उसके समक्ष रखी गई जानकारी से संतुष्ट है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह की व्यवस्था की गई है या होने वाली है, तो वह एक आदेश जारी कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विवाह पर रोक लगाने वाला निषेधाज्ञा जारी कर सकता है|

(2) (2) उप-धारा (1) के तहत कोई भी निषेधाज्ञा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि अदालत ने पहले ऐसे व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया हो, और उसे निषेधाज्ञा के मुद्दे के खिलाफ कारण बताने का अवसर नहीं दिया हो।

(3) न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर उप-धारा (1) के तहत दिए गए किसी भी आदेश को रद्द कर सकता है या बदल सकता है।

(4) जहां ऐसा कोई आवेदन प्राप्त होता है, अदालत आवेदक को उसके समक्ष उपस्थित होने का शीघ्र अवसर देगी

19.6 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006

1. **उद्देश्य:** इस अधिनियम का उद्देश्य विवाह के अनुष्ठापन पर रोक लगाना है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 के पुराने कानून की जगह ,भारत सरकार ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 लागू किया जिससे समाज में बाल विवाह का उन्मूलन सुनिश्चित किया जा सके। यह नया अधिनियम बाल विवाह को प्रतिबंधित करने, सुरक्षा प्रदान करने और सक्षम प्रावधानों से परिपूर्ण है|

2. **परिभाषाएँ:**

- **बच्चा:** पुरुष के मामले में बच्चा वह व्यक्ति है जिसने 21 वर्ष पूरे नहीं किए हैं और महिला के मामले में 18 वर्ष।
- **अनुबंध करने वाली पार्टी:** समारोहपूर्वक मनाई जाने वाली उन पार्टियों में से कोई एक जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है
- **बाल विवाह:** ऐसा विवाह जिसमें कोई भी पक्ष बच्चा हो।
- **अवयस्क:** वह व्यक्ति जिसे बहुमत अधिनियम के तहत बालिग नहीं माना जाता है।

3. **शून्यकरणीय विवाह:** (धारा 3) प्रत्येक बाल विवाह विकल्प पर शून्यकरणीय हैअनुबंध करने वाला पक्ष जो विवाह संपन्न होने के समय बच्चा थाऐसे व्यक्ति द्वारा पहले याचिका दायर करके शून्यता की डिक्री प्राप्त की जा सकती है| प्राप्त करने के 2 साल के भीतर विवाह को रद्द करने के लिए जिला अदालत डिक्री देती है। डिक्री देते समय, जिला अदालत एक आदेश जारी कर निर्देश देगी कि दोनों पक्षों और उनके माता-पिता या अभिभावकों को दूसरे पक्ष को पैसा ,सोना, आभूषण, उपहार और अन्य कीमती सामान लौटाना होगा।

4. **बाल विवाह के संबंध में शिकायत :**

- 1098, 1090 या 100 पर कॉल करें
- शिकायत सीधे बाल विवाह निषेध अधिकारी को की जा सकती है
- निकटतम पुलिस स्टेशन
- जिला मजिस्ट्रेट को

5. **महिला के भरण-पोषण एवं निवास हेतु प्रावधान:** जिला न्यायालय ने बाल विवाह को रद्द करने की मंजूरी देते हुए एक आदेश देता है | पुरुष अनुबंध पक्ष महिला अनुबंध पार्टी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश देने वाला अंतरिम या अंतिम आदेश होता है |यदि अनुबंध करने वाला पुरुष पक्ष नाबालिग है, तो न्यायालय नाबालिग के माता-पिता/अभिभावक को महिला को गुजारा भत्ता देने का निर्देश देगा| अनुबंध करने वाली महिला पक्ष भरण-पोषण पाने का हकदार हैउसके पुनर्विवाह तक. भरण-पोषण की राशि का भुगतान मासिक या महीने में किया जा सकता है| बच्चे की ज़रूरतें, उसकी जीवन शैली और भुगतान की आय के साधन ,रखरखाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया जाएगा |जिला अदालत निवास के संबंध में उचित आदेश भी जारी कर सकती है|

जिला अदालत बच्चों की हिरासत के लिए उचित आदेश देगी ऐसे बाल विवाह और हिरासत के ऐसे आदेश देते समय, अदालत जारी करती है ऐसे बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करेगा| न्यायालय भरण-पोषण के उचित आदेश भी देगा और मुलाक़ात आदेश भी जारी करें। ऐसे बाल विवाह से उत्पन्न या गर्भित बच्चे को वैध संतान मन जायेगा तथा इनके होने के बावजूद ऐसा विवाह न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है। न्यायालय के पास धारा 3, 4 के तहत दिए गए किसी भी आदेश को संशोधित करने या रद्द करने की शक्ति है|जिला न्यायालय का क्षेत्राधिकार जहां है वहां महिला अनुबंध पक्षकार अथवा जन्मे बच्चे के भरण-पोषण एवं निवास हेतु ऐसे विवाह में और बच्चों की अभिरक्षा के लिए पहले भी आवेदन दिया जा सकता है ;

- प्रतिवादी/बच्चा रहता है,
- जहां विवाह संपन्न हुआ था या जहां दोनों पक्ष अंतिम बार निवास करते थे
- याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर याचिकाकर्ता कहां रह रहा है।

6. **जब विवाह अमान्य हो:**

- जहां नाबालिग बच्चे को कानूनी अभिभावक के संरक्षण से बाहर ले जाया जाता है या फुसलाया जाता है
- बलपूर्वक मजबूर किया गया या किसी कपटपूर्ण तरीके से किसी स्थान से जाने के लिए प्रेरित किया गया
- विवाह के उद्देश्य से बेचा जाता है और विवाह के रूप में जाना जाता है या
- यदि नाबालिग की शादी हो गई है जिसके बाद नाबालिग को बेच दिया गया है या उसकी तस्करी की गई है या उसका इस्तेमाल किया गया हैअनैतिक उद्देश्य के लिए

7. **निषेधाज्ञा :** प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास जारी करने की शक्ति है बाल विवाह पर रोक लगाने वाला एक निषेधाज्ञा जो एक आवेदन द्वारा किया जा सकता है बाल विवाह निषेध अधिकारी किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा स्वतः संज्ञान लेकर और यदि अदालत संतुष्ट है कि बाल विवाह नियमों का उल्लंघन है या संपन्न होने वाला है, अदालत

इसके विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करेगी ,ऐसे विवाह पर रोक लगाने वाले किसी भी संगठन के सदस्य सहित किसी भी व्यक्ति पर निषेधाज्ञ लागू हो सकती है। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को नोटिस देकर उसके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की जाती हैतथ उसे कारण बताने का अवसर भी प्रदान किया जाता है, हालाँकि, अत्यावश्यकता के मामले में, न्यायालय के पास शक्ति है की वह बिना कोई नोटिस दिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। निषेधाज्ञा की अवज्ञा करने वाला व्यक्ति एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगी जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। या दोनों से दण्डित किया जा सकता है| कोई महिला इस अधिनियम के तहत कारावास से दंडनीय नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट बाल विवाह को रोकने के लिए सीएमपीओ की शक्तियाँ ग्रहण करता है और वह ऐसी शादी को रोकने के लिए बल का प्रयोग भी कर सकता है। जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन में किया गया कोई भी बाल विवाह चाहे अंतरिम हो या अंतिम, शून्य होगा।

8 **बाल विवाह निषेध अधिकारी और उनके कर्तव्य:**

- कार्रवाई कर बाल विवाह को रोकना|
- बाल विवाह के मामलों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना|
- स्थानीय लोगों को प्रचार करने या मदद करने या अनुमति देने में शामिल न होने की सलाह देना|
- ऐसे बाल विवाह की बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करना|
- इस मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना|
- जब सरकार निर्देश दे तो समय-समय पर आँकड़े प्रस्तुत करना|
- सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कर्तव्य|

9. **इस अधिनियम के तहत अपराध और सजा**

1) **वयस्क पुरुष के लिए सजा:** यदि कोई वयस्क पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है बाल विवाह का अनुबंध करता है, तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा दो साल की सज़ा या जुर्माना जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों।

2) **विवाह संपन्न कराने के लिए सज़ा:** यदि कोई व्यक्ति विवाह करता है, आचरण करता है, किसी भी बाल विवाह का निर्देशन या दुष्प्रेरण करता है, तो वह कठोर दंड का भागी होगा दो साल की कैद या जुर्माना जो एक लाख तक बढ़ाया जा सकता है रुपये या दोनों.

3) **विवाह को बढ़ावा देने/अनुष्ठान की अनुमति देने के लिए सजा:** कोई भी बच्चे का प्रभार संभालने वाला व्यक्ति, चाहे माता-पिता या अभिभावक या कोई अन्य संगठन या व्यक्तियों के संघ के सदस्य सहित व्यक्ति बाल विवाह को बढ़ावा देने या बाल विवाह की अनुमति देने के लिए कोई कार्य करता है या लापरवाही से इसे समारोहपूर्वक आयोजित होने से रोकने में विफल रहता है, जिसमें भाग लेना या शामिल होना भी शामिल है ऐसे विवाह में भाग लेने पर कठोर कारावास से दंडनीय होगा दो साल तक की सज़ा या जुर्माना जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों।

19.7 बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 (NFHS-5) के अनुसार, 20 से 24 वर्ष की आयु के बीच की 23% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हुई थी।[1] पिछले कुछ वर्षों में यह आंकड़ा एनएफएचएस-3 (2005-06) में 47% से घटकर एनएफएचएस-4 (2015-16) में 27% और नवीनतम सर्वेक्षण में 23% हो गया है।[2],[3] भारत में, बाल विवाह की प्रथा को पहली बार 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 के माध्यम से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया था। 1929 अधिनियम के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह निषिद्ध था। इस अधिनियम में 1978 में संशोधन करके महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष कर दी गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 ने समान न्यूनतम आयु सीमा के साथ 1929 अधिनियम का स्थान ले लिया। बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान है। विधेयक को 21 दिसंबर, 2021 को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था।

जून 2020 में, केंद्र सरकार ने विवाह और मातृत्व की आयु के सहसंबंध की जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स (अध्यक्ष: सुश्री जया जेटली) का गठन किया जिसके उद्देश्य निम्न्लिखित हैं -

(i) गर्भावस्था, जन्म और उसके बाद, मां और बच्चे का स्वास्थ्य, चिकित्सा कल्याण और पोषण संबंधी स्थिति।

(ii) प्रमुख पैरामीटर जैसे शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), कुल प्रजनन दर (टीएफआर), जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी), बाल लिंग अनुपात (सीएसआर)

(iii) इस संदर्भ में स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु।

(iv) टास्क फोर्स को महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय भी सुझाने थे। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, समिति ने दिसंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाकर 21 करने का सुझाव दिया गया।

(v) हालाँकि, टास्क फोर्स की रिपोर्ट को सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं कराया गया है|

प्रमुख विशेषताएँ :महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाना: बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में प्रावधान है कि पुरुषों के मामले में विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के मामले में 18 वर्ष है। विधेयक में महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। यह यह भी निर्दिष्ट करता है कि अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून, प्रथा, उपयोग या अभ्यास पर हावी होंगे।

बाल विवाह को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने की समय अवधि: 2006 अधिनियम के तहत, न्यूनतम निर्दिष्ट आयु से पहले शादी करने वाला व्यक्ति शादी को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। याचिका वयस्क होने के दो साल के भीतर (यानी, 20 वर्ष की आयु) दायर की जानी चाहिए। विधेयक इसे बढ़ाकर पाँच वर्ष (अर्थात् 23 वर्ष) कर देता है।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

- **वयस्क होने और विवाह करने की अनुमति के लिए अलग-अलग उम्र :**विधेयक में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, जो इसे पुरुषों के बराबर लाती है। हालाँकि, बहुमत अधिनियम, 1875 के तहत वयस्कता प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है। इस अंतर के 18 से 21 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के संबंध में परिणाम हो सकते हैं।
- **18 से 21 वर्ष की आयु के बीच विवाह पर रोक:** शादी की न्यूनतम उम्र और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के बीच विसंगतियां हैं। 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि अधिकार को ऐसे कानून के अलावा नहीं छीना जा सकता है जो मूल और प्रक्रियात्मक रूप से निष्पक्ष, उचित और उचित हो। 2018 में एक अन्य मामले में, अदालत ने कहा कि जब दो वयस्क सहमति से एक-दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं, तो यह एक उनकी पसंद की अभिव्यक्ति, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मान्यता प्राप्त है। विधेयक 21 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। सवाल यह है कि क्या 18 से 21 वर्ष की आयु वालों के लिए यह प्रतिबंध अदालतों द्वारा बताए गए उचित प्रतिबंधों के मानकों को पूरा करता है। सामान्य तौर पर, कानून द्वारा मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रतिबंध के लिए, तीन मानदंड होने चाहिए: एक सार्वजनिक उद्देश्य, प्रतिबंध का ऐसे उद्देश्य से संबंध होना, और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कम दखल देने वाले तरीके का अभाव।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 377 को पढ़ते हुए फैसला सुनाया कि वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार हैयदि यह विधेयक पारित हो गया, तो 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच यौन संबंध बनाना तो कानूनी होगा, लेकिन शादी करना अवैध होगा। ध्यान दें कि यह पुरुषों के लिए वर्तमान स्थिति है।

बाल विवाह को रद्द करना :2006 का अधिनियम विवाह की न्यूनतम आयु से पहले विवाहित व्यक्ति को विवाह रद्द करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। विधेयक में महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि 18 से 21 वर्ष के बीच विवाहित व्यक्ति भी विवाह रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।

19.8 सार संक्षेप

बाल विवाह के कारण लड़कियों के पास घर में निर्णय लेने की शक्ति कम होती है, स्कूल छोड़ने और अशिक्षा की संभावना अधिक होती है, श्रम बल में भागीदारी और कमाई कम होती है, और उत्पादक घरेलू संपत्तियों पर नियंत्रण कम होता है। चूँकि बाल वधूएँ अक्सर किशोरावस्था के दौरान माँ बन जाती हैं, इसलिए उनके और उनके बच्चों के समग्र स्वास्थ्य और पोषण में ख़राब अनुभव होने की संभावना होती है। जो लड़कियाँ जल्दी बच्चों को जन्म देती हैं उनका जन्म अधिक खतरनाक, कठिन और जटिल होता है, और बाद में शादी करने वाली उनकी साथियों की तुलना में उनके कम स्वस्थ और कम शिक्षित बच्चे होते हैं। कुछ वर्ष बड़ी माताओं की तुलना में किशोर माताओं में मातृ मृत्यु और रुग्णता का जोखिम काफी अधिक होता है, जो व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर आर्थिक और सामाजिक लागतों और प्रभावों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आता है। अंत में, जबकि बाल विवाह के परिणाम व्यक्तिगत स्तर पर सबसे अधिक तीव्रता से

महसूस किए जाते हैं, बाल विवाह का राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कमाई में कमी और गरीबी के अंतर-पीढ़ीगत संचरण के रूप में गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। संक्षेप में, बाल विवाह के आर्थिक प्रभाव और लागत कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों, उनके बच्चों, उनके परिवारों, उनके समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज पर बहुत अधिक होने की संभावना है।

19.9 परिभाषिक शब्दावली

बाल विवाह ,नैसर्गिक अधिकार , शारदा अधिनियम , मानवाधिकार ,शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), कुल प्रजनन दर, किशोरावस्था ,संविधान

19.10 अभ्यास प्रश्न

लघु प्रश्न:

1. बाल विवाह की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर संक्षिप्त लेख लिखिए|

   .....

   .....

2. बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 के प्रावधानों का विवरण दीजिये|

   .....

   .....

विस्तृत प्रश्न:

1. बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 के प्रावधानों का विस्तृत वर्णन कीजिये |

   .....

   .....

2. बाल विवाह के कारणों तथा दुष्परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या कीजिये |

   .....

   .....

19.11 संदर्भ सूची

1. अमीन, ए. 2014. किशोर लड़कियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम: क्या काम करता है? डब्ल्यूएचओ प्रजनन स्वास्थ्य और अनुसंधान विभाग, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रस्तुत - लड़कियों को सशक्त बनाना: हिंसा के चक्र को तोड़ना। जिनेवा: डब्ल्यूएचओ। [गूगल ज्ञानी]
2. आनंद, एस., एन.सी. डेसमंड मार्क्स, और एच. फुजे। 2012. निष्क्रियता की लागत: रवांडा और अंगोला से मामले का अध्ययन। फ्रांस्वा-ज़ेवियर बैगनौड सेंटर फ़ॉर हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स, कैम्ब्रिज, एमए: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। [गूगल ज्ञानी]
3. बैकिनी-येल्ना, पी., और क्यू. वोडन। 2010. "कांगो गणराज्य में लिंग श्रम आय शेयर और मानव पूंजी निवेश।" अफ्रीका के श्रम बाज़ारों में लैंगिक असमानताओं में, जे.एस. अर्बाचे, ए. कोलेव, और ई. फ़िलिपिक द्वारा संपादित। वाशिंगटन, डीसी: विश्व बैंक। [गूगल ज्ञानी]
4. बीमन, एल., ई. डुफ्लो, आर. पांडे, और पी. टोपालोवा। 2012. "महिला नेतृत्व लड़कियों के लिए आकांक्षाएं और शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाता है: भारत में एक नीति प्रयोग।" विज्ञान 335 (6068): 582-586। doi: 10.1126/साइंस.1212382 [क्रॉसरेफ] [पबमेड] [वेब ऑफ साइंस®], [गूगल स्कॉलर]
5. बेकर, एस., एफ. फोंसेका-बेकर, और सी. शेंक-यम्लेसियस। 2006. "पश्चिमी ग्वाटेमाला में महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति और निवारक स्वास्थ्य व्यवहार पर उनके प्रभावों की पतियों और पत्नियों की रिपोर्ट।" सामाजिक विज्ञान और चिकित्सा 62 (9): 2313-2326। doi: 10.1016/j.socscimed.2005.10.006 [क्रॉसरेफ] [पबमेड] [वेब ऑफ साइंस®], [गूगल स्कॉलर]

6. ब्लमबर्ग, आर.एल., सी.ए. राकोव्स्की, आई. टिंकर, और एम. मोंटेन। 1995. धन और कल्याण का सृजन: वैश्विक परिवर्तन के लिए सशक्तिकरण। बोल्डर, कोलोराडो: वेस्टव्यू प्रेस इंक. [गूगल स्कॉलर]

7. बॉट, एस., ए. आर. मॉरिसन, और एम. एल्सबर्ग। 2005. मध्य और निम्न आय वाले देशों में लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम और प्रतिक्रिया: एक वैश्विक समीक्षा और विश्लेषण। वाशिंगटन, डीसी: विश्व बैंक। [क्रॉसरेफ़], [गूगल स्कॉलर]

8. बॉयल, एम. एच., वाई. रैसीन, के. जॉर्जिएड्स, डी. स्नेलिंग, एस. होंग, डब्ल्यू. ओमारिबा, एट अल। 2006. "विकासशील विश्व में बाल स्वास्थ्य पर आर्थिक विकास स्तर, घरेलू धन और मातृ शिक्षा का प्रभाव।" सामाजिक विज्ञान एवं चिकित्सा 63 (8): 2242-2254। doi: 10.1016/j.socscimed.2006.04.034 [क्रॉसरेफ] [पबमेड] [वेब ऑफ साइंस®], [गूगल स्कॉलर]

9. बुसोलो, एम., आर. ई. डी होयोस, और क्यू. वोडन। 2009. सेनेगल में निर्यात फसलों की ऊंची कीमतें, अंतर-घरेलू असमानता और मानव पूंजी संचय, एम. बुसोलो और आर. ई. डी होयोस, संपादकों, व्यापार और गरीबी नेक्सस के लिंग पहलू: एक मैक्रो-माइक्रो दृष्टिकोण, विश्व बैंक और पालग्रेव में मैकमिलन, वाशिंगटन, डीसी, 165-184। [गूगल ज्ञानी]

10. कैमरून, एल.ए., जे.एम. डाउलिंग, और सी. वॉर्सविक। 2001. "एशिया में महिलाओं की शिक्षा और श्रम बाज़ार में भागीदारी: पाँच देशों से साक्ष्य।" आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन 49 (3): 459-477। doi: 10.1086/452511 [क्रॉसरेफ़] [वेब ऑफ़ साइंस®],

11. कैंपबेल, जे.सी. 2002. "अंतरंग साथी हिंसा के स्वास्थ्य परिणाम।" द लांसेट 359 (9314): 1331-1336। doi: 10.1016/एस0140-6736(02)08336-8 [क्रॉसरेफ] [पबमेड] [वेब ऑफ साइंस®],]

12. कार्बोन-लोपेज़, के., सी. क्रुस्निन्ट, और आर. मैकमिलन। 2006. "अंतरंग साथी हिंसा के पैटर्न और शारीरिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक संकट और मादक द्रव्यों के उपयोग के साथ उनका संबंध।" सार्वजनिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 121 (4): 382-392। [क्रॉसरेफ] [पबमेड] [वेब ऑफ साइंस®],

13. सीडीसी (रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र)। 2003. संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं के खिलाफ अंतरंग साथी की हिंसा की लागत। अटलांटा: सीडीसी।

14. चावन, जे., और डब्ल्यू. कनिंघम। 2011. लड़कियों में निवेश के आर्थिक लाभ को मापना: लड़की प्रभाव लाभांश। पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर। वाशिंगटन, डीसी: विश्व बैंक।

15. चट्टोपाध्याय, आर., और ई. डुफ्लो। 2003. नीति निर्माताओं के रूप में महिलाएं: भारत-व्यापी यादृच्छिक नीति प्रयोग से साक्ष्य। रिपोर्ट संख्या 1. कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स: पॉवर्टी एक्शन लैब, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।

16. यूएनएफपीए, विश्व जनसंख्या स्थिति 2005: समानता का वादा: लैंगिक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, न्यूयॉर्क, 2005

17. यूनिसेफ, विश्व के बच्चों की स्थिति पर यूनिसेफ रिपोर्ट के लिए पृष्ठभूमि पत्र, 2007

18. यूनिसेफ, भारत में बाल विवाह - उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण (2012)

18. यूनिसेफ, बाल विवाह सूचना पत्रक, मई 2006

19. यूनिसेफ, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन 2006

20. http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2005/swp05_eng.pdf

21. http://www.unicef.org/sowc07/report/report.php

22. http://www.unicef.in/documents/childmarriage.pdf

23. http://www.unicef.org/india/Child_Marriage_Fact_Sheet_Nov2011_final.pdf

इकाई–20 बाल श्रम निषेध अधिनियम

इकाई की रूपरेखा

20.1 इकाई का उद्देश्य

20.2 परिचय

20.3 बाल श्रम की परिभाषा

20.4 भारत के बाल श्रम की स्थिति

20.5 बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 के प्रावधान

20.6 भारत में बाल श्रम के उन्मूलन के उपाय

20.7 सार संक्षेप

20.8 परिभाषिक शब्दावली

20.9 अभ्यास प्रश्न

20.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

20.0 इकाई का उद्देश्य

1919 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, दुनिया में 152 मिलियन से अधिक बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। इनमें से लगभग 10 मिलियन बाल श्रमिक भारत में पाए जाते हैं। सख्त विधायी नियमों और प्रयासों के बावजूद, विभिन्न व्यवसायों में बच्चों की भागीदारी नहीं रुकी है।पिछले कुछ वर्षों में बाल श्रम की दर में गिरावट के बावजूद, बच्चों का उपयोग अभी भी बाल श्रम के कुछ गंभीर रूपों जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल सैनिक और तस्करी में किया जा रहा है। पूरे भारत में, बाल मजदूर विभिन्न प्रकार के उद्योगों में पाए जा सकते हैं: ईंट भट्टे, कालीन बुनाई, कपड़ा बनाना, घरेलू सेवा, भोजन और जलपान सेवाएं (जैसे चाय की दुकानें), कृषि, मछली पालन और खनन। बच्चों को विभिन्न प्रकार के शोषण का भी खतरा है, जिसमें यौन शोषण और ऑनलाइन सहित बाल पोर्नोग्राफ़ी का उत्पादन शामिल है।बाल श्रम और शोषण कई कारकों का परिणाम है, जिनमें गरीबी, उन्हें माफ करने वाले सामाजिक मानदंड, वयस्कों और किशोरों के लिए अच्छे काम के अवसरों की कमी, प्रवास और आपात स्थिति शामिल हैं। ये कारक न केवल कारण हैं बल्कि भेदभाव द्वारा प्रबलित सामाजिक असमानताओं का परिणाम भी हैं।

20.1 परिचय

बाल श्रम को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित या समझाया जा सकता है जहां बच्चों को अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से लाभकारी गतिविधि में शामिल होने या नियोजित करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें शामिल बच्चे आम तौर पर स्कूली शिक्षा जैसे बुनियादी बचपन के अनुभवों से वंचित रह जाते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से जख्मी हो जाते हैं।बाल श्रम के प्रमुख कारणों में गरीबी, अच्छी स्कूली शिक्षा और शिक्षा की कमी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का विकास शामिल है।बाल श्रम के परिणामस्वरूप पीड़ित बच्चे को बढ़ने के लिए स्वस्थ और पोषित वातावरण से वंचित होना पड़ता है। उसे आम तौर पर शारीरिक और मानसिक आघात भी झेलना पड़ता है जो जीवन भर के लिए दुखदाई हो सकता है। शिक्षा न मिलने के अलावा, बच्चे को विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों का भी सामना करना पड़ता है और यह उसे एक खुश और स्वस्थ वयस्क बनने से रोकता है।बाल श्रम प्रथा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा है क्योंकि यह उन्हें उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण - उनके बचपन से वंचित कर देती है। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार, 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने की सख्त मनाही है। अधिनियम के तहत ही खतरनाक व्यवसायों की सूची तैयार की गई है। बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने के अधिकार से वंचित करता है और गरीबी के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को मजबूत करता है। बाल श्रम शिक्षा में एक बड़ी बाधा है, जो स्कूल में उपस्थिति और प्रदर्शन को प्रभावित करता है।

बाल श्रम और शोषण का लगातार जारी रहना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरा है। इसके बच्चों पर गंभीर नकारात्मक अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम होते हैं, जैसे शिक्षा से वंचित होना और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करना।बाल

तस्करी भी बाल श्रम से जुड़ी हुई है और इसका परिणाम हमेशा बाल शोषण होता है। तस्करी के शिकार बच्चों को शारीरिक, मानसिक, यौन और भावनात्मक सभी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। तस्करी के शिकार बच्चों को वेश्यावृत्ति का शिकार बनाया जाता है, जबरन शादी के लिए मजबूर किया जाता है या अवैध रूप से गोद लिया जाता है; वे सस्ते या अवैतनिक श्रम उपलब्ध कराते हैं, उन्हें घरेलू नौकरों या भिखारियों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें सशस्त्र समूहों में भर्ती किया जा सकता है। तस्करी बच्चों को हिंसा, यौन शोषण और एचआईवी संक्रमण का शिकार बनाती है।

20.2 बाल श्रम की परिभाषा

बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 1986 के तहत एक बच्चे को अपना 14वां (चौदहवां) वर्ष पूरा न करने के रूप में परिभाषित किया गया है। कानून का भाग II बच्चों को घरेलू श्रम सहित अनुसूची के भाग ए में उल्लिखित किसी भी व्यवसाय में काम करने से रोकता है। , ढाबे (सड़क किनारे खाने की दुकानें), होटल, रेलवे कैटरिंग, रेलवे ट्रैक पर या उसके आसपास निर्माण कार्य, प्लास्टिक निर्माण और ऑटोमोटिव गैरेज आदिबच्चों को उन जगहों पर भी काम करने की अनुमति नहीं है जहां विशिष्ट प्रक्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि बीड़ी बनाना, टैनिंग, साबुन निर्माण, ईंट भट्ठियां और छत टाइल इकाइयां, जैसा कि अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित है। प्रतिबंध उन कार्यशालाओं पर लागू नहीं होते हैं जहां अधिभोगी अपने परिवार की सहायता से काम करता है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होता हैयह अधिनियम बाल श्रम के मुद्दे से संबंधित है, जो एक सामाजिक मुद्दा है। यह अधिनियम कुछ व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है और अन्य व्यवसायों में नाबालिगों की कामकाजी स्थितियों को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम बच्चों को 13 व्यवसायों और 51 प्रक्रियाओं में काम करने से रोकता हैसंशोधन सक्षम सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदान करने और ऐसे दायित्वों को लागू करने के लिए अधिकृत करता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, राज्य कार्य योजना सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वितरित की गई है।

20.3 भारत में बाल श्रम की स्थिति

भारत में बच्चे ऐतिहासिक रूप से अपने माता-पिता को उनके खेतों और अन्य आदिम गतिविधियों में मदद करते रहे हैं। एक और अवधारणा जिसकी व्याख्या की आवश्यकता है वह बंधुआ मजदूरी की अवधारणा है जो शोषण के सबसे आम रूपों में से एक है। बंधुआ मजदूरी का मतलब है कि ब्याज की अत्यधिक दरों के कारण माता-पिता द्वारा कर्ज के भुगतान के बदले में बच्चों को कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता हैबंधुआ मजदूरी की अवधारणा के साथ भारत में शहरी बाल श्रम की अवधारणा भी जुड़ी हुई है जिसमें मजदूर सड़क पर रहने वाले बच्चे होते हैं जो अपना अधिकांश बचपन सड़कों पर बिताते हैंयूनिसेफ ने बाल श्रम को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:

1. परिवार के भीतर- बच्चों को बिना वेतन के घरेलू घरेलू कार्यों में लगाया जाता है।
2. परिवार के भीतर लेकिन घर के बाहर- उदाहरण- खेतिहर मजदूर, घरेलू नौकरानियां, प्रवासी मजदूर आदि।
3. परिवार के बाहर- उदाहरण- रेस्तरां में व्यावसायिक दुकानें और नौकरियाँ, वेश्यावृत्ति आदि।

भारत में बाल श्रमिकों को मुख्य रूप से औद्योगिक, घरेलू और बंधुआ बाल श्रमिकों की दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नीचे हम जनसांख्यिकी के साथ-साथ बच्चों को श्रमिकों के रूप में नियोजित करने वाले उल्लिखित भारतीय क्षेत्रों का विवरण देंगे।

1) **औद्योगिक बाल श्रम :** भारत में औद्योगिक क्षेत्र 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सबसे बड़ा नियोक्ता है। लगभग 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच के 10 मिलियन से अधिक बच्चे अनौपचारिक या छोटे उद्योगों में काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग 4.5 मिलियन लड़कियां शामिल हैं। कपड़ा उद्योग, ईंट भट्ठा, कृषि, आतिशबाजी उद्योग, हीरा उद्योग आदि जैसे छोटे उद्यम बच्चों के सबसे बड़े नियोक्ता हैं। कभी-कभी ऐसे उद्योग घरों से संचालित होते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए उचित कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता हैभारत में असंगठित क्षेत्र बच्चों को रोजगार देने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है और सबसे अधिक दिखाई देने वाला भी। वर्तमान में बच्चों को सड़क किनारे ढाबों और भोजनालयों, चाय की दुकानों या किराने की दुकानों में काम करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे छोटे व्यवसायों के मालिक बच्चों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उन्हें नियंत्रित करना आसान होता है और अपनी सुविधानुसार नौकरी से निकालना आसान होता है।

2) **घरेलू बाल श्रम** :भारत में कुल बाल श्रमिकों का 10% हिस्सा घरेलू बाल श्रमिकों का है। इनमें धनि परिवारों द्वारा रोजमर्रा के कामकाज की देखभाल के लिए घरेलू तौर पर नियुक्त लड़के और लड़कियां दोनों सम्मिलित किये जाते हैं। ऐसे बच्चों के पास उस

आयु में अन्य परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है जब उन्हें स्कूल जाना चाहिए और दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में नियोजित करने के पीछे गरीबी मुख्य कारण है। आमतौर पर माता-पिता पैसे और अपने बच्चों के लिए स्थिर आश्रय की आशा में अपनी सहमति देते हैं।सांख्यिकी एक गंभीर तस्वीर उजागर करती है - कार्यरत सभी घरेलू कामगारों में से लगभग 20% 14 वर्ष से कम उम्र के हैं और इन आंकड़ों में मुख्य रूप से लड़कियां शामिल हैं। इन बच्चों को नौकरों के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो परिवार के दैनिक कामकाज जैसे - कपड़े धोना, खाना बनाना, पालतू जानवरों या छोटे बच्चों की देखभाल करना और अन्य काम करते हैं।

3) **बंधुआ बाल मजदूरी :** बंधुआ बाल मजदूरी का मतलब ऐसे बच्चे से है जिसे अपने माता-पिता या अभिभावक का कर्ज चुकाने के लिए जबरन नियोजित किया जाता है। हालांकि हाल के दिनों में कड़ी सरकारी निगरानी और इस पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के कारण बंधुआ बाल श्रमिकों की संख्या में काफी गिरावट आई है, लेकिन अलग-थलग और दूरदराज के स्थानों में इसका छिपे स्तर पर पालन किया जाता है।गांवों में रहने वाले और कृषि उद्योग में कार्यरत बच्चों में इस प्रकार के श्रम का खतरा अधिक होता है। गरीब किसान जिन पर साहूकारों का भारी कर्ज होता है, वे अक्सर अपने भाई-बहनों को अमीर साहूकारों के यहां मजदूर के रूप में काम पर लगाने के लिए समझौता कर लेते हैं। पिछले दशक तक विभिन्न उद्योगों में हजारों की संख्या में बंधुआ मजदूर कार्यरत थे, लेकिन आज यह संख्या काफी कम हो गई है और सरकार का दावा है कि भारत में अब कोई बंधुआ बाल मजदूर नहीं हैं।यह बाल श्रम और अनिवार्य बाल शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों और यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष), गैर सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों के कारण संभव हुआ है।

20.4 भारत में बाल श्रम के कारण

भारत में बाल श्रम के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

i. **गरीबी :** भारत में बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है। देश की अधिकांश आबादी गरीबी से पीड़ित है। गरीबी के कारण, माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते हैं और छोटी उम्र से ही उनसे मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। वे अपने छोटे बच्चों को कारखानों, घरों और दुकानों में काम करने के लिए भेजते हैं। उन्हें जल्द से जल्द अपने गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए काम पर लगाया जाता है। ये निर्णय केवल अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन के उद्देश्य से लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे निर्णय बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति को तोड़ देते हैं क्योंकि वे कम उम्र में ही अपना बचपन खो देते हैं।

ii. **शैक्षणिक संसाधनों का अभाव :** हमारे देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी ऐसे उदाहरण हैं जहां बच्चे शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हैं। हमारे देश में हजारों गांव ऐसे हैं जहां शिक्षा की उचित सुविधाएं नहीं हैं। और यदि है तो मीलों दूर है। इस प्रकार की प्रशासनिक शिथिलता भी भारत में बाल श्रम के लिए उत्तरदायी। इस स्थिति से सर्वाधिक समस्या निर्धन परिवारों को हो रही है जिनके लिए अपने बच्चों को पढ़ाना एक सपना है।कभी-कभी गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कम शुल्क वाले विद्यालयों की कमी उन्हें अशिक्षित और असहाय बना देती है।जिससे बच्चे बिना शिक्षा के रहने को विवश हो जाते हैं ,और कभी-कभी ऐसी विवशताएँ उन्हें भारत में बाल श्रम में संलग्न होने का कारण बन जाती हैं।

iii. **सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन :**भारत में बाल श्रम का मुख्य कारण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन भी है। सामाजिक रूप से पिछड़े माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय नहीं भेजते हैं। परिणामस्वरूप , उनके बच्चे बाल श्रम के लिए विवश हो जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि अशिक्षा के कारण कई बार माता-पिता को बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न जानकारियों और योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। शिक्षा की कमी, अशिक्षा और उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी ने बाल श्रम को बढ़ावा दिया है।इसके अलावा, अशिक्षित माता-पिता अपने बच्चों पर बाल श्रम के प्रभाव के बारे में नहीं जानते हैं। परिणामस्वरूप गरीबी और बेरोजगारी की स्थितियाँ ग्रामीण परिवारों को बच्चों को विभिन्न कार्यों में संलग्न करने के लिए बाध्यकारी आधार प्रदान करती हैं। वास्तव में, सामंती, जमींदारी व्यवस्था और इसके मौजूदा अवशेष भारत में बाल श्रम की समस्या को बनाए रखे हुए हैं।

iv. **नशा, बीमारी या विकलांगता :** कई परिवारों में नशे की लत, बीमारी या विकलांगता के कारण कोई कमाई नहीं होती है और बच्चों की मजदूरी ही परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र साधन होती है। जनसंख्या वृद्धि के बेरोजगारी भी निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसका बाल श्रम रोकथाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए, माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के स्थान पर पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए उन्हें काम पर भेजने के लिए इच्छुक रहते हैं।

v. **कानूनों के सख्त अनुपालन का आभाव :**आधुनिक समाज में, कानून यह निर्धारित करते हैं कि नागरिकों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को वह

खेल खेलने का अधिकार है जो वह पसंद करता है, और मनोरंजन के सभी साधनों का आनंद लेता है, और जब वह बड़ा होता है, तो रोजगार प्राप्त कर सकता है जहां वह अच्छी कमाई कर सकता है और समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। लेकिन कानूनों के उचित अनुपालन के अभाव में भारत में बाल श्रम जारी है। संबंधित कानूनों का कड़ाई से पालन करके ही इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है।

vi. **सस्ते श्रम का लोभ :**सस्ते श्रम के लालच में कुछ दुकानदार, कंपनियाँ और कारखाने के मालिक बच्चों को काम पर रखते हैं ताकि उन्हें उन्हें कम भुगतान करना पड़े। दुकानदार और छोटे व्यवसायी बच्चों से बड़ों जितना ही काम कराते हैं, लेकिन मजदूरी आधी देते हैं। बाल श्रम के मामले में चोरी, लालच या धन के दुरुपयोग की संभावना भी कम होती है।वैश्वीकरण, निजीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास के साथ, सस्ते श्रम की आवश्यकता और गरीब परिवारों की आर्थिक जरूरतों के साथ इसके जुड़ाव ने भारत में बाल श्रम को बढ़ावा दिया है।

vii. **परिवार की परंपरा :**यह एक चौंकाने वाला लेकिन कटु सत्य है कि हमारे समाज में कई परिवारों में बाल श्रम को परंपरा या रीति-रिवाज का नाम देना बहुत आसान है। भारत में बाल श्रम की समस्या को स्वैच्छिक स्तर पर बढ़ाने में सांस्कृतिक एवं पारंपरिक पारिवारिक मूल्य अपनी भूमिका निभाते हैं। कई परिवारों का मानना है कि अच्छा जीवन उनकी नियति नहीं है, और श्रम की सदियों पुरानी परंपरा ही उनकी कमाई और आजीविका का एकमात्र स्रोत है।छोटे व्यवसायी भी कम उत्पादन लागत में अपने पारिवारिक व्यापार को कायम रखने के लालच में अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। कुछ परिवारों का यह भी मानना है कि बचपन से ही काम करने से उनके बच्चे भावी जीवन के संदर्भ में अधिक मेहनती और सांसारिक रूप से समझदार बनेंगे। उनका मानना है कि शीघ्र रोजगार से उनके बच्चों का व्यक्तिगत विकास होगा, जिससे उनके लिए आगे के जीवन की योजना बनाना आसान हो जाएगा।

viii. **लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव:** हमें यह विश्वास दिला दिया गया है कि लड़कियाँ कमजोर होती हैं और लड़कों और लड़कियों के बीच कोई समान तुलना नहीं है। आज भी हमारे समाज में हमें ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। लड़कियों को लड़कों से कमजोर समझना उन्हें स्कूल और शिक्षा से वंचित कर देता है

20.5 बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 के प्रावधान

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 का मुख्य लक्ष्य कुछ व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाकर और (i) रेलवे यात्री, माल या मेल परिवहन (ii) बीड़ी बनाना (iii) कालीन बुनाई (iv) माचिस, विस्फोटक और अग्नि निर्माण (v) साबुन निर्माण जैसे व्यवसायों में बच्चों की कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करके एक सामाजिक चिंता का समाधान करना है।

सरकार ने बच्चों के लिए निम्नलिखित व्यवसायों या प्रक्रियाओं में काम करना भी अवैध बना दिया है: (i) बूचड़खाने (ii) खतरनाक प्रक्रियाएं और जोखिम भरे संचालन, (iii) मुद्रण (iv) काजू और काजू को छीलना और प्रसंस्करण करना। यह अधिनियम बच्चों को 13 व्यवसायों और 51 प्रक्रियाओं में काम करने से रोकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों (भूमि कानून) के अनुच्छेद 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार के तहत उद्योगों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है।अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं :

i. इस अधिनियम के अंत में अनुसूची में 83 व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची दी गई है जिनमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। इनमें रेलवे, बंदरगाह, बूचड़खाने, पटाखे और विस्फोटक उद्योग, खनन और कई विनिर्माण प्रक्रियाओं में काम शामिल हैं।

ii. अधिनियम धारा 3 द्वारा निषिद्ध नहीं किए गए व्यवसायों में बच्चों के लिए निश्चित कार्य घंटे निर्धारित करता है। अधिनियम कहता है कि तीन घंटे के श्रम के बाद, एक बच्चे को कम से कम एक घंटे का आराम मिलना चाहिए। एक बच्चे के काम की अवधि छह घंटे से अधिक नहीं हो सकती है, जिसमें आराम के अंतराल और काम के इंतजार में बिताया गया समय सम्मिलित है, और बच्चे शाम 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच और सुबह 8 बजे या ओवरटाइम काम नहीं कर सकते हैं। । साथ ही, एक बच्चा एक दिन में केवल एक ही प्रतिष्ठान में काम कर सकता है, और बच्चे प्रत्येक सप्ताह पूरे एक दिन की छुट्टी के हकदार हैं।

iii. किसी बच्चे को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान को स्थानीय इंस्पेक्टर (जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रतिष्ठान स्थित है) को निम्नलिखित जानकारी के साथ एक लिखित नोटिस भेजना नितांत आवश्यक होता है - प्रतिष्ठान का नाम, पता, प्रबंधकीय पद पर मौजूद व्यक्ति का नाम और प्रतिष्ठान के काम की प्रकृति . यह नोटिस बच्चे के रोजगार के तीस दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए।

iv. नियोक्ता को अपने प्रतिष्ठान में काम करने वाले बच्चों का एक रजिस्टर भी रखना होगा। इसमें उनके नाम, जन्मतिथि, काम के घंटे और उनके काम की प्रकृति होनी चाहिए।

v. रेलवे और बंदरगाह अधिकारियों के साथ-साथ अन्य नियोक्ताओं को इस अधिनियम की धारा 3 और 14 के सार को किसी सुलभ स्थान पर प्रदर्शित करना होगा, जिसमें बच्चों के लिए निषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं और इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड की सूची है।

vi. सरकार किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकती है। ये नियम साफ-सफाई, धूल, रोशनी, वेंटिलेशन, तापमान, कचरे का निपटान, आग के खिलाफ सावधानी, आंखों की सुरक्षा आदि से संबंधित हो सकते हैं।

vii. बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 1986, कार्यस्थल पर सभी प्रकार के बाल दुर्व्यवहार को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह किसी भी खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम विशिष्ट नौकरियों और प्रक्रियाओं में बच्चों को नियोजित करना अवैध बनाता है। अधिनियम के अनुसार, श्रमिकों को खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों से बचाने के लिए, किसी भी युवा को शाम 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और सुबह 8 बजे, न ही उन्हें ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसके अलावा, कोई भी युवा एक घंटे के ब्रेक के बिना 3 घंटे से अधिक श्रम नहीं करेगा।

viii. अधिनियम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यह स्पष्ट रूप से 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को विशिष्ट खतरनाक नौकरियों या संचालन में काम करने से रोकता है। यह 16 गतिविधियों और 65 प्रक्रियाओं में नाबालिगों के रोजगार पर रोक लगाता है जिन्हें बच्चे के स्वास्थ्य और दिमाग के लिए हानिकारक माना जाता है। यह अधिनियम उन उद्योगों को भी नियंत्रित करता है जिनमें बच्चों को काम करने की अनुमति है, और यह कानून तोड़ने वाले नियोक्ताओं पर कठोर परिणाम लागू करता है, जिसमें मौद्रिक जुर्माना और जेल की सजा शामिल है। अधिनियम पारिवारिक इकाइयों और प्रशिक्षण केंद्रों को इसके कवरेज से बाहर रखता है।

ix. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले को एक महीने तक की कैद या रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 10,000 या दोनों. जो कोई भी किसी बच्चे से काम लेता है या उसे अधिनियम द्वारा निषिद्ध कार्य करने की अनुमति देता है, उसे तीन महीने से एक साल तक की कैद हो सकती है या रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 10,000-20,000 या दोनों. अधिनियम के प्रावधानों का एक से अधिक बार उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को छह महीने से दो साल तक की कैद हो सकती है।

20.6 भारत में बाल श्रम के उन्मूलन के उपाय

बाल तस्करी का उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और जीवन स्तर के बुनियादी मानक इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विकासशील देशों को ऋण प्रदान करके गरीबी उन्मूलन में मदद कर सकते हैंराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शोषण को रोकने के लिए श्रम कानूनों का कड़ाई से कार्यान्वयन भी आवश्यक है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्त उपाय लागू करने के लिए वर्तमान बाल श्रम निषेध कानून में कई संशोधनों की आवश्यकता है। न्यूनतम चौदह वर्ष की आयु को बढ़ाकर कम से कम अठारह वर्ष करने की आवश्यकता है। कानून में मौजूद खतरनाक गतिविधियों की सूची में और अधिक व्यवसायों को शामिल करने की आवश्यकता है जिन्हें खतरनाक गतिविधियों के दायरे से बाहर रखा गया है। भारत में बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने के उपाय निम्नलिखित हैं:

1. बाल श्रम को रोकने के लिए सबसे पहले गरीबी की समस्सया का समाधान करना होगा, जिससे गरीब लोगों को अपने बच्चों को रोजी-रोटी कमाने के लिए न भेजना पड़े।

2. साक्षरता और शिक्षा का प्रसार भारत में बाल श्रम की प्रथा के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति बाल श्रम के निहितार्थ को नहीं समझते हैं।

3. भारत में बाल श्रम को रोकने का दूसरा तरीका बेरोजगारी को खत्म करना या उस पर लगाम लगाना है। अपर्याप्त रोजगार के कारण, कई परिवार अपने सभी खर्चों को वहन नहीं कर पाते हैं। यदि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो वे अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा सकेंगे और योग्य नागरिक बन सकेंगे।

4. भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने घर या ऑफिस में किसी भी बच्चे को काम पर न रखें। हमें यह याद रखना होगा कि हम कम उम्र के बच्चों को उनके श्रम के बदले पैसे देकर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

5. हमें भारत में बाल श्रम के बारे में जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है जिससे लोग समझ सकें कि बाल श्रम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्हें यह समझना होगा कि अगर भारत के बच्चों को बाल श्रम के माध्यम से मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर किया जाता है तो भारत का कोई भविष्य नहीं है।

6. आम आदमी को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह उस दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा जहां पर बच्चा मजदूरी करता हो। साथ ही, अगर हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं तो हमें इसकी शिकायत पुलिस या अन्य एजेंसियों से करनी चाहिए। आम नागरिक को चाहिए कि वह समाज में होने वाले बाल श्रम को रोके। इस प्रकार, आम जनता भारत में बाल श्रम की रोकथाम में मदद कर सकती है।

7. हमारे देश में बाल श्रम पर रोक लगाने वाले कानून हैं। अगर हमें बाल श्रम का कोई भी मामला नजर आता है तो हमें तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। हमें भारत में बाल श्रम कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए।

8. बाल श्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए हम 100 नंबर भी डायल कर सकते हैं। बाल श्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए हम सरकार द्वारा शुरू की गई टेलीफोन सेवा नंबर 1098 पर भी डायल कर सकते हैं।

9. बाल श्रम उन्मूलन के लिए हमें एक जागरूक ग्राहक की भूमिका निभानी होगी. कई बार हम बाजार जाकर अपनी जरूरत की वस्तुए खरीदते हैं, बिना यह जाने कि उस सामान की बनावट के पीछे बाल श्रम प्रथा हो सकती है। अतः आवश्यक है कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार से उसके निर्माण में इस्तेमाल की गई तकनीक के बारे में अवश्य पूछें। इस प्रश्न का उत्तर वस्तुतः अधिकाँश दुकानदारों को नहीं पता होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से एक कदम तो उठा ही सकते हैं। इन जांचों से हम समाज में एक समझदार माहौल बना सकते हैं। और बाल श्रम से बनी किसी चीज़ के उपयोग को बढ़ावा देने से रोक सकेंगे ।

10. बच्चों के माता-पिता को बाल श्रम के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाय । अगर हमें अपने आस-पास कहीं कोई बाल श्रमिक दिखे तो सबसे पहले हमें उस बच्चे के परिवार से बात करनी चाहिए। उनकी स्थितियों से सहानुभूति रखते हुए हमें उन्हें इस प्रथा के जारी रहने की स्थिति में उनके बच्चे के अंधकारमय भविष्य के बारे में बताना चाहिए।

11. कारखानों और दुकानों के मालिकों को यह प्रण लेना चाहिए कि वे किसी भी बच्चे से मजदूरी नहीं कराएंगे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेंगे।

12. भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए, हमें ऐसे कानूनों के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता है जो सस्ते वेतन पर बच्चों को काम पर लगाने पर विक्रेताओं, दुकानदारों और मिल मालिकों को सख्त सजा का प्रावधान करते हैं।

13. भारत में बाल श्रम के लिए और अधिक मजबूत और सख्त कानून होने चाहिए, ताकि लोग बाल श्रम कराने से डरें।

14. गरीब माता-पिता को अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आज सरकार कुछ स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, भोजन और यहाँ तक कि दवाएँ भी उपलब्ध करा रही है।

15. लड़के-लड़कियों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इस प्रथा से भारत में बालिका श्रम की संख्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

बाल श्रम और शोषण के अन्य रूपों को एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से रोका जा सकता है जो बाल संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करते हैं, साथ ही गरीबी और असमानता को संबोधित करते हैं, शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करते हैं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाते हैं।शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और अन्य लोग बच्चों की सुरक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति के समर्थक हो सकते हैं। वे सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे अन्य हितधारकों को उन स्थितियों के प्रति सचेत कर सकते हैं जहां बच्चे संकट के लक्षण प्रदर्शित करते हैं या संकेत देते हैं कि वे लंबे समय तक काम करते हैं। बच्चों को काम से हटाकर स्कूल भेजने के लिए भी

सार्वजनिक नीति में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है ताकि परिवारों को शोषणकारी श्रम के बजाय शिक्षा का चयन करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

बाल श्रम को समाप्त करने के लिए नीतिगत ढांचे को लागू करने के लिए सरकार और लाभकारी एजेंसियों को एक साथ मिलकर कार्य करना नितांत आवश्यक हो जाता है। इस सन्दर्भ में आपूर्ति श्रृंखलाओं का आकलन करने और बाल श्रम को बढ़ावा देने वाली व्यावसायिक प्रथाओं को संबोधित करने के लिए स्थायी विकल्प खोजना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। इसी क्रम में बंधुआ या ऋण श्रम के परिणामस्वरूप होने वाले श्रम की समाप्ति का समर्थन करने के लिए परिवारों के साथ भी कार्य किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बाल श्रम को समाप्त करने वाले कार्यक्रमों को एकीकृत करने में राज्य सरकारों का समर्थन भी प्रदान किया गया है। इस प्रकार परिवारों के लिए वैकल्पिक आय, प्रीस्कूल तक पहुंच, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षा सेवाओं को सुनिश्चित करते हुए बाल श्रम की सांस्कृतिक स्वीकृति को बदलने में भी समुदायों का समर्थन करना बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है।

20.7 सार संक्षेप

बाल श्रम राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक गंभीर बाधा है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बच्चे आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने में विफल रहते हैं, वस्तुतः कठिनाई और गरीबी का जीवन जीने को मजबूर होते हैं। यह बच्चे के समग्र स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चे आसानी से थक जाते हैं और कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने के लिए शारीरिक रूप योग्य नहीं होते हैंकांच और पटाखा उद्योगों में कार्यरत बच्चे न केवल लंबे समय तक काम करते हैं बल्कि खतरनाक परिस्थितियों में भी काम करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ गंभीर समझौता होता है। वे लगातार जहरीली गैसों और पदार्थों के संपर्क में रहते हैं जिससे विभिन्न त्वचा और श्वसन संबंधी बीमारियाँ होती हैंजिन बच्चों को श्रम उद्योग में मजबूर किया जाता है, वे अपना बचाव करने में असमर्थ होते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बड़े होते हैं जो समाज में उत्पादक योगदान नहीं दे सकता है। इसके अलावा, किसी देश की अर्थव्यवस्था के प्रगतिशील होने के लिए, यह जरूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका कार्यबल शिक्षित और कुशल हो; जब तक बाल श्रम मौजूद है तब तक यह एक दूर की वास्तविकता हैजब तक बच्चे मजदूरी में लगे रहेंगे, भारत गरीबी और अशिक्षा को सफलतापूर्वक समाप्त नहीं कर सकता। बच्चों को काम के बजाय स्कूल भेजने से लंबे समय में बड़े आर्थिक और सामाजिक लाभ हो सकते हैं। शिक्षित बच्चे आवश्यक कौशल और उच्च वेतन वाली नौकरियाँ प्राप्त करते हैं, जिससे वे और देश गरीबी के चंगुल से बाहर निकलते हैं।

20.7 परिभाषिक शब्दावली

बाल श्रम ,बंधुआ मजदूर, औद्योगिक बाल श्रम,निर्माण कार्य, मानसिक शोषण, अर्थव्यवस्था

20.8 अभ्यास प्रश्न

लघु प्रश्न:

1. उपर्युक्त उदाहरणों के साथ बाल श्रम को परिभाषित करिए।

   .....

   .....

2. भारत में विभिन्न प्रकार के बाल श्रमों का विवरण दीजिये।

   .....

   .....

विस्तृत प्रश्न:

1. बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम १९८६ के प्रावधानों का विस्तृत विवरण दीजिये।

   .....

   .....

2. भारत में बाल श्रम के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालिए।

   .....

   .....

20.9 संदर्भ सूची

1. अहेरिन आरए, टॉड सीएम [1989]। बच्चों के विकासात्मक चरण और दुर्घटना जोखिम की संभावना। अमेरिकन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स की अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन बैठक में प्रस्तुत किया गया। पाठ URL पर उपलब्ध है: http://agsafety.aces.uiuc.edu/devstage.html

2. एलेन्सवर्थ डीडी, कोल्बे एलजे [1987]। व्यापक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम: एक विस्तारित अवधारणा की खोज। जे एसएच स्वास्थ्य 57(10): 409-412।

3. एपीएचए (अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन) [1995]। 9405: बाल एवं किशोर श्रमिकों की सुरक्षा। एएम जे पब्लिक हेल्थ 85(3):440-442।

4. एपीएचए (अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन) [1996]। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी विनियोग तथ्य पत्रक। वाशिंगटन, डीसी: अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन।

5. बैंको एल, लैपिडस जी, ब्रैडॉक एम [1992]। कनेक्टिकट नाबालिगों के बीच काम से संबंधित चोट। बाल चिकित्सा 89(5):957-960।

6. बेलविल आर, पोलाक एसएच, गॉडबोल्ड जेएच, लैंड्रिगन पीजे [1993]। न्यूयॉर्क राज्य में कामकाजी किशोरों के बीच व्यावसायिक चोटें। जामा 269(21):2754-2759।

7. ब्लैकऑर्बी जे [1993]। विकलांग छात्रों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा में भागीदारी। इन: वैगनरएम, एड. विकलांग छात्रों के लिए माध्यमिक विद्यालय कार्यक्रम: विशेष शिक्षा छात्रों के राष्ट्रीय अनुदैर्ध्य संक्रमण अध्ययन की एक रिपोर्ट। मेनलो पार्क, सीए: एसआरआई इंटरनेशनल, पीपी. 51 से 548।

8. बीएलएस [1992]। काम और परिवार: युवा वयस्कों द्वारा आयोजित नौकरियाँ और सप्ताह। वाशिंगटन, डीसी: अमेरिकी श्रम विभाग, श्रम सांख्यिकी ब्यूरो, रिपोर्ट 827।

9. बीएलएस [1995ए]। रोजगार और बेरोजगारी की भौगोलिक प्रोफ़ाइल, 1994। वाशिंगटन, डीसी: अमेरिकी श्रम विभाग, श्रम सांख्यिकी ब्यूरो, बुलेटिन 2469।

10. बीएलएस [1995बी]। व्यावसायिक चोटें और बीमारियाँ: गिनती, दरें और विशेषताएँ, 1992। वाशिंगटन, डीसी: अमेरिकी श्रम विभाग, श्रम सांख्यिकी ब्यूरो, बुलेटिन 2455।

11. बीएलएस [1996]। रोजगार और कमाई. वाशिंगटन, डीसी: अमेरिकी श्रम विभाग, श्रम सांख्यिकी ब्यूरो।

12. ब्रूक्स डीआर, डेविस एलके [1996]। मैसाचुसेट्स किशोरों को काम से संबंधित चोटें, 19871990। एम जे इंड मेड 29:153-160।

13. ब्रूक्स डीआर, डेविस एलके, गैलाघर एसएस [1993]। मैसाचुसेट्स के बच्चों में काम से संबंधित चोटें: आपातकालीन विभाग के आंकड़ों पर आधारित एक अध्ययन। एम जे इंड मेड 24:313-324.

14. ब्रोस्टे एसके, हैनसेन डीए, स्ट्रैंड आरएल, स्टुलैंड डीटी [1989]। हाई स्कूल फार्म के छात्रों में श्रवण हानि। एएम जे पब्लिक हेल्थ 79(5): 619-622।

15. बुश डी, बेकर आर [1994]। जोखिम में युवा कर्मचारी: स्वास्थ्य और सुरक्षा शिक्षा और स्कूल। बर्कले, सीए: बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, व्यावसायिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य केंद्र, श्रम व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।

16. कार्स्केडॉन एमए [1989]। किशोरों में तंद्रा: उच्च जोखिम वाली आबादी में जोखिम बढ़ जाता है। शराब, ड्रग्स और ड्राइविंग 5(4)/6(1):112।

17. कार्स्केडॉन एमए [1990]। किशोरों में नींद और उनींदापन के पैटर्न। बाल रोग विशेषज्ञ 17:512.

18. कार्स्केडॉन एमए, हार्वे के, ड्यूक पी, एंडर्स टीएफ, लिट आईएफ, डिमेंट डब्ल्यूसी [1980]। दिन की नींद में यौवन संबंधी परिवर्तन। नींद 2(4):453-460।

19. कैस्टिलो डीएन, लैंडेन डीडी, लेने एलए [1994]। संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 और 17 वर्ष के बच्चों की व्यावसायिक चोट से मृत्यु। एएम जे पब्लिक हेल्थ 84(4):646-649।

20. **Bare Act:** The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986.

21. https://blog.ipleaders.in/child-labour-prohibition-regulation-act-1986>

22. https://lawwire.in/an-analysis-of-the-the-child-labour-prohibition-and-regulation-act-1986>

23. https://www.unicef.org/india/what-we-do/child-labour-exploitation>

24. https://www.ijlmh.com/paper/a-comparative-analysis-of-child-labour-laws-in-us-india

25. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-6589-conceptual-analysis-on-child-labour-protection-act-